राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का चौदहवाँ दिवस [संख्या 4

बृहस्पतिवार,

दिनांक 7 मार्च, 1991

विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 178, श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री जयगोपाल थानवी, महेश उच्च प्राथमिक विद्यालय, फलौदी को भुगतान

178. **श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित** (सुमेरपुर) **व श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं विभागीय निर्णयानुसार श्री जयगोपाल थानवी, महेश उच्च प्राथमिक विद्यालय, फलौदी (जोधपुर) को कुल देय राशि में से राजकीय हिस्से की 60 प्रतिशत भुगतान एकमुश्त करने हेतु निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर ने राज्य सरकार को लिखा था? क्या राज्य सरकार ने उक्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार कब तक भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : संस्था को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने महेश उच्च प्राथमिक विद्यालय, फलौदी को 60 प्रतिशत राशि डाइरेक्टर एजुकेशन द्वारा देने का लिखा था? क्या राज्य सरकार ने उक्त राशि श्री जयगोपाल थानवी को भुगतान कर दी है?

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाख से ऊपर की राशि देनी थी जयगोपाल थानवी को संस्था की तरफ से और हमारे पास से उनको चार

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

हजार रुपए साल की ऐड मिलती है। हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं थी उनको पेमेण्ट करने की। हमने अभी 14.11.90 को संस्था को पुनः निर्देश दिये हैं कि वह उसकी राशि का अदालत के निर्देश के अनुसार भुगतान करे।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, आपने संस्था को निर्देश दे दिये, हाई कोर्ट आदेश दे रही है। संस्था अनुदान प्राप्त संस्था है। मान लीजिए नयी शिक्षण संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी के लोग उनको पेमेण्ट नहीं करते हैं तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसका भुगतान....

श्री हरिकुमार औदिच्य : राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी और हाई कोर्ट ने सरकार को इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हाई कोर्ट ने किसको निर्देश दिये हैं, उसकी कापी आप सदन के पटल पर रखें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : निर्देश ही नहीं हैं तो कौनसी कापी पटल पर रखूंगा ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने आपको निर्देश नहीं दिये ? जब आपके पास कापी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप दिखा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : यह तो फैसला है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेक आदेश शिक्षा विभाग ने समय-समय पर जारी किये हैं। नहीं तो उनको आज जो ऐड दी जा रही है उसमें से काटकर उस व्यक्ति का भुगतान करना चाहिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : नहीं दे पायेंगे, हम नहीं दे पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था सरकार करे, इसका आप ध्यान रखिये। इसका कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए।

श्री माहिर आजाद।

प्रश्न संख्या 179

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हेतराम बेनीवाल।

प्रश्न संख्या 180

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

जे. के. सीमेण्ट से खेती की जमीन को नुकसान

181. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जे. के. सीमेण्ट फैक्ट्री, निम्बाहेड़ा से गम्भीर

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

बांध तथा आस-पास के किसानों की खेती की जमीन खराब हो रही है तथा बीमारियां फैल रही हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार को उक्त उद्योग से बढ़ते प्रदूषण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) :
(1) जे के. सीमेण्ट फैक्ट्री, निम्बाहेड़ा से गम्भीरी बांध के खराब होने की कोई शिकायत सिंचाई विभाग में प्राप्त नहीं हुई है तथा किसी बीमारी के फैलने की कोई सूचना नहीं है। कृषि विभाग के अनुसार उद्योग से जो गर्द उड़ती है वह जमीन पर जम जाती है जिससे कृषि उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है।

(2) जी हां, इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा उद्योग का समय-समय पर निरीक्षण किया गया एवं दिशा निर्देश दिये गये, जिसके फलस्वरूप उद्योग अपने प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों में सुधार कर रहा है। मण्डल द्वारा जून, 1989 में उद्योग के सस्पैण्डेड पर्टिकुलेट मैटर (एस. पी. एम) के उत्सर्जित मानकों को 250 मिली ग्राम घन मीटर से घटाकर 150 मिली ग्राम घन मीटर पर लाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। संशोधित मानकों के अनुरूप प्रदूषण तत्वों को उत्सर्जित करने हेतु उद्योग द्वारा प्रेषित किये गये समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 1991 तक का समय चाहा गया है जो कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि 20-22 साल में कृषि भूमि को जो नुकसान हुआ है वह कितना हुआ होगा, जब पिछली सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की ? इसके अलावा 6.3.1990 को निम्बाहेड़ा उप जिलाधीश ने जिला कलक्टर को चिकित्सकों की एक राय भेजी थी। इसमें फेंफड़ों की बीमारी, चर्म रोग की सम्भावना, दमा, टी.बी. व अन्य बीमारियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी गयी है कि इस प्रकार की बीमारियां निम्बाहेड़ा में फैल रही हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की है ? दूसरा, यह जो एस.पी. एम. जे.के. सीमेण्ट फैक्ट्री का लगा हुआ है और 15 डस्ट फिल्टर्स लगे हुए हैं इनको उन्होंने आज तक चलाया नहीं है, क्योंकि डेढ़ से दो हजार यूनिट बिजली रोज इसमें खर्च होती है।

श्री अध्यक्ष : आपने इन बीमारियों के फैलने की सूचना सरकार को भेजी थी क्या ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हां, दी है साहब। 25.4.1988 को मैंने कलक्टर को शिकायत की थी। उसके बाद 4.5.1988 को निम्बाहेड़ा के तत्कालीन विधायक श्री भैरोंसिंह जी शेखावत खुद ने पर्यावरण मंत्री श्री नारायणसिंह जी को शिकायत की। उसके बाद 11.5.1988 को तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने जवाब दिया है कि मैं कार्यवाही करवा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, बैठिये । माननीय मंत्रीजी ।

श्री लालचन्द डूडी : बीमारी के सम्बन्ध में कोई शिकायत विभाग को नहीं दी गयी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य खुद दे रहे हैं ।

श्री लालचन्द डूडी : अगर कोई है तो मेडिकल विभाग का मामला है, वह क्या कार्यवाही करें । पर्यावरण विभाग को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कलक्टर और मंत्री महोदय को शिकायत करने का....

श्री लालचन्द डूडी : हां, उनको की है । उन्होंने जरूर मेडिकल विभाग को इसमें कुछ कह दिया होगा, लेकिन पर्यावरण विभाग को इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं हुई ।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना): मंत्री महोदय ने यह माना है कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । यह कोई बात है ? ये तो भयंकर बीमारियां फैलाते हैं । सारे राजस्थान में जहां सीमेंण्ट के प्लाण्ट हैं वहां कोई ट्रीटमैण्ट प्लाण्ट नहीं हैं और सब प्रकार की बीमारियों से सारी फसलों को नुकसान हो रहा है । हमारे नीमकाथाना में भी 4-5 सीमेण्ट फैक्ट्री हैं, वहां भयंकर रूप से बीमारियां फैल रही हैं और फसलें सारी नष्ट हो रही हैं और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । शिकायत है ही कि सीमेण्ट फैक्ट्री जहां होगी....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री फूलचन्द : वहां बीमारियां फैलेंगी और फसलें नष्ट होंगी । इसलिए जहां-जहां उनमें ट्रीटमैण्ट प्लाण्ट नहीं हैं वहां....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । बोलिये, कृपलानी जी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इस सम्बन्ध में अप्रैल, 1990 में एक इस्तगासा भी पेश हुआ था निम्बाहेड़ा एस. डी. एम. कोर्ट में । इसके अलावा चूंकि 10 लाख रुपये महीने का बिजली का खर्चा है इसलिए जे.के. सीमेण्ट फैक्ट्री वाले इसको चलाते नहीं हैं । कोई शिकायत होती है, कोई चैक करने आता है उस समय चला देते हैं । एस. पी. एस. यंत्र या डस्ट प्लाण्ट्स जो लगे हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । श्री मांगीलाल जी ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही पूछा गया है खेती की जमीन को नुकसान का । यह सही है कि सीमेण्ट फैक्ट्री की डस्टिंग से सारे क्षेत्र में साइल पार्टिकल्स इफैक्ट होते हैं, इसलिए यह गम्भीर मामला है । क्या राज्य सरकार सम्पूर्ण सीमेण्ट फैक्ट्री के आसपास के कुप्रभावित कृषि क्षेत्रों में ऐसी कोई प्लानिंग बनायेगी कि जिससे यह जो साइल पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, खेती में परेशानी आ रही है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए निश्चित रूप से इस तरह का प्रयास करें। क्या सरकार इस तरह का प्रयास करेगी ? बहुत प्रभावित हो रहे हैं सारे ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मी सीमेण्ट फैक्ट्री, जे.के. पुरम जो सिरोही जिले में है, के प्रदूषण से लगातार ही पर्यावरण गंदा होता है, जमीन बंजर होती जा रही है और वहां रहने वाले आदिवासियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। वहां जब कोई देखने के लिए जाते हैं या कभी कोई विजिट होती है तो ट्रीटमैण्ट प्लाण्ट चलाते हैं वरना कभी नहीं चलाते । क्या सरकार इस दूषित होते जा रहे पर्यावरण के लिए पूरा ध्यान देकर कुछ प्रबन्ध करेगी ?

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार प्रदूषण फैल रहा है या नहीं उसकी नाप के लिए उसके पास में कोई ऐसा उपकरण या चीज है या नहीं, ईजाद की या नहीं ताकि समय समय पर यह देखा जा सके कि इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है या नहीं ? यह बात सत्य है कि सीमेन्ट फैक्ट्रीज के कारण आबू का भी वातावरण खराब होता जा रहा है और सीमेन्ट फैक्ट्रीज की वास्तविकता यही है कि वह ट्रीटमेंट प्लान्ट काम में नहीं लेते हैं और न उसका उपयोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि जमीनों की पैदावार में कमी हुई है, उसकी फर्टीलिटी इरोजन हुआ है या तो मुआवजा फैक्ट्री दे या सरकार दे, इसके बारे में सरकार की नीति क्या है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, देखिए आप इस सवाल को टैक्निकली मत लीजिए कि शिकायत नहीं हुई। आप इस पर माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उन पर अपना विचार दीजिए, उन पर क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, दरअसल सीमेन्ट फैक्ट्रीज हैं उनसे जिस तरह का गर्दा उड़ता है, उस बारे में कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ न कुछ स्वास्थ्य पर उससे विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसके साथ में जो पार्टिकल्स जमीन पर गिरते हैं उनके कारण से उपज पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे कहीं कोई डिनाई नहीं है। स्थिति यह है कि हमारे जो रूल्स हैं वह रिसेन्टली आये हैं और यह सीमेन्ट फैक्ट्रीज काफी समय से चलती आ रही हैं। एक तरफ फैक्ट्रीज के डवलपमेंट की बात है और इसके बीच के अन्दर गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के निर्देश समय-समय पर ऐसे आ जाते हैं उन्हें समय देने की गुंजाइश रहती है और यही स्थिति इस केस में हुई है। पार्टिकल्स के साइज को कम करने के हिसाब से प्लाण्ट लगाने की बात है,

(श्री लालचन्द डूडी)

फैक्ट्री ने जनवरी, 1991 तक का समय मांगा है। वह समय भी गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया के निर्देश के अनुसार तथा अदालत के मार्फत हमें उन्हें समय देना पड़ा है....

श्री अध्यक्ष : 1991 जनवरी समाप्त हो गई।

श्री लालचन्द डूडी : सॉरी। दिसम्बर, 1991 की कही है।

दूसरा, यह क्या करते हैं, दरअसल स्थिति कुछ ऐसी है कि प्लाण्ट लगा भी दिए जाते हैं लेकिन कई दफा कोई न कोई कारण बताकर, कभी बिजली की आपूर्ति नहीं होने की वजह से या अन्य कोई वजह से बहाना बना कर चलाते नहीं हैं। लेकिन इसके बारे में जल्दी ही नया कानून बनाकर और नई अदालत का भी गठन किया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर आज के कानून के हिसाब से और दूसरे अन्य हिसाब से भी पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है इसलिए अब जल्दी ही इसके बारे में प्रदूषण कन्ट्रोल कोर्ट आ रही है और इस कोर्ट को लाने का मकसद भी यही था, क्योंकि यह लोग काबू में नहीं आ रहे हैं इसलिए कानून में अमेण्डमेण्ट करने के बाद लोगों के स्वास्थ्य पर इनका असर नहीं पड़े इसकी पूरी पाबन्दी आइन्दा से की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री राजेन्द्र गहलोत।

जोधपुर की नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति

182. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति जोधपुर में पंजीकृत है ?

(2) क्या यह सही है कि इस समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति को अनावश्यक सहयोग देने के कारण संयुक्त रजिस्ट्रार, जोधपुर की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि बोर्ड भंग के कारण तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो विभाग ने आगे क्या कार्यवाही की ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) जी हां। नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति जोधपुर में पंजीकृत है।

(2) जी हां। इस समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों के बारे में लगातार 10 वर्षों से शिकायतें चल रही हैं, चुनावों में अनियमितताएं की जाकर पदाधिकारी बार-बार चुने जा रहे हैं, चुनावों की सूचनाएं सभी सदस्यों को समय पर मिलती नहीं हैं उसके बाद भी वहां के चुनाव की खाना-पूर्ति कर दी जाती है। जब गृह निर्माण सहकारी समितियों का शिविर लगा था उस समय इस गृह निर्माण सहकारी समिति के विषय पर बहुत लम्बी शिकायतें हुई थीं और उन शिकायतों की जांच के लिए अधिकारी तय किए गए थे। परन्तु किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से और सरकारी तंत्र के दबाव के कारण वह शिकायतें दबी हुई रह गयी। उसके बाद इस गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री कुन्दनमल ने लोगों को पट्टे आवंटन कर दिए और आवंटित पट्टे बिना सूचना दिए हुए हेरा-फेरी करके दूसरे लोगों को, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार आवंटन कर दिए। इसकी भी जांच चल रही है, उस जांच का आज तक परिणाम नहीं निकला जिसके कारण जो सदस्य हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही श्री कुन्दन मल जो पहले अध्यक्ष था, वह अध्यक्ष के बाद व्यवस्थापक बनकर बैठ गया, उस बारे में पुलिस में बहुत सी शिकायतें हुई। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि कुन्दनमल के खिलाफ पुलिस में कितने मामले पैण्डिग हैं और जांच होने के बाद भी आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? बोर्ड को भी भंग किया, बोर्ड को भंग करने के बाद क्यों नियमित कर दिया ? इस प्रकरण की जांच कब तक हो जायेगी और पट्टों में जो हेरा-फेरी की गई है उनकी जांच रिपोर्ट कब तक आ जायेगी, जांच सिद्ध हो जाने के बाद में उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अमुक समिति के बारे में कुछ शिकायतें जाहिर की हैं। उनकी मैं जांच करवा रहा हूं और ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष-जी, क्या समाधान कर दिया जायेगा ?, इस सदन में इस समिति के विषय में बार-बार प्रश्न उठ चुके हैं और बार-बार यही जवाब मिलता है कि समाधान हो जायेगा। पिछली सरकार भी 10 साल तक यही बात करती रही है कि समाधान हो जायेगा उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। पट्टों में भी हेरा-फेरी हुई, उनकी जांच के विषय में भी मंत्रीजी यह बात नहीं कह रहे हैं कि किस समय तक जांच हो जायेगी, अन्य जो शिकायतें हैं उनकी जांच कब तक हो जायेगी और इस समिति को भंग करने के बारे में विभाग क्या सोच रहा है ? माननीय मंत्रीजी बतायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कुछ समय देंगे कि जांच कब तक हो जायेगी ? (व्यवधान)।

सब के नाम हैं, मैं पूछ रहा हूं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : इसी से सम्बन्धित है....

श्री अध्यक्ष : आपका भी नाम है, आ जायेगा।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सही बात है कि शिकायतें जरूर प्राप्त हुई हैं, विभिन्न प्रकार की शिकायतें हैं, सीलिंग केस के बारे में हैं, कुछ लोगों ने शिकायतें की हैं तो उनके दस्तखत नहीं हैं, उनके नाम नहीं हैं और बहुत से शिकायतकर्ताओं ने नाम वापस ले लिए हैं लेकिन जो कुछ प्रकरण है उनकी जांच करवाकर तथ्यों से अवगत करवा दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : पट्टों में हेराफेरी की शिकायतें, एक-एक पट्टे को तीन-तीन बार....

श्री अध्यक्ष : और लोग भी पूछ रहे हैं। श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री राजेन्द्र गहलोत : इसी बारे में ?

श्री अध्यक्ष : हां, इसी पर है। श्री टीकमचन्द कान्त। डा. चन्द्रभानजी मैं आपका नाम भी बोलूंगा। एक-एक करके बोल रहा हूं।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष जी, जांच दो प्रकार से होती है। एक जांच रिकार्ड के आधार पर होती है और एक मात्र शिकायतों के आधार पर होती है। तो कितनी बार जांच रिकार्ड के आधार पर और कितनी शिकायतों के आधार पर की गई हैं ? और बार-बार धारा 70 की कार्यवाही करते हैं, वह कितनी बार हुई और उसका क्या नतीजा निकला और एक ही जांच को बार-बार करने का तात्पर्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो संयुक्त रजिस्ट्रार महोदय हैं और नवीन गृह निर्माण समिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र गहलोत ने सवाल उठाया है, बार-बार जांच होती है और जांच रिपोर्ट को दबा दिया जाता है पर मेरी जानकारी के अनुसार यह भ्रष्टाचार का मामला है। इसकी री-आडिट हुई उस री-आडिट की क्या रपट है ? इसी के साथ आदर्श प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी समिति से इन संयुक्त रजिस्ट्रार महोदय को एक प्लाट नम्बर 320 अलाट हुआ और इस समिति के पदाधिकारी जब धन मांगने गये कि हमारा पैसा दिया जाय तो इन्होंने उनके खिलाफ द्वेषतापूर्ण कार्यवाही की। इस संयुक्त रजिस्ट्रार के खिलाफ सरकार तत्काल किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में आश्वासन दे।

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वरलाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, नवीन गृह निर्माण समिति की शिकायतें....

श्री अध्यक्ष : भ्रष्टाचार की बात आप जोर से कह सकते हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं, मैं दूसरी ही बात निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : अभी कह सकते हैं सहकारी समिति में....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : वर्तमान रजिस्ट्रार इस ग्रह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारी है, जो वर्तमान में संयुक्त रजिस्ट्रार के साले हैं और यही कारण है कि उनको बचाया जा रहा है। पूर्व में जो संयुक्त रजिस्ट्रार थे उन्होंने 28 लाख रुपये का गबन निकाला और उसको भी आडिट करवाकर इस मामले को रफा-दफा कर दिया गया। इसके बाद इन्हीं रजिस्ट्रार ने एक दूसरी सोसाइटी थी जगदम्बा गृह निर्माण सहकारी समिति उसके खिलाफ भी 50 लाख रुपये का गबन घोटाला निकाला उस प्रकरण को भी रफा-दफा कर दिया गया। सही बात तो यह है कि आज इस सदन में यह निर्णय लेना चाहिए कि इस रजिस्ट्रार के खिलाफ अभी इस सदन में कार्यवाही इसलिए की जाए कि यह जो नवीन गृह निर्माण समिति है वह इनके सम्बन्धी हैं, इनके साले हैं इसलिए येन-केन इनको बचाना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज इस सदन में कम से कम इतना तो निर्णय लें कि उसके खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील विश्नोई।

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि विभिन्न प्रकार की शिकायतें हैं। 1984–85 में शिकायत हुई 28 लाख के गबन की, उसको दबा दिया गया, 1985–86 में डिक्री जारी होने के बाद इन्होंने री-आडिट के आर्डर दिए क्योंकि पहले की आडिट रिपोर्ट इससे दब जाए और री-आडिट की एक फ्रेश रिपोर्ट आए और केस को रफा-दफा किया जाए। उनके खिलाफ विविध प्रकार की शिकायतें होते हुए भी अभी तक उनको वहां से हटाया नहीं गया है। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच किसी आई. ए. एस. अधिकारी से या किसी सीनियर आफिसर से करवाएगें ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति का ही मामला नहीं है। जितनी भी राजस्थान में गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं उनमें भ्रष्टाचार के भयंकर मामले हैं और को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के चाहे रजिस्ट्रार हों, चाहे ज्वाइंट रजिस्ट्रार हों वह हर सोसायटी में लिप्त हैं। जयपुर में आपने कैम्प लगवाए। जयपुर में ऐसी सोसायटीज पकड़ी गई हैं जिनमें भयंकर भ्रष्टाचार हैं और भयंकर घोटाले हैं। रिकार्ड के ऊपर आने के बाद भी, पिछले सदन में इस बात की चर्चा हुई थी। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया, कलक्टर, जयपुर से जांच करवाई, रिपोर्ट आई लेकिन आज तक राज्य सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ न कार्यवाही की और न ही उन लोगों को राहत दी।

श्री अध्यक्ष : आप इसके मंत्री रहे हैं इसलिए अपना ज्ञान है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सहकारिता मंत्री जी, जिन सहकारी समितियों में

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

घोटाले हैं, जिन अधिकारियों के खिलाफ चार्जेज हैं आपने पैरा 1,2,3, में हां कहा है और चौथे पैरे में कहा है जी नहीं । आप इस जवाब को देखिए जब 1,2,3 में हां कहा है शिकायतों के बारे में सारी बात तो चौथे पैरे में हां कहने में कहां दिक्कत है। इसलिए सहकारिता मंत्री जी आप अपनी दक्षता से कोई निर्णय लीजिए और उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

श्री अध्यक्ष : ग्यारसी लाल जी।

एक माननीय सदस्य : परसादी लाल जी।

श्री अध्यक्ष : आई एम सॉरी, परसादी लाल जी। बात यह है कि जयपुर में ग्यारसी लाल बहुत है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या गृह निर्माण सहकारी समितियों में गबन घोटाले या भ्रष्टाचार होने के पीछे आडिटर्स जो वहां पर लगे हुए हैं उनका हाथ है। जयपुर जिले में जयपुर शहर की जो गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं उनमें ऐसे-ऐसे आडिटर्स लगे हुए हैं जिन को 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए। आपने मंत्री बनते ही एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। अभियान चलाकर 30-40 आडिटर्स का ट्रान्सफर किया उससे लगा था कि यह ग्राम सेवा सहकारी समितियां कुछ ठीक हो गई पर मुझे बड़ा खेद है। पता नही मंत्री जी मिले हुए हैं या इनका विभाग मिला हुआ है सारे आडिटर्स के ट्रांसफर जैसे पहले थे उसी स्थिति में इन्होंने कर दिए जिसके कारण वही स्थिति पैदा हो गई जो पहले थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा आज यह ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चंगुल में लोग इस तरह से फंसे हुए हैं कि खाएं तो मरे नहीं खाएं तो मरे। मंत्रीजी को पता नहीं क्या हालत हैं। मैं यह चाहूंगा कि जो दो-तीन साल की आपने पालिसी बनाई है, पांच साल के बाद तो वहां पर रहेगा ही नहीं। क्या आप ऐसे आडिटर्स का जयपुर से बाहर ट्रांसफर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में दूसरे और तीसरे खण्ड के बारे में कहा है कि जी हां, इनको शिकायतें भी मिली हैं और बाद में कह दिया जी नहीं तो जो शिकायतें मिली उनके बारे में अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? इसके बारे में मन्त्री जी बताएंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों के सुझावों का मैं आदर करता हूं लेकिन इनको पूरा समझने की कोशिश करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सारा सदन कह रहा है कि भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें आप काम नहीं कर रहे हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि कानून बनाए जाएगें।

(श्री परसादी लाल मीणा)

जहां से हटाया वहीं ग्राडिटर को लगा दिया। क्यों नहीं ग्रापने बाहर ट्रांसफर कर दिया, बाहर जाने दिया, ग्रापने सबको वहीं लगा दिया। इसमें ग्रापकी ही सबसे बड़ी गफलत हुई। ग्रापने किए हैं सारे ट्रांसफर वापस। जब ग्रापने एक बार ट्रांसफर कर दिया मुख्य मंत्रीजी की पालिसी है कि दो साल पहले केन्सिल नहीं होगा ग्रापने सब ग्राडिटर्स के ट्रांसफर कैसे केन्सिल कर दिए ?

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रगर कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : है ही नहीं जवाब ग्रापके पास। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : ग्रापने ग्राडिटर्स के ट्रांसफर किए हैं या नहीं किए हैं ? ग्राडिटर्स के ट्रांसफर केन्सिल करके ग्रापने वहीं उसी जगह लगा दिया। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : मंत्री जी जब सवाल पूछे जा रहे थे तब ग्रापने नोट नहीं किए शायद।

श्री चतुर्भुज वर्मा : किए थे।

श्री ग्रध्यक्ष : तो स्पेसिफिक क्वेश्चन्स ग्राए हैं उनका जवाब दीजिए ग्राप। (व्यवधान)

प्लीज सैनी जी। प्लीज।

श्री चतुर्भुज वर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, संयुक्त रजिस्ट्रार, जोधपुर के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई, मैंने मना नहीं किया। उनकी जांच के लिए एडिशनल रजिस्ट्रार, जयपुर को लगा दिया गया। उसकी जांच होकर के जो प्रकरण ग्राया उसकी सी. सी. ए. रूल्स के ग्रन्तर्गत कार्यवाही जारी है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ग्राडिटर्स के कितने ट्रांसफर हुए, कितने निरस्त हुए ? इतना तो बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब ग्राप एक साथ बोलेंगे तो फिर वही बात होगी।

श्री परसादी लाल मीणा : ग्रध्यक्ष महोदय, हमारा सीधा प्रश्न है, यह जो ग्रभियान चला उसके दौरान 40 या 50 ग्राडिटर्स के ट्रांसफर जयपुर गृह निर्माण सहकारी समितियों से जयपुर से बाहर किए थे क्या ग्रापने उन सभी को केन्सिल करके एज इट इज कर दिया ? ग्रगर कर दिया तो क्यों किया ? सवाल इतना सा है हमारा।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब ग्राप बैठिए।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध ही नहीं है (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : ग्रध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार का मामला है, ग्राप भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको सस्पैण्ड किया जाए जो दोषी पाए गए हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मन्त्रीजी, मैं चाहूंगा कि समिति ने जो घोटाले किए हैं उसके व्यवस्थापक के खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है उसके बारे में मंत्रीजी क्या निर्णय ले रहे हैं ? ग्रौर जो इन्होंने हां भरी है ग्रौर यह कहते हैं कि प्लाट के सदस्यों की शिकायतें नहीं हैं। जिन प्लाटों के नामों में परिवर्तन हुए हैं उनकी स्वयं की शिकायत जो शिविर लगा उस समय हुई थी। यह जवाब चाहिए केवल मात्र यह बता दें।

श्री चतुर्भुज वर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, इस समिति के जो ग्रध्यक्ष हैं उनके खिलाफ एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज हुई थी लेकिन पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है ग्रौर क्या उत्तर दूं इसका। (व्यवधान)।

श्री सुनील विश्नोई : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने स्पष्ट हां भरी है कि उनके खिलाफ जांच हो रही है, उनके खिलाफ शिकायतें मिलीं पर उनको वहां से हटाया नहीं गया। वह वहां रहते हुए जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, कार्मिक विभाग में मामला पेण्डिंग है।

श्री अध्यक्ष : हटाने का ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : हटाने की जो कार्यवाही की उसके....

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह क्या जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : ग्रध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्पष्ट करें कि हटाने का मामला पेण्डिंग हैं।

एक माननीय सदस्य : सारे ग्राडिटर्स के ट्रांसफर पैसे खाकर किए हैं।

श्री अध्यक्ष : ग्रब ग्राप एक साथ बोलेंगे तो....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ग्रध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ एक प्रश्न की रिप्लाई मंत्री जी से चाहते हैं कि इन्होंने ग्रभी पांच ग्राडिटर्स के ट्रांसफर किए ग्रौर वह सारे के सारे केन्सिल कर दिए क्यों ग्रादेश किए ग्रौर क्यों निरस्त किए ? इसका तो जवाब दें कम से कम।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यह इससे सम्बन्धित नहीं है। किस समिति के बारे में पूछना चाहते हो, मैं जवाब देऊंगा पूछ लीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला : ऐसा है कई बार क्वेश्चन्स ग्राते हैं उससे सम्बन्धित प्रश्न ग्राते हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : करिए फिर भ्रष्टाचार हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक समिति के नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय सदस्य यह बता सकते हैं कि इस समिति ने घोटाला कब किया था ?

श्री परसादी लाल मीणा : कभी

(श्री परसादी लाल मीणा)

किया हो, आप जांच करवाइए, हम उसका स्वागत करते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी जवाब देने की जिम्मेदारी हैं, हमारी प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या. 183

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)
(व्यवधान)

हो गया साहब। आगे जवाब सुन लीजिए। हो गया, मंत्रीजी का भी हो गया (व्यवधान) आप एक साथ बोलेंगे तो जवाब कैसे आयेगा ? आप एक-एक बोलिये.... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : बड़ा सीधा प्रश्न है। जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों की जांच बैठाई। ओपन अदालतें कैम्प लगाकर लगायी। उन्होंने ऑडिटर्स को दोषी माना। दोषी मानने के बाद उनका ट्रांसफर जयपुर से बाहर कर दिया और उनको बिना ज्वाइन कराये वापस उनका एज इट इज ट्रान्सफर कर दिया। ऐसा क्यों किया ? क्यों ट्रान्सफर किया ? क्यों कैन्सिल किया। हम ये जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : इससे इसका सम्बन्ध नहीं है। यह सवाल केवल नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति के सम्बन्ध में है। इससे सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : दोषी मान कर ट्रान्सफर किया।

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिये।

श्री टीकमचन्द कांत : सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर होंगे इसमें क्या बात है, साहब। बड़ी बात क्या है ?

श्री परसादी लाल मीणा : एक ने पैसा नहीं दिया उसका ट्रांसफर कैन्सिल नहीं हुआ। बाकी पूरी लिस्ट कैन्सिल हुई। एक ऑडिटर ने पैसा नहीं दिया था....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न से आपके सवाल का सम्बन्ध नहीं है। यह सवाल नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति, जोधपुर के सम्बन्ध में है। आपका सवाल सप्लीमेंट्री में नहीं आता।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सीधा भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी भी सुनेंगे कि नहीं यह भ्रष्टाचार का मामला नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति, जोधपुर का है। सारी समितियों का नहीं है। इसके सम्बन्ध में कोई सवाल हो। नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति के बारे में कोई बात हो स्पेसिफिक तो पूछिये आप। नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति के बारे में कोई सवाल है ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति, जोधपुर के संयुक्त रजिस्ट्रार के लिए यह कहा है कि

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

पेण्डिंग हैं। क्या पेण्डिंग है ? क्या उनका सस्पेन्शन पेण्डिंग है या ट्रान्सफर पेण्डिंग है या इन्क्वायरी पेण्डिंग है। यह कम से कम स्पष्ट कर दें। हमारी मांग है कि इसको तुरन्त सस्पेण्ड किया जाये। क्योंकि नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति में जो पदाधिकारी है इस संयुक्त रजिस्ट्रार के सम्बन्धी है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी इसका बताइये आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जांच रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं जानना चाहूंगा कि कब से पेण्डिंग है और सरकार के विचाराधीन कब से है और कब आप उस पर अपना निर्णय ले लेंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : दिनांक 2·3·87 के द्वारा श्री सुरेश चारण, सहायक रजिस्ट्रार के विरुद्ध नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। यह आज का दिया हुआ नहीं है जिसके लिए आप तकाजा कर रहे हो। सन् 87 में दिया गया है। जांच पूरी होगी तभी तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सहायक रजिस्ट्रार के मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न संयुक्त रजिस्ट्रार के बारे में पूछा था। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सहायक रजिस्ट्रार की आपके यहां इन्क्वायरी पेण्डिंग है उसका आपने अभी यहां उत्तर दिया। संयुक्त रजिस्ट्रार के बारे में आपने कुछ अवगत नहीं कराया। कृपया संयुक्त रजिस्ट्रार के बारे में अवगत कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न में सहायक रजिस्ट्रार ही लिखा है। संयुक्त रजिस्ट्रार नहीं है। आप प्रश्न पढ़िये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू): संयुक्त रजिस्ट्रार ही है....

श्री अध्यक्ष : संयुक्त रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायत की बात है संयुक्त रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायत आई है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उस शिकायत पर सरकार क्या कर रही है ? यही तो जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट सुनिये। निलम्बन का सवाल सहायक रजिस्ट्रार के बारे में पूछा गया है। आपका भी शायद मतलब यही है कि जिसके खिलाफ जांच हो रही है उसको निलम्बित किया कि नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा सिम्पल-सा है। सारी समस्या का निदान हो जाये। मुख्य मंत्रीजी ने सहकारिता मंत्रीजी की तरफ से उत्तर देते हुये कहा कि मामला विचाराधीन है। उनको भी शायद गलत फहमी रही है। संयुक्त रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायत कब प्राप्त हुई सरकार को ? और उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बताइये संयुक्त रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायत और उसका क्या हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर।

झालावाड़ में गौ चारागाह भूमि

184. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में कितनी गौ चारागाह भूमि किन-किन तहसीलों में कितनी-कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने कब-कब से अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं ? सरकार द्वारा उन्हें बेदखल करने हेतु कब-कब क्या-क्या प्रयास किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचनाएं बडी विस्तृत मांगी गयी है एकत्रित करने में समय लगेगा।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह तो झालावाड़ जिले का ही मामला है या फिर पूरे राजस्थान का। गोचर आदि भूमि पर कब्जे हो रहे हैं। इसकी कोई समय सीमा है। इसी सत्र में....

श्री अध्यक्ष : हां इसी सत्र में आ जायेगा। प्रश्न स्थगित किया जाता है।

श्री चुन्नीलाल।

जिला सवाई माधोपुर में खनिज की खानें

185. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर में किस-किस खनिज की खानें हैं ? किस-किस, व्यक्ति को लीज पर खानें दे रखी हैं ? कितनी खानों पर अवैध कब्जे हैं ? अवैध कब्जे करने वालों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या सरकार उक्त अवैध खनन करने वालों का कब्जा हटा कर, लीज पर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

खनिज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) जिला सवाई माधोपुर में 'खनिज सैण्डस्टोन, लाइम स्टोन, चेजा पत्थर, सिलिकासैण्ड, सोपस्टोन, कोलाइडल सिलिका क्ले, क्वार्जाइट, रेड आकर, लेटराइट, ग्रेनाइट, मार्बल एवं बजरी आदि खनिजों की खानें स्वीकृत हैं। जिन व्यक्तियों के पक्ष में खनन पट्टे स्वीकृत हैं उनकी सूची परिशिष्ट 'क', 'ख' व 'ग' पर संलग्न है। खानों पर अवैध कब्जे की सूचना शून्य हैं। ऐसी अवस्था में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

(2) अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य चुन्नीलाल जी कोई सप्लीमेंट्री नहीं है क्या आपकी ?

श्री चुन्नीलाल : इतना ही पूछना है मेरे को इन खनन कार्यों में जिन लोगों ने जो अवैध रूप से जो कब्जे किये हुये थे, मेरे तो पूछने का मतलब यही था कि इन लोगों को जो बड़े लोग हैं जो लीज देखी है उससे भी कई गुना अधिक कई जगहों पर कब्जे कर रखे हैं। इसके सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अवैध की कोई सूचना ही नहीं है।

श्री चुन्नीलाल : जवाब भी बिल्कुल निराधार आया है।

श्री अध्यक्ष : आपके ध्यान में हो तो बता दीजिए। इनके पास कोई सूचना नहीं है।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): लम्बे अर्से से पुराने सत्ताधीशों ने उस पर इतने कब्जे कर रखे हैं उसकी जानकारी मैंने स्वयं ने मंत्री महोदय को लिख कर दी है कि वहां पर अवैध कब्जे हैं। उनको हटाने के लिए क्या कार्यवाही की ? कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग की जो खानें हैं उनके ऊपर कोई अवैध कब्जा नहीं है। अवैध खनन अवश्य कभी-कभी कर लेते हैं और जब भी अवैध खनन की शिकायत आती है हम तत्काल जांच करते हैं। अवैध खनन जो होता है वह भी स्वीकृत क्षेत्र के पास यदि कोई खनन कार्य किया जाता है तो वह अवैध खनन की श्रेणी में होने से विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अवैध खनन-कर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर खनिज कीमत का 12 गुना पेनल्टी वगैरह ली जाती है, उनके चालान भी किये जाते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अवैध खनन हो रहा है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। पहले वे पूछ लें। श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह जानकारी चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे माइनिंग लीज होल्डर हैं करौली क्षेत्र में जिनके रिन्युअल के लिए एप्लीकेशन आपके पास लगी हुई हैं और वह बड़े-बड़े ठेकेदार हैं। लेकिन वन विभाग में एरिया होने के कारण आप उनको रिन्युअल अब तक नहीं दे पाये हैं और उनके आज तक खनन कार्य चल रहे हैं। एक-एक ठेकेदार के पास एक-एक हजार लेबर काम कर रही है। क्या इसको आप अवैध खनन नहीं मानते ?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो अवैध खनन है, मेरा इसमें स्पष्ट

(श्री कालूलाल गुर्जर)

उल्लेख है, जब अवैध खनन की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ हम नियमानुसार कार्यवाही करते हैं, पैनल्टी लगाते हैं, उनका चालान करते हैं और ऐसे मामले हमारे सामने इस साल 59 आए हैं, मौके पर कुल मिलाकर 20,724 रुपये तो वसूल किए, बाकी को नोटिस दे रखे हैं और वसूलियां की जा रही हैं।

श्री हरिसिंह : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था कि रिन्युअल के लिए सरकार के पास उनकी एप्लीकेशन पेण्डिंग हैं और सरकार ने अभी तक उन पर कोई निर्णय नहीं किया है कि उनको रिन्युअल दिया जाय या नहीं दिया जाय। अगर उसके बावजूद भी वे खनन कार्य कर रहे हैं। क्या आप उनको अवैध खनन कार्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, साफ सवाल है। सवाल समझ गए ? जिन लोगों की लीज पहले आपने दी थी अब रिन्यू नहीं की उसके बावजूद भी वह खनन कार्य कर रहे हैं उसको आप अवैध खनन मान रहे हैं या नहीं ?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के पास लीज थी और उनकी रिन्युअल न होने के बाद केन्सिल हो गई। किसी ने कोर्ट से स्टे ले लिया उनके कब्जे तो हम अवैध की श्रेणी में नहीं मान सकते बाकी जिनकी लीज केन्सिल हो गई और वे खनन करते हैं तो उनको अवैध मानते हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं।

श्री हरिसिंह : जो राज्य सरकार के यहां विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : आ गया आपका जवाब। इन्होंने बहुत साफ जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने यह बताया कि अवैध कब्जे तो नहीं लेकिन अवैध खनन जरूर हो रहे हैं मंत्री महोदय के हिसाब से अवैध कब्जे और अवैध खनन में क्या फर्क है ?

श्री अध्यक्ष : बताइये, मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर : अवैध कब्जे का मतलब तो कोई कब्जा करने के बाद उस पर निर्माण कार्य कर लें और स्थायी रूप से अगर कब्जा करे तब कब्जा है। अवैध खनन तो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरा सुनिए तो सही।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अवैध खनन तभी होगा जब कोई उस पर काबिज होगा। अगर काबिज नहीं होगा तो अवैध खनन कैसे होगा ?

श्री कालूलाल गुर्जर : अवैध खनन, जब कभी चुपचाप मौका मिलता है तब कर लेते हैं। जब उनको बन्द कराते हैं तो बन्द कर देते हैं फिर कभी जब मौका मिलता है तो आंख बचाकर कोई अवैध खनन कार्य करते हैं तो उसे अवैध खनन कार्य ही कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : कालीचरणजी, आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री कालीचरण सराफ : इसमें मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। क्या यह सही है कि श्री हंसाराम गुर्जर, श्री हंसराज श्री दुर्गाप्रसाद ठेकेदार और श्री रंगी ठेकेदार इनकी वहां खानें हैं ? यदि हैं तो क्या ये अवैध खनन भी कर रहे हैं इनमें खान विभाग का पैसा बकाया है ? ये 3 सवालों का जवाब दीजिए 4 लोगों के।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, जवाब आ जाय।

श्री कालूलाल गुर्जर : जिन लोगों के आपने नाम बताए हैं उनकी वहां खाने हैं। उनके खिलाफ अवैध खनन की शिकायत भी हमें मिली थी, हमने उनके खिलाफ जांच कराई है, उनके खिलाफ मुकदमें भी बनाए थे और पैनल्टी लगाई थी।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्रीमती मदन कौर।

श्री भरोसीलाल जाटव (हिन्डौन) : जो शिकायत की है उनके बारे में मंत्री महोदय ने क्या निर्णय लिया है ?.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री जी... (व्यवधान) हो गया उसका जवाब। माननीय मंत्री जी। आर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जो मंत्री महोदय ने कहा है....

श्री अध्यक्ष : आपका सप्लीमेंट्री नहीं था। आप बैठिए।

राज्य के दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार

186. श्रीमती मदन कौर (गुढ़ा मालानी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार एवं प्रदेश की विभिन्न नस्लों के पशुओं को स्वस्थ बनाये रखने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यक्रम चला रखे हैं ?

(2) क्या इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उसके ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किसी स्तर पर करवाया गया ? यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन राज्य मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार एवं संवर्द्धन हेतु ग्राम आधार योजना, गोपाल योजना, देशी पशु नस्ल पशु सुधार योजना एवं एकीकृत विकास कार्यक्रम चला रखे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु पशु चिकित्सालय/औषधालय एवं भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यशील हैं।

(2) ग्राम आधार योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के प्रभाव एवं उपयोगिता का मूल्यांकन कराया गया है। मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों का उल्लेख संलग्न सूची "क" में किया गया है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री अध्यक्ष : माननीया श्रीमती मदन कौर ।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा पहला सवाल यह है कि पशु नस्ल सुधार योजना का जो मूल्यांकन कराया गया है वह 5 साल पहले कराया गया है इसलिए जो आंकड़े हैं ये कोई प्रभावी आंकड़े नहीं है । दूसरा सवाल यह है कि क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि आर्टिफिशियल इन्सीमिनेशन का प्रोग्राम कितने पर्सेन्ट सक्सेसफुल होता है इस बात का कोई वेल्युएशन कराया है ? मैं यह जानकारी देना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी । आप पहले जानकारी ले लें । पहले उनका जवाब आ जाय । आप ले रही हैं या दे रही हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अभी जो सूचना दी कि यह मूल्यांकन 5 वर्ष पूर्व कराया गया है, यह सूचना सही नहीं है ।

श्रीमती मदन कौर : मुझे तो आपने यही दी है ।

श्री देवीसिंह भाटी : आपको हमने जो सूचना संलग्न करके दी है पेज नं. 2 पर । उसमें इसका मूल्यांकन राज्य के मूल्यांकन संगठन द्वारा वर्ष 1990 में कराया गया है ।

श्रीमती मदन कौर : मुझे तो सूचना नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : पेज दो पर आप पढ़िए । अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल आपने पूछा कृत्रिम गर्भाधान के बारे में—इसके बारे में यदि हम सोचें कि शत-प्रतिशत इसके नतीजे हमें मिल जायं, वह संभव नहीं है । क्योंकि अध्यक्ष महोदय, काफी....

श्री अध्यक्ष : कितना प्रतिशत है । वह पूछ रही हैं कितना प्रतिशत है ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर इसमें 30 प्रतिशत के करीब रिजल्टस रहते हैं और इसमें निरन्तर प्रयास कर रहे हैं ।.... (व्यवधान)

इसमें आगे भी आपके सुझाव होंगे तो जैसे हम अभी हाल ही में चालू कर रहे हैं ।....(व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह निश्चित जानकारी है कि आर्टिफिसियल इन्सीमिनेशन जिन पशुओं का कराया जाता है उसमें 5–5, 6–6 बार कराने के बावजूद भी पशु का गृर्भाधान नहीं हो पाता, इस वजह से पशु खराब होते हैं और पशुपालक इस ए. आई. प्रोग्राम से हटने लग गए हैं । इसलिए इस संबंध में आप क्या करना चाहते हैं ? दूसरा मेरा निवेदन है कि यह ए. आई. का

(श्रीमती मदन कौर)

प्रोग्राम है इसमें टाइम फेक्टर बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज है और आपके जितने ए. आई. सेन्टर्स हैं वे आमतौर से खुलते ही नहीं हैं इसलिए पहली व्यवस्था तो आपको यह करनी है कि 24 घन्टे ए. आई. सेन्टर्स काम करें तभी आपका यह प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। इस संबंध में आप क्या करना चाहेंगे ? जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो फरमाया मैं उससे असहमत नहीं हूं। हम अपेक्षा रखते हैं कि इनके नतीजे ज्यादा अच्छे निकलें और लोगों के अन्दर यह भावना फैले कि अगर हम ए. आई. का यह कार्यक्रम अपनाए तो हमें एक ब्यांत मिस नहीं करनी पड़ेगी। एक ब्यांत का नुकसान नहीं हो तो उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमती मदन कौर : एक नहीं, 5–5 6–6 बार।

श्री देवीसिंह भाटी : निश्चित तौर पर यह हो सकता है इन्टीरियर में, जैसे आदिवासी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में ऐसा हो सकता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : इर्विन इन जयपुर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हम निरन्तर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और अच्छे नतीजे निकलें। इसके लिए हम सबसे पहले यह कर रहे हैं कि जो जिला हैड क्वार्टर्स हैं, जो तहसील हैड क्वार्टर्स हैं, नगरपालिका और नगरपरिषद क्षेत्र हैं वहां पर हम जल्दी ही शत-प्रतिशत परिणाम देंगे और दूसरी जगह भी इंटीरियर में परिणाम आपको देंगे।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, पशुपालक तो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हम नगरपालिका क्षेत्र में यह प्रोग्राम सक्सेसफुल बनायेंगे। यह मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। पहला मेरा यह सवाल है कि आर्टिफिसियल इनसेमिनेशन कितने प्रतिशत सक्सेसफुल होता है, क्या इसका इव्यूलेशन कराने को तैयार है ?

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, इसका करवाया गया है और मैंने आपको पूर्व में सूचना दी है उसके अनुरूप इसमें कार्यक्रम निरन्तर चलते हैं और जैसा अभी 1990 के अन्दर इसका मूल्यांकन हुआ है, इसकी सूचना हमने आपको दी है, अलग-अलग आप चाहेंगे तो वह भी हम आपको देने के लिये तैयार हैं और निरन्तर इसके अंदर प्रयास सरके....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कितना प्रतिशत दिया हुआ है। जो आपने सूचना दी है उसमें कार्यक्रमों की सफलता का प्रतिशत दिया हुआ नहीं है

श्री देवीसिंह भाटी : प्रतिशत का नहीं, मैंने मूल्यांकन का अर्ज किया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा जी पूछिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि पिछले 2 वर्षों में क्या यह बात सही है कि आपने इम्पोर्टेड सीमन मंगाना बिल्कुल बन्द कर दिया है राजस्थान में ? इसका जवाब दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : यह हमें यहीं पर उपलब्ध होता है। इसके अन्दर हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न आप समझते नहीं हैं। इम्पोर्टेड सीमन के बहुत अच्छे परिणाम आये थे और धीरे-धीरे क्रास ब्रीडिंग का जो प्रोग्राम था वह आपका प्रोग्राम पहले से डिटोरेट हो गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें विदेशी पशुओं का ही हिमकृत वीर्य इस्तेमाल होता है और उसका निरन्तर प्रयोग होता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो सीमन BAIF और बस्सी से मंगा रहे हैं, उर्मूल की भांति आता है। आपने इम्पोर्टेड तो बंद कर दिया है। आपको जानकारी नहीं है। किसी चीज को समझते नहीं है आप।

श्री देवीसिंह भाटी : हमारे पास विदेशी नस्ल के सांड उपलब्ध हैं और उनका ही सीमन हम सप्लाई करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको मालूम ही नहीं है कुछ, आप समझ ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मुझे पूछने दीजिए। क्या आपने इस ए. आई. प्रोग्राम को जो गवर्नमेंट कराती है उससे और बैफ कराती है उससे कभी तुलनात्मक अध्ययन किया है ?

श्री देवीसिंह भाटी : दोबारा फरमायें।

श्रीमती मदन कौर : ए. आई. प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की योजनाओं के मार्फत होता है और दूसरा बैफ संस्था कराती है इसका आपने कोई तुलनात्मक अध्ययन कराया है क्या ?

श्री देवीसिंह भाटी : यह वर्तमान में नहीं किया गया है, इसके बारे में मैं चर्चा कर के बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नाउ प्लीज, अब अमीन खां जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न। मैं यह जानना चाहती हूं कि अब तक जो सुविधा दी जा रही है वह केवल सिरसी और बैफ जो कि हिन्दुस्तान में है उसी के सीमन को काम में लिया जा रहा है और इम्पोर्टेड सीमन, जो पहले मंगाया जाता था, पिछले दो साल से बन्द हो गया। जो पशु रखते हैं वह जानते हैं कि नतीजा उसका यह निकला कि धीरे-धीरे क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम, उसका जो ब्रीड है वह डिटोरेट हो गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : इम्पोर्टेड सीमन का मतलब आप शायद अपने आप में कुछ

(श्री देवीसिंह भाटी)

स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं। विदेशी नस्ल के बुल्स हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं का सीमन वितरित किया जाता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आयातित नहीं कर रहे हैं। आप जो मंगा रहे हैं वह आइदर सिरसी और बैंफ का है।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब,....वह कह रहे हैं, आप कह रही हैं नहीं है, अब अमीन खां जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो बेस्ट पशु है दुनिया का उसके सीमन से मतलब है मेरा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल एक सुझाव देना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : अब अमीन खां जी पूछ रहे हैं। श्री अमीन खां जी।

श्री अमीन खां (शिव) : जिला बाड़मेर और जैसलमेर में पशु स्वास्थ्य केन्द्र सबसे ज्यादा है इसका मतलब वहां पर पूरे लोग, नब्बे प्रतिशत, पशुओं पर आधारित हैं। क्या यह सही है कि वहां आज तक एक भी ग्रामीण पशु के हाइब्रेड वीर्य की व्यवस्था नहीं की है जब कि शहर में आप व्यवस्था करने जा रहे हैं। शहर में पशु कितने प्रतिशत हैं और ग्रामीण इलाकों में कितने हैं ? अध्यक्ष महोदय, क्या यह भी सही है कि जितने भी पशु स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में है उनमें लगातार पांच-छः सालों से आज तक एक भी डाक्टर नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री देवीसिंह भाटी : बाड़मेर में देशी नस्ल....

श्री भैरोंसिंह शेखावत अध्यक्ष महोदय....

श्री रामकिशन (भरतपुर) : आप कोई एक्सपर्ट हैं क्या इस में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री रामकिशन : माननीय मुख्य मंत्री जी, आपकी कोई विशेष दक्षता है क्या इसमें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं इसमें लेकिन मैंने तो आपसे ट्रेनिंग ली है। मैं अपने आपको एक्सपर्ट कभी भी आपके मुकाबले में नहीं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, यह पशुओं का मामला है इसमें आप एक्सपर्ट मत बनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य तो पशुओं को भी नहीं छोड़ते, मैं क्या करूं ? अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बधित ही माननीय श्री विश्नोई साहब बैठे हैं। मैं इस सदन की जानकारी और सदन की अनुमति लेना चाहूंगा इसी विषय पर कि अब तक काफी खर्चा भी किया गया है, बहुत एक्सपेरीमेंट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी किये गये लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार की नस्ल का सुधार होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। एक प्रमुख कारण यह भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज भी हो सकते हैं, मैं इसको मना नहीं करता लेकिन मेरी स्वयं की मान्यता है, सरकार इस पर विचार कर रही है कि हम राजस्थान की उन नस्लों को, जो राजस्थान के लिए प्रमुख हैं उन नस्लों में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, यह प्रश्न आता है कि थारपार कर या इस प्रकार की जितनी भी नस्लें हैं, क्या उनमें भी जर्सी का, उलनसील का कृत्रिम गर्भाधान के रूप में प्रयोग किया जाय। मेरी मान्यता है कि राज्य सरकार इस प्रकार की कोशिश करे कि राजस्थान में जिस प्रकार की अच्छी नस्लें हैं उनमें किसी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं हो और उन्हीं नस्लों में सुधार किया जाये। राज्य सरकार इस पर विचार भी कर रही है, पशुपालन से सम्बन्धित जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी राय ली गई है और मैं ऐसा समझता हूं कि उन जिलों में जाकर पशुपालकों से भी सम्पर्क करना पड़ेगा, क्या इस प्रकार की ब्रीड को ही बढ़ाया जाये या इस ब्रीड में इस प्रकार के आर्टिफिशियल इन्सीमिनेशन के द्वारा दूसरे ब्रीड को यहां पनपाने की कोशिश की जाये। अभी तक यह मेरी अपनी मान्यता है परन्तु स्पष्ट नहीं है। मैं इस दृष्टि से पशुपालकों के साथ बैठ कर बात करूंगा और यहां भी माननीय सदस्य कभी कहना चाहेंगे तो उनसे भी मैं निश्चित रूप से सम्पर्क करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट, श्री रामकिशोर सैनी।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल सुधार की दृष्टि से पूछा था, कोई मंत्री महोदय को परेशान करने की दृष्टि से नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्रीमती मदन कौर : मुख्य मंत्रीजी ने जो व्यापक विचार इसके लिए मांगे हैं वह तो बहुत अच्छा है, उसका स्वागत है लेकिन जो प्रोग्राम फिलहाल आपके चल रहे हैं वह तो कम से कम ठीक से चलें इस सम्बन्ध में मैं दो सुझाव आपको देना चाहती हूं। एक तो आप वैल ट्रेन्ड अपने कर्मचारी रखिये। दूसरा, आपके जो कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र है उनको 24 घण्टे खुला रखने की व्यवस्था कीजिए अन्यथा इसमें आपकी सफलता नगण्य रहेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर सैनी।

राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बांदीकुई का भवन

187. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बांदीकुई में भवन निर्माण कमेटी बनी हुई है ? यदि हां तो यह कमेटी कब से कार्यरत है ? कमेटी द्वारा कराये गये निर्माण कार्य व

(श्री रामकिशोर सैनी)

खर्चे की सम्पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल द्वारा जुलाई, 1990 में विद्यार्थियों से प्रवेश के समय बिल्डिंग फीस वसूल की गई थी ? यदि हां, तो कक्षा अनुसार कुल कितनी राशि वसूल की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बिल्डिंग फीस के पैसे अभी तक शाला कोष में जमा नहीं हुए ? यदि हाँ, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) यह सही नहीं है कि राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बांदीकुई में कोई अलग से भवन निर्माण कमेटी बनी हुई है।

(2) यह भी सही नहीं है कि जुलाई, 90 में किसी प्रकार की बिल्डिंग फीस वसूल की गई।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामकिशोर सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह अवगत कराना चाहूंगा कि राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बांदीकुई में गत कई वर्षों से भवन निर्माण कमेटी बनी हुई है और जो छात्रों के प्रवेश के समय बिल्डिंग फीस वसूल करती है जिसकी न तो छात्रों को रसीद दी जाती है और न ही उसका कोई हिसाब रखा जाता है और राशि का दुरुपयोग हो रहा है। इसकी जांच करवाइये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : भवन निर्माण के नाम से कोई अलग से कमेटी नहीं बनी हुई है। स्कूलों में अभिभावक परिषद और सलाहकार समितियां....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जांच करवा लीजिए। आपने जो कहा है उसके आधार पर जांच करवा लीजिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कोई शिकायत आयेगी तो जांच बराबर कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष : हाँ-हां, आप उनको बतायें, जांच करा लेंगे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : किसकी जांच करा दूं। आप आज ही बता दीजिए, मैं जांच करा दूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। जो अनुदान आता है, जो दानदाता अनुदान देते हैं उनकी हर स्कूल में निर्माण समिति होती है। यह आपने गलत बताया है, निर्माण समिति हर विद्यालय में होती है। उसमें टीचर्स होते हैं, उसका अध्यक्ष होता है वहां का प्रधानाध्यापक निर्माण समिति होती है (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : सैनीजी, इस तरह के अनुमानित क्वेश्चन्स मत करिये। कहीं

(श्री अध्यक्ष)

नहीं होती है। नैक्स्ट, श्री बुलाकीदास कल्ला।

बीकानेर की सेन्ट्रल जेल

188. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे– (1) क्या यह सही है कि बीकानेर सेन्ट्रल जेल, शहर के मध्य भाग में आ जाने से आम लोगों को भारी परेशानी होती है ?

(2) बीकानेर सेन्ट्रल जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो, इस जेल को शहर से बाहर कब तक शिफ्ट कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर सेन्ट्रल जेल की जमीन व्यावसायिक भूमि है जिसे विक्रय कर सरकार नई जेल बना सकती है एवं शहर का विकास करने हेतु अतिरिक्त राशि भी प्राप्त कर सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे नगर विकास न्यास, बीकानेर को सौंप कर नई सेन्ट्रल जेल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां; तो कब तक ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री जीवराम कटारा) : (1) केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर का वर्तमान भवन घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है। इस संबंध में नागरिकों को परेशानी संबंधी कोई शिकायत आना नहीं पाया गया है।

(2) नये भवन हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। भूमि चयन के पश्चात् नवीन कारागार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ही इस वर्तमान जेल को शिफ्ट किया जाना संभव होगा।

(3) वर्तमान भवन में केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर कार्यरत है। यह ऐसी जमीन नहीं है जिसे वर्तमान में व्यावसायिक कहा जा सके।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को पहले तो कहना यह चाहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर विभाग ने बड़ी लापरवाही से दिया है। मैं बीकानेर का जन-प्रतिनिधि शिकायत कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं और यह कहते हैं कि वहां बीकानेर में कोई शिकायत नहीं है और एक तरफ यह लिख रहे हैं कि घनी आबादी के बीच आई हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसके चार तरफ चार स्कूलें हैं। सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल इसके एक तरफ, दूसरी तरफ सैकण्डरी स्कूल, एक तरफ मिडिल स्कूल और आबादी के बीच में जेल आई हुई है। इन्होंने प्रश्न को पूरे तौर से पढ़ा नहीं है। मैं समझता हूं कि शिकायत हर महीने बीकानेर के नागरिकों द्वारा जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को समय-समय पर दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पहली बार शिकायत कब दी है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने तो शिकायत, माननीय मंत्रीजी से मैं स्वयं दो बार मिला हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहली कब दी है ?

सुश्री पुष्पा जैन (पर्यटन मंत्री) : इससे पहले।

श्री बुलाकीदास कल्ला :मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों में कोई मीटिंग राज्य सरकार के स्तर पर या किसी मंत्री के स्तर पर हुई थी ? उसके क्या परिणाम रहे ? उस मीटिंग में किन-किन लोगों ने भाग लिया ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : एक साल पहले तो आप ही थे, आपकी शिकायत आपने अपने आप ही की खुद से और कुछ नहीं किया फिर ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उस मीटिंग के बारे में आप उसका सार-संक्षेप मुझे बतायें और उसके बाद दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या नगर विकास न्यास से नई जमीन प्राप्त कर इस जेल को शिफ्ट करने का कोई निर्णय लिया गया था ? उसके बाद में दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, क्या निर्णय हुआ ? मैं जानना चाहता हूं कि इस जेल को शिफ्ट करने के बारे में पिछले दो वर्षों में कौन-कौनसी बैठकें आयोजित की गई. उनके क्या निर्णय रहे और क्या नगर विकास न्यास ने जेल को शिफ्ट करने के बारे में जेल विभाग के प्रस्ताव के अनुसार जमीन देने की बात कही है ?

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 25–5–89 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी, तत्कालीन जेल राज्य मंत्री जी और महानिदेशक कारागार और उप-शासन सचिव (गृह जेल) के द्वारा बैठक माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के कक्ष में हुई थी। इसमें तीन निर्णय लिए गए थे। वर्तमान जेल आबादीय क्षेत्र में है इस वजह से इसका स्थानान्तरण किया जाये। उस बैठक में जिलाधीश बीकानेर भी थे और दूसरा इस सम्बन्ध में कलक्टर जमीन के लिए चयन कर आपको इन्फार्म करेगा और तीसरा यह है कि महानिदेशक जेल और अधीक्षक से यह कहा गया था कि इस जमीन के माप के अनुसार नक्शा तैयार कर अनुमानित लागत मालूम करके इसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। इस आधार पर बीकानेर कलक्टर द्वारा जमीन देने के लिए तहसीलदार से पत्र व्यवहार चल रहा है और जमीन मिलने पर ही इस जेल को बनवाने का काम प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आपके लिए जेल बन रही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष में कोई कार्यवाही नहीं हुई और इस निर्णय को लिए भी आज सवा साल से ऊपर हो गया है लेकिन कारागार विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की और प्रश्न के तीसरे भाग में अन्त में लिखा है कि बीकानेर सैण्ट्रल जेल की जो जमीन व्यवसायिक भूमि है उसको विक्रय कर क्या शहर के बाहर इसको ले जाने की कार्यवाही की जायेगी और नगर विकास न्यास को सौंप कर जेल को शिफ्ट करने की कार्यवाही की जायेगी इसका उत्तर ही नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल्ला साहब, एक मिनट। माननीय सदस्य बीकानेर के विधायक हैं। क्या जल्दी से जल्दी कोई भूमि उपलब्ध करा देंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो सरकार का काम है। मैं तो आपको सजेस्ट कर दूंगा। इस सम्बन्ध में भूमि वगैरह बता दी गई है और जयपुर रोड पर जो जमीन है उस पर बना देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

झुंझुनूं कारागृह

179. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झुन्झुनूं में कारागृह का निर्माण पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(2) यदि निर्माण पूर्ण हो चुका है, तो कारागृह को कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(3) 31 जनवरी, 1991 तक झुंझुनूं में कुल कितने बन्दी थे ?

उत्तर

(1) जी हां, झुंझुनूं में जिला कारागृह का नया भवन बनकर तैयार हो गया है।

(2) निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नये भवन में कारागृह प्रारम्भ कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है, जिसके पूर्ण होते ही यथाशीघ्र नव-निर्मित भवन में कारागृह को प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

(3) दिनांक 31 जनवरी, 1991 को जिला कारागृह, झुन्झुनूं में 61 बन्दी निरुद्ध थे।

गूंगे बच्चों के केन्द्र को अनुदान

180. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित गांव रोहिड़ावाली तहसील गंगानगर के गूंगे बच्चों के केन्द्र को दिये गये अनुदान में किये गये भ्रष्टाचार की जांच की है ? यदि हां, तो जांच में कौन दोषी पाया गया ?

(2) क्या इस केन्द्र को राज्य के किसी पूर्व मंत्री के रिश्तेदार संचालित करते हैं ?

(3) क्या इस संबंध में विभाग ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है ? यदि हां, तो किसके विरुद्ध तथा कब ?

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग के अधिकारी रिकार्ड छुपा कर पुलिस में केस रफा दफा करना चाहते हैं ? यदि नहीं, तो अभी तक कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

उत्तर

(1) निराश्रित बाल गृह योजना के अन्तर्गत अनुदानित संस्था मानव सेवा मंदिर समिति रोहिड़ावाली तहसील गंगानगर की शिकायतों की जांच हुई जिसमें संस्था को दोषी पाया गया।

(2) समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार मानव सेवा मंदिर समिति, रोहिड़ावाली का रजिस्ट्रीकरण दिनांक 31-5-1983 को हुआ जिसकी कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है। दिनांक 15-12-84 को हुए चुनावों के बाद पुनर्गठित कार्यकारिणी की सूची परिशिष्ट 'ब' संलग्न है। समाज कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 4-5-90 के द्वारा उक्त संस्था की मान्यता रद्द कर दी गई है।

(3) जी, हां। दिनांक 18-6-90 को संस्था के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं।

(4) जी, नहीं। रिकार्ड पुलिस को दिया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

राज्य के उद्योगपतियों द्वारा पूंजी निवेश

183. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विदेशों तथा भारत के अन्य प्रांतों में रहने वाले राजस्थानियों द्वारा राजस्थान में किस-किस उद्योग व क्षेत्र में कितनी पूंजी निवेश की गयी ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन अप्रवासी राजस्थानियों को उद्योग लगाने के लिये राज्य सरकार क्या-क्या विशेष सुविधा उपलब्ध कराती है ?

उत्तर

(1) विदेशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों व राजस्थानियों द्वारा राज्य में उद्योग क्षेत्र में किये गये पूंजी विनियोजन एवं उद्योगों के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। अप्रवासी राजस्थानियों द्वारा राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में किये गये पूंजी निवेश के संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(2) अप्रवासी राजस्थानियों को उद्योगों की स्थापनार्थ अलग से कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती है। लेकिन समय-समय पर अप्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये विशेष रूप से प्रेरित किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अजमेर जिले में औद्योगिक विकास

300. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

(2) क्या अजमेर में वर्तमान में स्थित दो औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कहां-कहां भूमि ली जा रही है ?

(3) क्या अजमेर में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो यह कहां व कितनी भूमि में बनाया जायेगा तथा उद्यमियों को कब तक भू-खण्ड दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा घोषित किये जाते हैं।

(2) जी हां। अजमेर में वर्तमान में स्थित परबतपुरा एवं एम. टी. सी. दो औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार का मामला रीको के विचाराधीन है। इसके लिए ग्राम परबतपुरा, सेंदरिया व सोमतपुरा में भूमि लिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। ग्राम गेगल में जहां इसके लिये 173 बीघा 10 बिस्वा भूमि लिया जाना प्रस्तावित है। भूमि प्राप्त होने पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के उपरांत उद्यमियों को भूखण्ड आबंटित किये जा सकेंगे।

निम्बाहेड़ा सीमेंट उद्योग को लाइसेन्स

301. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा तहसील के मांगरोल ग्राम के पास 1986 में जे. के. सिन्थेटिक लि., कानपुर को सीमेंट उद्योग लगाने का लाइसेन्स जारी किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि निर्धारित समयावधि में सीमेन्ट उद्योग स्थापित नहीं हुआ ?

(3) क्या सरकार ने लाइसेन्स की अवधि बढ़ाई है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार किसी भी लाइसेन्स की शर्तों की पालना नहीं होने पर उसे रद्द कर सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा तहसील निम्बाहेड़ा के ग्राम मांगरोल के पास मैसर्स जे. के. सिंथेटिक लिमिटेड को सीमेंट उद्योग लगाने हेतु वर्ष 1986 में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया अपितु तहसील शम्भुपुरा के ग्राम मांगरोल के पास सीमेंट उद्योग लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा 18 अप्रेल, 1981 को आशय पत्र स्वीकृत किया गया था।

(2) सीमेंट उद्योग की स्थापना आशय-पत्र के औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित होने पर ही सम्भव है।

(3) भारत सरकार द्वारा आशय पत्र की वैधता की समयावधि में 30·6·91 तक वृद्धि की जा चुकी है।

(उद्योग मंत्री)

(4) जी नहीं। दी इण्डस्ट्रीज (डवलपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट, 1951 के अन्तर्गत इस प्रकार की शक्तियां भारत सरकार को प्रदत्त की हुई हैं। राज्य सरकार को नहीं।

नये उद्योगों को विक्रय कर में छूट

302. श्री राजेन्द्र सिंह गहलोत (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्तमान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत नये उद्योगों को दी जाने वाली विक्रय कर में छूट के अन्तर्गत अब तक कितने उद्योगों को छूट का लाभ मिला है व कितने उद्योग इस लाभ की प्रतीक्षा में हैं ?

उत्तर

बिक्री कर प्रोत्साहन/स्थगन योजना 1987/1989 के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में अब तक (माह अप्रेल 1990 से दिसम्बर 1990 तक) कुल 350 इकाइयों को विक्रय कर से छूट/स्थगन का लाभ दिया जा चुका है तथा अब 80 इकाइयों के प्रकरण विचाराधीन हैं।

बांदीकुई में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

303. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांदीकुई में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके लिए स्थान कहां उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या इसके लिए उद्यमियों ने वांछित अपेक्षाएं पूरी कर दी हैं ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

केकड़ी नगर का औद्योगिक विकास

304. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या केकड़ी नगर में औद्योगिक क्षेत्र सम्पूर्ण विकसित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भविष्य में कब तक विकसित किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या केकड़ी नगर के औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को जल आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक जल आपूर्ति करने का इरादा है ?

(3) औद्योगिक क्षेत्र में जल आपूर्ति की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) रीको द्वारा केकड़ी नगर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास दो चरणों में

(उद्योग मंत्री)

किया जा रहा है। प्रथम चरण में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, द्वितीय चरण में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु योजना तैयार की जा रही है एवं इस चरण को वित्तीय वर्ष 91-92 में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) केकड़ी औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम चरण में जल आपूर्ति की व्यवस्था जलदाय विभाग द्वारा पूर्ण कर दी गई है। द्वितीय चरण में अभी जलप्रदाय की व्यवस्था नहीं की गई है, तथा इस चरण में जल प्रदाय योजना जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

(3) औद्योगिक क्षेत्र केकड़ी द्वितीय चरण में जल आपूर्ति का कार्य जलदाय विभाग द्वारा किया जाना है।

टौंक जिले में सिचाई कार्यों पर व्यय

305. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

टौंक जिले में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1989–90 एवं वर्ष 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक किस-किस कार्य के लिए कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई एवं प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक खर्चा कितना-कितना हुआ है ? प्रत्येक का अलग-अलग वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टौंक जिले में सिंचाई खण्ड टौंक द्वारा वर्ष 1989–90 एवं 1990 में माह अप्रैल, 1990 से जनवरी, 1991 तक विभिन्न मदों में विभिन्न कार्यों पर व्यय की गई राशि तथा प्रशासनिक खर्चे का विस्तृत विवरण परिशिष्ट अ, ब और स पर संलग्न है। विभिन्न मदों का लेखा-जोखा चूंकि माहवार तैयार किया जाता है अतः विवरण जनवरी अंत तक का है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के अन्तर्राज्यीय जल विवाद

306. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य का अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद किन-किन राज्यों से है ? अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित पूर्व समझौतों तथा वर्तमान में अवशेष मामलों से संबंधित दस्तावेज सदन की मेज पर रखें।

(2) सरदार सरोवर, थीन डेम, मुकेरिया, माही, गंगा-यमुना नदी जल विवाद, रावी-व्यास भाखड़ा से संबंधित योजनाओं में राजस्थान का कितना हिस्सा पानी आता है ? सभी योजनाओं का सार संक्षेप में सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान का अन्तर्राज्यीय जल विवाद निम्न राज्यों से है—

1. पंजाब

2. गुजरात

3. मध्य प्रदेश

1. पंजाब—पंजाब से रावी-व्यास पानी से संबंधित संशोधित समझौता 31.12.81 को हुआ था जिसके अनुसार अधिकाय जल में राजस्थान का हिस्सा 86 लाख एकड़ फीट निर्धारित किया गया। उक्त समझौते की प्रति सलग्न है। (परिशिष्ट–अ) 1981 के अनुबंध के पश्चात् भाखड़ा व्यास प्रबन्ध मण्डल ने रावी-व्यास पानी को पंजाब हरियाणा व राजस्थान में 30 : 21 : 49 के अनुपात में बांटना प्रस्तावित किया। राजस्थान ने इस प्रस्ताव से असहमति बताते हुए भारत सरकार के समक्ष यह मामला उठाया है भारत सरकार से इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अपेक्षित है।

2. गुजरात—राजस्थान एवं गुजरात के मध्य 1966 में माही नदी के जल उपयोग हेतु एक समझौता हुआ था जिसकी (प्रति संलग्न है) (परिशिष्ट 'ब') उक्त समझौते के अनुसार नर्मदा परियोजना से गुजरात को जल मिलने के पश्चात् माही एवं कडाणा बांधों का बचा हुआ पानी राजस्थान को देना प्रस्तावित था। गुजरात राज्य से इस सम्बन्ध में वार्ता चल रही है। इस विवाद को केन्द्रीय सरकार के माध्यम से सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3. मध्य प्रदेश- गांधी सागर जल प्रदाय क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कुछ सिंचाई योजनाएं बना लेने से वर्ष 1976 से विवाद चल रहा है। यह विवाद केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं और इस विषय में वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

(2) सरदार सरोवर—राजस्थान को नर्मदा नदी का 5 लाख एकड़ फीट जल आवंटित हुआ है जो सरदार सरोवर बांध से नर्मदा मुख्य नहर के द्वारा राजस्थान में सिंचाई हेतु प्राप्त होगा।

थीन डेम—इसका कोई अलग से समझौता नहीं है तथा रावी–व्यास के कुल जल में इसका भी भाग शामिल है।

मुकेरिया—यह जल विद्युत योजना है, तथा इसके जल का अलग से कोई हिस्सा राजस्थान को देना प्रस्तावित नहीं है।

माही—माही में राजस्थान व गुजरात का हिस्सा 9 व 40 के अनुपात में हैं।

सरदार सरोवर, थीन डेम, मुकेरिया एवं माही योजनाओं का संक्षिप्त सार परिशिष्ट 'स' में संलग्न हैं।

(सूचना/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चम्बल की दायीं मुख्य नहर की लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

307. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रघुवीर सिंह कौशल) :

(1) चम्बल की दायीं मुख्य नहर पर कितनी लिफ्ट सिचाई योजनाएं कब से निर्माणाधीन हैं ? इन पर अभी तक कितना व्यय हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ये योजनाएं कब तक पूर्ण हो जायेंगी ?

उत्तर

(1) चम्बल की दायीं मुख्य नहर पर तीन ब्लाकों में लिफ्ट सिचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनके नाम गणेशगंज (ब्लाक सं. 20) काचरी लिफ्ट (ब्लाक सं. 10) एवं सौरखण्ड लिफ्ट ब्लाक नं. 11 हैं। ये क्रमश: वर्ष 81-82, 88-89 एवं 87-88 से निर्माणाधीन हैं। इन जलोत्थान योजनाओं पर जनवरी, 91 तक 345.07 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है।

(2) पर्याप्त बजट उपलब्ध हो जाने पर उक्त निर्माणाधीन योजनाओं के मार्च 1993 तक पूर्ण होने की संभावना है।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र की विचाराधीन सिचाई योजनाएं

308. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बेगूं विधान सभा क्षेत्र के मेनाली, जल सागर, खोकी, फलकू तथा कनेरा बांधों की योजनाओं के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त बांधों को बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खोकी, फलकू, योजना राणा प्रताप सागर जलग्रहण क्षेत्र में आती है, एवं कनरा बांध, पंचायत तालाब, जवाहर सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में आता है। इसलिये ये नई योजनाएं विचाराधीन नहीं हैं। मेनाली योजना का सर्वे 7·8 वर्ष पूर्व सिचाई विभाग के द्वितीय खण्ड भीलवाड़ा द्वारा की गई थी जिसकी लागत वर्ष 87–की दरों पर करीब 4 करोड़ आंकी गई थी जिससे 880 हेक्टेयर में सिंचाई करने के प्रस्ताव थे। चूंकि लागत अत्यधिक थी। अत: पुन: जन प्रतिनिधियों की मांग पर योजना को संशोधित करने की कार्यवाही की जा रही है। योजना का कुछ सर्वे कार्य भी बाकी है जिसके पूर्ण होने पर पुन: तखमीना बनाकर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जांच की जावेगी। जल सागर डाईवरशन योजना का सर्वे जन प्रतिनिधियों की मांग पर दिसम्बर 90 में किया जाकर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु तखमीना बनाने की प्रक्रिया जारी है।

(2) इन योजनाओं के तखमीनों की जांच होने व तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(34)

किशनगंज एवं शाहबाद क्षेत्रों की लघु सिंचाई योजनाएं

309 श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या किशनगंज व शाहबाद में वर्ष 1989–90 में लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार कोटा जिले व किशनगंज एवं शाहबाद की कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोटा जिला व किशनगंज एवं शाहबाद की निम्न मध्यम सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है:–

(1) लासी तहसील छीपा बड़ोद

(2) बरनी तहसील किशनगंज

(3) वैथली तहसील छबड़ा।

(4) तकली तहसील रामगंज मण्डी

(5) चाकन तहसील इन्दरगढ़।

नई लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में निर्णय उनके आंकलनों की जांच होने व प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के अनुरूप लिया जावेगा।

बिलास सिंचाई परियोजना की भराव क्षमता

310. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बिलास सिंचाई परियोजना की भराव क्षमता पांच मीटर बढ़ाई जा रही है ? यदि हां, तो कब तक कार्य पूरा हो जायेगा ?

(2) पांच मीटर भराव क्षमता बढ़ाने से कौन-कौन से ग्रामों की कितनी-कितनी भूमि सिंचित होगी तथा इससे कितने किसान लाभान्वित होंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पांच मीटर भराव क्षमता बढ़ाने से कितनी धन राशि खर्च होगी ? क्या इसके लिए बजट आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न सं. 311

(स्थगित)

पीपला प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य

312. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपला प्रोजेक्ट का कार्य नवम्बर, 1988 से बन्द है ? यदि हां, तो सरकार ने 16 माह में ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों।

(2) क्या यह भी सही है कि गत विधान सभा सत्र के दौरान उक्त प्रोजेक्ट को जल्द चालू करवाने हेतु आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त प्रोजेक्ट के कार्य को पुन; चालू करवाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब से ?

(4) वित्तीय वर्ष 1990–91 व 1991–92 में कितना पैसा पीपला प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) कार्य नवम्बर 1989 से बन्द है। ठेकेदार से कार्य आरम्भ कराने के लिये प्रयत्न किये गये पर उसने ऐसा नहीं किया अब उसके विरुद्ध अनुबंध की धारा 2 व 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। सत्र के पश्चात् संबंधित ठेकेदार को पुनः एक अवसर दिया गया कि वह कार्य तुरन्त प्रारम्भ करें। ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल का अवलोकन भी करके कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु आश्वासन दिया था, परन्तु इसके उपरान्त भी उसने कार्य प्रारम्भ नहीं किया। फलस्वरूप अब ठेकेदार के विरुद्ध अनुबंध के अन्तर्गत धारा 2 व 3 की कार्यवाही हेतु खण्डीय कार्यालय द्वारा उचित माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति जारी होने पर कार्य को पूर्ण करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। पूर्व के ठेकेदार के विरुद्ध अनुबंध की धाराओं के अनुसार उचित कार्यवाही करके उक्त ठेकेदार की लागत एवं जोखिम पर कार्य को पूर्ण कराने के आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने पर कार्य को पूर्ण कराने की कार्यवाही की जावेगी।

(4) वर्ष 1990–91 में 6 लाख रुपये का बजट प्रावधान है व 1991–92 में 35 लाख रुपये का प्रस्ताव है।

बीसलपुर बांध परियोजना का सर्वे

313. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही कि बीसलपुर बांध परियोजना का सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो कब ? क्या सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट में किस-किस तहसील के कौन-कौन से गांवों को सिंचाई हेतु सम्मिलित किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीसलपुर परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया था, जिसके आधार पर बीसलपुर परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाकर केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु दिनांक 26–4–82 को भेजी गई थी। उक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार पेयजल आपूर्ति हेतु 8500 एम सी. एफ. टी. एवं 15000 एम. सी. एफ. टी. जल से बनास नदी के दायीं तरफ 85135 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में 60,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित था, जिसके तहत जिला–टौंक की देवली तहसील के 23, टोंक तहसील के 113, उनियारा तहसील के 195, सवाई-माधोपुर जिले की सवाई माधोपुर तहसील के 181 एवं बून्दी जिले की नैनवां तहसील के 56 गांव, इस प्रकार कुल 568 गांव सम्मिलित थे, जिनकी सूची संलग्न है।

यहां यह बताना भी उपयुक्त होगा कि राज्य में पेयजल की कमी को ध्यान में रखकर एवं राष्ट्रीय जलनीति, जिसके अनुसार पेयजल को प्राथमिकता दिया जाना है के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने अपनी बढ़ी हुई आवश्यकता इंगित की है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। बीसलपुर परियोजना से पेयजल हेतु जल की मात्रा का निर्धारण कर आरक्षित करने के पश्चात् शेष उपलब्ध जल का सिंचाई हेतु उपयोग किया जायगा। इसके पश्चात् ही यह ज्ञात हो सकेगा कि बीसलपुर परियोजना से किस-किस तहसील के कौन-कौन से गांव सिंचाई से लाभान्वित हो सकेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शार्टहैण्ड का पाठ्यक्रम

314. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितने सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शार्टहैण्ड विषय व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे हैं ?

(2) शार्टहैण्ड विषय पढ़ाने हेतु राज्य सरकार ने व्याख्याता पद हेतु क्या योग्यता निर्धारित कर रखी है ?

(3) वर्तमान में निर्धारित योग्यतानुसार शार्टहैण्ड विषय पढ़ाने हेतु कितने विद्यालयों में प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार लोक सेवा आयोग से उत्तीर्ण स्टेनोग्राफर को व्याख्याता पद पर लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 52 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शार्टहैण्ड विषय व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) राजस्थान शिक्षा नियमों में अभी तक व्यवसायिक शिक्षा के व्याख्याताओं की योग्यता का प्रावधान नहीं हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शार्टहैण्ड विषय पढ़ाने हेतु व्याख्याता-पद के लिए निम्न योग्यतायें निर्धारित की हैं :–

1 एम. काम. (व्यावसायिक प्रशासन) कम से कम 50% अंक के साथ एवं

2 बी. काम. (अंग्रेजी एवं हिन्दी स्टेनोग्राफी (अथवा डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी अंग्रेजी-हिन्दी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्टेनोग्राफी) में दक्षता' का प्रमाण पत्र अथवा सी.उ.मा.वि. उत्तीर्ण स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी एवं हिन्दी सहित)

(3) राजकीय विद्यालयों में इस योग्यता के पूर्णकालीन व्याख्याता नियुक्त नहीं हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्टेनोग्राफर पद हेतु जो योग्यता निर्धारित है वह व्याख्याता पद के लिए वांछनीय योग्यता के समान नहीं होती है। वर्तमान में इस विषय के शिक्षण हेतु अंशकालिक रूप से 40/– रु. प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक का प्रावधान कर व्यवस्था की हुई है।

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

315. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन विद्यालयों में कुल कितने-कितने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के पद कब से रिक्त हैं ? इन्हें कब तक भर दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 11 राजकीय प्राथमिक, एक राजकीय उच्च प्राथमिक व 15 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन विद्यालयों में 16 अध्यापकों के तथा 53 कर्मचारियों के पद रिक्त हैं जिनका तिथि सहित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं प्रयोगशाला सेवक, प्रयोगशाला सहायकों के पद पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग का प्रतिबन्ध है। शेष पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

बांसवाड़ा जिले की शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पद

316. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बांसवाड़ा जिले की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लेब बाय, लेब असिस्टेन्ट तथा कनिष्ठ व्याख्याताओं के

(श्री बहादुर सिंह)

स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने व क्यों ?

(2) इन पदों को कब तक भरने का सरकार विचार रखती है ?

(3) बांसवाड़ा जिले में चालू वित्तीय वर्ष में कितने नये विद्यालय खोलना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले की माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लेब बॉय, लेब असिस्टेंट तथा व्याख्याताओं के रिक्त पदों की सूची सलग्न है :–

रिक्त पद	संख्या
लेब बॉय	69
प्रयोगशाला सहायक	47
व्याख्याता	13

(2) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में कोई नया विद्यालय खोलना प्रस्तावित नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

प्रतापगढ़ के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

317. **श्री रखब चन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग के किन-किन विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार द्वारा इन पदों को अब तक नहीं भरने के क्या कारण हैं ? अब सरकार रिक्त पदों को कब तक भरना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग से व्याख्याता हेतु चयनित आशार्थियों के न मिलने से तथा द्वितीय वेतन श्रृंखला के पद रोस्टर (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) के शेष हैं विज्ञापन निकाला जा चुका है । पद शीघ्र भरने की कार्यवाही जारी है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय जैतारण में रिक्त पद

318. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जैतारण (पाली) में स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में किस-किस वर्ग के अध्यापिकाओं के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(2) क्या स्वीकृत पदों पर अध्यापिकाएं पदस्थापित हैं ? यदि नहीं, तो कब से कितने पद रिक्त हैं ? उन पर अध्यापिकाएं व प्रधानाध्यापिका नहीं लगाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय जैतारण (पाली) में निम्नलिखित वर्ग के पद स्वीकृत हैं—

पद का नाम	संख्या
1. प्रधानाध्यापिका	1
2. वरिष्ठ अध्यापिका	6
3. शारीरिक शिक्षक	1

(2) वरिष्ठ अध्यापिका का एक पद जनवरी, 91 में नवसृजित हुआ है। पद भरने की कार्यवाही जारी है। प्रधानाध्यापिका का पद जनवरी, 91 में रिक्त हुआ था जिसे भर दिया गया है।

डग निर्वाचन क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पद

319. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डग निर्वाचन क्षेत्र में किन-किन स्कूलों में किन-किन विषयों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं के पद कितने समय से रिक्त चल रहे हैं ? स्कूलों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? सभी रिक्त पद कब तक भर दिए जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डग विधान सभा क्षेत्र में कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजस्थान राज्य में शिक्षा का प्रतिशत

320. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य में शिक्षा का क्या प्रतिशत है ?

(2) अन्य राज्यों की तुलना में शिक्षा का कम प्रतिशत होने के क्या कारण हैं ? इस कमी को दूर करने के लिए विभाग ने क्या योजना बनाई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत 24·38 है। अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान एक राज्य अरुणाचल प्रदेश से ऊपर एवं 28 प्रदेशों से नीचे है। इसमें असम के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

(2) राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत कम होने का कारण राज्य का आर्थिक

(शिक्षा मंत्री)

पिछड़ापन व कठिन भौगोलिक पर्यावरण हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा-कर्मी कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि एवं निर्धन बालिकाओं की उपस्थिति छात्रवृत्ति, बुक बैंक आदि की सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रही हैं। छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है। विद्यालयों को भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

रेगिस्तानी जिलों के स्कूलों में उर्दू के अध्यापक

321. श्री अमीन खां (शिव) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान के पिछड़े रेगिस्तानी जिलों के स्कूलों में उर्दू के कितने मास्टर लगाए हुए हैं ?

(2) भविष्य में सरकार इन जिलों में कितने अध्यापक और रखने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान के पिछड़े रेगिस्तानी जिलों के स्कूलों में उर्दू के निम्न विवरणानुसार अध्यापक कार्यरत हैं :–

जिला	श्रेणीवार संख्या		
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
बीकानेर	2	6	31
बाड़मेर	–	–	–
जैसलमेर	1	1	–
जोधपुर	2	2	13
नागौर	1	5	41
चूरू	3	5	29
जालौर	1	1	–
योग	10	20	114

(2) विद्यालयों की मांग एवं आवश्यकता के आधार पर ही अतिरिक्त पद दिये जाते हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 322

(स्थगित)

अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी

323. श्री प्रभुराम ग्रासिया (पिण्डवाड़ा) एवं **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के हित संरक्षण हेतु सेवा निवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के हित संरक्षण एवं अन्य प्रयोजनार्थ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक, 1986 पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय की सहमति, प्राप्त होने के पश्चात् अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों के ग्रेच्युटी एवं अन्य परिलाभों आदि के सम्बन्ध में नियम विनिर्मित किये जा सकेंगे।

कुचेरा (नागौर) में व्याख्याताओं के रिक्त पद

324. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल कुचेरा (नागौर) में हिन्दी, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित एवं इतिहास आदि विषयों के कनिष्ठ व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो अब कब तक सरकार इन पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ?

(2) नागौर जिले की अन्य सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में कितने पद (अध्यापकों एवं कनिष्ठ व्याख्याताओं के) रिक्त पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुचेरा (नागौर) में हिन्दी अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र, इतिहास एवं जीव विज्ञान व्याख्याता के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही जारी है।

(2) नागौर जिले की अन्य सी. उ. मा. विद्यालय में रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

कोटपूतली तहसील में अध्यापकों के स्थानान्तरण

325. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कोटपूतली से बाहर और बाहर से कोटपूतली तहसील में किस-किस अध्यापक का स्थानान्तरण किया गया ?

(2) यह स्थानान्तरण किस-किस की इच्छा से किये गये ?

(3) क्या ऐसा अन्य तहसीलों में भी हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस तहसील में किनकी इच्छा से ?

(4) क्या यह सही है कि ऐसा इस तहसील में ही किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली से बाहर तथा तहसील कोटपूतली में बाहर से अध्यापकों के स्थानान्तरणों की सूची संलग्न है।

(2) ये स्थानान्तरण अध्यापकों की प्रार्थना, अधिशेष होने, पारस्परिक आवेदन तथा प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जयपुर जिले के अधीन सभी 17 तहसीलों में अध्यापकों की प्रार्थना, अधिशेष होने, पारस्परिक आवेदन पत्र, प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये गये हैं।

(4) जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

पाली जिले के कार्यशील स्कूल

326. श्री प्रभुराम प्रासिया (पिण्डवाड़ा), **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल कहां-कहां पर कार्यशील हैं ? किस किस स्कूल में कितनी-कितनी छात्र संख्या है तथा किस-किस स्कूल में कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत मानदण्ड के अनुसार किन-किन स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले में उच्च प्राथमिक/माध्यमिक सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची तथा उसमें स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत पदों में जहां अध्यापक नहीं हैं उनका उल्लेख उपरोक्तानुसार संलग्न विवरण के कालम संख्या 7 से 9 में अंकित कर दिया गया है।

(3) इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

बांसवाड़ा जिले में हैन्डी क्राफ्ट अध्यापकों के रिक्त पद

327. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

बांसवाड़ा जिले में कितने विद्यालयों में कितने हैन्डी क्राफ्ट अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बांसवाड़ा जिले के विद्यालयों में हैंडीक्राफ्ट अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है :–

विद्यालयों के नाम	द्वि. वेतन श्रृंखला
रा. उ. मा. वि. परतापुर	1
रा. उ. मा. वि. कुशलगढ़	1

(शिक्षा मंत्री)

रा. उ. मा. वि., गांगडतलाई	1
रा. उ. मा. वि., नरवाली	1

रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के स्कूलों की क्रमोन्नति

328. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1989 में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि अध्यापकों के अभाव में कक्षाएं प्रारम्भ कर छात्रों को प्रवेश दिये गये ? यदि हां, तो इन विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या इस संबंध में जन प्रतिनिधि के कोई पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? पत्रों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विद्यालयों में कितना बजट दिया गया, उसका उपयोग किस-किस मद में कब-कब किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में शीघ्र ही अध्यापकों के पदस्थापन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1989-90 में पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया था।

(2) विद्यालय की क्रमोन्नति के फलस्वरूप नवसृजित पदों पर अध्यापकों के पदस्थापन किये गये हैं परन्तु उनके कार्यग्रहण नहीं करने के कारण अध्यापकों की कमी अवश्य है। क्रमोन्नति से पूर्व के पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं। उक्त रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त विद्यालयों का बजट आवंटन एवं उसके उपयोग का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी हां, पदस्थापन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य के अभ्यारण्यों का विकास

329. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

गजनेर, ताल छापर, भरतपुर, सरिस्का, रणथम्भौर अभ्यारण्य तबाह हो रहे हैं? इन अभ्यारण्यों में कितने-कितने जीव जन्तु हैं?

(2) गजनेर, ताल छापर, भरतपुर, सरिस्का एवं रणथम्भौर अभ्यारण्य के विकास हेतु विभाग की क्या योजना है? इन अभ्यारण्यों पर कितनी-कितनी राशि गत वर्ष व्यय हुई?

(3) उक्त सभी अभ्यारण्यों में वृक्षों की कटाई को रोकने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(4) उक्त अभ्यारण्यों में अवैध शिकार के कितने-कितने मामले पकड़े गये? अभ्यारण्य वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इन अभ्यारण्यों में वर्ष 1990 की गणना के अनुसार पाये जाने वाले वन्यजीवों की सूची अभ्यारण्य अनुसार संलग्न है। गजनेर घोषित अभ्यारण्य नहीं है।

(2) तालछापर, रणथम्भौर, सरिस्का व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के विकास के लिए प्रबन्ध योजना तैयार की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट के अनुसार प्रस्तावित विकास कार्यों की वार्षिक योजना बनाई जाती है व विकास कार्य करवाये जाते हैं। रणथम्भौर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर व सरिस्का बाघ परियोजना के विकास कार्यों पर गत वर्ष क्रमशः 71.05 लाख, 21.84 लाख व 42.26 लाख की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की गई है। तालछापर अभ्यारण्य पर गत वर्ष विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं थी।

(3) अभ्यारण्यों में वृक्षों की कटाई को रोकने हेतु नियमित स्टाफ उपलब्ध है व इसके अतिरिक्त उड़न दस्ता द्वारा भी समय-समय पर गश्त की जाती है। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर वायरलैस सैट्स उपलब्ध करवाये गये हैं जिससे अवैध शिकार व अवैध कटाई के मामलों की सूचना मण्डल मुख्यालय पर दी जा सके।

(4) अभ्यारण्यों में गत वर्ष अवैध शिकार के पकड़े गये केसेज की अभयारण्यों अनुसार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

सरिस्का टाईगर प्रोजेक्ट एरिया में कर वसूली

330. श्री ईश्वर लाल **सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरिस्का टाईगर प्रोजेक्ट में हनुमानजी के मन्दिर जाने के लिए शनिवार व मंगलवार के अलावा वाहनों तथा व्यक्तियों पर वन विभाग की ओर से कर वसूल किया जाता है? यदि हां, तो कब से तथा कितना? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(45)

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

(2) क्या यह कर सरिस्का से टहला आते जाते वाहनों तथा व्यक्तियों से भी लिया जाता है ? यदि, हां तो क्यों तथा किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार के वन्य जीव (सुरक्षा) राज. नियम 1977 के उप नियम 23 के तहत सरिस्का अभ्यारण्य में प्रवेश हेतु शुल्क लिया जाता है। शुल्क की दरें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वन्यजीव (सुरक्षा) राज. संशोधन नियम, 1990 के तहत निम्न नवीन दरें लागू हैं। वर्तमान में प्रचलित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हाँ। सरिस्का से टहला आते-जाते वाहनों तथा व्यक्तियों से भी शुल्क नियमानुसार लिया जाता है क्योंकि यह सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है, इस कारण अभ्यारण्य में प्रवेश सम्बन्धी नियम लागू होते हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अरावली पर्वत श्रृंखला के विकास की योजना

331. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अरावली की पहाड़ियों को हरा भरा करने के लिये राज्य सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक शुरू कर दी जावेगी ? इस पर कितना व्यय होगा और यह कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(2) अलवर जिले की कौन-कौनसी पहाड़ियों को इस योजना के अन्तर्गत लिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना के तहत राजस्थान के कौन-कौन से जिले लिये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना को 1992-93 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित है। इस योजना में 150 करोड़ रुपये व्यय करने के प्रस्ताव हैं। इस योजना को भारत सरकार को भेजा गया था एवं भारत सरकार ने यह योजना आर्थिक सहायता हेतु जापान सरकार को प्रेषित की है।

(2) अलवर जिले में क्षेत्रों के चयन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(3) इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान के 10 जिले अलवर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाडा एवं चित्तौड़गढ़ का चयन किया गया है।

धरियावद-प्रतापगढ़ क्षेत्र में वनों की कटाई

332. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

(1) उदयपुर जिले के धरियावद-प्रतापगढ़ में गत 5 वर्षों में कौन-कौन रेंजर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ये रेंजर आपस में भाई-भाई हैं ? क्या इनके स्थानान्तरण एक दूसरे के स्थानों पर होते रहे हैं ?

(3) क्या इन दोनों रेन्जरों के कारण धरियावद-प्रतापगढ़ क्षेत्र में वनों की अन्धाधुन्ध कटाई हुई है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर वृत की धरियावद एवं प्रतापगढ़ रेंजों में गत 5 वर्षों में पदस्थापित रेंजरों की सूची परिशिष्ट–क के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वर्ष 1985 में उक्त दोनों क्षेत्रियों के स्थानान्तरण एक-दूसरे के स्थान पर एक बार हुआ है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

बेगूं में वन विभाग की भूमि पर खेती

333. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बेगूं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वन विभाग की कितनी भूमि पर कितने परिवार खेती करते चले आ रहे हैं ? व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ये परिवार किन क्षेत्रों में विगत कितने वर्षों से काबिज एवं कृषि कर रहे हैं ?

(3) क्या सरकार इन परिवारों को उस भूमि पर जिस पर वे कृषि करते चले आ रहे हैं, जंगलात से निकाल पर रेवेन्यू में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक क्रियान्विति कर देगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में 1140-18 बीघा वन भूमि पर 122 परिवारों ने अतिक्रमण कर काश्त की है। व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, स्थान आदि का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट 'क' के अनुसार रख दिया गया है।

(2) अतिक्रमण का स्थान एवं अतिक्रमण वर्ष का विवरण परिशिष्ट 'क' में दर्शा दिया गया है।

(3) ऐसे कब्जों के प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

भवानीमण्डी में टैक्सटाइल मिल से प्रदूषण

334. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भवानीमण्डी कस्बे में टैक्सटाइल मिल के प्रदूषण से भवानी बांध का पानी तथा किसानों की खेती की जमीन खराब हो रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार को उक्त उद्योग से बढ़ते हुए प्रदूषण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? इन पर विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की ? कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवानी मण्डी में मैसर्स राजस्थान टैक्सटाईल मिल्स नाम का एक वृहत श्रेणी का उद्योग 1960 से कार्यरत है जो घरेलू व औद्योगिक उच्छिष्ठ निस्त्रावित करता है। उद्योग ने उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र लगाकर जल प्रदूषण रोकने हेतु व्यवस्था कर ली है। किसानों की खेती की जमीन खराब होने के संबंध में कोई शिकायत कृषि कार्यालय, झालावाड़ से प्राप्त नहीं हुई है।

वर्तमान में उद्योग से उत्सर्जित शुद्धित जल की मात्रा का उपयोग उद्योग परिसर में वृक्षारोपण के लिये किया जाता है तथा शेष कच्ची नाली द्वारा मौसमी नाले में निस्त्रावित कर दिया जाता है। इस नाले पर एक एनीकट बनाया गया है जिसको भवानी बांध कहा जाता है। इस बांध का ओवर फ्लो लगभग 16 कि.मी. आगे जाकर आहू नदी में मिलता है।

(2) उद्योग के विरुद्ध वर्ष 1981-82 में शिकायत प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात् राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बाध्य करने पर उद्योग ने उपचार व्यवस्था कर ली है। मंडल के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उद्योग का निरीक्षण करने पर उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र कार्यरत पाया गया। कार्यवाही की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(कार्यवाही की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

राज्य में वनों की अवैध कटाई

335. श्री सालिगराम (बयाना) एवम् **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि वन की अवैध कटाई व निरन्तर वन क्षेत्रों में कमी होने से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती जा रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार की इस बारे में क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में वन क्षेत्र में कमी नहीं हो रही है। किन्तु बढ़ती पशु एवं जन संख्या की चारे एवं ईंधन की मांग के कारण वन क्षेत्र में विद्यमान वनस्पति की सघनता में कमी अवश्य हुई है। जिसका

(वन एवम् पर्यावरण मंत्री)

पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं तथा अवैध कटान रोकने के लिए वन सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास किये जा रहे हैं।

वन भूमि पर किसानों के कब्जे

336. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किस-किस जिले में वर्ष 1970 से 1985 तक वन भूमि पर किसानों के कब्जे हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले में आदिवासी किसानों ने वन भूमि पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं? क्या सरकार 1985 तक के कब्जे नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्लांटेशन लगाये जाते हैं? क्या यह भी सही है कि यह पौधे सूख जाते हैं और लाखों रुपये के धन का दुरुपयोग होता है?

(4) क्या सरकार कोई नीति बनाने का विचार रखती है ताकि लगाये गये पौधे जिन्दा रहें एवं धन का उपयोग हो?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1970 से 1985 तक वन भूमि पर कब्जे वाले जिलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) जी हां। ऐसे कब्जों के नियमन का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां। जी नहीं। लगाये गये सभी पौधे नहीं सूखते हैं।

(4) विभाग द्वारा अधिक से अधिक पौधों को जीवित रखने का प्रयास किया जाता है किन्तु विषम भौगोलिक एवं मौसमी परिस्थितियों एवं वर्षाभाव के कारण कुछ पौधों का सूखना स्वाभाविक है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

अजमेर की पहाड़ियों की वन भूमि पर अतिक्रमण

337. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर की पहाड़ियों की वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार की उपरोक्त क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने, पेड़ों की कटाई रोकने एवं नये पेड़ लगाने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर की पहाड़ियों की वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रमुख कारण नगर की सघन आबादी से वन क्षेत्र का लगा होना, द्रुतगति से जन संख्या का बढ़ना तथा आवासीय भूमि की कमी होना है।

(2) वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत 315 प्रकरण दर्ज कर न्यायालय सं. वन संरक्षक, अजमेर में प्रस्तुत किये गये जिनमें से 275 प्रकरण न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये। अतिक्रमण से ग्रस्त वन खण्ड महुवा बीड, मदार पहाड़ में अतिक्रमण रोकने हेतु वर्ष 1988–89 में सघन आबादी से लगी वन सीमा पर चूने पत्थर की दीवार बनाने का कार्य करवाया गया। वर्ष 1986 से 90 तक अजमेर जिले की पहाड़ियों पर 1000 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया।

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

338. **श्रीमती रमा पायलेट** (हिण्डोली)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में पर्यावरण अदालतों की तत्काल स्थापना करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो इन अदालतों की संरचना कैसी होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसे विशेष न्यायालय इन प्रदेशों की राजधानियों में ही बनाये गये हैं तथा उनका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राज्य रखा गया है ? यदि हां, तो पर्यावरण के हित में यह प्रक्रिया राजस्थान में क्यों नहीं अपनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण हेतु पाली में एक विशेष न्यायालय स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) इस न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी होगा। इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार पाली, जोधपुर व बाड़मेर जिले होंगे।

(3) जी हां,

राज्य में पर्यावरण सम्बन्धित न्यायालय वादों की संख्या देखने से ज्ञात होता है कि राज्य में सबसे अधिक मामले पाली जिले से सम्बन्धित थे। राज्य में कुल 109 वादों में से 81 वाद बाड़मेर, जोधपुर व पाली जिलों के होने के कारण उच्च न्यायालय की राय अनुसार यह निर्णय लिया गया कि जोधपुर, बाड़मेर व पाली

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

जिलों के लिये विशेष न्यायालय पाली में स्थापित की जाये। चूंकि बाकी जिलों में वादों की संख्या कम थी अतः यह उचित समझा गया कि उनका निपटारा, उन जिलों में स्थापित सामान्य न्यायालयों द्वारा ही किया जाये।

एसोसियेट सीमेन्ट कॉरपोरेशन द्वारा जारी लाइम स्टोन के पट्टे

339. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) :– क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि एसोसिएट सीमेंट कॉरपोरेशन द्वारा लाइम-स्टोन पट्टे जारी किये गये? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को, कहां-कहां कितनी-कितनी अवधि के लिये जारी किये?

(2) क्या यह भी सही है कि सक्षम अधिकारी ने राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल कन्सेशन नियमों के प्रावधानों के विपरीत पट्टे जारी किये हैं? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा यह कार्यवाही की गई? उस अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कोई कार्यवाही करने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। खनिज लाइमस्टोन व अन्य खनिजों के खनन पट्टे, नियमानुसार जारी करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। एसोसिएट सीमेंट कॉरपोरेशन को खनन पट्टे जारी करने का अधिकार नहीं है, न ही उक्त कॉरपोरेशन द्वारा जारी किसी पट्टे का मामला इस विभाग की जानकारी में आया है। खान विभाग द्वारा एसोसिएट सीमेंट कॉरपोरेशन नाम के संस्थान को कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया है।

(2) जी नहीं। किसी भी अधिकारी द्वारा राजस्थान माईनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के नियमों के विपरीत कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया है। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

डूंगरपुर जिले में मारबल की खानें

340. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डूंगरपुर जिले में किस-किस किस्म की मारबल खाने है?

(2) उक्त खानों को किस-किस व्यक्ति को किस-किस रायल्टी दर पर कब-कब आवंटित किया गया? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या लच्छीराम पुत्र हलिया को कोई खान आवंवित की गई थी? यदि हां, तो कब व कौन-कौन सी? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त खानें आवंटित होने के उपरांत भी निरस्त की जाकर अन्य को पुनः आवंटित कर दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(श्री कुबेर सिंह)

(5) क्या सरकार निरस्तीकरण एवं पुनः आवंटन को अवैधानिक मानती है ? यदि हाँ, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में सरपेंटाईन (ग्रीन मारबल), सफेद व पिंक मारबल की खानें हैं।

(2) उक्त खानों को जिन व्यक्तियों के लिए आवंटित किया गया है, उस का विवरण प्रपत्र संख्या "1" पर संलग्न हैं। सभी प्रकार के मारबल खनिज की रॉयल्टी अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के अनुसार वसूल की जाती हैं।

(3) जी हां। श्रीलच्छीराम पुत्र श्रीहलिया को आवंटित की गई खान संबंधी आदेश प्रपत्र संख्या "2" सलग्न हैं।

(4) जी हाँ। उक्त खान श्री लच्छीराम पुत्र श्री हलिया के पक्ष में आवंटित की जाने के उपरान्त सहायक खनिज अभियन्ता, डूंगरपुर के आदेश दिनांक 7.6.85 से खण्डित की गई। तत्पश्चात् उक्त क्षेत्र पुनः अनुदान हेतु रिक्त घोषित करने पर दिनांक 12.8.8 को श्री एन.एम. जोशी, श्रीमती बसन्ती देवी व श्री बलबीरराज सुराणा द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। प्राथमिकता के आधार पर श्री एन. एल. जोशी के पक्ष में उक्त क्षेत्र आदेश दिनांक 15.9.86 से स्वीकृत किया गया। वर्तमान में श्री जोशी इस क्षेत्र पर कार्यरत हैं।

(5) पार्टी द्वारा खनन पट्टा खण्डित होने के आदेश को अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। इसलिए सरकार की ओर से कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सलादीपुरा पाइराइट्स फास्फेट एन्ड केमिकल लिमिटेड द्वारा खनिज का दोहन

341. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सलादीपुरा पाइराइट्स फास्फेट एण्ड केमिकल लिमिटेड (पी. पी. सी. एल.) ने दो दशक पूर्व सलादीपुरा में खनिज दोहन करने और खनिज आधारित उद्योग लगाने का फैसला किया था ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या यह सही है भारत सरकार के सचिव स्तर की बैठक में इस योजना को अनुमोदित कर 26 अगस्त, 1988 को औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया गया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार की ओर से क्या प्रगति की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, मैसर्स पाईराइट्स फास्फेट एण्ड केमिकल लिमिटेड ने सलादीपुरा में खनिज दोहन करने तथा खनिज आधारित

(खनिज राज्य मंत्री)

उद्योग मैसर्स टेडको एक्सपोर्ट के सहयोग से लगाने का फैसला किया था। मैसर्स पी. पी. सी. एल. की खनिज पाईराइट के दोहन हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किया जो दिनांक 25.8.69 से प्रभावी है। मैसर्स टेडको एक्सपोर्ट के पक्ष में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की जो उक्त कम्पनी द्वारा कुछ शर्तें रखने के कारण रद्द कर दी गई। अब पी. पी. सी. एल. द्वारा उर्वरक का कारखाना लगाया जाना प्रस्तावित है तथा इसके संबंध में परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को दिनांक 5.11.1990 को प्रस्तुत कर दी गई है जो भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(2) भारत सरकार के द्वारा मैसर्स टेडको एक्सपोर्ट के पक्ष में दिनांक 26.8.88 को लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी किया गया, परन्तु इस कम्पनी द्वारा कुछ शर्तें रखने पर लेटर ऑफ इन्टेन्ट रद्द कर दिया गया। अब यह कारखाना मैसर्स पी. पी. सी. एल. द्वारा लगाया जाना प्रस्तावित है। खाद संयंत्र की स्थापना शीघ्र करने के संबंध में मुख्यमंत्री जी द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.3.90 व 8.1.1991 उप-प्रधानमंत्री जी को लिखे गये हैं।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग के उड़न दस्ते में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी

342. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में खान एवं भू विज्ञान विभाग के उड़न दस्ते में कितने अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनके वेतन भत्तों, वाहन आदि पर कितना व्यय होता है ?

(2) पिछले पांच वर्षों में अवैध खनन के कितने प्रकरण पकड़े गये तथा रायल्टी टैक्स के कितने प्रकरण पकड़े गये तथा रायल्टी टैक्स की चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए एवं मौके पर कितनी राशि वसूल की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उड़न दस्तों के गठन के बाद सरकार ने इसकी कोई समीक्षा की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य में खान एवं भू-विज्ञान विभाग में कोई उड़नदस्ता नाम से प्रकोष्ठ वर्तमान में प्रभाव में नहीं है। अतः इस प्रश्न बावत सूचना शून्य समझी जावे। वैसे राज्य में खान एवं भू-विज्ञान विभाग में सतर्कता दल कार्यरत है जिसमें 6 अधिकारी व 54 कर्मचारी कार्यरत हैं जिन पर वर्ष 89-90 में वाहन आदि के व्यय सहित कुल व्यय रुपये 14·81 लाख किया गया।

(2) सतर्कता दलों द्वारा पिछले पांच वर्षों में अवैध खनन रायल्टी टेक्स एवं रायल्टी चोरी के दर्ज प्रकरण एवं मौके पर वसूल की गई राशि की वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बुलाई गई अधिकारियों की बैठकों में सतर्कता दल द्वारा सम्पादित कार्य की समीक्षा की जाती रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

मेवाड़ मिनरल्स् लिमिटेड द्वारा खनन योग्य भूमि की अवाप्ति

343. श्री शान्तिलाल (राजसमंद) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मेवाड मिनरल्स लि. सावा ने चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिले की खनन योग्य भूमि कहां-कहां, कितनी-कितनी एवं कब-कब प्राप्त की है ?

(2) वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91, में उक्त खदानों में से कितना-कितना खनन् दोहन किया है ?

(3) उक्त खनन् का उपरोक्त अवधि में कहां-कहां निष्पादन किया गया ? पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) मेवाड़ मिनरल्स लिमिटेड सावा के नाम जिला चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है । अतः इनके लिए कोई भी भूमि अवाप्त नहीं की गई है ।

(2) मेवाड़ मिनरल्स लिमिटेड सावा के नाम से कोई लीज नहीं, इसलिए कोई खनिज दोहन नहीं किया गया है ।

(3) मेवाड़ मिनरल्स लिमिटेड सावा के नाम कोई लीज स्वीकृत नहीं है । इसलिए खनन नहीं किया गया है ।

सवाई माधोपुर के अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन जाति के लोगों को खनन् पट्टे

344. श्री प्रभूलाल (पिण्डवाड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई माधोपुर जिले में कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को खनन् पट्टे दिये गये हैं ?

(2) सपोटरा, करौली क्षेत्र में कौन-कौन से ठेकेदारों को आवंटित पुराना रकबा कितने समय से चला आ रहा है ?

(3) क्या सरकार दूसरे जिलों की भांति सपोटरा, करौली क्षेत्र में एस. टी., एस सी. के प्रार्थना पत्रों पर खनन् पट्टे देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में 33 खनन् पट्टे अनुसूचित जाति व 48 खनन पट्टे अनुसूचित जनजाति को स्वीकृत किये गये हैं ।

(2) सपोटरा, करौली क्षेत्र में जिन ठेकेदारों को खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर संलग्न है ।

(3) सपोटरा, करौली क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रार्थना पत्र के आधार पर

(खनिज राज्य मंत्री)

खनिज चेजा पत्थर एवं संबद्ध खनिज, कंकर, मोरम एवं भांभरा पत्थर के खनन पट्टे प्राथमिकता के आधार पर देने का प्रावधान है। खनिज सैण्डस्टोन के खनन पट्टे देने में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता नहीं है, परन्तु क्वारी लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता/आरक्षण है। उक्त क्षेत्र में सैण्डस्टोन के खनन पट्टे नीलामी द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सोजत तहसील में केवलचन्द मन्डोत द्वारा लाइम स्टोन खदान का संचालन

345. **श्री गुलाबसिंह** (सुमेरपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सोजत तहसील में श्री केवलचंद मंडोत को आवंटित लाइम स्टोन खदान को स्वयं चलाते हैं ? यदि नहीं, तो क्या उसे सबलेट कर रखा है ?

(2) क्या उक्त खनन पट्टा पूर्व में निरस्त हो चुका था तथा तत्कालीन सरकार ने निरस्त हो जाने के उपरान्त दो वर्ष बाद नियमों के विपरीत पुनः स्वीकृति प्रदान की थी ?

(3) उक्त स्वीकृति से दो वर्ष की अवधि में राज्य सरकार को डीड रेंट तथा रायल्टी का कितना नुकसान हुआ ?

उत्तर

(1) श्री केवलचंद मंडोत को आवंटित खनिज लाईमस्टोन का क्षेत्र उनके पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर द्वारा चलाया जा रहा है तथा खान सबलेट किये जाने बाबत विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त खनन पट्टा पूर्व में निरस्त नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार को डेडरेन्ट तथा रॉयल्टी का नुकसान नहीं हुआ।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने हेतु आटो रिक्शा योजना

346. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने हेतु आटो रिक्शा योजना कब से प्रारम्भ हुई तथा अब तक कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य था तथा कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है ? वर्षवार एवं जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत वर्तमान में कुल कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं एवं

(श्री हीरालाल आर्य)

उनका कब तक निपटारा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने हेतु आटो रिक्शा योजना वर्ष 1982–83 में लागू की गई। अब तक 1922 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष में 1038 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्षवार एवं जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) आटो रिक्शा योजनान्तर्गत 219 प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं। इनका निपटारा यथा शीघ्र कर दिया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास

347. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार की जानकारी में यह तथ्य है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का वर्तमान शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई, 1990 से 9 जून, 1991 तक है अर्थात् लगभग 11–1/4 माह तक चलेगा ? यदि हां, तो छात्रों को दी जाने वाली 9–1/2 माह की निर्धारित राशि से 11–1/4 माह तक कैसे निर्वाह होगा ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

जी, हां। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जायेगा।

सहकारी बैंकों में व्यक्तिगत पूंजी निवेश

348. श्री सालिगराम (बयाना)
श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तथा नेशनल सैविंग सर्टिफिकेट अन्य सैविंग स्कीम, यूनिट ट्रस्ट, प्रोविडेन्ट फण्ड, डिबेन्चर आदि पर ब्याज व लाभांश अधिक मिलने से सरकारी बैंकों में व्यक्तिगत पूंजी निवेश कम होता जा रहा है ?

(2) क्या सरकार सहकारी बैंकों में व्यक्तिगत पूंजी निवेश बढ़ाने के लिये कोई आकर्षक योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अमानतों पर देय ब्याज दरों को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी बैंक ही विशेषकर अपनी अमानतें बढ़ाने के लिए आकर्षक योजना प्रायः बनाते हैं। सरकार द्वारा कोई इस प्रकार की योजना इनके लिए नहीं बनायी जाती।

सिवाना तहसील की सहकारी समितियों में ऋण माफी

349. श्री हुकमाराम (सिवाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिवाना तहसील में कितनी सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं, इनके अन्तर्गत कितनी दुकानें कहां-कहां चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऋण माफी योजना के तहत कितने किसानों के ऋण माफ किये जा चुके हैं तथा कितने शेष रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें। शेष रहे किसानों के ऋण कब तक माफ कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सिवाना तहसील में कुल 37 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। इनके अन्तर्गत कुल 39 दुकानें चल रही है। सूची परिशिष्ट 'क' के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ऋण माफी योजना के तहत सिवाना तहसील की 20 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 5747 कृषकों को 136.11 लाख रुपये के ऋणों में राहत हेतु चिन्हित किया गया था उसमें से 5704 कृषकों को 133.78 लाख रुपये की राहत दी जा चुकी है। शेष 43 कृषकों को 2.33 लाख रुपये की राहत उनके द्वारा योजना में वर्णित आवश्यकताएं पूरी कर देने पर ऋण माफी का लाभ दे दिया जावेगा। समितिवार विवरण परिशिष्ट 'ख' के रूप में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 350
स्थगित

मांगरोल में सहायक जिलाधीश कार्यालय

351. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल (कोटा) में केसों की अधिक संख्या होने एवं यहाँ से अदालत काफी दूर होने के फलस्वरुप अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बहुल्यता को मद्देनजर रखते हुए जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु यहां पर सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने की मांग समय-समय पर की जाती रही है ?

(2) क्या सरकार जनहित में मांगरोल में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भीलवाड़ा जिले में चारागाह भूमि

352. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बंसीलाल पटवा)

(1) भीलवाड़ा जिले में किन-किन तहसीलों के पंचायत क्षेत्र में कृषि, बंजड़, चारागाह की भूमि सरकार के पास बिला नाम है ?

(2) उक्त भूमि के अतिरिक्त राजस्व विभाग के पास पेटा कास्त की भूमि कहां-कहां कितनी है ? इस भूमि को आवंटित नहीं करने का क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में 11 तहसीलों की पंचायतों में कृषि बंजड़ भूमि 77804 हैक्टेयर तथा चारागाह भूमि 111589 हैक्टेयर स्थित है पचायतवार सूची संलग्न है।

(2) भीलवाड़ा जिले में स्थित ग्रामों में पेटा काश्त हेतु 10,639 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है जिसका विवरण संलग्न सूची (परिशिष्ट 'क') में अंकित है। पेटा काश्त योग्य भूमि का आवंटन पेटा आवंटन नियम 1961 के अन्तर्गत अस्थाई तौर पर तीन वर्ष के लिए जब-जब भी भूमि पानी से बाहर आती है तब-तब नियमानुसार किया जाता रहा है। जब भूमि डूब में होती है तब ऐसी भूमि नियमान्तर्गत आवंटन नहीं की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 353

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 354

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 355

(स्थगित)

ग्राम पंचायत सिरोही (जयपुर) की चारागाह की भूमि पर अनधिकृत निर्माण

356. **श्री रामेश्वरप्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सिरोही तहसील आमेर में बीलपुर के पास चारागाह में चन्दबाजी चौमू रोड पर अतिक्रमण करके दुकानें निर्मित की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध निर्माण को हटाने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम पंचायत सिरोही तहसील आमेर में बीलपुर के पास चरागाह भूमि में चन्दवाजी चौमू रोड पर अतिक्रमण करके दुकानें निर्मित की गई हैं सरकार इस अवैध निर्माण को हटाने का इरादा रखती है जिसके लिए तहसीलदार आमेर द्वारा रा. लेन्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखली के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। तहसीलदार आमेर द्वारा बेदखली आदेश पारित किये जा चुके हैं किन्तु जनगणना कार्य में व्यस्तता के कारण अतिक्रमणियों को मौके से बेदखल नहीं किया जा सका है। अब इसी माह में अतिक्रमणियों को मौके से बेदखल करने की कार्यवाही की जावेगी।

एलोपैथिक एवं वेटेनरी डाक्टरों के वेतनमान

357. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या एलोपैथी के डाक्टरों में और वेटेनरी डाक्टरों के सलेक्शन, काम, शैक्षणिक योग्यता आदि करीब-करीब समान हैं ? यदि हां, तो दोनों के वेतनमानों में कितना अन्तर है व इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इस बात को जानती है कि वेटेनरी डाक्टरों के वेतनमान दूसरे राज्यों में अच्छे हैं और इसी कारण से यहां के वेटेनरी डाक्टर ट्रेनिंग लेने के बाद अन्य राज्यों में चले जाते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस विसंगति को दूर करने की क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) एलोपैथी डाक्टरों और वेटेनरी डाक्टरों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग क्रमशः एम. बी. बी. एस. एवं बी. वी. एस. सी. एण्ड ए. एच. हैं। डिग्री कोर्स के अध्ययन हेतु भर्ती की चयन प्रक्रिया एवं शैक्षणिक योग्यता समान हैं। एलोपैथी डाक्टरों का वेतनमान 2200-4000 रुपये और वेटनरी डाक्टरों का वेतनमान 2000-3500 रुपये है। वर्ष 1968 से पूर्व एलोपैथी डाक्टरों एवं वेटेनरी डाक्टरों के वेतनमान समान थे, किन्तु राणावत आयोग की रिपोर्ट के बाद उनमें अन्तर हो गया। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में विसंगति दूर करने का आश्वासन दिया जा चुका है।

(2) जी हां। वेतनमानों में कथित विसंगति संबंधी प्रतिवेदनों की जांच कर वांछित अभिशंसा करने हेतु राज्य सरकार ने समता समिति का गठन किया है जो ऐसे मामलों में राय देगी। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के पशु चिकित्सालय

358. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितने पशु स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों द्वारा गत दो वर्षों में कितने पशुओं की नस्ल सुधारी गई एवं कितनों को दवाई बांटी गई तथा कितने पशुओं को टीके लगाये गये ?

(श्री रामस्वरूप)

(3) गत दो वर्षों में इन चिकित्सालयों को कितना बजट दिया गया और किस-किस मद में खर्च हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कोई पशु स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है क्योंकि पशु स्वास्थ्य केन्द्र केवल मरु क्षेत्रिय जिलों में ही मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले गये हैं।

(2) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा गत दो वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण—

वर्ष	औषधि वितरण	टीकाकरण	नस्ल सुधार
88-89	12,162	7,422	नस्ल सुधार कार्यक्रम इसी
89-90	10,093	12,615	वर्ष प्रारम्भ किया गया है।

(3) विभाग द्वारा पशु चिकित्सा संस्थावार बजट नहीं दिया जाता है। बल्कि जिले में कार्यरत सम्पूर्ण संस्थाओं हेतु इकजाई बजट जिला अधिकारी को दिया जाता है। अतः टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्सालयों हेतु आवंटित बजट एवं खर्च का विवरण पृथक से देना सम्भव नहीं है।

चम्बल सिंचित क्षेत्र के किसानों का ऋण माफी

359. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) चम्बल सिंचित क्षेत्र में भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन किसानों पर कितना ऋण सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों एवं राजस्थान भूमि विकास निगम का शेष हैं ? कर्जा-मुक्ति अभियान के अन्तर्गत कितने किसानों को कितना ऋण माफ किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र के किसान भूमि-सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन पर थोपे गए कर्जे का विरोध कर रहे हैं ?

(3) क्या सरकार इस ऋण से किसानों को मुक्त करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास में भूमि सुधार कार्यों हेतु राजस्थान भूमि विकास निगम ने 2-10-89 तक 16709 कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया था। निगम का इन कृषकों में 2-10-89 तक 1301.71 लाख रु. बकाया है (मूलधन व ब्याज के) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सीधे ही उपलब्ध कराये गये ऋणों की सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(2) जी, हां।

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

(3) जी हां। मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। ऋण मुक्त कराने के लिए अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

चम्बल की दायीं मुख्य नहर की जल प्रवाह क्षमता

360. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल की दायीं मुख्य नहर में कितना जल प्रवाहित होने की क्षमता है ? इसमें अब कितना जल प्रवाहित होता है ?

(2) इस जल में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है ?

(3) राजस्थान के हिस्से के जल का कितना उपयोग फ्लो इरिगेशन में व कितना लिफ्ट सिंचाई में होता है ? शेष बचे हुए जल का सरकार क्या उपयोग करने का सोच रही है ?

(4) क्या राजस्थान प्रदेश के हिस्से के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति की आवश्यकता है ?

(5) क्या दायीं मुख्य नहर पर निर्मित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए पूर्व में भी मध्य प्रदेश से अनुमति ली थी ?

(6) क्या चम्बल की नहरों पर ओरिजनल प्लान में लिफ्ट सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित थीं ?

उत्तर

(1) चम्बल दायीं मुख्य नहर का डिजाइन हैड से 6656 क्यूसेक्स निस्तारण हेतु किया गया था। इसमें हैड से निस्तारण करीब 6100 क्यूसेक्स होता है।

(2) डिजाईन के अनुसार दायीं मुख्य नहर के 6656 क्यूसेक्स हैड डिस्चार्ज में से 4256 क्यूसेक्स मध्यप्रदेश के भागांश में आता है। अमुक अवधि में मध्यप्रदेश को दायीं मुख्य नहर में से कितना पानी उपलब्ध करवाया है, इसका निर्णय राजस्थान मध्यप्रदेश अन्तर्राज्यीय जल एवं ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड की स्टेंडिंग कमेटी संख्या-2 द्वारा समय-समय पर तय किया जाता है।

(3) दायीं मुख्य नहर में पूर्ण डिजाइन क्षमता के अनुसार बचा हुआ पानी 2400 क्यूसेक्स रहता है जिसमें से 130 क्यूसेक्स सोख में जाता है एवं 2090 क्यूसेक्स फ्लो इरिगेशन की नहरों में तथा 100.12 क्यूसेक्स वर्तमान में चल रही लिफ्ट नहरों में तथा 151.63 क्यूसेक्स क्षमता की लिफ्ट नहरें निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार काम में आने वाला कुल डिस्चार्ज 130 +2090+ 100.12+ 151.63 =2471.74 क्यूसेक्स हैं, जबकि दायीं मुख्य नहर में राजस्थान का हिस्सा 2400 क्यूसेक्स ही हैं। अतः दाई मुख्य नहर की पूर्ण डिजाइन क्षमता में से भी कोई पानी नहीं बचता, बल्कि डिजाइन क्षमता से भी अधिक उपयोग निर्धारित हो चुके हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

(6) जी, हां।

तहसील मुख्यालय पर डेयरी प्लांट स्थापित करने के मापदंड

361. श्री फूलचन्द : (नीम का थाना) क्या डेयरी/दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील मुख्यालय पर डेयरी प्लांट लगाने के क्या मापदण्ड हैं ?

(2) क्या नीम का थाना उपखण्ड में उक्त प्लांट लगाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस स्थान पर व कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डेयरी प्लांट लगाने का मुख्य मापदण्ड उस क्षेत्र में उपलब्ध अतिरिक्त दुग्ध की मात्रा, दुधारू पशुओं की संख्या, स्थानीय दुग्ध बिक्री की मांग आदि को मद्धे नजर रखकर दुग्ध अवशीतन केन्द्र, स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं।

(2) जी नहीं। सीकर जिला, दुग्ध संघ द्वारा नीम का थाना उपखण्ड, का प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया था एवं पाया गया है कि इस क्षेत्र में डेयरी संयंत्र अथवा दुग्ध अवशीतन केन्द्र खोले जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में दुग्ध नहीं है। अतः नीम का थाना उपखण्ड में डेयरी संयंत्र लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में रींगस में स्थानीय राइस फैक्ट्री पर दुग्ध ठंडा करने की सुविधा उपलब्ध है।

राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या

362 श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में दुधारू पशुओं की कितनी संख्या है ? और उनसे कितना दूध डेयरियों को प्राप्त होता है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में स्थापित प्रत्येक डेयरी की क्या उत्पादन क्षमता है और उसका कितना प्रतिशत उपयोग हो रहा है ? डेयरीवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) पूरी क्षमता का उपयोग न होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) पशु गणना वर्ष 1988 के अनुसार राजस्थान में दुधारू पशुओं की संख्या 3625780 है। वर्ष 1990-91 में (अप्रेल से दिसम्बर, 90 तक) कुल 945.44 लाख लीटर दुग्ध डेयरियों को प्राप्त हो रहा है। जिलेवार दुधारू पशुओं की संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" पर तथा वित्तीय वर्ष 1990-91 (अप्रेल से दिसम्बर, 90) में दुग्ध प्राप्ति की मात्रा परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) राज्य में स्थापित प्रत्येक डेयरी संयंत्र की विधायन क्षमता एवं वर्ष 1990-91 (अप्रेल से दिसम्बर, 90) में दुग्ध एवं

(62)

(डेयरी विकास मंत्री)

उसका उपयोग (प्रतिशत में) का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) दुग्ध संकलन की मात्रा कम होने के कारण डेयरी संयंत्रों की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कल दिनांक 6 मार्च, 1991 को मध्याह्न 12-22 बजे सदन की दर्शक दीर्घा से निम्नांकित व्यक्तियों ने, जिन्होंने अपना नाम, वल्दियत, पता व कार्य व्यवसाय निम्न प्रकार प्रकट किया है :—

	नाम	पिता का नाम	पता	व्यवसाय कार्य
1.	श्री दिनेश शर्मा	श्री आर. एन. शर्मा	78, भट्टों की गली	व्यवसाय कोस्टिंग
2.	श्री सुभद्र पापड़ीवाल	श्री एस. बी. जैन	1905 श्री सदन हल्दियों का रास्ता, जयपुर	व्यवसाय मेडिसन
3.	श्री सैयदशाह नवाज अली	श्री एस. एम. अली	1769, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	छात्र
4.	श्री कुलदीप शर्मा	श्री अशोक शर्मा	सी-178 बजाजनगर जयपुर	अध्ययनरत छात्र रा. वि. वि.

दर्शक दीर्घा में खड़े होकर निम्नांकित नारे लगाये।

1. शर्म करो-शर्म करो

2. दल बदलुओं शर्म करो

3. 'गरीब जनता के साथ अन्याय नहीं सहेंगे,।

4. 'राजीव गांधी जिन्दाबाद' इत्यादि

इस प्रकार नारे लगाकर इन व्यक्तियों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर सदन की अवमानना की है। इन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रहरियों द्वारा आसन की आज्ञा से तुरन्त ही हिरासत में ले लिया गया।

कल दिनांक 6-3-1991 को विस्तृत वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1991-92 के उपस्थापन के पश्चात् सदन की कार्यवाही 12.34 म. प. दिनांक 7 मार्च, 1991 के प्रात: 11 बजे तक के

(श्री अध्यक्ष) :

लिए स्थगित कर दी गई थी जिसके पश्चात् मैंने इन व्यक्तियों को अपने वेश्म में बुलाकर उनसे जानकारी प्राप्त की व बयान लेखबद्ध किये। ऐसे नारे लगाना उन्होंने स्वीकार किया, साथ ही उन्होंने यह भी प्रकट किया है कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि दर्शक दीर्घा से नारा लगाने से सदन की अवमानना होती है। अपने इस कृत्य से सदन की अवमानना होने के लिए बिना छल-छद्म के खेद व्यक्त किया है।

सदन की इस संबंध में क्या राय है?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प करता है कि इन व्यक्तियों ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है लेकिन जिस प्रकार से अपने कृत्य पर खेद व्यक्त किया है इस संबंध में मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें क्षमा कर दिया जाये।

डा चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक मंत्री भी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सदन की अवमानना की है और हमारे खिलाफ अनर्गल आरोप लगाये हैं। हमने पर्सनल एक्सप्लेनेशन का नोटिस भी दिया है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि क्या इनको क्षमा कर दिया जाये।

(स्वीकृत)

क्षमा किया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

डा. चन्द्रभान : पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : पहले सुन लीजिए।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि....

श्री केदारनाथ शर्मा : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्यों पर आक्षेप लगाने संबंधी

अध्यक्ष जी, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि यह इश्यु बहुत ही डेलीगेट और सेन्सिटिव है कि 25 तारीख को अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर; उसका भाषण कहूं या क्या कहूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है—कुछ माननीय सदस्यों के खिलाफ वाइल्ड एलीगेशन्स, मेलेशियस एक्यूजेशन किया जो रूल्स का वायोलेशन था और मैं यह भी समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो खुद का इनका स्टेचर है, वकील हैं, अच्छा बोलते हैं, ह्यूमरस भी हैं और लीगल नॉलेज भी है और पिछले 5-6 साल से बतौर एम. एल. ए. अच्छे भाषण भी दिये और मैं यह चाहता था और मैंने अध्यक्ष जी इनको टेलीफोन भी किया कि अगर आप अपनी स्पीच को पढ़ेंगे तो खुद आप महसूस करेंगे कि हाउस की डिग्निटी को आपने डेमेज किया है। खुद आपका जो पर्सनल इफेक्ट है, पालिटिकल स्टेन्डिंग है आपकी और जो आपकी लीगल नॉलेज है,

(श्री केदार नाथ शर्मा)

जो स्टेटस है उसके खिलाफ भी आपने अन्याय किया है । अध्यक्ष जी, मैं यह समझ सकता था कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, हमें हाउस में अधिकार है आलोचना करने का, हम सटायर भी कर सकते हैं, इनसुलेशन भी कर सकते हैं, इम्प्यूटेशन भी कर सकते हैं और कभी-कभी आयरानीकल एसपर्शन्स भी दे सकते हैं और यह हमारा अधिकार है और इस हाउस की मार्फत हमें कुछ प्रिविलेजेज मिले हुए हैं और रूल्स के तहत में कुछ राइट्स भी मिले हुए हैं। अध्यक्ष जी, उसमें आनरेबल मेम्बर को किसी आनरेबल मेम्बर के खिलाफ रिपगनेन्ट, असाल्ट ऑफ दी प्राइवेसी आफ दी मेम्बर यह अधिकार है। परन्तु उसकी पालिटिकल लाइफ के बारे में बतौर एम. एल. ए. बतौर मंत्री, बतौर जनता दल के नेता के रूप में आपको अधिकार है उसकी आलोचना करने का, उसकी मिसडीड्स, उनकी एथिक्स, उनके फेल्योर्स के बारे में आपको अधिकार है मगर उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में. उनकी एन्सेस्ट्रल हेरिटेज के बारे में और बिलो दी बेल्ट इस हाउस में आप सुनते रहे। हमने प्रोसीडिंग्स का बहिष्कार कर दिया था इसलिए बोल नहीं सके। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे बड़ा अफसोस है कि आप खुद भी बहुत बड़े आलोचक रहे हैं और अपनी विरोधी बेल्ट के बारे में सभी रिमार्क्स इनके बारे में किये हैं, काफी हाट एक्सचेन्जेज हुए हैं, बेलूट लाइन्स भी हुई हैं यहां पर और पांच, पांच और सात, सात दिन धरने भी दिये, छः, छः बार निकाले भी गये हैं मगर मैंने आपके मुंह से कभी ऐसे अनाडिग्निफाइड, डेरोगेट्री और इनडीसेन्ट रिमार्क्स कभी सुने नहीं और आप सुन रहे थे। अध्यक्ष जी, आपने भी दखल नहीं दिया और मुझे अफसोस है कुछ माननीय सदस्य यहां पर मेजों को थपथपा रहे थे। अब मैं उसको स्पीच कहूं या बण्डल ऑफ व्हाइट लाइज कहूं, वाइल्ड एलीगेशन्स कहूं ? में इतना ही आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सम्पत सिंह जी जो आज कृषि मंत्री हैं और मैं सोचता हूं इनका आइन्दा भविष्य अच्छा हो, अच्छे पालियामेन्टेरियन निकलें। अपने आप पढ़ लीजिए आप। उस स्पीच को पढ़कर आप महसूस करेंगे कि आपने गलती की ।....

अध्यक्ष जी, वह अखबारों में छप गई, जो पालिटिकल इमेज है वह डेमेज हो गया, अब आज यहां पर्सनल एक्सप्लेनेशन कोई कीमत नहीं रखता। आप भी एक्सपंज कर दोगे सारी की सारी स्पीच को, उसकी भी कोई कीमत नहीं है। जो डेमेज हो गया, इर्रिपेरेबल है। मैं सोचता हूं आइन्दा ऐसी डायरेक्शन हो, हाउस में कुछ ऐसी परम्परायें हों, परम्परायें तो हैं वैसी, जो रूल्स दिये हुए हैं कि मेम्बर्स को बोलने के वास्ते कौनसे रूल्स आब्जर्व करने चाहियें, पर्सनल एलीगेशन के लिए नोटिस देना चाहिये, आपको लिखकर दें और, अध्यक्ष जी, आप उस वक्त नहीं थे, मुझे विश्वास है कि अगर आप होते तो मेरा ख्याल है रोक देते आप। मगर डिप्टी स्पीकर हमारे यहां बैठे थे, उन्होंने एक दो बार कहा भी, मगर वह स्ट्रेस नहीं कर पाये और अपनी

(श्री केदारनाथ शर्मा)

चेयर का, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाये। उन्हें इन्टरवीन करना चाहिये था, रोकना चाहिये था, उसी वक्त रोक देना चाहिये था और सारी की सारी स्पीच को एक्सपंज कर देना चाहिये था। अच्छा होता कि चेयर से यह डायरेक्शन आती कि माननीय सदस्य अपनी बात को मत दोहराओ आप और इस पर अफसोस जाहिर करो, तो यह चैप्टर क्लोज हो जाता। अध्यक्षजी, माननीय नत्थीसिंह जी के बारे में कौन नहीं जानता। चार बार एम. एल. ए. रहे, दो बार लोक सभा के मैम्बर रहे और लगातार आज भरतपुर की सिटीजन की पालिटिकल लाइन में आपकी स्टेण्डिग हैं। पालिटिकल लाइफ में हमने भी कमियां की हैं, मेरे में बहुत कमी है, मगर मेरी प्राइवेट लाइफ में कितने भी लैप्सेज हों, क्या आनरेबल मेम्बर को यह अधिकार है कि मेरी प्राइवेट लाइफ में लुक डाउन करे। To go into my private life

यह तो कभी सुना नहीं हमने। अगर यह छूट, अध्यक्षजी, मिल गई तो कोई स्पेयर नहीं हो सकेगा। मैं तो, खैर, बैचलर हूं, मैं तो स्पेयर होने के बाद भी नहीं कर सकता। इसलिये ऐसी जो स्पीच है, उसके ऊपर डायरेक्शन आये, हाउस की ओर से कन्डेमनेशन हो और माननीय सदस्य जिनकी हमदर्दी है मुझे, मैं सोचता था कि ह्यूमरस कोई स्टाइल होती वहां पर जो इण्यूएण्डोज है, इंग्लिश में तीन चार लफ्ज हैं, अध्यक्षजी, इन्वेक्टिव्ज, टाइरेड, इण्यूएण्डोज, ये लफ्जों को भी पार कर गये। मैंने डिक्शनरी में देखा कि ये लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं, कौनसी परिभाषा दूं इसको सारे को, तो मेरे पास इस समय कोई लफ्ज नहीं हैं। इसलिये माननीय सम्पतसिंहजी, आप, अच्छा हो यह डिबेट नहीं हो इस पर और मैं माननीय नत्थीसिंह जी को कहूंगा कि अपना एक्सप्लेनेशन छोड़ दें, आप तो इतने ही शब्द कह दो कि मैंने आवेश में आकर ऐसे लफ्ज कहे जो मुझे नहीं कहने चाहिये, जो मेरे स्टेटस के खिलाफ हैं, हाउस की डिगनिटी के खिलाफ हैं, रूल्स का वायोलेशन है और सारी परम्परायें आज तक यहां पर हैं उन सारी परम्पराओं का वायोलेशन है। इतने शब्द अगर कह दो आप तो, मैं समझता हूं, मेरा बोलने का मकसद पूरा हो गया।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य ने....आप प्लीज सिट डाउन। आप बैठिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी : मैं उनके समर्थन की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठिये। आप बैठिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री ईश्वर लाल सैनी : मुझे समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं दूंगा इसमें। अभी आपने जो बात कही है, मैं समझता

(श्री अध्यक्ष)

हूं उस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं उसको सुन लीजिये।

डा. चन्द्रभान अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपको तो बोलने का मौका मैं दूंगा ही यदि आप चाहेंगे तो

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, पहले हमको आप सुन लेंगे तो फिर न्याय दिखेगा। पहले यदि आप हमको सुन लेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय केदारजी ने जो बात कही है पहले उसको आप....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारे 13 साल के राजनैतिक जीवन पर बट्टा लगाने का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : केदारजी ने बड़ी शालीनता से आपकी बात रखी है। आप उसको उसी लाइट में लीजिये। मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य को यह बातें इस सदन में कहनी पड़ी। यह सही है कि उनका और बाकी के कई माननीय सदस्यों का इस विधान सभा का बहुत लम्बा जीवन है। इस विधान सभा में हमने ही मर्यादाएं निर्धारित की हैं, हमने ही कई विषयों की लक्ष्मण रेखा बनाई है और उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं हो इस प्रकार की हम सबने मिल कर चेष्टा की है और उसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान विधान सभा का इतिहास अन्य राज्य विधान सभाओं से कहीं अच्छा है। इसमें चाहे आज हम सत्ता में बैठे हों, उस समय के सत्ताधारी चाहे विपक्ष में बैठे हों, मैं इतना ही कह सकता हूं कि सबका मिला जुला प्रयास था कि किसी भी कारण से इस सदन की मर्यादाएं भंग नहीं हों और सदस्यों के आपस के सम्बन्ध बहुत ही मधुर रहें।

अध्यक्ष महोदय, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि कई बार इस सदन में बहुत ही उत्तेजनात्मक वातावरण बने और उस वातावरण में लोगों को यह भी चिन्ता रही है कि विधान सभा स्थगित होने के बाद या विधान सभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आपस में इसी प्रकार के मन मुटाव बने रहेंगे। लेकिन एक स्पोर्ट्स मैन के नाते विधायकों ने जो बातें कहनी थी वह कही हैं और जिसका उत्तर दिया जाना था, उत्तर दिया है लेकिन आपस के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कभी भी कोई दुराव उत्पन्न नहीं हुआ।

मैं प्रोफेसर साहब से यह कहना चाहता हूं कि इस विधान सभा में यह परम्परा क्यों पड़ी और इसका श्री गणेश क्यो हुआ। यदि श्री गणेश के समय ही, प्रोफेसर साहब, आप बोलते, विपक्ष के माननीय सदस्य बोलते तो इस सदन के वातावरण में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आप स्वीकार करेंगे कि पहली बार....

श्री केदार नाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, आपके बारे में बातें हैं वह अलग से कहेंगे। वह अलग से बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अलग बात कह रहा हूं। मैं कोई उस तरह नहीं कह रहा हूं। मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

मैं बोल रहा हूं न तो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप स्वयं ही बैठे सुन रहे थे, माननीय मुख्य मंत्री।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुन रहा हूं उसकी भी बात कहूंगा मैं। ऐसी बात नहीं है। आज पहली बार राजस्थान की विधान सभा कलंकित हुई है इस बात से कि राज्यपाल महोदय के हाथ से अभिभाषण छीना गया और मुझे....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज है इस बात के ऊपर।

एक माननीय सदस्य : यह दूसरी बार हुआ है।....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गलत बात मत कहो आप। यह आप गलत बात मत कहो। यह गलत बात है आपकी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुखदेव प्रसादजी के साथ क्या हुआ था ? उनका चश्मा गिरा था, उनका फाउण्टेन पैन गिरा था, उनका कुर्ता फाड़ा गया था, सुखदेव प्रसाद जी का (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनके कपड़े फाड़ लिये, उनके कपड़ों में धक्का तक दिये गये, ऐसा कभी नहीं हुआ, जो अबके हुआ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और जो कपड़े फाड़े थे वह मंत्री मण्डल में बैठे हैं आपके, जिन्होंने कपड़े फाड़े वह तो मंत्रि-मण्डल के अन्दर बैठे हैं।....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी, जो कुछ सदन के अन्दर हुआ उसके ऊपर लीपापोती करने की चेष्टा ना करें। मुझे इसके ऊपर सख्त एतराज है, माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर वह बातें शुरू की गई तो पुनः उसी बात की फिर शुरूआत यहां सदन के अन्दर होगी। बेहतर यह होगा कि जो प्रोफेसर साहब ने मुद्दे उठाये हैं उन तक ही अपना उत्तर सीमित रखें। राज्य-पाल महोदय को अगर बीच के अन्दर लाया गया....

श्री अध्यक्ष : अब आप सुन लीजिये पूरी बात।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो पुरानी बातें फिर नये सिरे से उठ कर यहां खड़ी हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मुख्य मंत्री जी। सुनिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन इसलिए कर रहा था, मैं आपसे निवेदन ही नहीं कर रहा था मैं आपसे इस बात की अपेक्षा भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करता हूं कि आप उस समय तत्काल खड़े होकर उस बात की निन्दा करते.... (व्यवधान) लेकिन जिन माननीय सदस्य ने यह बात कही है उनसे मैं यह आशा करता था। आपके, उनके स्तर में बड़ा अन्तर है ...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, यह बात तो सही है।....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और इसलिये मैं प्रोफेसर....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके स्तर में तो कोई अन्तर ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो बहुत....

श्री प्रद्युम्न सिंह : (व्यवधान) नहीं, आपके स्तर में तो कोई अन्तर है ही नहीं। आप इस तरह से नहीं बोलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप नाराज मत होओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मूक दर्शक की तरह सुनते रहे यहां बैठे हुए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज मत होओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं नहीं, आप यहां पर बैठे हुए मूक दर्शक की तरह सुनते रहे। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बहुत बड़े आदमी हैं, प्रोफेसर केदार साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं। मैं आप दोनों की इज्जत करता हूं लेकिन आप मूक दर्शक बैठे हुए सुनते रहे यहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज क्यों हो रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, आपने बड़ी हल्की बात कह दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं, मैंने हल्की नहीं कही है। मैंने अपनी....

श्री प्रद्युम्न सिंह : कि आपके स्तर और उनके स्तर में अन्तर है। आपसे मुझे यह अपेक्षा नहीं थी, आप इस किस्म की हल्की बात कह कर इस बात को टालने की चेष्टा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई हल्की बात....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी समर्थन कर रहे हैं उनके इन क्रियाकलापों का।

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये, पूरी बात ही नहीं सुनी आपने। आप बैठिये।

डा. चन्द्रभान : हम तो यह उम्मीद करते थे कि इनकी भर्त्सना....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : नत्थीसिंह जी को गालियां निकाली हैं, सम्पतसिंहजी, आपको खेद प्रकट करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुनिये, माननीय सदस्य। आप पूरी बात सुनिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो बैठे सुनते रहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुमित्रा जी, कृपया पूरी बात सुन लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, बात तो सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब तो सुन लीजिये आप पहले।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो हमें कहने का अधिकार है न, कि वह बैठे हुए सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और मंत्रिमण्डल के बाकी सदस्य मेजें थपथपा रहे थे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो कहने का हक है ?

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक शेर सुनाना चाहता हूं।.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बैठे बैठे नारे लगा रहे थे, आसन के विरुद्ध नारे लगा रहे थे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक शेर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप कुछ मत सुनाइये। आप सुन लीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक शेर सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : बाद में मौका दूंगा मैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसी मामले पर एक शेर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बाद में सुना देना।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट का है बस।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे एक निवेदन है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक शेर सुना देता हूं। दुश्मनी जम कर करो, दुश्मनी जम कर करो मगर यह गुंजाइश रहे, बाद में जब कभी हम फिर एक हों, शर्मिन्दा न होना पड़े।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह की आपने व्याख्या की है, मेरा उसका कोई मतलब नहीं था। मैं आपका स्तर गिरा हुआ नहीं मानता। मैं इतना सा स्तर के मामले में सोच रहा था कि प्रो. केदार वयोवृद्ध हैं, विधान सभा के बहुत पुराने सदस्य हैं। राजनीति और सदन की मर्यादाओं को अच्छी तरह समझते हैं और मंत्रिमण्डल के साथी भी रहे हैं इसलिए मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनसे आशा करता था कि तत्काल वह खड़े होकर इस बात की निन्दा करते और कहते तो मैं समझता हूं कि सदन में एक सोबर इम्पेक्ट होता और उस इम्पेक्ट के कारण कोई माननीय सदस्य उन मर्यादाओं का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता। मैंने इस आधार पर यह बात कही। अब प्रश्न आया कि इस सदन में इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं स्वयं मानता हूं कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं। माननीय सुमित्रा जी ने भी यही बात कही कि हम सब लोग बैठे सुन रहे थे। अब अगर आप उस समय मेरे स्थान पर होती या इधर की बेंचेज में होती या उधर बैठी होती तो मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि यहां बैठने के बाद एक शब्द भी नहीं सुन रहा था। वह इसलिए नहीं सुन रहा था कि जिधर से बोल रहे थे उधर नारे-बाजी हो रही थी और अध्यक्ष महोदय गवाह हैं इस बात के कि अध्यक्ष महोदय के कमरे में जाकर जब मैंने भाषण सुना तो मैंने खुद आकर यहां कहा कि इस प्रकार की बातें यहां सदन में न हों तो ज्यादा अच्छा है। अन्दर तो कुछ सुनाई नहीं देता। अब आपको क्या-क्या सुनाई दिया और किस प्रकार से सुनाई दिया....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बिना सुने ही मेजें थपथपा रहे थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुन तो लीजिए। उसके लिए हम भी कोई नहीं चाहते कि इस सदन में इस प्रकार का वातावरण बने। मैंने कल या परसों नत्थीसिंहजी से कहा था कि मैं भी कोई अच्छा नहीं समझता कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाय और मैं इस प्रकार की जिद करके बैठ जाऊं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक था तो मैं समझता हूं कि वह भी उचित नहीं होगा। लेकिन वातावरण किस प्रकार का था। उस वातावरण में मैंने तो एक बार नहीं कई बार, नत्थीसिंह जी परिचित हैं, बाकी के लोग भी परिचित हैं कि उत्तेजनात्मक वातावरण में कुछ बातें हो भी जाती हैं और उन बातों के लिए हम केवल एक ही शिक्षा लें कि भविष्य में इसकी किसी प्रकार की पुनरावृति नहीं होनी चाहिए। इसमें आपस में मिलकर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं प्रो. केदार से यही कहना चाहता हूं कि इस संबंध में इस मामले में ज्यादा तूल न दें और अगर नत्थीसिंह जी को किसी कारण से मान-हानि हुई है, उनको वेदना हुई है तो मैं सदन के नेता के रूप में खेद प्रकट करता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा. चन्दभान : अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय ने जो कहा है यह कोई साधारण बात नहीं है, गम्भीर मामला है, पचासों बार आपने एक्सपंज किया है। बड़ा गम्भीर मामला है....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैं व्यवस्था दे देता हूं। पहले व्यवस्थाओं का काम हो जाय इसके बाद आप बोल लेना।

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : पहले इन्होंने रेज किया है। पहले इनका सुन लीजिए। आप बोलिए।

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तारीख 22 को राज्यपाल महोदय के साथ जो-दुर्व्यवहार हुआ उस पर 25 तारीख को मैंने प्रस्ताव आपके समक्ष सदन में.... (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर एक चल रहा है। दूसरा पाइंट आफ आर्डर कहां से आ जाएगा....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले एक तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : माननीय नत्थीसिंह जी, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है जब एक-एक आदमी अपनी बात कह रहा है तो आप सबके साथ क्यों खड़े होते हैं। इनका पाइंट आफ आर्डर अलाउ किसने किया है—I will decide all. इस पाइंट आफ आर्डर पर आप कहेंगे He has a separate point of order. It is not a point of order on a point of order. It is a separate point of order. वह क्या कह रहे हैं, उनको सुनने दीजिए। जब एक-एक आदमी शांति से बोल रहा है। प्रो. केदार साहब ने एक बात कहीं। लीडर ने अपना खेद व्यक्त कर दिया। मैं समझता हूं यह बहुत कंजीनियल एटमॉस्फीयर बन रहा है इसको आप एग्रेवेट करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है जो मर्जी आये सो करिये। मगर जब एक-एक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो सुन तो लीजिए फिर जो आपको करना है, करिये। मैं आपको रोक तो नहीं सकता। अध्यक्ष पर भी जाल फेंक सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप तो अपने एक्स्प्लेनेशन के लिए भी खड़े हो सकते हैं, मांग सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। आप जो मर्जी आये, करिये लेकिन कृपया एक एक आदमी को बोलने का अवसर दीजिए, सुन लीजिए। फिर मैं डिसाइड कर दूंगा।

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहले से मामला चल रहा है उसमें आपने व्यवस्था दे दी है तब तो मैं बैठ जाता हूं, यदि वह मामला समाप्त हो चुका है और अब आप एडजार्नमेंट मोशन पर चर्चा करना चाहते थे इसलिए मेरा पाइंट आफ आर्डर है कि दिनांक 22 को जो राज्यपाल महोदय के साथ दुर्व्यवहार हुआ, सदन की भारी अवमानना हुई। सदन में बहुत ही बुरा दृश्य देखने को मिला उसके बारे में मैंने 25 तारीख को बहुत ही लोकहित के अंदर महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा था उस पर मैंने चर्चा की थी। उसमें आगे चर्चा होनी है इसलिए मैं आपकी व्यवस्था उसके बारे में चाहता हूं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह अवमानना का एक विषय था उसको समाप्त हुआ माना जाय या हम को पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देने का अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। मेरी है अभी तो आप बोल रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सम्पतसिंह जी के भाषण को लेकर यहां पर प्रो. केदार ने पाइंट आफ आर्डर उठाया। जिस प्रकार का भाषण दिया गया, मेरी समझ में ऐसा भाषण नहीं दिया जाना चाहिए था लेकिन जब सदन के नेता ने उसके लिए खेद व्यक्त कर दिया तो मैं समझता हूं उस बात को यहीं समाप्त करना चाहिए और आइंदा सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति नहीं बने।

एक प्रश्न मैं आपको भी निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि उस दिन ढंग से आसन ने कार्यवाही चलाई वह नियम विरुद्ध थी। सदन के नेता महोदय भी इस बात को मानेंगे और अपने नियम स्पष्ट हैं कि किसी विषय को सदन के समक्ष प्रस्ताव के या अन्य रूप में प्रस्तुत किया जाय उस पर चर्चा हो, मतदान हो तो सदन के अन्दर पूर्ण शांति रहनी चाहिए। उसके बगैर सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। इस नियम की अवहेलना करके उस दिन प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। उस पर चर्चा हुई, उस पर मतदान हुआ। बहुत लम्बा अनुभव है, आप जानते हैं....(व्यवधान) मैं अभी उसी पाइंट पर आता हूं। मैंने पांच साल उपाध्यक्ष के रूप में और पांच साल अध्यक्ष के रूप में काम किया। अगर अव्यवस्था होती है तो उसमें आसन को कई तरह के अधिकार हैं। अल्पकाल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। अगर माननीय सदस्य अव्यवस्था फैला रहे हों तो उनको नाम से पुकारा जा सकता है। उनको बहिर्गमन के लिए कहा जा सकता है। सदन की कार्यवाही दूसरे दिन के लिए स्थगित की जा सकती है और पूर्व में सदैव ऐसा हुआ था। केवल एक उदाहरण है जब 83 या 84 में मुखबन्द का प्रयोग किया उस समय आप विपक्ष में थे। आपको एतराज था कि समय बढ़ाना चाहिए। समय शायद बढ़ा भी दिया गया था उसके बाद मुखबन्द जब लाया गया तो जब मांगों को मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाने लगा तो विपक्ष की तरफ से यह आपत्ति आई कि इसमें हम विभाजन चाहते हैं। दो या तीन मांगों पर विभाजन किया गया लेकिन उसके बाद में भी हर मांग पर जब इस तरह की मांग होने लगी विपक्ष की तो उस वक्त आसन ने यह समझा कि यह केवल सदन में बाधा उपस्थित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है तो उस वक्त कुछ अव्यवस्था थी जिसके अंदर मांगों पर मतदान करवाया गया। एक दो मांगों पर मतदान हुआ तब तक आपने रेसिस्ट किया उसके बाद आप बहिर्गमन करके पधार गये और दूसरे दिन आप लोगों ने धरना दिया मुंह पर पट्टी बांध कर कि हमारा गला घोंट दिया गया। वह एक उदाहरण है। वर्ना जब कभी अव्यवस्था इस सदन में हुई है तो कार्यवाही को स्थगित किया है थोड़े समय के लिए, लम्बे समय के लिए लेकिन उस दिन मैंने निवेदन किया, प्रस्ताव आये, उन पर चर्चा हुई, उन पर मतदान हुआ और सदन में पूर्ण अव्यवस्था थी। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से अगर हम कार्यवाही करेंगे या सदन को चलाएंगे तो यह जनतंत्रवाद के ऊपर और संसदीय लोकतंत्र के ऊपर बड़ा भारी प्रहार होगा।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

फिर होगा यह कि एक कोने में मंत्री महोदय या अध्यक्ष जी विराज जाएंगे उनको घेर लेंगे सत्ता पक्ष वाले और कह देंगे—यह भी पारित हुआ, यह भी पारित हुआ। ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। इसलिए 25 तारीख को जो स्थिति बनी, जिस प्रकार से प्रस्ताव आये, मतदान हुआ, चर्चा हुई वह नियम विरुद्ध थी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप इस बात को भविष्य में पूरा ध्यान में रखेंगे यही मेरा निवेदन है।

डा. चन्द्रभान (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह है। मेरे खिलाफ जो भी चार्जेज लगाये गये हैं। मैं मांग करता हूं यह काम मुख्यमंत्री जी पर छोड़ता हूं और यदि मेरे खिलाफ कोई भी चार्ज प्रूव होता है तो मैं आपको मेरा यह इस्तीफा पेश करता हूं और ये जो मंत्री महोदय हैं, इनको हटाने का काम किया जाना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरी बात तो सुनलें। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा यह रही है कि (व्यवधान)

भाई, मैं खड़ी हूं। आप मंत्री हैं तो क्या हुआ, मैं खड़ी हूं। I am in possession of the Floor. अध्यक्ष महोदय, पहले मैं खड़ी थी।

श्री जगमाल सिंह यादव (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं कुछ कह रही थी। ये मंत्री कहां खड़े हो गये। मैं बोल रही थी। मुझे भी बोलने का हक है। मंत्री हैं तो इसका मतलब यह नहीं है। बैठो, बैठो आप। मैं बोल रही हूं।

डा. चन्द्रभान : हिम्मत है तो इस्तीफा दे दो। आप इनको नहीं बोलने देंगे। हम आपको भी नहीं बोलने देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। सुमित्रा जी बोलिये।

डा. चन्द्रभान : हमने आपके साथ काम किया है। हम पर असत्य आरोप लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी विराजिये।

डा. चन्द्रभान : फिर इस्तीफा देने को तैयार हो गये। आप इनको भी हटाइये।

श्री अध्यक्ष : सुमित्रा जी बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है जब कभी किसी सदस्य के मुंह से कोई भी अप्रिय, गाली-गलौच या कुछ असंसदीय शब्द निकले हैं तो उसने स्वयं ने खेद प्रकट किया है। मैं किसी को 50 गालियां निकाल दूं और फिर नत्थी सिंह जी उसके लिए माफी मांगे, मैं समझती हूं यह सदन में न तो आज दिन तक परम्परा रही है और न रहनी चाहिये। क्योंकि जिस व्यक्ति ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है, जिस व्यक्ति ने अपशब्द कहे हैं, गलत चार्जेज लगाये हैं या तो स्वयं वह खेद प्रकट करें। मुख्यमंत्री जी ने खेद इस बात का प्रकट किया है कि वे बैठे रहे और सुनते रहे और टोका नहीं और उन्हें बैठाया नहीं। उन्होंने तो इस बात का खेद प्रकट किया है। इसलिए जब तक कृषि मंत्री जी स्वयं इतने 50 शब्द उन्होंने ऐसे कहे हैं, 62 शब्द ऐसे चुन-चुन करके चुनींदा गालियां भी जो कि सड़क पर खड़े होकर शायद होली पर भी कोई नहीं निकालता होगा, ऐसे शब्द उन्होंने कहे। इसके लिए जब तक स्वयं खेद प्रकट नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं और फिर अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी व्यवस्था जो की जा सकती है। दूसरी व्यवस्था यह है कि आप उनके सम्पूर्ण भाषण को, पूरे के पूरे को एक्सपंज कर दें तो भी हमें कोई एतराज नहीं है और वरना वे स्वयं खेद प्रकट करें नहीं तो हम नहीं मानेंगे।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे खिलाफ, नत्थी सिंह जी के खिलाफ मुख्य मंत्री जी के खिलाफ भी चार्जेज लगाये हैं और इन्होंने कहा है कि श्री अजीत सिंह जी के कहने पर मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत की मेहरबानी से डाक्टर चन्द्रभान की तीन पीढ़ियों का इन्तजाम किया है। मेरी कोई पीढ़ी होगी जिसने शादी नहीं की। मेरे तीन पीढ़ियां कहां से हो जायेंगी। फिर मुख्य मंत्री जी के खिलाफ भी चार्जेज लगाये हैं। आप इस भाषण को पूरा पढ़ने का कष्ट करें। आपने मुख्य मंत्रीजी के ऊपर भी अविश्वास प्रकट किया है।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : कोई तैयार ही नहीं हो तो आप शादी कहाँ से करेंगे ?

डा. चन्द्रभान : यहां भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। सबको एक जैसा समझ रहे हो। यह देश का दुर्भाग्य है। सब एक जैसे नहीं हैं। राजनीति में ईमानदार हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई टकसाल नहीं खुली है जिसमें पड़ने वाला सिक्का मेरे जैसे व्यक्ति के ईमान को खरीद सके (व्यवधान) मैं सम्पत सिंह जी को कहना चाहता हूं कि + + + आप हमारी सम्पति को बताइये तो सही। आपकी और हमारी सम्पति की अदला-बदली हो जाय। आप तो दल की अदला-बदली करते हैं। चलिये मैं आपको कहता हूं जो आपकी सम्पत्ति है और जो मेरी सम्पत्ति है, उसकी अदला-बदली कर लो आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नत्थी सिंह जी बोल रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रसंग में माननीय मुख्य मंत्री की भावनाओं के रूप में जो बात कही है, वह तो ठीक

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नत्थी सिंह)

बात है। हमें उससे कोई गुरेज नहीं है लेकिन आपके रिकार्ड में जो अनर्गल आरोप हम पर लगाये गये हैं, वे मौजूद हैं। आपने बताया कि कुछ गालियां आपने निकाली; हमें मालूम नहीं। छंटे हुए डिक्शनरी में बहुत बढ़िया शब्द हमें पढ़ने को मिले, सुने तो नहीं उस वक्त लेकिन आपकी प्रोसिडिंग्स में पढ़ने को मिले तो मैं कहना चाहता हूं कि वह आरोप हमें एग्जिस्ट करते हैं आप उन्हें निकालते वह बात दूसरी होती है। न तो हमारा अधिकार है कि हम एक-एक आरोप का जवाब दें और यह बतावें कि जिन माननीय सदस्य ने इस तरह की अनर्गल बातें कही हैं, वे कितनी असत्य, कितनी मिथ्या, कितनी निराधार हैं। इसका मौका हमें मिलना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब मैं समझता हूं कि माननीय विश्नोई जी ने, पहले तो केदार जी ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। वह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। उन्होंने अपनी राय रखी है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बहुत ही उदारता के साथ खेद प्रकट करके....

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : श्री सम्पत सिंह जी को खेद प्रकट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी ने जो कुछ कहा। (व्यवधान) अब आप मुझे भी नहीं सुनेंगे। मैं सदन की मर्यादा की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुनने को तैयार नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि जो आप कह रहे हैं, उसमें भी कितना मान लगा हुआ है, इस पर विचार करिये। मैं तो कह रहा हूं, गम्भीरता से कह रहा हूं। पूरी बात को गम्भीरता से सुनकर कह रहा हूं कि श्री पूनम चन्द जी विश्नोई जी ने अपने विचार रखे। वे स्वयं अध्यक्ष पद पर रहे हैं और उनको पता है कि अध्यक्ष की क्या स्थिति होती है। जब दल अपनी-अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी-अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो अध्यक्ष सिवाय हैल्पलेस कुर्सी पर बैठकर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): ऐसे गंदे आरोप लगाते हैं कि मैं समझता हूं कि इस सदन की शोभा नहीं है। (व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के आफिस को मेलाइन करना उनकी कंपीटेंस, उनकी इम्पार्सियलिटी, कंडक्ट आफ केरेक्टर के बारे में कह रहे हैं। हमारी यह खुद की ढील थी....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस पर चर्चा किसी ने नहीं की। कल आपके सामने, सबके सामने एक माननीय सदस्य ने अध्यक्ष को भ्रष्ट बताया, उस समय बैठे रहे सब। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के सदस्य ने आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं इसका प्रतिवाद करता हूं। मैं इसको गलत कहता हूं। उन्होंने एक आरोप लगाकर एक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उदाहरण बताने की बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, आपने 50 शब्द निकाल दिये पूरे भाषण में से। कल को कोई आपको भ्रष्ट कह दे, आप एक्सपंज कर दीजिये, आपसे माफी मांग ले। यह उदाहरण बताकर कहा था कि मैं अपने दल की तरफ से इस बात को क्लेरीफाई करना चाहता हूं। किसी के खिलाफ व्यक्तिगत कोई आरोप इस सदन में लगाने की हमारी भावना नहीं थी। न कल थी और न भविष्य में आपके खिलाफ आरोप लगाने की हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा और वेल्यूज को डिवेल्यूज होने की तो बात होती रही मगर आज तक किस प्राथमिकता से चर्चा की जानी चाहिए थी कि इस सदन का सर्वोच्च पद जो अध्यक्ष का पद है, उसकी गरिमा को सीधा-सीधा लांछित किया गया, बार-बार रिपीट किया गया। जो पहले प्राथमिकता से लिया जाना चाहिये था वह इश्यू सैकेण्डरी हो गया और इसके लिए आप तो आसन पर विराजमान हैं, पर आपकी गरिमा पूरी सदन की गरिमा है इसके विषय में किसी को कोई कंसर्न महसूस नहीं हुआ। मैं सोचती हूं कल भी "अध्यक्ष का भ्रष्टाचार" इस शब्द का यूज हुआ। अध्यक्ष का भ्रष्टाचार और अध्यक्ष खुद इस डिसीजन्स में शामिल हैं। इन सबकी जालसाजी में शामिल हैं। इन शब्दों पर किसी का ध्यान नहीं गया....

(व्यवधान)

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि अध्यक्ष पर जो आरोप लगाया, जो भ्रष्टाचार होने की बात कही गई, सदन के सामने पहले खेद व्यक्त करते यह बात उठने के पहले ही। उदारता तो यह होनी चाहिए थी लेकिन आतें सुन रहे हैं और ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई बात हुई ही नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : (व्यवधान)....मैं ने आज अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में मिलकर यह बात पहले ही क्लेरीफाई कर दी थी जाकर के कि यह हमारी भावना कभी नहीं थी कि माननीय सदस्य ने (व्यवधान)

श्री मदन लाल सैनी : आपने बाहर क्या कहा। अध्यक्ष महोदय से क्या कहा, क्या नहीं कहा। आप अपमान हाउस में करें और चैम्बर में जाकर बात करें, यह बात सहन नहीं की जा सकती। आपको हाउस में माफी मांगनी चाहिये। माननीय सदस्यों ने इस प्रकार का आरोप लगाकर चैम्बर में माफी मांगने जैसा कृत्य नहीं है। वह इस प्रकार की गलत बात है, उसकी क्षमा याचना नहीं होनी चाहिये क्या ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रद्युम्न सिंह जी ने यह क्या बात कही।

श्री मदन लाल सैनी : माननीय सदस्य को यह सहन नहीं हो तो उनके दल के नेताओं को उदारतापूर्वक यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, माननीय डाक्टर चन्द्रभान ने आपके सामने एक लिखित में बयान दिया

(श्री जगत सिंह दायमा)

है कि मैं अगर भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त हूं तो मेरा स्तीफा स्वीकार किया जाय.... (व्यवधान) या तो बोलने दें या फिर सुनें। मैं तो उसके बारे में कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं और डाक्टर चन्द्रभानजी कभी दोनों युवा लोकदल में साथ-साथ काम करते थे।....

श्री नत्थी सिंह : बहस हो रही है क्या ?

श्री जगत सिंह दायमा : सुनिये तो सही। अब सुनिये। अब सुनो आप। आप कहते हो मैं ईमानदार हूं तो सुनो फिर। आप सुनिये मैं ईमानदार हूं तो सुनिये फिर।....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ईमानदार बहुत हैं....

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस वक्त डाक्टर चन्द्रभानजी पार्टी अपनी छोड़ करके जनता पार्टी में चले गये उस वक्त मे नारायण राम बेड़ा तो हुए अध्यक्ष युवा लोकदल के और मैं बना महासचिव। मैंने और बेड़ाजी ने और माहिर आजादजी ने लिख करके इनके पास भेजा कि युवा लोकदल के....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : सुनो।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : पाइंट आफ आर्डर। व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस वक्त माननीय डाक्टर चन्द्रभानजी ने (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के द्वारा कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जगत सिंह दायमा : +++

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : +++ (व्यवधान) +++

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया....

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मुझे चलानी है कि आप चलाओगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे सुन लीजियेगा। माननीय जगत सिंह जी दायमा ने जो कुछ भी कहा है ...

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

78

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं....

डा. चन्द्रभान : मैं कहना चाहता हूं, न केवल माननीय सम्पतसिंह जी के बारे में आरोप थे —

श्री हीरालाल आर्य : आसन की गरिमा को +++ और गलत प्रकरण के आरोप लगा कर जिन लोगों ने आसन की गरिमा को नष्ट किया है, आसन की गरिमा को समाप्त करने का प्रयास किया है, जिन लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने में बाधा पहुंचायी है, उनका मान घटाया है, उनके अभिभाषण को फाड़ करके फेंक दिया है। ऐसे लोग इस प्रकार की बात यहां करते हैं, पहले इनको अपने कुकृत्यों पर माफी मांगनी चाहिये अध्यक्ष महोदय, तभी जाकर के इनको नैतिक अधिकार है कोई बात कहने का। इससे पहले....

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : अभी तो शुरुआत है। आपने जो जांच की मांग की है आरोपों की शुरुआत तो आपके पुराने साथी कर रहे हैं और नये साथियों का नम्बर लगेगा चन्द्रभानजी उस समय एक नहीं कई गिनतियां हो जायेंगी।

श्री जगत सिंह दायमा : और माननीय नत्थीसिंह जी के बारे में कहना चाहूंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बात को टाल क्यों रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री जगत सिंह दायमा : हम प्रूफ देंगे इस बात का कि+++

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जगत सिंह दायमा : उसका हम प्रूफ देंगे।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : हम प्रूफ देंगे।

एक माननीय सदस्य : मान नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री मदन लाल सैनी : सहकारी समितियों का सवाल हो....(व्यवधान) इतने आरोप लगे हैं....(व्यवधान)+++

एक माननीय सदस्य : आपकी व्यवस्था मान ही नहीं रहे हैं।....

श्री अध्यक्ष : कृपया आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : हम प्रूफ देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपितकी गई।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी आपके....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजो । आप बैठिये पहले । एक मिनट । एक मिनट बैठिये ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे कार्यकर्ता रहे हैं । यह जो भी चार्ज लगा रहे हैं, मैं हर चार्ज की जांच करवाने के लिए तैयार हूं । यह मेरे कार्यकर्त्ता रहे हैं ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये । विराजिये । प्लीज । बैठिये ।।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इनको....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कृपया बैठे ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन.... (व्यवधान)

एक मिनट । मैं खड़ा हूं, अब आप बैठिये । मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी सदस्य खड़े होकर जो भी सदन में नियम विरुद्ध या नियम के विपरीत कार्यवाहियां होती है उसकी निन्दा कर रहे हैं । अच्छा होगा कि आप सारे नेता सभी दलों के मेरे चैम्बर में मिल करके इस सम्बन्ध में विस्तार से सारी बातों पर विचार कर लें । क्योंकि दोनों ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे सवाल उठाये गये हैं, जिनका निराकरण इस सदन में बहस से हो नहीं सकता और सम्भव नहीं है । मैं अब आगे इस सम्बन्ध में कोई बहस नहीं करूंगा और नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे मेरे चैम्बर में आकर इस सम्बन्ध में बातचीत कर लें ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जांच आप करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को ...

डा. चन्द्रभान : मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी जांच का क्या होगा ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजियेगा पहले । प्लीज सिट डाउन ।

डा. चन्द्रभान : यह जो चार्ज लगा रहे हैं, इसकी जांच होगी या नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष : पहले सुनिये तो । व्यवस्था देता हूं । पहले व्यवस्था सुनिये । (व्यवधान) व्यवस्था सुननी है कि नहीं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : नो पाइंट आफ आर्डर ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नो पाइंट आफ आर्डर, क्योंकि कोई बिजनेस नहीं चल रहा है हाऊस में । There is no business in the House Therefore, there is no point of order. Sit down please, No point of order.

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है

(1) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के उत्तर पश्चिम जिलों में शीत लहर और ओलावृष्टि से रबी की फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण आम जनता को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।

(3) श्री ईश्वर लाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले की तहसील लक्ष्मण गढ़ के ग्रामों में अत्यधिक ओलावृष्टि से खड़ी फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरिसिंह एवम् 5 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 20 दिसम्बर, 1990 को जयपुर में नेपाली नौकर संत बहादुर की मालिक के घर में हुई रहस्यमय मौत के सम्बन्ध में नेपाली सेवा समाज संघ में व्याप्त भारी आक्रोश के सम्बन्ध में।

(5) श्री जनार्दन सिंह गहलोत व 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डोन शहर में हाल ही में दो जातियों के लोगों में हुये झगड़े से जनधन की हुई क्षति के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 22 फरवरी, 1991 को झुंझूनूं जिले में हुई भयंकर ओलावृष्टि से पकी हुई फसल के पूर्णरूप से नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(7) डाक्टर चन्द्रभान व दो अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 27-28 जनवरी, 1991 की रात्रि को राजस्थान पुलिस द्वारा शाहपुरा के समीप बीलवाड़ी मोड़ पर तीन व्यक्तियों की हत्या कर दिये जाने से उक्त क्षेत्र में व्याप्त तनाव के सम्बन्ध में।

इसी विषय पर दिनांक 25.2.91 को सर्व श्री ईश्वर लाल सैनी व 3 अन्य सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत की थी जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आज वक्तव्य दिया जा रहा है उस समय माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि दिनांक 25.2.1991 को प्राप्त स्थगन प्रस्तावों में से निम्न के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है—

(8) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर व 18 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से फसल बीमा योजना को पुनः अविलम्ब

(श्री अध्यक्ष)

प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि फसल बीमा योजना के तहत 2/3 राशि का भार केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है व 1/3 राशि का भार राज्य सरकार को करना पड़ता है। कृषक से इस योजना में 2 प्रतिशत ही प्रीमियम लिया जाता है जबकि जोखिम काफी अधिक होता है। इसी कारण 1985-86 में लागू की गई इस योजना को वित्तीय भार वहन करने की स्थिति में नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। वित्तीय कारणों से इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका। अभी भी यह योजना विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(9) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को आतंकित व परेशान किये जाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि स्थगन प्रस्ताव में बताये गये दो ग्रामीणों को दिनांक 20-1-1991 को प्रातः दबिश देकर पकड़ा गया था। इन गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों को यातना देने के सम्बन्ध में जांच पुलिस द्वारा व उप जिलाधीश, बूंदी द्वारा धारा 176 के तहत की जा रही है। न्यायिक प्रक्रिया भी इस केस में चालू है, ऐसी स्थिति में कोई टिप्पणी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। विभागीय कर्मचारियों ने राज्य हित में कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(10) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में साम्प्रदायिक दंगों के कारण गौरवपूर्ण सहिष्णुता व भाई चारे की भावना कलुषित हो जाने तथा इन दंगों की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है कि सभी साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने स्थिति को सम्भालने के पूरे प्रयास किये। जहां बल प्रयोग की आवश्यकता थी वहां बल प्रयोग किया गया। अर्द्ध सैनिक बलों की सहायता भी ली गई और केन्द्रीय बलों की भी सहायता ली गई। राज्य सरकार ने दंगा पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने की तुरन्त व्यवस्था की। ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रवासी राजस्थानियों की जान माल की सुरक्षा एवं राजस्थान में उद्योग स्थापित करने एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में जैन मंदिरों से मूर्तियों की चोरियों की वारदातों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ के डग विधान सभा क्षेत्र के दुधालिया ग्राम में

(श्री अध्यक्ष)

शीत लहर से पान की खेती नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निम्बाहेड़ा में जे. के. सीमेंट फैक्ट्री से उत्पन्न वायु प्रदूषण से फैल रही बीमारियों एवं फसल के नष्ट होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स, उदयपुर की अकुशल प्रबन्ध व्यवस्था के कारण श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(6) श्री बी. डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में आवासीय एवं व्यावसायिक भू-खण्डों पर पुलिस की मदद से हो रहे नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में।

(7) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में राज्य सरकार द्वारा घोषित पनघट योजना की क्रियान्विति किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 25 फरवरी, 1991 को सदन द्वारा पारित अभिभाषण के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :—

"अ.शा. पत्र संख्या: एफ. 15 (1) राव/87-88/840

दिनांक: 26 फरवरी, 1991

श्री अध्यक्ष महोदय,

आपका अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या एफ-2 (सदन) 3/9/16974 दिनांक 25 फरवरी, 1991 प्राप्त हुआ।

माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिये मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरा कृतज्ञता ज्ञापन माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवन्निष्ठ,

ह०

(डी. पी. चट्टोपाध्याय)"

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में आरोप-प्रत्यारोप

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में जिस प्रसंग को लेकर अभी चर्चा हुई और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उसका एक तरह से समाधान करने की कोशिश की। मैंने अर्ज किया था कि प्रोसीडिंग्स में वह गालियां, वह आरोप, जो कि सम्बन्धित मंत्री महोदय ने, मंत्री हैं सदस्य नहीं, सदस्य ने तो एक शब्द भी इसके बारे में कहा नहीं, मंत्री महोदय ने लगाये हैं, इस सदन में जो दुबारा दूसरे मंत्री महोदय द्वारा आरोप और लगाये गये हैं, ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि इस प्रश्न पर पहले चर्चा करें। चेम्बर में क्या चर्चा करेंगे, कब चर्चा करेंगे ? मैंने तो आपको 26 तारीख को निवेदन किया था टेलीफोन से कि इस

(श्री नत्थीसिंह)

मामले में हम 6 तारीख को बोलेंगे। आपने कहा 6 तारीख को तो बजट है। उस वक्त हमारे लोगों में बहुत उत्तेजना थी। फिर भी 6 तारीख की हमने मान ली आपकी बात और हमने कहा था कि 7 तारीख को सबसे पहले इस विषय पर, जो कलंकित किया गया है विधान सभा के इतिहास को, विधान सभा के रेकर्ड को, उस विषय पर चर्चा होगी। उस चर्चा में जब गालियां दी जा रही थीं, उस सम्बन्ध में एक भी शब्द सम्बन्धित सज्जन द्वारा, माननीय विधायक द्वारा कहा नहीं गया। दूसरों ने आरोप लगाये हैं, उसका जवाब हम देंगे। मैं चाहता हूं हमें पूरी बात कहने का मौका दिया जाये पहले, और उसके बाद में दूसरी कार्यवाही आप लें। इसलिये जो बातें कही गई हैं इस सदन में, मैं उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री जगमाल सिंह यादव : अलाउ कर दिया क्या आपने ?

श्री नत्थी सिंह : अलाउ हो गया।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपकी तरफ से एक प्रस्ताव आ गया....

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दिया था तारीख 26 को। यह मामला इतना हलका फुलका नहीं है। इसलिये निश्चित रूप से हम इसको उठायेंगे। आपने आश्वासन दिया था और कहा था कि 7 तारीख को लेंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपकी तरफ से प्रस्ताव आ गया कि माननीय नेता महोदय, विपक्ष के नेता महोदय, और सम्बन्धित नेता महोदय आपकी चैम्बर में बैठकर इस विषय पर विचार कर लें, तो यह बहुत अच्छा सुझाव है। मैं समझता हूं कांग्रेस के सचेतक महोदय भी इससे सहमत हैं, श्री हेतराम भी सहमत हैं, माननीय विश्नोई साहब भी सहमत हैं, हमारे दल के माननीय नेता मुख्य मंत्री जी भी सहमत हैं, तो इसके बारे में चेम्बर में विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं इसके बारे में अपन वहां चर्चा कर लेते हैं और यह तय हुआ तो फिर आपको भी स्पष्टीकरण करने का मौका दिया जा सकता है।

डा. चन्द्रभान : तब तक स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अपन बात कर लेते हैं। दिन भर रहेगा फिर भी आपको स्पष्टीकरण करने के लिये मौका देने के लिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : तब तक के लिये स्थगित कर दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : हाउस की कार्यवाही चलती रहेगी, अपन वहां पर बैठ कर बात कर लेंगे। ऐसा होता रहा है। स्पष्टीकरण हमेशा कार्यवाही के बीच होता रहा है। आपका भी हो जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इसको इतना मामूली न लें। इस सदन में

(श्री नत्थीसिंह)

कभी भी इस तरह की गालियां नहीं आयीं। पिछले इतिहास में, जब से 1952 में विधान सभा बनी है, आज तक कभी ऐसी गालियां नहीं आई हैं रेकर्ड पर। और हमें तो पता नहीं, हाउस में सुना नहीं, पर हमने सुना है आपने निकाल दिये पचास शब्द। मुझे तो मालूम नहीं, इस सदन में तो कोई चर्चा हुई नहीं। इतनी बड़ी बात हुई है, इस सदन की इतनी बड़ी अवमानना हुई है, और उस पर हम कोई बात नहीं कहें? इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि या तो हमें अभी इजाजत दे दी जाय, वहां पर आप बात कर लें....

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) सदन की अवमानना की गयी है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है जो आपके विचाराधीन है....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : (व्यवधान) + + +

श्री मदनलाल सैनी : राज्यपाल के हाथ से अभिभाषण छीना गया है, माइक हटाया गया है। यह सदन की अवमानना नहीं है? यह घिनौनी घटना है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : यह नत्थीसिंह जी बढ़-बढ़ कर बोल रहे हैं एक आरोप इन के खिलाफ मैं भी इस हाउस में लगा रहा हूं। + + + (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिना किसी नोटिस के माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं यह सदन की परम्पराओं के बिल्कुल विपरीत....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : + + +

श्री नत्थीसिंह : हमारे खिलाफ आरोप लगे हैं वह असत्य हैं....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : + + + (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपने जो सुझाव दिया था, वह ठीक है। सारे नेता बैठ जायें और विचार कर लें।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था उस जांच के बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : उस जांच में क्या होगा?

डा. चन्द्रभान : यह पहले तो कहते रहे सरकार में और अब पार्टी के अन्दर आ गये। इन को लगा कि सरकार में कुछ नहीं है तो पार्टी पर बोलें....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अभी आपके सामने निवेदन किया था उस पर आसन से जो भी निर्णय होने वाला है....

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको निवेदन कर दिया है कि मैं अभी चेम्बर में जा रहा हूं, आप भी वहां आ जायं। वहां बैठकर निर्णय हो जायेगा।

डा चन्द्रभान : तो, अध्यक्ष महोदय, जब तक आप चेम्बर में पधारें तब तक के लिए हाउस को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय +++ (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, अब आपके सामने फिर आरोप लगाये गये हैं (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, दो तीन मंत्रियों ने बिना लिखित में सूचना दिये हुए यह जो आपके सामने लोगों पर आरोप लगाये यह तो गलत है। या तो सब को स्पष्टीकरण देने का मौका दीजिए....

श्री अध्यक्ष : मैंने इसलिए ही आपको निवेदन किया था....

डा. चन्द्रभान : चेम्बर में बात नहीं होगी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं मना कब कर रहा हूं। मैंने कभी मना नहीं किया। केदारजी ने जो प्रस्ताव रखा और विश्नोईजी ने जो कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा उसके बारे में आप चैम्बर में मिल लीजिए। फिर आप सब जो तय करें मुझे आपत्ति नहीं होगी। स्पष्टीकरण देने के लिए मैं कभी आपको रोकूंगा नहीं। माननीय केदारजी का प्रस्ताव आया है, उन्हीं की पार्टी की ओर से आया है। एक बात तय हुई है, इस सदन में हुई है तो उस पर आप विचार तो कर लीजिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आरोप चेम्बर में तो लगते नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय चन्द्रभानजी, यह आप सारी सीमा तोड़ रहे हैं। प्लीज सिट डाउन। आप सारी सीमा तोड़ रहे हैं। आप बार-बार खड़े हो जाते हैं और फिर और लोग खड़े होते हैं... (व्यवधान) करेंगे आप सब लोग करेंगे तो। इसलिए आप चुपचाप बैठे रहिए ना। शांति से काम चलने दीजिए।

(1.00 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

डा चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय जो कुछ भी हुआ था आपके सामने 25 तारीख को हुआ था। जब तक हम को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का मौका नहीं देंगे तब तक हाउस को चला पाना आपके लिए सम्भव नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन से व्यवस्था हो गयी है व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की....

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

डा. चन्द्रभान : अभी फिर दुबारा आरोप लगाये गये हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : +++ क्या उस में सदन की मानना थी ?

डा. चन्द्रभान : लोकदल में इनका दो पैसे का कण्ट्रीब्यूशन नहीं और लोकदल पर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : +++ क्या सदन की अवमानना नहीं है....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : वह किसने शुरू किया था ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नेता महोदय स्पीकर साहब के चेम्बर में जाकर चर्चा कर लें। चर्चा उठाने की मना नहीं है। आपको स्पष्टीकरण देने का पूरा अधिकार है। वह अधिकार सुरक्षित है लेकिन वह कब उठाया जाय, कैसे उठाया जाय, इस बारे में अध्यक्ष महोदय से चर्चा करना बेहतर होगा, यही परम्परा हमेशा रही है और इस परम्परा का निर्वहन किया जाना चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जो आरोप अभी सदन में लगाये गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : उनके बारे में भी आप अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में चर्चा कर लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण बिना आधार के आरोप लगायें, बिना नोटिस दिये हुए आरोप लगायें और आप उन को मौका नहीं दें....

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का सभी को अधिकार है। वह अधिकार सुरक्षित है, उसे अध्यक्ष महोदय ने छीना नहीं है। लेकिन आप स्पष्टीकरण दें उससे पहले प्रोफेसर साहब बोल चुके हैं, सदन के नेता बोल चुके हैं और, और माननीय सदस्य भी बोल चुके हैं। अध्यक्ष महोदय से तय करा लीजिए कि कब और कैसे मौका देंगे और यह विषय कैसे उठाना है। अब यह विषय समाप्त हो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। श्री लक्ष्मीनारायण....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है। वह निवेदन यह करना है कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था ओलावृष्टि के बारे में। उस पर अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि सरकार को भिजवाया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार कब तक उसके बारे में जानकारी हमें देगी ? वह कृपया आप तारीख बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : उम्मीद तो यह की जाती है कि सरकार जल्द से जल्द जानकारी दे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ओलावृष्टि के मामले में जल्द से जल्द से काम चलेगा नहीं। तारीख बताइये।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से मालूम करके सूचित कर दिया जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, तारीख तय कीजिए ना। किसान का करोड़ों का नुकसान हो गया, भयंकर ओलावृष्टि हुई है सम्पूर्ण फसल का सत्यानाश हो गया।

सुश्री पुष्पा जैन (अकाल राहत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया कुछ कह रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोलिए, फरमाइये।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक जांच के विषय में निवेदन किया था।

श्री उपाध्यक्ष : एक विषय खत्म होने दें।

डा. चन्द्रभान : कौन-सा विषय ? पहला विषय यही है। सदन की अवमानना का सवाल है। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की इजाजत दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको निवेदन किया आप अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जाकर तय कर लीजिए। आपका स्पष्टीकरण देने का अधिकार सुरक्षित है।

डा. चन्द्रभान : अखबारों के अन्दर आरोप छप जाते हैं। हम चेम्बर में जाकर क्या करेंगे ? आपके सामने आरोप लगे हैं। 50 शब्द एक्सपंज हुए हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : पहली बार इस प्रकार के आरोप लगे हैं। आप इस बारे में जांच के सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय से तय कीजिए....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप आसन पर बैठे हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं आपसे कि जो कृषि मंत्रीजी ने चार्ज लगाये थे उसके बारे में फैसला आसन ने दे दिया कि वह उनके चेम्बर में जाकर बातचीत करके ही उस पर आगे तय होगा। लेकिन जो अभी-अभी चार्जेज स्टेट मिनिस्टर जगतसिंह दायमा ने लगाये हैं डा. चन्द्रभान के खिलाफ....

एक माननीय सदस्य : दुबारा क्यों दोहरा रही हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और जो भंवरलालजी ने लगाये हैं....(व्यवधान) इस तरह से + + +, की क्या आवश्यकता है ? बात सुन लीजिए।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया की बात सुन लीजिए।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए है उन को कम से कम यह हिदायत दें कि इस तरह चाहे जब चाहे जो कुछ बोल देते हैं। आखिर जिम्मेदार पद पर बैठे हैं उनको जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की तो सभी सदस्यों से यही अपेक्षा है कि वे अच्छा आचरण करेंगे।

श्री मदनलाल सैनी : आपका ध्यान अब जागृत हुआ है। आपका ध्यान उस समय जागृत नहीं हुआ जब आप ट्रेजरी बेंचेज पर बैठती थीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपकी तरह +++

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग करें, माननीय सदस्य।

डा चन्द्रभान : झुंझुनूं में ही ओलावृष्टि हुई है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आज जो नये चार्ज लगाये गये हैं, अभी-अभी लगाये गये हैं, उसके बारे में स्पष्टीकरण करने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में भी जिस किसी के खिलाफ चार्ज लगाये गये हैं उसके बारे में भी वह अधिकार सुरक्षित हैं जिस तरह 25 तारीख के चार्जेज में सुरक्षित हैं इस विषय पर भी आप अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर लें।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर हैं। 276 में बिना नोटिस चार्ज नहीं लगाये जा सकते हैं और वह लगाये जा रहे हैं तो इसकी कोई व्यवस्था आसन नहीं करेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : सही हैं वह लगेंगे।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई भी चार्ज लगाते रहें और हम सुनते रहें यह सम्भव नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सहयोग करें।

डा. चन्द्रभान : यह कभी मंत्री की बात करते हैं कभी लोकदल की बात करते हैं, कभी जनता दल की बात करते हैं, कभी जनता पार्टी की बात करते हैं। इन लोगों ने कभी एक पैसा दिया नहीं लोकदल में। हम ने चौधरी चरणसिंह को एक लाख रुपए की थैली भेंट की थी।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सम्पतसिंह : मैंने आपके चुनाव में पांच हजार दिये तब आपको पांच सौ वोट आये।

डा. चन्द्रभान : हम तो 30 हजार वोटों से जीत कर आये हैं। आपकी तो जमानत जब्त हुई थी।

श्री सम्पत सिंह : बाई इलेक्शन की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा सभी दलों के नेता महोदय से आग्रह है।... माननीय सदस्य, माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह फिर आरोप लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो उप चुनाव लड़ा तब आप पार्टी के सदस्य ही नहीं थे।

श्री सम्पतसिंह : मैंने डीग से पांच हजार रुपये आपके चुनाव में भेजे थे और आपको पांच सौ वोट आये थे। +++

डा. चन्द्रभान : +++ आपने दो पैसा चन्दा नहीं दिया पार्टी को (व्यवधान) आप तो दल बदलू हो।

श्री महिपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन मंत्रियों के संस्कारों को ठीक किया जाय। शायद बचपन के संस्कार उजागर हो गये हैं।

श्री सम्पतसिंह : अब गूलर का पेट मत चीरो सब कीड़े निकल जायेंगे। आप पार्टियों में तो रहे ही कहां हो जो आपको पता हो....

डा. चन्द्रभान : इनकी जमानत जब्त हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री महिपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण अपने बचपन के संस्कारों को यहां उजागर कर रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : मेरी जमानत जब्त हुई हो तो मैं सदन से चला जाऊं। मैंने तो तीस की जमानत जब्त करायी थी।

डा. चन्द्रभान : मैं तीस हजार से जीता हूं (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : आपको चौधरी चरणसिंह के नाम पर वोट मिले हैं।

एक माननीय सदस्य : इनकी लड़ाई में हमारी बात सुनें।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन भी आपकी उपस्थिति में चार्ज लग रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सहयोग करें। आसन पैरों पर है।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डोन में इतना बड़ा काण्ड हुआ, होली के दिन, धुलण्डी के दिन घर

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जला दिये गये, उसके बारे में वक्तव्य आना चाहिए हिण्डोन के अन्दर इतना बड़ा अग्नि काण्ड हुआ है, उसके बारे में पहले व्यवस्था की जाये। इतने लोगों की मौत हुई है वहां पर....

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में व्यवस्था होगी। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : हिण्डोन में जो हत्याकाण्ड हुआ है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग करें। मेरा नेता महोदय से साग्रह निवेदन है कि वह अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जाकर चर्चा कर लें, इस विषय में यही बेहतर होगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्षजी, हिण्डोन के बारे में गृह मंत्री जी से वक्तव्य दिलवायें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग करें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से शालीनता के साथ शान से कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अब सजा किस-किसको दें।

श्री रामनारायण वर्मा : इतना महत्व-पूर्ण विषय है। उसके बारे में इजाजत दी जाये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डोन के सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग करें। कृपया सहयोग करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन ने जो व्यवस्था दी है वह यह है कि राज्य सरकार से जानकारी चाही गई है और जानकारी आने पर ही निर्णय किया जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में आपसे एक अनुरोध करना चाह रहा हूं कि आप स्वयं इस विषय की गंभीरता की व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं लोग एक तरफ तो भयभीत हैं और दूसरी तरफ उनमें आक्रोश है। एक व्यक्ति मर गया, 70 घायल हो गये, 80 घरों में आग लगा दी गई, लूट-पाट हुई और गांवों से पलायन हो रहा है और सरकार आज ही अपना स्टेमेण्ट देने को तैयार है, फिर आसन से स्वीकृति क्यों नहीं मिलती,

सुश्री पुष्पा जैन : सरकार तैयार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप सुनिये ना। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज ही व्यवस्था की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार कह रही है ना।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार कह कहाँ रही है। सरकार तो आदमियों को मरवा रही है और अगर व्यवस्था नहीं की गई तो मरते रहेंगे।

श्री भरोसीलाल मीणा : व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी । कृपया शान्त रहियें ।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब गृह मंत्रीजी कह रहे हैं । आप सुनना नहीं चाहते हैं क्या ?

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है, मैं तो इतना निवेदन कर सकता हू कि राज्य सरकार इस हिण्डोन की घटना पर वक्तव्य देने को तैयार है । आप जब भी निर्देश देंगे, हम हाउस में वक्तव्य दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सम्पत सिंह : अब आप ध्यान से सुनो ना ।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार वक्तव्य देने को तैयार है । आसन को समय निश्चित करना है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : समय निश्चित कब होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय के आने पर ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इतना महत्वपूर्ण विषय है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : कब होगी घोषणा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार वक्तव्य देने को तैयार है । आसन को व्यवस्था करनी है । संयम रखिये ।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप सरकार की बात सुनिये.... (व्यवधान)

माननीय सदस्य, सहयोग करें । अब आप सरकार की बात सुनिये.... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घटना घटी, उसके दूसरे दिन मैं स्वयं मौके पर जाकर आया हूं, मैंने मौके को देखा है, एक-एक घर के अन्दर जाकर देखा है, जो नुकसान हुआ है, उसको भी देखा है । आप अगर आज ही जवाब चाहते हैं तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सरकार तो तैयार है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : व्यवस्था कब होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : आप संयम रखिये । आप सब्र तो करिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार जब तैयार है उपाध्यक्ष महोदय, तो आप भी तैयार हो जाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब व्यवस्था दी जा रही थी, तब आप कहां थे।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही शालीनता और आदर से यह कहना चाह रहा हूं कि....

श्री सम्पतसिंह : आपने गैर शालीन काम कब किये हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : आज जो स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी है। रामगढ़ अभ्यारण्य में जो आदमी मार दिया गया था, उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि आदमी को जंगलात की कस्टेडी में बुरी तरह से उसको....

श्री उपाध्यक्ष : अब उसकी जानकारी आ जाने दीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : उसको जान से खत्म किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी आने दीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : हत्या की गई है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी आने दीजिए। जानकारी आने दीजिए, माननीय सदस्य। बहस होगी, आपको मौका मिलेगा। माननीय सदस्य समय नष्ट न करें।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आसन समय निश्चित करे और गृह मंत्रीजी से, सरकार से वक्तव्य दिलाने की बात करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मरने वालों की व्यवस्था पहले की जाये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : सरकार तुरन्त उत्तर दे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने निर्णय को खुद ही कार्यान्वित करना चाहते हैं।

श्री रामनारानायण वर्मा : आप खुद उद्वेलित हैं, क्या सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने विषय को स्वयं ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। (व्यवधान)

माननीय सदस्य कह दिया आज ही होगा और क्या आश्वासन चाहिए आपको।

श्री रामस्वरूप मीणा : कितने बजे होगा। (व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आज ही समय निश्चित करके वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावना माननीय अध्यक्ष सुन रहे हैं। (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

सरकार ने महत्वपूर्ण माना है और आज ही वक्तव्य देने की सरकार ने मन्शा जाहिर की है। आसन को व्यवस्था देनी है, समय निश्चित करना है और इस विषय पर....

श्री रामस्वरूप मीणा : आपकी तो रात के 12 बजे तक भी आज ही है। तुरन्त व्यवस्था की जाये। आग लगाई जा रही है, बड़ी भारी घटनाएं हो चुकी हैं, और हो सकती है, तनाव फैल रहा है, इसलिए ऐसे विषय पर तुरन्त व्यवस्था की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : तनाव को दूर करने में सबका सहयोग करिये, तनाव दूर करिये, तनाव नहीं रहना चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : सहयोग तो सरकार का होगा उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : शोभा नहीं दे रहा है, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खां : सरकार में बैठे हुए बी. जे पी. के लोग....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, और आदमी मरवाना चाहते हो क्या ? समय नहीं है। जितनी देर लगाओगे, उतने ही लोग मरेंगे। तुरन्त व्यवस्था की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझे नहीं। आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : हम तो खूब समझ रहे हैं। तनाव फैल रहा है, आग लग रही है, लोगों की होली जला दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : कौन इन्कार कर रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : इतना बड़ा काण्ड होता है, उसके लिए आज ही तुरन्त समय दिया जाये।

श्री भरोसीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब चर्चा हो तब आप बोल लेना।

श्री भरोसीलाल : मैं बोलूंगा, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भरोसीलाल : जरूर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजनीतिक मसला नहीं है। यह लोगों के जीवन का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से कोई उत्तर नहीं चाहते हैं, स्टेटमैन्ट नहीं चाहते हैं। आप बोलना चाहते हैं।

(94)

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार यहां बैठी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना, समय निश्चित कर दिया जायेगा। क्या चाहिए आपको ?

श्री भरोसीलाल : कब किया जायेगा, रात के 12 बजे।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या व्यवस्था की जायेगी, कितने बजे की जायेगी, उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं घोषणा करें। सरकार बैठी हुई है, लोग मर रहे हैं और व्यवस्था नहीं की जा रही है। जल्दी ही व्यवस्था की जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (व्यवधान) डर है वहां लोगों में, वे गांवों से भाग रहे हैं और रात के बारह बजे माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषय की गम्भीरता को नष्ट न करें। जब सरकार इस पर स्टेटमैण्ट....

श्री रामस्वरूप मीणा : हिन्दुओं के सबसे बड़े त्यौहार के ऊपर इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हो जाय और बारे में टाइम निर्धारित नहीं किया जाय, इससे बड़ी बात और क्या होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां पर मेरे इलाके में लोग मर रहे हैं और सुन नहीं रही है सरकार।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय से तय करिये आप। आप मेरी सीमाएं जानते हो, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस बात का जवाब दें, माननीय मंत्री महोदय कितने बजे जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। शेर नहीं मरा, शेर को मारने वाले मंत्रीजी के रिश्तेदार हैं जो पूरे शेर को ले जा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप हिण्डौन की बात करें, बीलवाड़ी की बात करें। नैनवां में हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ। उसके लिए भी सरकार कहती है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय निश्चित हो रहा है, गंभीरता को नष्ट नहीं करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित किया जाय। इतना बड़ा काण्ड हिण्डौन में हो गया, लोगों के अभी भी मरने की सम्भावना चल रही है। तनाव चल रहा है। उस बारे में समय निर्धारित नहीं करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : चाहते क्या हैं आखिर आप ? क्या चाहते हैं आप ?

श्री रामनारायण वर्मा : आपसे चाहते हैं कि आसन हमें न्याय दिलाये, इस सरकार से छुटकारा दिलाये, हमें कहने का मौका दे और सरकार से वक्तव्य दिलाये। (व्यवधान)

हिन्दू-मुस्लिम दंगों पर सरकार वक्तव्य तो दे रही है लेकिन लोगों को पैसा नहीं

(श्री उपाध्यक्ष)

दिया जा रहा है, सांत्वना राशि नहीं दी जा रही है और नाटक किया जा रहा है। इस तरह के जो हो रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये स्वयं चलने योग्य नहीं हैं। हम आसन से आशा करते हैं....

श्री रामस्वरूप मीणा : अब भी इन्तजार करते रहें। लोग मरते रहेंगे, समय तो होगा ही नहीं तुम्हारे पास।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बैठो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं उम्मीद करता हूं, इससे ज्यादा बड़ा आश्वासन कोई हो नहीं सकता। सरकार कह रही है कि हम आज ही वक्तव्य देने को तैयार हैं। सरकार कह रही है, हम इसको गम्भीर मान रहे हैं। आसन से व्यवस्था हो रही है, इतनी देर तो धैर्य रखिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, समय तय कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार बैठी हुई है, लोग मर रहे हैं, मर चुके हैं। वहां पर कोई बड़ा काण्ड और हो जायेगा, इसलिए जल्दी व्यवस्था करें।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हिण्डौन काण्ड ही नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जानकारी आ जाने दीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : कितने अनगिनत काण्ड हो गये इस शासन में, सरकार सब पर पर्दा डाल रही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बैठो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : आप सबको उठाइये प्रक्रिया के अनुसार, कौन मना कर रहा है ?

श्री रामनारायण वर्मा : मैं रामगढ़ के रंगलाल मीणा की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा नैनवां में जिस तरह से हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण वर्मा : आज दिन तक उनको कोई सांत्वना राशि नहीं दी गयी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौन का बहुत बड़ा काण्ड है।

श्री रामनारायण वर्मा : हम हर बात सुनने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझे थोड़े ही रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण वर्मा प्रजातांत्रिक तरीके में इस सदन में न्याय दिलाना

(श्री रामनारायण वर्मा)

आपका काम है, हमें न्याय दिलाइये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप खुद ही नहीं लेना चाह रहे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : हमारे साथ अनगिनत अन्याय हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय को गम्भीरता से स्वयं ही नहीं उठाना चाह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौत और समय किसी का इन्तजार नहीं करते। यह व्यवस्था तुरन्त करो।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास तो मौत के लिए निश्चित करने का कोई....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कब बोल लिये, कब दे दिया जवाब ? वहां हालत बहुत खराब है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप व्यवस्था करिये, समय निर्धारित करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब जवाब देगी सरकार ? पहले इस पर जवाब दो।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने तो मंशा जाहिर कर दी आज की।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फिर मैं दूसरा कदम उठा लूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार की मंशा तो लोगों को मराने की है इसीलिए समय और आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार तुरन्त व्यवस्था क्यों नहीं कर रही ? आज ही जब व्यवस्था हो रही है तो समय भी निर्धारित कर दिया जाय।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष जी, आप आसन पर विराजमान है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आपको मालूम है मेरी क्या सीमाएं हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सहयोग करें, विषय की गम्भीरता को नष्ट न करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर मामला बहुत गम्भीर है, हालत खराब है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, गांवों को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं लोग।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गांवों को छोड़कर जा रहे हैं लोग। वहां की हालत बहुत खराब है। पहले इस बात पर सरकार जवाब देगी। सरकार जवाब नहीं देगी तो....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, भाग रहे हैं, वहां से पलायन

(रामस्वरूप मीणा)

कर रहे हैं और आप व्यवस्था ही नहीं कर रहे हो।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : जो भी स्थगन प्रस्ताव आते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं.... (व्यवधान) माननीय सदस्य, मेरा निवेदन सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां की हालत बहुत खराब है, पहले इस बात पर चर्चा होगी। मैं तब तक बन्द नहीं होऊंगा। अगर इस बात पर पहले चर्चा नहीं हुई तो मैं दूसरा कदम उठाऊंगा। मैं यह आपके सामने कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा मत करो।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर विषय है, एक एक क्षण जा रहा है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। तुरन्त व्यवस्था करके घोषणा की जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय आकर सदन में इस बात का जवाब देंगे। वहां लोग मर रहे हैं, वहां हालत बहुत खराब है। गांवों को छोड़कर लोग भाग गये....(व्यवधान)

यों मत कीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है सारी बातों की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बताते क्यों नहीं; क्या हुआ वहां पर ? इसके लिए क्या समय निर्धारित किया जाय, आप बताइये क्या हो रहा है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : समय बता दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : समय अध्यक्ष महोदय तय कर देंगे। सरकार ने तो मंशा जाहिर कर दी कि आप ही जवाब देने को तैयार है। और क्या चाहिए ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ठीक बात है, सरकार की मंशा आज ही जवाब देने की है और अध्यक्ष महोदय भी व्यवस्था आज देने के लिए कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो भी निर्धारित करें समय....

(1.25 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय ने यों कहा कि सबसे पहले इस बात का जवाब दिया जायेगा। अब तक सरकार जवाब नहीं दे रही है। वहां की हालत बहुत खराब है, इस बात का जवाब दिया जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हिण्डौन का मसला है, पहले आपने....

श्री अध्यक्ष : हिण्डौन पर आज ही स्टेटमेण्ट आ रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, आज कितने बजे स्टेटमेण्ट आयेगा हिण्डौन का ?

श्री अध्यक्ष : आज ही आयेगा, आप अपना काम शुरू करिये, आज ही स्टेटमेण्ट होगा हिण्डौन पर भी और बीलवाड़ी पर भी।

श्री रामस्वरूप मीणा : अभी होगा या रात को बारह बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना तो बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, नेता जी बोल रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति समझता हूं सदन में जो कार्यवाही आज सुबह प्रारम्भ हुई। माननीय सम्पतसिंहजी ने 25 तारीख को अपना जो भाषण दिया था उसके सम्बन्ध में जनता दल के माननीय सदस्यों को, जनता दल के माननीय नेता नत्थीसिंह जी को, माननीय डाक्टर चन्द्रभान जी को और माननीय श्रीमती सुमित्रा जी को जो ठेस पहुंची, उस पर उन्होंने आज आपत्ति प्रकट की। उस दरम्यान आपने भी कुछ व्यवस्था दी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सम्पत सिंह जी हालांकि उनके दल के नहीं हैं लेकिन उनके साथ हैं, सत्ता में हैं, इसलिए दल के नेता के हिसाब से, सदन के नेता के हिसाब से उनके शब्दों पर खेद प्रकट किया। मैं समझता हूं इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दिया जाना चाहिए। माननीय विश्नोई साहब ने भी अपनी बात कही थी तब कहा था कि सदन के नेता ने इस पर खेद प्रकट कर दिया है तो इससे बड़ी बात दूसरी हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूं कि इस चैप्टर को तो यहीं क्लोज कर दिया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा जनता दल के माननीय नेता से कि वे इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस गम्भीरता से इस पर खेद प्रकट किया उस रूप में लें और इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दें।

अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा। इस दौरान सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय सदस्यों पर सीधे आरोप लगाना प्रारम्भ कर दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्रियों ने।

श्री हीरालाल देवपुरा : मंत्री भी सदस्य हैं। मंत्री सदन के सदस्य पहले हैं, उसके बाद मंत्री हैं। वे मंत्री भी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे नियमों में यह नियम है कि कोई सदस्य किसी माननीय सदस्य के खिलाफ चार्ज लगाना चाहता है तो उनको लिखित में देना पड़ता है और अध्यक्ष महोदय को कापी देनी पड़ती है। माननीय सदस्य को नोटिस जाता है तब वे चार्ज लगा सकते हैं ताकि वे माननीय सदस्य अपना जवाब दे सकें। एट रेण्डम इस तरह से चार्ज लगाकर उत्तेजना पैदा कर दें और सदन की कार्यवाही फिर अनियमित हो जाय तो मैं समझता हूं कि यह प्रक्रिया अच्छी नहीं है। इस सम्बन्ध में भी माननीय विश्नोई साहब ने कुछ जिक्र किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि इस परम्परा को भंग किया जाना चाहिए। मैं सदन के नेता से भी निवेदन करना चाहूंगा

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कि वे इस बात को देखें कि सत्ता में हैं, मंत्री हैं इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि वे सदन मे सर्वोपरि हो गये, नियमों से ऊपर उठ गये और मनचाहे चार्ज लगा दें। चार्जेज अगर आपके मन में हैं, आप विश्वास मानते हैं कि गलत काम हुआ है तो चार्ज लगाने का आपको अधिकार है, नियमों में प्रावधान हैं उस तरह से आप चार्ज लगायें। इस तरह से अगर चार्ज लगाना शुरू कर देंगे तो, अध्यक्ष महोदय, इसका कभी अन्त नहीं होगा और सदन में दूसरी कार्यवाही चलाना सम्भव भी नहीं होगा। इस सदन की क्या गरिमा रहेगी, इसको भी आपको देखना है, माननीय सदस्यों को भी देखना है। मैं, अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के चार्जेज न लगाये जायं और लगाने हैं तो नियमों के अन्तर्गत लगाये जायं। सदन की कार्यवाही में व्यर्थ व्यवधान पैदा न किया जाय, इस बात को जहां आसन को देखना है वहीं माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी सदन की गरिमा कायम रखने में नियमों का पूरा-पूरा पालन करते हुए अपनी बात कहें तो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकती है। मुझे यही निवेदन करना है।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री देवपुरा साहब ने जिस प्रकार की भावनायें व्यक्त की हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। सदन में आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे हैं और इसकी भी व्यवस्था नियमों में की गई है कि किस प्रकार से आरोप लगाये जायं, किस प्रकार से पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया जाय। यह सारी सब कुछ व्यवस्थाएं हैं। सदन में पहले भी इस प्रकार के कई प्रकरण आये हैं जिनके बाद में इस सदन में व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सदन के विभिन्न पक्षों के नेताओं ने बैठकर कई बार विचार किया है और इस विधान सभा में व्यवस्थाओं में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाय या सुधार किया जाय। इस सम्बन्ध में भी आपस में कुछ निर्णय लिए हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय श्री देवपुरा साहब ने माननीय सदस्य और मंत्री पर कोई आरोप लगाये इस पर तो आपत्ति की है लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जब तक आप अध्यक्ष महोदय को सुरक्षित रखकर नहीं चलेंगे तब तक इस प्रकार की व्यवस्था कितनी और किस प्रकार से चलेगी इसका एक संदेह बना रहता है। अच्छा होता कि अध्यक्ष महोदय पर जिस प्रकार के आरोप लगाये हैं और लगाये जाते हैं उस समय ही तत्काल यदि सदन उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे तो सदन की गरिमा बढ़ेगी, अध्यक्ष की गरिमा बढ़ेगी और सदन में मर्यादाओं का पालन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

मैं समझता हूं कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सब लोग मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि कोई सदस्य आरोप लगाये तो नियमों में नोटिस दे और नोटिस देने के बाद में ही आरोप लगाये। मैं तो यहां तक भी कहना चाहूंगा कि अगर नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो संशोधन भी कर दिया जाय कि आरोप लगाने के पहले, आरोप का उल्लेख विधान सभा में करने के पहले यदि अध्यक्ष महोदय चाहे, आरोप लगाये हैं और उस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

संबंध में जिस माननीय सदस्य के ऊपर आरोप लगाये जाते हैं उन पर विचार करलें और यदि वह संतुष्ट हों तो उसको रखने की अनुमति दें, इतना परिवर्तन कर दिया जाय तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन परम्पराएं एक तरफा नहीं होती हैं, परम्पराएं दुतरफा होती हैं। विपक्ष है और विपक्ष के साथ सत्तारूढ़ दल है, दोनों मिलकर यदि परम्पराओं और मर्यादाओं का पालन करेंगे तो सदन की गरिमा बढ़ेगी यही शब्द मैं व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने माननीय अध्यक्ष के सम्बन्ध में बात कही है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती है कि आसन की गरिमा बनाये रखने की जिम्मेदारी सदन के माननीय सदस्यों की है। हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता रहा है और आइन्दा भी रखा जायेगा कि आसन के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना माननीय सदस्य सदन में अपने भाषण देते समय इस प्रकार की व्यक्त न करें जिससे आसन की गरिमा को कोई किसी प्रकार की ठेस पहुंचे।

मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि आसन की गरिमा बनाये रखने का दायित्व इस सदन के माननीय सदस्यों का है और उस गरिमा को बनाये रखने के लिए जहां तक विपक्ष का सवाल है, कांग्रेस दल का सवाल है हमेशा इस बात की कोशिश की जाती रही है कि आसन की गरिमा बराबर कायम रहे, की जाती रहेगी, पास्ट में भी की जाती रही है, वर्तमान में भी की जाती है और भविष्य में भी की जाती रहेगी। इस सम्बन्ध में मैं आपको कांग्रेस दल की ओर से विश्वास दिलाने की बात करता ही हूं और मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को इसमें इस प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल जब मुख्य मंत्री जी ने सारे घटनाक्रम पर खेद व्यक्त किया था तब भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि वातावरण को दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है, वह अच्छा है सदन के लिए लेकिन आपने देखा कि मंत्रियों ने, सदस्यों ने नहीं, माननीय मंत्रियों ने फिर बिना किसी नोटिस के अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिये, जैसे निराधार पहले मंत्री महोदय ने लगाये थे, जिस विषय को लेकर यह सारा मामला उठ रहा था। मेरी अर्ज यह थी कि अध्यक्ष अगर उसी वक्त, 25 तारीख को व्यवस्था कर देते, उसी वक्त रूलिंग दे देते तो यह सवाल आगे नहीं उठता। आपने बताया कि आपने उसके बाद में बहुत सी चीजें एक्सपंज कर दी थीं। उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। हमें मालूम नहीं है और हमने देखा भी नहीं है लेकिन आज फिर दोहराया, वही बिना 273 का नोटिस दिये चाहे जो अनर्गल बातें कहीं गयी हैं। मैं यह चाहता हूं इस तरह की न हमारी तरफ से और न इनकी तरफ से किसी भी माननीय सदस्य को बिना नोटिस दिये निराधार बातें नहीं कही जानी चाहिए उसकी व्यवस्था आप करें। आज हुआ उसको भी करें।

(श्री नत्थीसिंह)

जहां तक आसन की गरिमा का सवाल है, हमारा दल हमेशा अध्यक्ष की गरिमा को सदन की गरिमा मानता है इसमें कोई दो बात नहीं है और जो उत्तेजना होती है, आप जानते हैं इसमें कुछ होता है लेकिन बाकी अध्यक्ष के प्रति किसी तरह का अशोभनीय कृत्य किया जाय उसमें कहीं हम भागीदार नहीं होते । श्री भैरोंसिंह जी साहब, जो आज सदन के नेता है, कई तरह की ट्रेनिंग कई लोगों को दी हैं पिछले जमाने में उसका असर बकाया रहता है लेकिन आप जो आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो इनका+ ++

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी मेरे ट्रेनी रहे हो ?

श्री नत्थीसिंह : हां, रहा हूं ना । नहीं हम आपसे आगे गये थे आपको मालूम होना चाहिए, 1967 में आप तो बैठ गए थे उस वक्त राज्यपाल महोदय के खिलाफ जो हुआ था हमारा गला घोटा गया था उस वक्त कहा था इनके लिए उस समय तक तो आप बैठ गये थे अफसोस जाहिर करके लेकिन हम तो 55 दिन तक सदन के बाहर रहे थे, हम समाजवादी लोग तो बैठे नहीं थे क्योंकि हमें उस कृत्य पर पछतावा नहीं था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी अब भी आदत वही है ।

श्री नत्थीसिंह : बिल्कुल वही आदत है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो दृश्य होता है और मंत्री ऐसे कृत्य करें, मुख्य मंत्री महोदय का दोहरा दायित्व है कि सदन में सद्‌भावनापूर्ण वातावरण रहे, अध्यक्ष की गरिमा रहे और मंत्री लोग जिम्मेदार बनें । डा. लोहिया ने कहा था कि "विरोध में वह तो बहुत गरम होने चाहिए, तमतमाता हुआ होना चाहिये और सत्ता में हैं उनको बर्फ के समान ठण्डा होना चाहिए+ + +? इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि आप इनको सम्भाल कर रखिये और आज भी आपके जाने के बाद जो बातें कही गई हैं इनके ऊपर भी व्यवस्था दीजिए । हम सदन को चलाना चाहते हैं, जनता की समस्याओं को सामने लाना चाहते हैं लेकिन इस तरह के वातावरण में वह सम्भव नहीं है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक व्यवस्था कायम करें, हम निश्चित रूप से व्यवस्थाओं के अन्तर्गत और नियमों के अन्तर्गत सदन की गरिमा बनाये रखने में पूरी तरह से साथ हैं ।

डा चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ जो चार्ज जिन मंत्रियों ने लगाये हैं उनकी आप जांच करवायें और मैंने मुख्य मंत्रीजी के ऊपर इस काम को छोड़ दिया है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री देवपुरा जी के कहने के बाद मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप सदन के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय हैं । राजस्थान विधान सभा के सभी 200 माननीय सदस्य आपको इज्जत और सम्मान देना चाहते हैं, हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि सत्तारूढ़ दल के लोग

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

विधान सभा के बाहर इस प्रकार से कई बार स्टेटमेंट और भाषणों में यह कहते हैं, यह शो करने की कोशिश करते हैं कि जैसे स्पीकर साहब केवल मात्र सत्तारूढ़ दल के हैं। यह परम्परा वह भी छोड़ दें। हम भी यह चाहते हैं कि 200 माननीय सदस्यों के आप अध्यक्ष हैं। यह परम्परा वह बाहर बन्द कर दें ताकि आपके लिए भी यह ख्वाहम-ख्वाह का उनको यह कहने का मौका नहीं मिले। श्री भैरोंसिंह जी, केवल मात्र आप इनकी गरिमा रखें, गरिमा हम भी उतनी ही रखना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब तो यह है कि बाहर हम कुछ कहें तो आप अध्यक्ष पर आरोप लगायेंगे ? यही है ना मतलब ? (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, बाहर आप यह जाहिर करते हैं कि अध्यक्ष महोदय केवल आपके हैं तो यह भ्रम फैलता है और इस भ्रम के कारण से कोई गड़बड़ हो जाती है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपके भ्रम की वजह से अध्यक्ष महोदय चक्कर में आ जाते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आप थोड़ा अपनी जुबान पर लगाम रखें।

व्यवस्था
नियम विरुद्ध आरोप लगाना निषिद्ध

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

जहां तक मेरा सवाल है यह सारा परिवार मेरा है। मेरे लिए कोई कुछ भी कह सकता है लेकिन मैं किसी को कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं और कहना भी नहीं चाहूंगा और न कभी कहूंगा। जितना कुछ भी मेरे बारे में कहा गया है बाहर पत्रों में मैंने आज तक किसी का कोई जवाब नहीं दिया। जब भी मुझे पत्रकारों ने पूछा है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो एक ही बात कही है कि यह मेरा अपना परिवार है, अपने परिवार में हमारी जो बातें होती हैं उनको हम ही सम्भाल लेंगे, उसमें बाहर के लोगों के दखल की आवश्यकता नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस परिवार में परिवार नियोजन करें।

श्री अध्यक्ष : मेरा परिवार बिल्कुल नियोजित है अभी तक 200 से 201 नहीं हैं। (व्यवधान)

माननीय श्री देवपुराजी और नत्थीसिंहजी ने जो कुछ भी कहा है मैं समझता हूं कि सदन के नियमों का पालन करना हर सदस्य के लिए, चाहे वह माननीय मंत्री हो और चाहे कोई भी हो, आवश्यक है। और यह बात बिल्कुल सही है कि माननीय श्री सम्पतसिंह जी ने उस दिन जो भाषण दिया था उसमें जितने भी असंसदीय शब्द आये थे वह सारे के सारे बाद में मैंने एक्सपंज कर दिये थे। क्योंकि मेरे पास हाउस के बाद में वह आये थे और आते ही मैंने तत्काल एक्सपंज कर दिये थे। उस समय एक शब्द जब मैं यहां आसन पर था आया था तब मैंने तत्काल एक्सपंज कर दिया था।

सदन के माननीय नेता ने उदारतापूर्वक क्षमा मांगी है; खेद प्रकट किया है,

(श्री अध्यक्ष)

मैं समझता हूं कि उस के बाद में आगे इस मामले को चलाना उचित नहीं है। आज भी जिन माननीय सदस्यों ने डा. चन्द्रभान और श्री नत्थीसिंह के खिलाफ आरोप लगाये हैं मैं उन सारे आरोपों को एक्सपंज करता हूं, प्रेस को भी कहता हूं कि इन आरोपों के बारे में एक शब्द प्रेस में नहीं छपना चाहिए, यह हाउस के रिकार्ड में नहीं है। और भविष्य में भी मैं समझता हूं कि सारे माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे नियमों की प्रक्रिया में यह सम्मिलित है, आपको आरोप लगाना है तो पहले अध्यक्ष को लिखकर देना पड़ेगा, उसके सम्बन्ध में कोई डाकूमेन्ट है तो वह डाकूमेन्ट देना पड़ेगा और अध्यक्ष के संतुष्ट होने के बाद ही उनको यह परमिशन दी जायगी कि वह आरोप लगा सकते हैं। यह प्रक्रिया मौजूद है, इस प्रक्रिया का पालन किये बिना कोई भी माननीय सदस्य यदि किसी माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगाता है तो वह नियम विरुद्ध है और सामान्यतया जब भी मेरे ध्यान में यह बात लाई जाती है मैं उसको एक्सपंज करता हूं और आज भी इस प्रकार के आरोप जो लगाये हैं उन सारे आरोपों को एक्सपंज करने का आदेश देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह एक्सपंज की कार्यवाही भी एक्सपंज होनी चाहिए। क्यों नहीं एक्सपंज की कार्यवाही भी एक्सपंज हो जाए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष जी संगरिया में एक बहुत बड़ी घटना हुई। कुछ पंजाब से आए हुए लोग, टेरेरिस्ट लोग हैं....

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मेरे पास हेतराम जी का है। उन्होंने मुझे कहलवाया था कि वह आज जा रहे हैं। उनके आने के बाद ही इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं इतना बता देऊं कि आज गृह मंत्री और दूसरे मंत्री संगरिया जा रहे हैं और जाने के बाद जो भी स्थिति होगी हमको बता दी जायगी। हमें भी इसकी पूरी चिन्ता है और इसकी रोकथाम की हम पूरी कोशिश करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाईंट आफ आर्डर। अध्यक्ष जी, ऐसा था ओलावृष्टि का जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में प्राकृतिक आपदा मंत्री कुछ कहना चाह रही थीं कि वह वक्तव्य कब देंगी, कब तक जानकारी देंगी।

सुश्री पुष्पा जैन (बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही ओलावृष्टि की हमें सूचना प्राप्त हुई सभी जिला कलक्टर्स को हिदायत कर दी गई कि वह इस बारे में विस्तार में हमें जानकारी भेजें। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जानकारी आने के बाद इस पर तुरन्त कार्यवाही की जायगी और ओलावृष्टि से जितने भी पीड़ित लोग हैं उन्हें समुचित सहायता दी जायगी।

(1·40 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : समुचित सहायता क्या देंगे आप, कब तक देंगी ?

सुश्री पुष्पा जैन : स्टेटमेंट तो आने दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब तक आयेगा ?

सुश्री पुष्पा जैन : इसी सत्र में जानकारी आ जायेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष जी, सत्र तो बहुत लम्बा चलेगा। दो दिन में, चार दिन में किसानों के हाल बेहाल हो गये हैं। लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की फसल चौपट हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : तो इसी सत्र का अर्थ आप अन्तिम दिन क्यों लगा रही हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, किसान बेहाल हो रहे हैं। इस के बारे में दो दिन से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी प्राप्त की जा रही है इसमें कोई सन्देह नहीं है। जानकारी आयेगी तो करेंगे। माननीय सदस्य जो विपक्ष में बैठे हैं वह बोल रहे हैं सहायता नहीं दी जा रही, सहायता नहीं दी जा रही। ओलावृष्टि से पहले सहायता नहीं दी जाती थी। उन नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा।

श्री नत्थी सिंह : परिवर्तन कर दीजिए और सहायता दीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यही तो मैं कह रहा हूं कि मैंने वह नियम देखे हैं। उन नियमों के अन्तर्गत सहायता देने की घोषणा तो आप चाहें, सुमित्रा जी, मैं अभी कर दूं। पहले सत्ताधारी पार्टी ने जो नियम बना रखे थे उस प्रकार की सहायता आप चाहते हैं तो आज ही मैं घोषणा करता हूं लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि वह सहायता अपर्याप्त है। उस सहायता से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी मामूली सी भी क्षति पूर्ति नहीं होगी। उनको कुछ राहत मिले इस दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप जल्दी चाहें तो सरकार की घोषणा है कि पुराने नियमों के अनुसार जो भी सहायता दी जानी चाहिए सरकार उसको मंजूर करती है।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में तो 80 प्रतिशत तिलहन नष्ट हो गया है, झुन्झुनूं में हो गया है और उप प्रधान मंत्री ने कहा है कि खूब सहायता देंगे और आप तो उप प्रधान मंत्री के बड़े प्रशंसक हैं इसलिए तुरन्त कर दीजिए आप। हम तो यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मिले।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसा है कि आप पांच दिन, सात दिन....

श्री भैरोंसिह शेखावत : सात दिन के अन्दर-अन्दर आपको वक्तव्य मिल जायगा,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्या हम सहायता दे रहे हैं वह भी बता देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि ओलावृष्टि के नियमों में सहायता देने का प्रावधान नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रावधान है या नहीं है लेकिन जब कांग्रेस का राज था उस समय ओलावृष्टि के वक्त में सहायता प्रदान की गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह नहीं कहा कि नियम नहीं हैं। मैंने कहा कि नियम हैं लेकिन सहायता अपर्याप्त है इसको तो स्वीकार करते हैं ना आप।

श्री चन्दनमल बैद : यह मुझे मालूम नहीं है कि क्या सहायता है, क्या नहीं है लेकिन सहायता दी गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो मुझे यह बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के राज में जो सहायता दी गई है उतनी सहायता देऊं तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना।

श्री नत्थी सिंह : पहले चने का भाव क्या था और आज चने का भाव क्या है। इसको भी सोचिए जरा आप।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, बीलवाड़ी हत्याकाण्ड पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सहयोग करें। बैठिए आप। श्री लक्ष्मी नारायण दवे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उल्लेख

प्रवासी राजस्थानियों की जान माल माल की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने सम्बन्धी

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धा नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत प्रवासी राजस्थानियों की जानमाल की सुरक्षा एवं राजस्थान में उद्योग स्थापित करने एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है।

आतंकवादी एवं अराजकतावादी तत्वों द्वारा आसाम में खुले आम हिंसात्मक ढंग से जबरन धन एकत्रित किया जाता रहा है। आसाम में मुख्यतया हिंसा एवं द्वेष का शिकार मारवाड़ी समाज है। राजस्थान के प्रवासी व्यापारियों को धमकी देकर पैसा जमा किया जा रहा है जो व्यापारी अपनी हैसियत से अधिक धन की मांग को पूरा नहीं कर पाते मजबूरन उन्हें जान बचाकर भागना पड़ रहा है। ऐसे करीब 700 परिवार गत अगस्त से अब तक राजस्थान आ चुके हैं।

असम से लौटकर आए ये व्यापारी परिवारों में कई तो पिछले डेढ़, दो सौ सालों से वहां काम धंधा कर रहे हैं और राजस्थान के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। कई परिवार तो अभी असम से लौटने

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

के बाद जयपुर में ही हैं। उल्फा के आतंककारियों ने अपनी नई मुहिम के तहत करीब तीस करोड़ रुपए का कोष जमा करने का फैसला किया है और इसके लिए गैर असमियों को अपना निशाना बनाया है। उल्फा उग्रवादियों के सताए असम छोड़ कर आए प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों को अब इस बात की कोई आशा नहीं है कि उनकी लूटी गई सम्पत्ति वापस मिल सकेगी। उल्फा उग्रवादियों के खिलाफ असम में चलाए जा रहे सैनिक अभियान आपरेशन बजरंग के बावजूद वे नहीं मानते कि वहां प्रवासी लोग फिर सामान्य स्थिति में उद्योग चला सकेंगे। क्योंकि सैनिक अभियान में उल्फा का कोई भी प्रमुख उग्रवादी हाथ नहीं आया है। सैनिक अभियान खतम होते ही भागे हुए उल्फा उग्रवादी फिर सक्रिय हो जाएंगे।

प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में उद्योग लगाने हेतु राज्य वित्त निगम, उद्योग निदेशालय एवं रीको से हो रही कठिनाइयों के निराकरण एवं उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन देने एवं प्रक्रियाओं में सरलीकरण करने की आवश्यकता है ताकि प्रवासी राजस्थानी राज्य में उद्योग स्थापित कर सकें। अधिकतर उद्यमियों को उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड उपलब्ध कराने का आवेदन करने पर भी उन्हें भूखण्ड उपलब्ध नहीं हुए हैं। जिसके कारण प्रवासी राजस्थानी अन्य प्रदेशों में उद्योग स्थापित करने चले गए हैं। राजस्थान की वित्तीय संस्थाओं का रुख राज्य सरकार की उदारवादी नई औद्योगिक नीति के विपरीत है। नई औद्योगिक नीति को देखते हुए ही प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों ने सीमेण्ट के क्षेत्र में उतरने का मन बनाया है।

वित्तीय संस्थान जिस बेरुखेपन से कार्य कर रही हैं उदाहरणार्थ एक मिनी सीमेण्ट प्लान्ट की स्थापना लघु क्षेत्र में करने के लिए परियोजना व्यय लगभग 140.00 लाख रुपये हैं जिसके लिए राजस्थान वित्त निगम प्रवासी राजस्थानियों से 50 लाख रुपये स्वयं के लगाने को कहता है जो कि राज्य अनुदान 18 लाख रुपए के अतिरिक्त उसे लगाने होंगे। लघु उद्योग क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से जो 3 : 1 का कर्ज अनुपात निश्चित है उसकी जगह राजस्थान वित्त निगम 1 : 1 के अनुपात में कर्ज देना चाहता है जो पूरे देश में कहीं नहीं है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्यमी द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में 17.5 से लेकर 22.5 प्रतिशत तक न्यूनतम अनुदान निश्चित किया है लेकिन राजस्थान वित्त निगम पूरे राज्य में 35 प्रतिशत उद्यमी का अभिदान निश्चित कर रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री से आसाम में रह रहे प्रवासियों की सुरक्षा हेतु कारगर कदम उठाने का आग्रह किया है, जो प्रशंसनीय है। उक्त प्रवासियों की सुरक्षा हेतु और कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है तथा आसाम से आए प्रवासी राजस्थानियों को विशेष रियायतें प्रदान कर उन्हें उद्योग

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

स्थापित करने हेतु राज्य सरकार को प्रोत्साहन देकर प्रयास करने चाहिए । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खां ।

जैन मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जैन मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । निवेदन यह है कि राजस्थान प्रान्त में विभिन्न जिलों के जैन मन्दिरों से मूर्ति की चोरियों की वारदातें निरन्तर हो रही हैं एवं पुलिस प्रशासन इसकी रोकथाम में कतई असफल रहा है।

अलवर जिले में सन् 1990 में तीन स्थानों से पुरातत्व की दृष्टि से बहुमूल्य मूर्तियां चोरी गई हैं जिनकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस थानों में दर्ज है लेकिन अभी तक एक भी प्रकरण में कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो अत्यन्त खेद एवं चिन्ता का विषय है ।

अप्रेल 1990 में तहसील मुण्डावर के ग्राम सानोली से 10 वीं शताब्दी की 9 मूर्तियां अष्टधातु की जो कि सन् 1968 में श्री भयराम अहीर के खेत से निकली थी, चोरी चली गई है। जिन्हें सन् 1985 से जैन समाज के अथक प्रयास के बावजूद भी उन्हें नहीं सौपा गया तथा चोरी का मामला पुरात्व विभाग की जानकारी में विशिष्ट रूप से था लेकिन फिर भी उपरोक्त मूर्तियों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । इसके पश्चात् माह सितम्बर, अक्टूबर 1990 में ग्राम अजबगढ़ तहसील थानागाजी से अष्टधातु व पाषाण की 15 छोटी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां चोरी गई हैं । जिनकी एफ. आई. आर. सं 43/90 थाना प्रतापगढ़ में दर्ज कराई जा चुकी है। तत्पश्चात् पुनः दिनांक 19 व 20 दिसम्बर 1990 की मध्य रात्रि को कस्बा राजगढ़ में दिगम्बर जैन मन्दिर नसियाजी से पाषाण की 16 वीं शताब्दी की चोरी हुई है जिसकी एक एफ. आई. आर. संख्या 205/90 थाना राजगढ़ में दर्ज कराई जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में अलवर जिले के जैन समाज ने अपने समस्त कारोबार व दुकानें बन्द रखकर अलवर शहर के मुख्य बाजारों में एक मौन जुलूस निकाला गया तथा जिलाधीश महोदय, अलवर को ज्ञापन दिया । लेकिन उसके बावजूद भी उपरोक्त मामले में कोई सक्रिय भूमिका पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं निभायी गयी है । अलवर जिले के आस-पास भी मूर्ति चोरियों का क्रम जारी है जिसकी रिपोर्ट संख्या 166/90 थाना डीग जिला भरतपुर व एफ.आई. आर. सं. 198/90 थाना बसवा जिला जयपुर व लालसोट आदि स्थानों पर दर्ज है जिन्हें एक साथ मिलाकर जांच हेतु एक विशेष अन्वेषण दल का गठन किया जाना चाहिये एवं भारतीय संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर का तुरन्त पता लगाया जाना चाहिये एवं सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी ना हो यह मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं । धन्यवाद ।

सूचना

एक्सपंज की गई कार्यवाही को प्रकाशित न करना

श्री उपाध्यक्ष : आज जो कार्यवाही में एक्सपंज किया गया है प्रेस से मेरा आग्रह है कि कृपया छापें नहीं। किसी ने कोई डिस्पेच भेज दिया है तो रिफ्यूज करके डिस्पेच भेजने का कष्ट करें ताकि जो कुछ एक्सपंज हुआ है वह कार्यवाही प्रेस में नहीं छपे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर।

शीतलहर से पान की खेती नष्ट होने सम्बन्धी।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र दुधालिया ग्राम में शीतलहर से पनवाड़ी (पान) की खेती नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में मैंने नियम 295 के तहत सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र में शीतलहर से पनवाड़ी (पान) की खेती सारी जल चुकी है, नष्ट हो गई है। यह दुधालिया ग्राम झालावाड़ जिले की गंगाधार तहसील में आता है वहां तम्बोली समाज के सौ परिवार है उनका मुख्य धन्धा (पान) की खेती करना है। पनवाड़ी लगाना है। यहीं एक मात्र काम रोजी रोटी का धन्धा है। किसी परिवार के पास इतनी जमीन नहीं है कि वह अन्य किसी प्रकार का धन्धा कर फसल उगा सके, पैदावार कर सके। इस वर्ष अत्यधिक शीतलहर के कारण पान की खेती सारी नष्ट हो चुकी है। बेल से पान नीचे गिर गये हैं। बेलें सूख गई हैं। फसल का जायजा श्रीमान तहसीलदार गंगाधार एवं श्रीमान् एस.डी.एम. भवानी मंडी भी ले चुके हैं। मैंने भी ग्राम दुधालिया में जाकर प्रत्यक्ष में फसलों को देखा है, जायजा लिया है। ऐसी हालत में नई खेती बड़ी मुश्किल से होती हैं। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गरीब लोग पान की खेती बहुत मेहनत से करते हैं। उक्त सारी फसल का सर्वे करवा कर फसल के नष्ट हो जाने के हालत से निपटने के लिए मैं राज्य सरकार के राहत मंत्रीजी, राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार किसानों को कुछ राहत दे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी

निम्बाहेड़ा जे.के. सीमेन्ट फैक्टरी से उत्पन्न प्रदूषण।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा जे.के. सीमेन्ट फैक्टरी से उत्पन्न वायु प्रदूषण से फैल रही बीमारियों एवं फसलें नष्ट होने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र छोटी सादड़ी में निम्बाहेड़ा कस्बे में स्थित जे.के. सीमेन्ट फैक्टरी द्वारा उत्पन्न हो रहे प्रदूषण के कारण कस्बे व आस-पास

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

के ग्रामीण इलाके में फसले व पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं तथा पर्यावरण सन्तुलन बिगड़ रहा है। इससे क्षेत्र में तरह-तरह की नई बीमारियां फैल रही हैं। इसके सम्बन्ध में क्षेत्र के नागरिकों ने अनेको बार आवाज उठाई किन्तु आज तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जे. के. सीमेन्ट फैक्टरी द्वारा चारों ही प्लांटों में इ. एस. पी. यन्त्र होने के बावजूद भी नहीं चलाया जाता हैं। जब कभी इसकी जांच हेतु सरकारी अधिकारी आते हैं उस समय इ. एस. पी. यन्त्र को चालू कर दिया जाता हैं ताकि सरकारी अधिकारी निरीक्षण के पश्चात् रिपोर्ट जे. के. के पक्ष में दे सके । उनके जाने के बाद इ. एस. पी. यन्त्र को बन्द कर दिया जाता है क्योंकि इ. एस. पी. यन्त्र में प्रति घंटा दो हजार यूनिट बिजली खर्च होती है तथा 10 रुपये महीने का खर्चा आता है। इ. एस. पी. यन्त्र चालू नहीं रखने पर फैक्टरी से उड़ने वाली डस्ट इतनी अधिक होती है कि आस-पास के इलाकों के नागरिकों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है।

फैक्टरी से उड़ने वाली डस्ट से निम्बाहेड़ा शहर के 25 किलोमीटर की परिधि की भूमि का उपजाऊपन खत्म हो रहा है जिससे किसानों को भारी हानि हो रही है। तथा आस-पास की नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है।

अतः मैं सदन के माध्यम से पर्यावरण मंत्री व उद्योग मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जे. के. सीमेन्ट फैक्टरी, निम्बाहेड़ा से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को तत्काल नहीं रोका गया तो निम्बाहेड़ा क्षेत्र की जनता में तरह-तरह की बीमारियां फैल जायेंगी तथा सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जायेगी । जिसके बहुत ही दुष्परिणाम होंगे।

अतः इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कर निम्बाहेड़ा की जनता को राहत पहुंचाएं। धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य ।

आर. एस. एम. एम. की अकुशल व्यवस्था से श्रमिकों में रोष

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम संख्या 295 के अन्तर्गत मेरे निम्नलिखित तथ्य सदन के समक्ष बयान है।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स, उदयपुर की अकुशल प्रबन्ध व्यवस्था के कारण वहां पर श्रमिकों में तीव्र रोष है और उत्पादन भी लगातार गिरता जा रहा है। वहां हालात बदतर हो गये हैं जिसके फलस्वरूप आर. एस. एम. एम. में कार्य गतिरोध आ रहा है।

आर. एस. एम. एम. कार्यालय के बाहर राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स कर्मचारी संघ उदयपुर द्वारा दिनांक 15.2.1991 से अनिश्चितकालीन धरना प्रारम्भ कर दिया गया है। कर्मचारी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

संघ श्रमिकों के विवादों को निपटाने के लिए लगातार लिखता रहा और स्मरण पत्र सांकेतिक धरना इत्यादि के बाद भी आर. एम.एम.एम. का प्रशासन मौन साधे स्थिति को बिगाड़ने में लगा रहा, यहां पर श्रमिक संगठनों का विवाद भी है। राक फास्फेट मजदूर संघ इन्टक की मान्यता दिनांक 8.7.1978 को दो वर्ष के लिए दी थी लेकिन दो वर्ष बाद 1980 में मान्यता समाप्त होने के बाद अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। आर. एस. एम. एम. कर्मचारी संघ/भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्ध लगातार इस मान्यता के विवाद के लिए लिखता रहा, राज्य मंत्री खनिज उद्योग एवं राजकीय उपक्रम में दिनांक 7.9.90 को प्रबन्ध निदेशक, आर एस. एम. एम. को स्पष्ट निर्देश दिये थे कि अब तक मान्यता के सम्बन्ध में कोई निर्णय न हो। दोनों यूनियन से समान स्तर पर बात की जाय, लेकिन बाद में इस पत्र को प्रबन्धकों के दबाव से स्थगित कर दिया गया। इससे श्रमिकों में नाराजगी बढ़ी और उनकी मांगे पूरी न होने से धरना शुरू हो गया। दूसरी ओर उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ा।

आर. एस एम. एम. में इन दिनों कई तरह के घोटाले सुनने में आ रहे हैं और इससे आर. एस. एम. एम. का भविष्य अधरझूल में हो गया है यहां का उत्पादन घटता गया। सन् 1990-91 में आज तक लगभग 26 लाख टन का ही खनन हो पाया है और किसी भी स्थिति में वार्षिक लक्ष्य 45 लाख टन खनन नहीं हो सकेगा। स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि माल व मलवे का अनुपात 1:30 हो गया है। कम्पनी उच्च स्तर पर लगाये गये प्लान्ट की क्षमता भी अनुकूल नहीं रही। झामर कोटड़ा की आय से 37 करोड़ रुपये का वार्षिक भुगतान करना होगा यदि सालाना हाईग्रेड 6 लाख अस्सी हजार टन बिकने मोग्य माल निकलेगा जो 88 करोड़ रुपये का होगा और यह सम्भव नहीं है। अनुभवहीन और अयोग्य प्रशासनिक अधिकारी के कारण झामर कोटड़ा की स्थिति बेहद खराब हो गई है यदि यही हालत रही तो आगामी दो वर्षों में वेतन देने के योग्य हालत भी नहीं रहेगी। यहां के 1500 श्रमिकों का भविष्य अंधकार में होने वाला है। यहां पर आये दिन प्रबन्धों की अकुशलता से दुर्घटनाएं हो रही हैं। डम्पर आपरेटर सोभागसिंह और श्री ख्याली लाल की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। आये दिन घायल होने के तो मामले सामान्य हो गये हैं। मशीनों की स्थिति यह हो गई है कि बड़े-बड़े संयंत्र बेकार पड़े हैं दूसरी ओर जगह से सेवामुक्त भ्रष्ट अधिकारियों को यहां रखा हुआ है जो इस संस्थान को लाभ की जगह नुकसान पहुंचा रहे हैं। श्री के. आर. बी. सुब्रमण्यम है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अंगुली उठाई थी और विधान सभा की उपक्रम समिति ने गम्भीर आरोपों की जांच की थी। इन्हें सेवानिवृति के बाद निरन्तरित किया गया है और सलाहकार बना दिया गया है। इसी तरह श्री हरीशचन्द्र भार्गव जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति ली उन्हें यहां पुनः नियुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार आर.एस. एमएस. एल., गुप्ता, जो स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति से यहां आये, को ग्यारह वेतन वृद्धियां देकर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

जनरल मैनेजर माइन्स बना दिया। यह सभी झामर कोटडा की जगह मुख्यालय के एयर कन्डीशन कमरों में बैठे रहते हैं। यह बताते हुए दुःख और नाराजगी है कि इस प्रतिष्ठान का भारी नुकसान हो रहा है। प्रबंधकों की गलत नीतियों के फलस्वरूप कर्मचारियों और श्रमिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ तो स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की जाकर 2 करोड़ रुपये वितरित किये गये, दूसरी ओर सेवानिवृत्ति व्यक्तियों को ही ज्यादा लाभ देकर रखना शुरू कर दिया। अभी नई भर्तियों को लेकर जो साक्षात्कार आयोजित हो रहे हैं उसमें व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के किस्से जग जाहिर हो गये हैं। प्रतिष्ठान में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्यूलोजिस्ट आदि के पदों का विज्ञापन निकाला और 4500 ही व्यक्तियों को साक्षात्कार में आने का पत्र भेज दिया। रेल्वे का सभागार 6000 रुपये में किराये लिया गया और कमेटी के सदस्यों को होटलों में ठहराया गया। अब दूसरा पत्र साक्षात्कार वालों को भेजा गया कि उनके 69 प्रतिशत अंक हों तो वे आयें और पहले तार से सूचना दें। ऐसे साक्षात्कारों के नाटक बहुत कम देखने में मिलते हैं।

आर. एस. एम. एम. पूरी तरह अव्यवस्थाओं का शिकार हो गया है। पक्षपात, घोटाले, भाई-भतीजाबाद के साथ-साथ उत्पादन में गिरावट के कारण श्रमिकों और कर्मचारियों में भारी रोष पैदा हो गया है। आर. एस. एम. एम. कर्मचारी संघ को मान्यता न देने के कारण श्रमिक बेहद नाराज हैं और सरकार से मांग हैं कि वह तुरन्त हस्तक्षेप करें और आर. एस. एम. एम. के क्रियाकलापों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय। प्रबन्ध निदेशक और कार्मिक अधिकारी को अविलम्ब यहां से हटाया जाय तथा आर. एस. एम. एम. कर्मचारी संघ के साथ के तुरन्त वार्ता की जाय। धन्यवाद।

(2.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बी. डी. कल्ला।

पुलिस की मदद से जयपुर शहर में नाजायज कब्जों को प्रोत्साहन

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों पर पुलिस की मदद से सरेआम भूखण्डों के ऊपर नाजायज कब्जों के अनेक मामले समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं। परन्तु ये घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। इनके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा रही है। जब जनता के रक्षक भक्षक बनकर स्वयं कानून तोड़ने वालों को प्रोत्साहन देते हैं तब कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ना स्वाभाविक है। ऐसे अनेक मामले विधान सभा में उठाये जा सकते हैं, लेकिन मैं दो मामले सदन के सामने रखकर कुछ तथ्यात्मक जानकारी देना अपना फर्ज समझता हूं।

श्रीमती राजस्वी व्यास द्वारा श्री विजय शंकर व्यास का प्लॉट नं. डी–17, गोलीमार नर्सरी, लक्ष्मीमंदिर सिनेमा के सामने, प्रेमचन्द सैनी से

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दिनांक 31 मार्च, 90 को खरीदा गया। इस पंजीकृत विक्रय-पत्र के बाद श्री प्रेमचन्द सैनी का उक्त प्लाट का कब्जा श्रीमती राजस्वी व्यास पत्नी उमाशंकर व्यास को उसी दिन सम्भला दिया।

श्री रामकिशोर गोयल जो जयपुर के निवासी हैं, को जब यह मालूम पड़ा कि श्रीमती राजस्वी व्यास चूरू रहती हैं और उनके पति दिल्ली में रहते हैं और इस प्लाट को कोई सम्भालने हेतु नियमित रूप से नहीं आ रहा है तो श्री रामकिशोर गोयल ने इसे बेईमानीपूर्वक हड़पने की योजना बनाई। रामकिशोर के कृत्यों की जानकारी जब श्रीमती व्यास को मिली तो उन्होंने न्यायालय में निषेधाज्ञा का आवेदन कर श्री रामकिशोर को यथास्थिति देखते हुए 3-12-90 को पाबन्द करवा दिया। लेकिन श्री रामकिशोर ने स्थानीय पुलिस थाना बजाज नगर से मिलकर 4-12-90 को ताला तोड़कर पुलिस की मौजूदगी में जबरन कब्जा कर लिया।

श्रीमती व्यास द्वारा रामकिशोर के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का आवेदन किया गया तो उसकी जानकारी रामकिशोर को मिल गयी और रामकिशोर ने कपटपूर्वक उक्त प्लाट को हड़पने के लिए मुकदमा नं. 310/90, दिनांक 2-12-90 को अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दर्ज करवा दिया और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में दिनांक 4-12-90 को यथास्थिति के स्थगन आदेश से पाबन्द होने के बावजूद उक्त प्लाट पर जबरन कब्जा करवा दिया गया।

इस संबंध में उप अधीक्षक ने 15-12-90 को जांच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, जयपुर को भेजा है उसमें लिखा है कि विवादास्पद प्लाट डी-17, श्रीमती व्यास के मिल्कियत व कब्जा का प्लाट प्रतीत होता है और दिनांक 4-12-90 को जबरन कब्जा किये जाने के समय पर उक्त प्लाट पर श्रीमती व्यास का कब्जा था। जांच प्रतिवेदन के बाद भी उक्त प्लाट श्रीमती व्यास को पुलिस द्वारा खाली कर नहीं सौंपा गया।

एक दूसरा प्रकरण श्री कानमल सेठिया, ए-19, अम्बाबाड़ी जयपुर, की 13771.11 वर्ग गज जमीन झोटवाड़ा रोड पर अम्बाबाड़ी स्कीम के पूर्व की तरफ जयपुर शहर में है जिसे 10-15 लोगों ने लाठी, हॉकी एवं अन्य हथियारों से लैस होकर वहां उपस्थित चौकीदार को गालियां दीं और उसको यहां बने हुए मकान और जमीन से बाहर फेंक दिया और कहा यदि इसकी रिपोर्ट कहीं कर दी गई तो इसके परिणाम भुगतने होंगे, तुम्हें और तुम्हारे मालिक को। इस संबंध में 2 जनवरी, 1991 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री कानमल सेठिया ने इस संबन्ध में एक पत्र दिया कि 31-12-1990 को अपनी जमीन के कुछ भाग पर नाजायज कब्जा बलपूर्वक करने और झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन में इसकी रपट दर्ज करवाने संबंधी जानकारी दी, जिसकी फोटोस्टेट कापी संलग्न कर रहा हूं। ये व्यक्ति जिन्होंने उक्त भूमि पर 31-12-90 को कब्जा किया अभी भी वहां पर बल प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको डरा-धमका रहे हैं एवं मकान,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जमीन के मालिक एवं उनके कर्मचारी को आतंकित कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की। श्री कानमल सेठिया ने मुख्य मंत्री जी से भी इस संबंध में फरियाद की लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई पुख्ता कार्यवाही नहीं हुई है, उन्होंने केवल यह आश्वासन दिया है कि उचित कार्यवाही की जायेगी। इस जमीन के हड़पने के बारे में सम्बन्धित थाने में शिकायत करने के बावजूद नाजायज कब्जा करने वालों को बेदखल पुलिस नहीं कर रही है जिससे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि संबंधित पुलिस अधिकारी इस जमीन को हड़प करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। गत 5 जनवरी को जिलाधीश वी. एस. सिंह को इस संबंध में शिकायत की गई। ऐसे और अनेक मामले बताये जा सकते हैं जिनमें पुलिस द्वारा दिन-दहाड़े रजिस्टर्ड विक्रय-पत्रों के आधार पर खरीदी हुई जमीनों पर नाजायज कब्जा करवाकर सरेआम कानून तोड़ने और असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन देने की कार्यवाही कर रही है। समय रहते ऐसे मामलों पर गौर नहीं किया गया तो यह प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने वाली गम्भीर समस्या बन जायेगी। प्रदेश के अन्य सम्भागीय मुख्यालयों कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर वहां पर भी नाजायज कब्जे पुलिस की शह पर सरेआम हो रहे हैं।

मैं राज्य सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जो दो मामले सदन के समक्ष रखे हैं वे कब तक अतिक्रमियों द्वारा खाली करवाकर असली मालिक को उनकी भूमि सौंप दी जाएगी और ऐसे अनेक मामले जो संभागीय मुख्यालयों पर हो रहे हैं उन पर आप क्या कार्यवाही करेंगे ? इस संबंध में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या राज्य सरकार सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी भूमि पर कब्जा करने वालों को रोकने के लिए भूमि पर कब्जा करने को क्रिमिनल ऑफेंस करार करने का विचार रखती है और क्या उसके लिए पर्याप्त दण्ड देने की व्यवस्था का प्रावधान करने का एवं कानून बनाने का विचार रखती है ?

उपरोक्त मुद्दों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो राजस्थान के असामाजिक तत्व एवं पुलिस मिलकर पट्टेधारी एवं असली मालिकों से भूमि हड़प कर कानून और व्यवस्था की स्थिति को चौपट कर देंगे तथा बाद में इस समस्या को आसानी से हल नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बिन्दु और बताना चाहता हूं। पहले वाले केस में....

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड नहीं किया जाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : +++

+++ माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आन्दोलनों के दौरान लगाये गये मुकदमों की वापसी

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं हो रहा है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। डा. चन्द्रभान, श्री राजेन्द्र गहलोत, श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री हेतराम बेनीवाल एवं श्री रामस्वरूप मीणा सदस्य, विधान सभा विभिन्न विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं किसानों, मजदूरों एवं छात्रों पर विभिन्न आन्दोलनों को दबाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1980 से 1990 के मध्य बनाये गये झूठे मुकदमों को वापस न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों, चाहे वह किसानों के संगठन हों, चाहे छात्रों-नौजवानों के संगठन हों या मजदूरों के संगठन हों, इन संगठनों और दलों द्वारा जनहित के मामलात को लेकर पिछले दस वर्ष में और कहिये कि ग्यारह वर्ष में, सन् 1980 से 1990 के बीच में विभिन्न आन्दोलन चलाये गये और विरोधी दल का सदस्य होने के नाते हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभी भी मुकदमे दर्ज हैं। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने स्वयं ने पिछले चुनाव में और चुनाव के बाद में विभिन्न कार्यक्रमों में और अपने दल की सभाओं में स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि जितने भी राजनीतिक मुकदमे हैं, चाहे वह मजदूर संगठनों के आन्दोलन से सम्बन्धित हों, चाहे छात्रों के विरुद्ध, चाहे किसान-मजदूरों के आन्दोलनों के हों, इस तरह के जो भी मुकदमे दर्ज किये गये हैं उन्हें सरकार वापस ले लेगी। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मेरे स्वयं के जिले झुन्झुनू में किसान उपभोक्ता संघर्ष समिति—जो विरोधी दलों का ही एक साझा मंच था, उसके माध्यम से आन्दोलन हुआ था, वहां एक किसान बालू राम शहीद हो गया था और उस आन्दोलन के दौरान जो मुकदमे 40 लोगों के खिलाफ दर्ज किये गये थे जिनमें विभिन्न धाराओं से सम्बन्धित मुकदमे हैं, उन मुकदमों को आज तक क्यों नहीं वापस लिया गया? उन मुकदमों के अलावा भी मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय हो, जोधपुर विश्वविद्यालय हो या अन्य महाविद्यालय या कॉलेजेज में हों, चाहे वह इंजीनियरिंग में हों या मेडिकल कॉलेजेज में हो, इनमें इन दस सालों के समय में कई आन्दोलन चले और उन आन्दोलनों को कुचलने के लिए सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज किये। एक साल बीत गया नई सरकार को, लेकिन अभी तक मुख्य मंत्रीजी के बार-बार आश्वासन के बावजूद उन मुकदमों को वापस लेने की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश में जनतांत्रिक आन्दोलनों को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा आन्दोलन न कुचले जायें और झूठे मुकदमों में फंसा कर संघर्षशील जनता के मनोबल को न तोड़ा जाय, इसके लिए आवश्यक है कि इस तरह के जितने भी मुकदमे हैं, जो रंजिश से कहिये,

(डा. चन्द्रभान)

राजनीतिक रंजिश के चलते हुए, छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों के खिलाफ सन् 1980 से लेकर आज तक जो भी राजनीतिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो झूठे मुकदमे हैं, उनको सरकार वापस ले और भविष्य में भी इस तरह की व्यवस्था करें कि जो भी जनतांत्रिक आन्दोलन हों, में जो भी लोग हिस्सेदारी करते हैं उनके खिलाफ सरकार आन्दोलन कुचलने की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए झूठे मुकदमे दर्ज न करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : मानीय उपाध्यक्षजी, प्रदेश के अन्दर 1980 से लेकर आज तक राजनीतिक आन्दोलन, छात्र आन्दोलन और विभिन्न आन्दोलनों के अन्दर राजनीतिक कार्यकताओं के ऊपर झूठे मुकदमे बनाये गये हैं उनको वापस लेने के लिए सरकार कार्यवाही करे, इसके लिए आपसे निवेदन है। भारत बंद के समय 30 अगस्त, 79 को पूरे राजस्थान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह के मुकदमे बनाये गये थे और इसके साथ पिछले कई वर्षों में जोधपुर क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को छोटी-मोटी मांग और आन्दोलन को लेकर मुकदमे बनाये गये हैं उनको वापस लेने के लिए मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह। श्री जनार्दन सिंह गहलोत। श्री हेतराम बेनीवाल। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी पड़ता है और इसके लिए कई बार आन्दोलनात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। चाहे वह किसी भी पार्टी को लेकर हर व्यक्ति जब अपनी मांग के लिए उठता है तो कई दफा उत्तेजना में आकर कुछ ऐसे कदम हो जाते हैं जिनके कारण उनके ऊपर मुकदमे लगा दिये जाते हैं। इस प्रकार के मुकदमे चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लगाये जाते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे वह छात्रों का मामला हो, चाहे वह मजदूरों का मामला हो, सब आन्दोलन कर के अपनी मांग को सरकार के सामने रखते हैं और जब उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वह उसके प्रति अपना रोष व्यक्त करते हैं। उसी का परिणाम होता है कि कई बार मुकदमे लगा दिये जाते हैं। उसके बारे में कई बार आश्वासन दिया गया कि इन मुकदमों को बाद में ले लिया जायेगा, परेशान नहीं किया जायेगा लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अनेक छात्रों के केस आज कई वर्षों से चल रहे हैं, उनको आज तक वापस नहीं लिया गया है। इसी प्रकार किसानों के आन्दोलन के मुकदमों को भी वापस नहीं लिया गया। ग्रामीण किसान भाई कई बार अपनी किसी भी मांग, जैसे डीजल का मामला हो, और कई मामले हैं, बिजली की समस्या हो, अनेक समस्याओं को लेकर कई बार एक साथ कोई आन्दोलन करते हैं तो उसमें कई बार तनाव पैदा हो जाता है और परिस्थितिवश कई प्रकार

(श्री रामस्वरूप मीणा)

के मुकदमे लगा दिये जाते हैं लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि छात्रों के ऊपर, किसानों के ऊपर, अन्य नेताओं के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगा दिये जाते हैं उन मुकदमों को तुरन्त सरकार वापस ले ताकि छात्रों का भविष्य इन मुकदमों के कारण खराब न हो सके। ऐसे छात्र नेता और अन्य हमारे किसान नेता या और भी हमारे मजदूर, जिनके ऊपर इस प्रकार के मुकदमे लगाये गये हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाय ताकि भविष्य में उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान न उठाना पड़े। यह मेरा आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है और जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं निश्चय ही यह कह सकता हूं कि सरकार स्वयं भी इस मामले में जागरूक है और इसका उत्तर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं।

वर्ष 1980 से 1990 तक विभिन्न आन्दोलनों के फलस्वरूप जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वह सभी झूठे मुकदमे हैं यह कथन सत्य नहीं पाया जा सका। जब तक कोई विशिष्ट मामला प्रकाश में नहीं लाया जाता है तब तक यही माना जायेगा कि मुकदमा सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत सही रूप से दर्ज किया गया है। यदि किसी विशिष्ट मामले में उल्लिखित होता तो उसके सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करा सूचना दी जा सकती थी। प्रत्येक मुकदमे को न्यायालय से वापस लेने के सम्बन्ध में एक प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। जिसमें मुकदमा वापस लेने के प्रार्थना-पत्र पर सम्बन्धित अधिकारियों से तथ्यात्मक प्रतिवेदन आदि प्राप्त किया जाता है तथा मामला जनहित में वापस लिया जाना आवश्यक पाये जाने पर सक्षम न्यायालय से वापस लेने की कार्यवाही की जाती है व न्यायालय का आदेश अन्तिम होता है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणानुसार गृह विभाग को कह दिया गया है कि राज्य में वर्ष 1980 से 1990 तक के इस प्रकार के जो भी राजनीतिक आधार पर मुकदमे बने हैं उनकी जानकारी जिलों से एकत्रित की जाये और सम्पूर्ण सूचना आने पर ही ऐसे समस्त मुकदमों को वापस लेने का तत्काल निर्णय लिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : मेरे क्वेश्चन्स पूछ लूं, अगर आप इजाजत दें तो? माननीय उपाध्यक्ष जी, केसेज तीन-चार तरह के हैं। एक तो मण्डल कमीशन के खिलाफ लोगों ने आन्दोलन किया वह केसेज चल रहे हैं। कुछ केसेज में आपने अभी चालान नहीं किये, एक स्टेज यह है। कुछ केसेज में चालान कर दिये और इतने मैच्योर हो गये कि शायद दो-चार रोज में ही कन्वीक्शन हो जाय कोर्ट में, वह थर्ड स्टेज है। इसलिए चाहे मण्डल का हो, चाहे चुनाव का हो, चाहे आन्दोलन का हो, उस वक्त जब आप उनको विद-

(श्री केदारनाथ)

ड्राल के लिए कलक्टर या एस. पी. से रिपोर्ट मंगाते हैं तो वह तो अपनी रिपोर्ट यही देगा कि कॉज आफ एक्शन यह था, यह हालत थे, 107-151 में उनको गिरफ्तार किया या फलां धारा में गिरफ्तार किया। वह अपनी ओर से आपको सही रिपोर्ट नहीं देंगे। इसलिए आपने जो फैसला किया, माननीय मुख्यमंत्रीजी नें बड़ा अच्छा ऐलान किया था कि इन दिनों में जो भी केसेज हैं, या तो वह हमें पेश कर दे विद-ड्रा की दरख्वास्त या हम अपने आप मंगवा लें डिपार्टमेंट से, इसलिए आपको पालिसी मैटर में यह कहना चाहिए कि जितने भी केसेज हैं इन दिनों में, चूंकि अब राज आपका आ गया और ऐसा लगता है कि आपका राज रहेगा, इसलिए अपने वक्त में काफी केसेज बने हैं, बिजली के केसेज थे, आन्दोलन के केसेज, थे, काश्तकारों के, विद्यार्थियों के मजदूरों के काफी केसेज थे इसलिए आप तो सारे के सारे केसेस वापस ले लीजिए और जब भी आन्दोलन होते हैं तो वायोलेन्स तो पुलिस अपनी ओर से प्रवोक करती है, आप उसको भी नजरअन्दाज नहीं कर सकते। सारी बातें देखकर आप तो टोटल केसेज के लिए कह दीजिए। आप कह दीजिए, मुख्यमंत्रीजी, आपको मौका कब मिलेगा बार-बार। आप ऐलान कर दीजिए कि सारे के सारे केसेज मैं वापस लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की मांग की है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम वली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री प्रद्युम्नसिंह, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री हेतराम बेनीवाल, श्री रामस्वरूप मीणा इन सब लोगों ने इस बात की मांग की कि इस प्रकार के झूठे मुकदमे वापिस लिये जायें। तो डाक्टर चन्द्रभान, श्री माहिर आजाद या श्री हेतराम बेनीवाल यह तो विपक्ष में रहे हैं और इनको तो असलियत मालूम है, उन्होंने लिखा है वह सही है लेकिन कांग्रेस के सदस्य यह मांग करें कि हमारे शासनकाल में राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर जो झूठे आरोप लगाये हैं और मुकदमे बनाये गये हैं वह वापस लिये जायें, मुझे उनकी सही बात कहने की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा रहा है कि उन्होंने पहली बार इस सदन में एक सही बात को स्वीकार किया है।

प्रोफेसर साहब ने कहा कि सारे मुकदमे वापस लिये जायें, मैं ऐसा सोचता हूं कि गुणावगुण के आधार पर मुकदमे वापस लेने की बात कही जाये तो ज्यादा उचित होगा। आन्दोलनों में कई बार ऐसे प्रकरण भी आ जाते हैं जिन प्रकरणों में लोगों की हानि हुई हैं, एक आदमी को चोट पहुंचाई गई है, किसी की सम्पत्ति को नष्ट किया, सरकारी सम्पत्ति को नष्ट किया–इस प्रकार के प्रकरण हैं वह प्रकरण उस आन्दोलन की परिभाषा में नहीं आते हैं। आज कोई राजनैतिक कार्यकर्ता या राजनैतिक आन्दोलन इस प्रकार का नहीं होता कि बसों को जलाया जाये, इस प्रकार का आन्दोलन नहीं होता कि किसी को चोट पहुंचाई जाये, इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का आन्दोलन नहीं होता कि किसी की संम्पत्ति को नष्ट किया जाये। आन्दोलन एक प्रोटेस्ट के रूप में होता है कि सरकार के किसी निर्णय के विरोध में यदि जनमत या जनता कोई प्रोटेस्ट करना चाहे तो वह प्रोटेस्ट करने का जहां तक तरीका है वह तो समझ में आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आम मुकदमे वापस लिये जायें इस बात को तो में इस समय कह नहीं सकता और मैं समझता हूं सम्भव भी नहीं है लेकिन गुणावगुण के ऊपर जो मुकदमे राजनैतिक विद्वेष के कारण से बने हैं या और किसी कारण से बने हैं उन सारे मुकदमों को वापस लेने की कार्यवाही हम पहले से ही प्रारम्भ कर चुके हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब को कि यदि हम सूचनाएं एकत्रित करें तो हमारे पास दो ही साधन हैं। या तो कार्यकर्ता सूचना दें या फिर सरकारी तंत्र से इस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जायें। आपको याद होगा कि सदन में पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं कि जिन कार्यकर्ताओं को और विधायकों को इस प्रकार के मुकदमों की जानकारी है वह जानकारी यदि सरकार को देखें तो सारी छंटनी करने के बाद में उसका निर्णय ले लिया जायेगा। यह सही है कि मुकदमे वापस लेने का प्रोसीजर-यह भी इतना उलझा हुआ है और जटिल है कि इसमें जब तक सरलता नहीं आयेगी तब तक इस प्रकार का निर्णय शीघ्र हो सके इसकी भी संभावना नहीं होती। इस पर भी सरकार विचार कर रही है कि इस सारी प्रक्रिया को किस प्रकार से सरल बनाया जाये जिसके कारण से इन मामलों का शीघ्र ही निपटारा हो सके और वह निपटारा हम करेंगे निश्चित रूप से।

मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा बालूराम की हत्या के मामले में। मुझे मालूम है और आज भी कहता हूं कि इस प्रकार के प्रकरण है जो कोर्ट में चालान नहीं चाहते या थानों में जिनका इन्वेस्टीगेशन चल रहा है वह समाप्त होने चाहिए। एक ही जगह नहीं राजस्थान में बहुत जगह ऐसी हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा और शायद आप पर भी मुकदमा बना हुआ है घाना के मामले का और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर कई सदस्य ऐसे बैठे होंगे जिनके ऊपर इस प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं। कभी तारीख पर चले जाते हैं, कभी उनका वकील हाजिरी कर देता है और कभी क्या होता है। यह इस प्रकार के मामले चल रहे हैं वह ज्यादा चलें इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और लगे हुए हैं। जिलों से सूचना आ जावे, मैं तो समझता हूं कि मैं सदन को यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों के पास भी इस प्रकार की जानकारी हो तो एक तो एफ. आई. आर. की कापी दे दें और एक यदि उसमें चालान दिया हो तो चार्जशीट की कापी दे दें और यदि उस मामले में चार्जशीट के बाद में कोई स्टेटमेण्ट हुआ हो या और किसी प्रकार की प्रगति हुई हो उसकी जानकारी दे दें ताकि निर्णय शीघ्र लिया जाये। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो सके। आपकी भावनाओं को मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एप्रीशियेट करता हूं इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन इस प्रक्रिया में आप सब का सहयोग मिलेगा तभी जाकर यह व्यवस्था हो सकेगी। वरना मैं घोषणा कर दूं कि मुकदमे वापस लिये जायेंगे इस प्रक्रिया के अनुसार तो बहुत समय लगेगा और जब तक मामले अदालतों में पड़े रहेंगे। कई तरह के फैसले भी हो जायेंगे। अब जहां तक इनवेस्टीगेशन का सवाल है जैसा केदार जी ने कहा कि तीन प्रकार की श्रेणियां बन गयीं और कुछ मामले पुलिस इनवेस्टीगेशन में और कुछ मामले अदालतों में चले गये और कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनमें सजा होने वाली है। मैं ऐसा समझता हूं कि सारे प्रकरण में जब तक एक-एक मामले को गुणावगुण के आधार पर नहीं लिया जायेगा उस समय तक इसकी व्यवस्था होना या इस पर निर्णय करना कठिन होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः अपील करना चाहता हूं कि जिन मामलों के बारे में आप समझते हैं और चाहते हैं कि मुकदमे वापस लिये जायें तो कम से कम इतना सा कष्ट करें कि सारी एफ. आई. आर. या चार्जशीट जो भी कोर्ट में चली गयी या जो मामले पुलिस के पास पैन्डिग पड़े हुए हैं और अगर आगे बढ़ना चाहें तो कितने गवाह हो गये, मामले की क्या स्टेज है इसकी आप जानकारी देंगे तो फैसला करने में बहुत शीघ्रता आयेगी। यही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(क) अधिसूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी.

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 6. (23) राज (ग्रुप–479) 4 दिनांक 22 फरवरी, 1991 जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है, एवं

(2) अधिसूचना संख्या पं. 7 (1) राज. (8) सीलिंग (80) दिनांक 18 दिसम्बर, 1990 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 में संशोधन किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी,

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 6 (2) एम. एण्ड एच. (ग्रुप–3) 87 दिनांक 16 जनवरी, 1991 जिसके द्वारा समान्य नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियम, 1990 विरचित किये गये हैं, को सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतसिंह,।

120

श्री सम्पत सिंह (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1987–88 को सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति, 1990-91 का सातवां, आठवां, दसवां, एवं ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा

(अनुपस्थित)

श्री रमाकांत शर्मा (सदस्य, जनलेखा समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति 1990–91 के निम्नांकित प्रतिवेदन उप-स्थापित करता हूं।

(1) विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष–1978–79 एवं उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट कृषि विभाग से संबंधित अंकेक्षा अनुच्छेद संख्या 3, 5 पर समिति का सातवां प्रतिवेदन

(2) विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 1978–79 एवं उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अंकेक्षा अनुच्छेद संख्या 2. 7, 2. 8, 3. 2, व 5. 3 (1) पर समिति का आठवां प्रतिवेदन

(3) विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 1980–81 एवं उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, (सिविल) में समाविष्ट वित्त विभाग, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा कृषि विभाग से संबंधित अंकेक्षा अनुच्छेद संख्या 2. 9, 2. 9(1) (11) (111) पर समिति का नवां प्रतिवेदन

(4) जनलेखा समिति, 1986–87 के तेरहवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में भूमि और भवन कर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्वित विषयक प्रतिवेदन पर समिति का दसवां–एवं

(5) विनियोग व वित्त लेखे वर्ष 1978–79 एवं उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट खनिज एवं भू-गर्भ विभाग से संबंधित अंकेक्षा अनुच्छेद संख्या 7. 2 पर समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

(1) अनुसूचित जाति की आबादी वाले ग्राम मोतीपुरा (पंचायत माटुन्दा) जिला बूंदी में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक विद्यालय खोले जाने विषयक चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) बूंदी जिले के ग्राम देई से वांसी मुख्य सड़क पर मजनेरी नदी पर जनहित में पुलिया निर्माण विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) बूंदी जिले के नैनवा से बड़ी पड़ाव जाने वाले मुख्य रास्ते पर स्थित

(श्री रामनारायण वर्मा)

पुलिया की मरम्मत करवाये जाने विषयक दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां, चार याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री अमीन खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं:–

(1) जैसलमेर जिले के ग्राम जिन्जनीयाली से सतो वाया बड्या ग्रेवल सड़क को डामर की बनाने विषयक, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

(2) जिला बाड़मेर के ग्राम गूंगा से मोढा–जिला जैसलमेर सीमा तक ग्रेवल रोड को डामर रोड़ बनाने विषयक, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

(3) जिला बाड़मेर के ग्राम गउरारोड से केलनोर तक सीमावर्ती सड़क का डामरीकरण विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका एवं

(4) जिला बाड़मेर के ग्राम सनाउ से खडीन–वाया गंगाला अपूर्ण व ग्रेवल रोड को डामर रोड़ बनाने विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा चार याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :–

(1) कोटा जिले की किशनगंज तहसील में बर्नी प्रोजेक्ट मध्यम सिंचाई परियोजना की स्वीकृति विषयक, 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

(2) कोटा जिले की पंचायत समिति शाहबाद में समरानिया से खटका गणेशपुरा मुहाल से मध्य प्रदेश सीमा तक सड़क स्वीकृत करने विषयक, 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

(3) कोटा जिले की पंचायत समिति शाहबाद में पाजन टोरी भोयल बूढा नोनेरा तक सड़क निर्माण करवाने विषयक 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका। एवं

(4) कोटा जिले की पंचायत समिति शाहबाद में केलवाड़ा से खण्डेला तक सड़क निर्माण करवाने विषयक 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री उपाध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक 1991 को पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : स्थापित विधेयक
राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवर लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे तथा तत्सम्बन्धी अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या–5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक, प्रभारी मंत्री राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगी।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करती हूं।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज वर्मा, प्रभारी मंत्री राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 1991 को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे तथा तत्सम्बन्धी अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990) (1990 का अध्यादेश संख्या-4) एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे तथा तत्सम्बन्धी अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद के लिये समय आवंटन की घोषणा।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : बीलवाड़ी वाला तो दे दें स्टेटमेंट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

बीलवाड़ी काण्ड

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बीलवाड़ी के सम्बन्ध में दिनांक 27-28.1.91 के दरमियान रात को पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) के आदेशानुसार कोतवाली गोवर्धनपुरा-प्रागपुरा पर पुलिस पार्टी द्वारा नाकाबन्दी की गई थी। दिनांक 28.1.91 को सुबह एक जीप नम्बर आर आर ए 9239, जो बानसूर रोड की ओर से कोटपूतली की तरफ आयी, को नाका पार्टी द्वारा रोका गया। परन्तु जीप चालक जीप नहीं रोक कर प्रागपुरा की तरफ तेज रफ्तार से भगा ले गया। उक्त जीप को नाका पार्टी द्वारा गोवर्धनपुरा व प्रागपुरा पर भी रोका गया परन्तु जीप नहीं रुकी। कोटपूतली नाकाबन्दी के इंचार्ज ने सूचित किया था कि उक्त जीप में दो आदमी अगली सीट पर डाटा बांधे बैठे हैं। गोविन्दपुरा पर तैयार इंचार्ज नाका पार्टी श्री आइदाना राम ने उक्त गाड़ी को पकड़ने के लिये पीछा किया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेंट चार बजे देने का कहा था। माननीय ईश्वरलाल सैनी का एक प्रस्ताव था और चार बजे के लिए सरकार की तरफ से कहा गया था।

श्री दिग्विजय सिंह : काहे का, काहे का ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके यह बीलवाड़ी के स्टेटमेंट का।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं यह तो बीलवाड़ी के ऊपर है।

श्री उपाध्यक्ष : बीलवाड़ी कांड पर है।

श्री दिग्विजय सिंह : बीलवाड़ी कांड के ऊपर है। आपका ध्यान नहीं है। आप सदन में थे ही नहीं। (व्यवधान)

आईदाना राम ने उस गाड़ी को पकड़ने के लिये पीछा किया....

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, बीलवाड़ी का ही किया था और आसन से चार बजे की व्यवस्था दी थी कि चार बजे इसको....

श्री दिग्विजय सिंह : आप इसको सुन लें उसके बाद उस पर व्यवस्था हो जायगी।

श्री जुबेर खान : नहीं, एक दे चुके हैं कि चार बजे यह लिया जायगा। जिन लोगों ने यह उठाया है वह सब गये हुए हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : अपनी गाड़ी को विराटनगर रोड पर रोक दिया....

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन द्वारा यह व्यवस्था दी गई

(श्री जुबेर खान)

है कि चार बजे सरकार रिप्लाई देगी इस पर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : परन्तु विराटनगर से पहले नौरंगपुरा रोड की तरफ जीप को घुमा दिया....

श्री प्रद्युम्न सिंह : भैरोंसिंहजी, एक मिनट।

श्री दिग्विजय सिंह : बीलवाड़ी गांव के निकलने के बाद उक्त गाड़ी....

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक सैकण्ड। ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संदर्भ में बीलवाड़ी वाले मामले के अन्दर सम्माननीय अध्यक्षजी से सुबह, प्रातःकाल निवेदन किया था। उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट आ रहा है। और मैंने कहा था कि चार बजे स्टेटमेंट आ जाय क्योंकि उसके कुछ तथ्य हमारे पास हैं, उन तथ्यों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। उन्होंने कृपापूर्वक स्वीकार कर लिया था कि चार बजे स्टेटमेंट आ जायगा। Kindly don't take it otherwise. आप चार बजे दे दें।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, चार बजे ठीक है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हिण्डौन पहले ले लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हिण्डौन ले लें आप पहले।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, चार बजे दूंगा मैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर आप हिण्डौन ले लें।

श्री दिग्विजय सिंह : दोनों ही दे दूंगा उसके बाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, ठीक है।

घोषणा

आय-व्ययक पर वाद विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष : आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद के लिये समय आवंटन की घोषणा।

भारतीय जनता पार्टी	7 घण्टे
कांग्रेस (आई)	4 घण्टे
जनता दल	2 घण्टे 15 मिनट
जनता दल ग्रुप विधायक दल	2 घण्टे
सी. पी. एम.	5 मिनट
निर्दलीय	40 मिनट

16 घण्टे हैं।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमाकान्त शर्मा।

श्री नत्थीसिंह : विरोध पक्ष के पहले बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह हमेशा से परम्परा रही है। हमारी तरफ से लिस्ट दी गई है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बोलें। श्री चन्दनमल बैद।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिह शेखावत ने जब पहला बजट पेश किया था तो मैंने उनको बधाई दी थी अब दूसरा और अपना अंतिम बजट पेश किया उन्होंने तो मैं उनको और उनकी पार्टी को विदाई दे रहा हूं क्योंकि कहने को तो वह कहते हैं कि बिना टैक्स का बजट पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट की सैंक्टिटी आज खतम की जा चुकी है क्योंकि बजट में टैक्स लगाने की जरूरत भी क्या है। साल भर पड़ा हुआ है। पैसेंजर्स पर किराया बढ़ाया गया, बिजली की बहुत सी दरें बढ़ाई गई और न मालूम क्या-क्या किया गया। उसके लिए तो साल भर पड़ा हुआ है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी, इस साल शायद आपको साल भर नहीं मिले।

उपाध्यक्ष जी, इस सरकार ने साल भर कोई भी काम नहीं किया। अगर काम किया है तो केवल भ्रष्टाचार बढ़ाने का, महगाई बढ़ाने का, अल्पसंख्यकों और हरिजनों पर अत्याचार बढ़ाने का या इस सदन की मर्यादाओं और परम्पराओं को भंग करने का। इसके अलावा कोई भी काम नहीं किया।

डा. हरिसिंह : यह कम हैं क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, कम तो नहीं हैं, बहुत ज्यादा हैं। विकास के काम में यह शून्य हैं। साढ़े पांच हजार प्राइमरी स्कूल बन्द करके एक हजार प्राइमरी स्कूल खोल करके वाह-वाही लूटना चाहते हैं और 195 नगरपालिकाओं में 25 प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते हैं और मिडल स्कूल–सारे राजस्थान में जिले हैं 30 और मिडल स्कूल हैं 25, तो इस तरह से यह जो विकास के काम कर रहे हैं इससे मैं कहना चाहता हूं कि विकास की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े देकर साबित करूंगा कि इन्होंने विकास के काम में कुछ नहीं किया और जो मौका इन मुख्य मंत्रीजी को मिला वैसा मौका दूसरे किसी भी मुख्य मंत्री को आज तक विकास करने का नहीं मिला क्योंकि नवें वित्त आयोग ने जितना पैसा राजस्थान को दिया है उतना पैसा किसी भी वित्त आयोग ने राजस्थान को नहीं दिया। केवल 5 साल में साढ़े छः हजार करोड़ वित्त आयोग ने राजस्थान को दिये जब कि आपका बजट है पांच हजार करोड़ से कम का। यह कहते हैं, पहले भी ढोल पीटते रहे हैं कि यह वित्त आयोग से पैसा लाने का श्रेय हम को है, अभी भी कह रहे हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वित्त आयोग को रिपोर्ट आपके मुख्य मंत्री बनने के पहले जा चुकी थी, उसका सारा श्रेय कांग्रेस को है। कांग्रेस ने जो मेमोरेण्डम दिया उसके आधार पर साढ़े छः हजार करोड़ का डिवोल्यूशन राजस्थान को मिला और आपने जो मेमोरेण्डम पेश किया है 77 और 80 के बीच में उसके कारण जो 7वें और 8वें वित्त आयोग के डिवोल्यूशन मिला था वह जो था, जहां 9वें आयोग का डिवोल्यूशन 6·15 था वह 7वें वित्त आयोग का आपके मेमोरेण्डम के आधार पर डिवो-

(श्री चन्दनमल बैद)

ल्यूशन मिला 4·33 और 8वें का 4·25। तो यह तो आपकी कारगुजारी है, क्योंकि आपने मेमोरेण्डम पेश किया उस समय आपने कहा था कि हम को अनुदान की राशि नहीं चाहिए हम तो टैक्सो में हिस्सा चाहते हैं। यह आपके मेमोरेण्डम में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। राजस्थान जैसा प्रान्त जहां हमेशा अकाल पड़ते हों, वह अनुदान मांगने से इन्कार करे इसका क्या हश्र होता है यह 7वें और 8वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमने देख लिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं आज 9वें वित्त आयोग से जो साढ़े छः हजार करोड़ हम को डिवोल्यून मिला है वह मिलने के बाद अगर सही मायने में कोई सही मुख्य मंत्री होता तो राजस्थान में विकास की नदी बहा देता।

(2.45 म. प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

और अगर विकास नहीं करता तो कम से कम राजस्थान की जनता को यह जरूर कहता कि इतना बड़ा डिवोल्यूशन मिला, मैं आपको टैक्सों में राहत दे रहा हूं। आपने क्या राहत दी–पांच हजार करोड़ के बजट में ? चार करोड़ की राहत दी बिन्दी, काजल और चुटीले पर। बहुत धन्यवाद आपको।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 9वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आई, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि 4-5 दिन पहले हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दिल्ली में एक स्टेटमेंट दिया जो अखबारों में छपा है उसमें उन्होंने बड़े जोर से छाती ठोक कर कहा कि हमने एक्सपेंडिचर कम किया और टैक्स ज्यादा लगाये इस वास्ते यह 9वें वित्त आयोग का डिवोल्यूशन हम को मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टैक्स के जो नार्म्स वित्त आयोग ने तय किये थे जिसको नार्मेटिक एप्रोच कहते हैं वह उन्होंने 88-89 के आधार पर तय किये थे उस समय आप यहां नहीं थे और उन्होंने जो खर्चे के नार्मेटिक तय किये थे वह 86-87 के आधार पर किये थे उस समय भी आप नहीं थे। 86-87 में राजस्थान में जो खर्चा हुआ, नार्मेटिक तय किये गये थे, राजस्थान ने उससे कम खर्चा किया और 88-89 में टैक्स एफर्ट्स के जो नार्मेटिक तय किये थे, राजस्थान ने उससे ज्यादा टैक्स लगाया। मैं इस वास्ते कह रहा हूं कि आज वित्त आयोग ने जब यह एप्रोच ले लिया है कि कौन स्टेट टैक्स एफर्ट्स कितना करती है और कौन स्टेट अपने एक्सपेंडिचर में कितनी कमी करती है, कितना नीचे रहती है। उसके आधार पर डिवोल्यूशन किया जाय उस समय हमारा इस तरह का रवैया कि हम एक्सपेंडिचर तो बढ़ाते चले जायं और टैक्स एप्रोच की तरफ ध्यान नहीं दें, आगे जाकर नुकसानदेह साबित होने वाला है। मैं इस वास्ते भी कहना चाहता हूं कि आपने जो गाडगिल फार्मूला के वक्त में नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें जो आपने भाषण दिया उसमें भी आपने टैक्स एफर्ट्स का विरोध करके फिस्कल मैनेजमेंट की तारीफ की और यह कहा कि टैक्स एफर्ट्स को हटा कर फिस्कल मैनेजमेंट का पक्ष रखा जाय। मैं

(128)

(श्री चन्दनमल बैद)

निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार तो आपने 77-80 के बीच में मेमोरेण्डम पेश किया उससे तो राजस्थान का अहित कर चुके हैं और फिर दुबारा इस बात की पैरवी करके कि टैक्स एफर्ट्स की जगह फिस्कल मैनेजमेंट को रखा जाय, मैं कहना चाहता हूं कि यह फिर एक गलती की क्योंकि फिस्कल मैनेजमेंट में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब आगे आयेंगे, हम आगे नहीं रहेंगे। हम अगर किसी चीज में आगे रह सकते हैं तो खर्चे में कमी करने में आगे रह सकते हैं या अपने टैक्स एफर्ट्स में आगे रह सकते हैं। इस वास्ते इस तरह की पैरवी करते हैं वह भी मैं समझता हूं हमने गलती की है।

सभापति महोदय, बजाय इसके कि हम को जो इतना बड़ा डिवोल्यूशन मिला उसको विकास के काम में लायें हमने किया क्या कि हमने बचत करने की कोशिश की और हम इस बात के लिए शाबासी लेना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक में हमने पैसा जमा रखा उससे तीन करोड़ ब्याज का मिला। तो क्या डिवोल्यूशन मिला है वह ब्याज कमाने के लिए मिला है या जनता का, प्रदेश का विकास करने के लिए मिला है?

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 90-91 के रेवेन्यू अकाउण्ट्स के रिवाइज्ड एस्टीमेट में 157 करोड़ की बचत है। क्या जरूरत थी इस बचत को करने की? यह कोई राजा महाराजाओं का राज तो नहीं है कि सामन्ती प्रथा के अनुसार वसूली कर ली और जमा करके रख दिये खजाने में। होना यह चाहिए कि जितना पैसा हम वसूल करें, जितना पैसा हमारे पास आता है वह विकास के कामों में, जनता की भलाई में, हित में खर्च करें। उसके बजाय हमने 157 करोड़ की बजत दिखाई कि 90-91 के रेवेन्यू अकाउंट में 157 करोड़ की बचत हमने दिखाई है। यह समझ में नहीं आता कि किस लिए इस प्रकार का काम किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस बात की बहुत जोर से तारीफ की है कि अच्छे वित्तीय प्रबंध करने से हमारी आर्थिक, वित्तीय स्थिति अच्छी हुई है। यह इस कारण से नहीं हुई है, यह इस कारण से हुई है कि आपको फाइनेंस कमीशन से अच्छा डिवोल्यूशन मिल गया और उसको भी आपने खर्च नहीं किया, बचत में दिखा दिया, इस कारण से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है।

आपने कहा है कि 34 करोड़ की बचत दिखाई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो मोडिफाइड एस्टीमेट थे 90-91 के रेवेन्यू अकाउंट के उसमें और रिवाइज्ड एस्टीमेट में आपके 34 करोड़ बढ़ गये। अगर आप फिगर लेना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं रेवेन्यू और रिवाइज्ड एस्टीमेट में 35 अरब और 4 लाख का फीगर है और मोडिफाइड एस्टीमेट में 34 अरब 62 लाख 95 हजार की फिगर है यानी आपकी दोनों फिगर्स से यह साबित होता है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट में आपका खर्चा 37 करोड़ 13 लाख रुपया बढ़ गया है। अब आप कहते हैं कि 34 करोड़ की आपने बचत की है। तो 34 और 37, 71 करोड़ रुपया यानी मोडिफाइड

(श्री चन्दनमल बैद)

एस्टीमेट के बाद आपने 71 करोड़ रुपये का अपना अनुपयोगी खर्च बढ़ाया और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि आपने खर्च में कमी की है। यह खर्च में कमी करने का उदाहरण है या खर्च बढ़ाने का उदाहरण है। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके रिवाइज्ड एस्टीमेट और जो मोडिफाइड एस्टीमेट आपने पेश किये उन दोनों में रेवेन्यू में रेवेन्यू अकाउण्ट की जो प्राप्तियां हैं उसमें 308 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। यह 308 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है आपके वित्तीय कुशल प्रबन्ध के कारण से हुई है या फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के कारण से ? जिस समय आपने वह बजट पेश किया था मैंने उसी समय कहा था कि फाइनेंस कमीशन से मिलने वाली रकम को आप छिपा कर रख रहे हैं और मैंने यह भी कहा था कि मैं सारा अपना वित्तीय अनुभव दाव पर रखता हू और यह कहना चाहता हूं कि जब आप अपना पूरा बजट रिवाइज्ड एस्टीमेट पेश करें अगले साल तब उस समय आप यह बतायेंगे और आपको यह रकम बतानी पड़ेगी, आप उसको छिपा नहीं सकते। यह वही हुआ क्योंकि मोडिफाइड एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट में 308 करोड़ का फर्क है वह यह साबित करता है कि जब मोडिफाइड एस्टीमेट पेश किया था उस समय आपने फाइनेंस कमीशन की रकम को छिपाया है। यह दिखाने के लिए, यह बताने के लिए कि जब मैं दूसरा बजट पेश करूंगा तो यह साबित कर सकूंगा कि यह कुशल प्रबन्ध के कारण से मैंने इतना सब काम कर दिया। यह कुशल प्रबन्ध के कारण से नहीं बल्कि फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के कारण से है जिसको आपने पहले छिपा रखा था। छिपाने से शायद दो फायदे हुए और राजस्थान को दो नुकसान हुए। उस समय अगर आप छिपाते नहीं तो जो पैसा हमारे सामने उस समय नजर में आता हम इस बात की आवाज उठाते कि इसको आप विकास के काम में खर्च कीजिये। एक तो काम नहीं हुआ और दूसरा आपको यह फायदा हुआ कि आप सारे राजस्थान को, सारे हिन्दुस्तान को यह बता रहे हैं कि यह आप बड़े कुशल प्रबन्धक हैं इस वास्ते यह आपने सारा बजट किया है।

एक और आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 1989–90 के रेवेन्यू अकाउण्ट में, प्राप्तियों में और 1990–91 के रिवाइज्ड एस्टीमेट में 990 करोड़ का फर्क है, 990 करोड़ ज्यादा मिले हैं। यह भी साबित करता है इस बात को कि फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के कारण से यह 990 करोड़ रुपये आपको ज्यादा मिले। अगर नहीं मिले तो आप बताइये कि आपने अपने टैक्सों में कहां कहां बढ़ोतरी की है जिससे यह साबित हो सके कि यह 990 करोड़, 308 करोड़ रुपया कहां से आया ? यह साफ जाहिर होता है कि आपने मोडिफाइड बजट पेश करते समय जान बूझकर इस सदन को गुमराह किया और फाइनेंस कमीशन से जो डिवोल्यूशन मिलने वाला था उसको छिपाया।

अब मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। जब पिछली दफा आपने अपना बजट पेश किया था, अन्तरिम बजट, (वोट आन

(श्री चन्दनमल बैद)

अकाउण्ट) लिया था उसके पहले इधर से बैठने वाले माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने यह कहा था कि केपिटल अकाउण्ट का पैसा रेवेन्यू अकाउण्ट में नहीं खर्च किया जाना चाहिए और आपने इस की ताईद की थी और शाम को ही जब आपने बजट पेश किया तो कैपिटल अकाउण्ट का पैसा रेवेन्यू अकाउण्ट में खर्च कर दिया, ले लिया। फिर जब आपने मोडिफाइड बजट पेश किया तो फिर केपिटल अकाउण्ट का पैसा आपने रेवेन्यू अकाउण्ट में लिया। अब इस समय जब फाइनेंस कमीशन से इतना बड़ा डिवोल्यूशन मिल रहा है, जब आपके बजट 1990–91 के रेवेन्यू अकाउण्ट में 157 करोड़ रुपये की बचत है उसके बावजूद भी आपने यह बजट पेश करते समय 169 करोड़ रुपया केपिटल अकाउण्ट का रेवेन्यू अकाउण्ट में खर्च कर दिया। एक आदमी को पूंजी देते हैं हम कि आपको सड़कें बनानी हैं, पुल बनाने हैं, बांध बनाने हैं, बिजली का काम करना है वह तो आप करते नहीं, पैसा आपके पास रेवेन्यू अकाउण्ट में बहुत है, फाइनेंस कमीशन से डिवोल्यूशन बहुत मिल रहा है उसके बावजूद भी जो केपिटल अकाउण्ट का पैसा रेवेन्यू अकाउण्ट में खर्च करते है, और आप खुद इस बात को मानते हैं कि यह काम गलत है। अब यह कुशल प्रबन्ध है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आप मानते हो गलत है।

श्री चन्दनमल बैद : बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने किए है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने किया तो मेरी गलती थी। इसमें क्या बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने नहीं किया होगा अगर किया होगा तो मैंने भी गलती की है। लेकिन आप मानते हुए भी गलती कर रहे हैं। क्या आप सही मान रहे हैं इसको ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बता देता हूं आपको, एक मिनट सुन लें, आप कागज भी देख लें।....

श्री चन्दनमल बैद : आप अपने जवाब में बता दीजियेगा।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

एक तरफ तो आप ज्ञानी बता रहे हैं। यह गड़बड़ कर रहे हैं आप।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, गाडगिल फार्मूले के बारे में आपने बहुत जोर से कहा कि हमने यह यह चीजें उसमें शामिल करवा दीं। गाडगिल फार्मूले के बारे में आप इस बात का प्रचार करते रहे हैं कि हमारे कारण से गाडगिल फार्मूले में मोडिफिकेशन हो रहा है और हम ही इस के लिए जिम्मेदार हैं गाडगिल फार्मूले में हम मोडिफिकेशन करवायेंगे और राजस्थान को इस बारे में बहुत बड़ी राशि दिलायेंगे। सभापति महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि चाहे फाइनेंस कमीशन हो,

(श्री चन्दनमल बैद)

चाहे गाडगिल फार्मूला से प्लान की रकम मिले, हमें हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हम ज्यादा से ज्यादा धन गाडगिल फार्मूला से और फाइनेंस कमीशन से प्राप्त करते रहे लेकिन साथ में हमको यह भी सोचना चाहिये कि हमको क्या रकम मिल रही है। अगर इसको हम नहीं सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि हम गलती कर रहे हैं। हम भी बराबर जब भी सत्ता की बैंचों पर बैठे रहे हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे कि गाडगिल फार्मूला में चेन्ज हो जिससे कि हमको ज्यादा धनराशि प्लानिंग कमीशन की तरफ से मिले। अब आप यह कहें कि गाडगिल फार्मूला में जो चेन्ज हो रहा है या जो मोडिफिकेशन करने की जो मीटिंग हुई वह हमारे प्रयत्नों से हुई। चेयरमैन साहब, यह सही नहीं है। क्योंकि गाडगिल फार्मूला जो बना है वह 1969 में बना और 1980 में एक बार चेंज हो चुका है और दुबारा चेन्ज 1990 में हुआ। तीन हमारे जो प्लान थे वह बिना गाडगिल फार्मूले के चले और उसमें जो हमको डवोल्यूशन मिला वह कम नहीं मिला। पहले प्लान में हमको प्लानिंग कमीशन से जो डिवाल्यूशन आया उसका 7.08 मिला, दूसरे प्लान में हमको 5.85 मिला और तीसरे प्लान में हमको 6.99 मिला तब तो गाडगिल फार्मूला नहीं आया उसके बाद में गाडगिल फार्मूला 1969 में जारी हुआ तो हमको फिर फोर्थ प्लान में 7.09 डिवोल्यूशन मिला। जितना डिवोलूशन प्लानिंग कमीशन से आया उसका 7.09 हमको मिला और पांचवें प्लान में हमको 5.90 मिला। तो मैं यह कहना चाहता हूं, चेयरमैन साहब, हमारी आबादी इस समय सारे भारत की 5 पर्सेण्ट है और जिस समय डिवोल्यूशन मिला है उस समय शायद साढ़े चार पर्सेण्ट रही क्योंकि सारे देश में आबादी बढ़ाने में हम एक नम्बर पर हैं इस वास्ते हमारी आबादी बढ़ कर 5 पर्सेण्ट हो गयी। पहले शायद साढ़े चार पर्सेण्ट थी। तो साढ़े चार पर्सेण्ट की आबादी वाले प्रदेश को यह जरूरी है कि हमको डिवोल्यूशन के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आप गाडगिल फार्मूले का समर्थन करते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं गाडगिल फार्मूले का इस मायने में समर्थन करता हूं कि राजस्थान के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान के साथ अन्याय गाडगिल फार्मूले से ही हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, राजस्थान के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। नहीं, मेरी बात सुनिये आप। आप कुछ भी कहिये। आप हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ मिल करके किसी तरह से भी मेमोरण्डम पेश करने के लिए लाये, मैं यह जरूर कहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुरानी सरकारों ने इस गाडगिल फार्मूले का विरोध किया है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा न कि ज्यादा पैसा प्राप्त करने के लिए हमको हमेशा आवाज उठानी चाहिये लेकिन गाडगिल फार्मूले के साथ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह विरोध किया है कि फार्मूला गलत है।

श्री चन्दनमल बैद : गाडगिल फार्मूले से हमारे साथ अन्याय हुआ है, मैं यह नहीं मानता।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : एरिया में वृद्धि कर दी जाये, पापूलेशन में वृद्धि कर दी जाये तो क्या 60 पर्सेन्ट पापूलेशन है। अब उन्होंने 60 की जगह 65 कर दिया, यह एक नया मोडिफिकेशन किया है।

श्री चन्दनमल बैद : मोडिफाई कर दिया लेकिन एरिया नहीं दिया। पापूलेशन में 55 कर दिया जिसमें कि हमारी पापूलेशन बढ़ गई। इसमें पापूलेशन में जो आपने कम किया है इससे हमको फायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है।

श्री केदारनाथ शर्मा : अगर एरिया को देते तो हमें ज्यादा फायदा होता।

श्री चन्दनमल बैद : हां, ज्यादा फायदा होता। ठीक बात कहते हैं। ज्यादा फायदा लेने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिये लेकिन मैंने आंकड़ों से यह साबित किया है कि गाडगिल फार्मूले से हमको जो पैसा मिला है वह हमारी पापूलेशन के लिहाज से ज्यादा मिला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारी बैकवर्ड स्टेट्स गाडगिल फार्मूले का विरोध कर रही हैं और मुझे दुःख है कि हमारे इस सदन में हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी गाडगिल फार्मूले का समर्थन कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं गाडगिल फार्मूले का इस मायने में समर्थन कर रहा हूं कि उसने हमारे साथ अन्याय नहीं किया लेकिन फिर भी गाडगिल फार्मूले से ज्यादा पैसा मिले, इसकी हमको कोशिश करते रहना चाहिये। यह मैं शुरू में कह चुका हूं। इस आशय से मेरी बात को उलटी मत कीजिये। (व्यवधान)

गाडगिल फार्मूले में 8 में चेंज होने के बाद हमारा जो सिक्स्थ प्लान का डिवोल्यूशन था वह 6.41 था और सेवन्थ प्लान में हमारा 6.45 हुआ। अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शुरू में गाडगिल फार्मूला क्या था? पापूलेशन के आधार पर 60 पर्सेन्ट था, पर केपिटा इनकम पर 10 पर्सेन्ट था, टैक्स एफर्ट्स पर 10 पर्सेन्ट था, मेजर इरिगेशन एण्ड पावर प्रोजेक्ट्स पर 10 पर्सेन्ट था, स्पेशल प्राबलम्स पर 10 पर्सेन्ट था। 80 में जब यह चेंज हुआ तब पापूलेशन पर 60 पर्सेन्ट रहा, पर केपिटा इनकम पर 20 पर्सेन्ट हो गया, टैक्स एफर्ट्स पर 10 पर्सेन्ट हो गया, स्पेशल प्राब्लम्स पर 10 पर्सेन्ट हो गया और अब 90 में आप वहां पर बहुत लम्बा चौड़ा भाषण देकर आये तो पापूलेशन पर 55 पर्सेन्ट रहा, पर केपिटा इनकम पर 25 पर्सेन्ट हुआ, फिस्कल मैनेजमेंट

(श्री चन्दनमल बैद)

पर 5 पर्सेन्ट हुआ। इसकी आपने वकालत की थी और स्पेशल प्राब्लम्स पर 15 पर्सेण्ट हुआ। अब जब आपने बजट भाषण में यह कह दिया कि डेजर्ट को इन्क्लूड करा दिया। चेयरमैन साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्पेशल प्राब्लम्स में जो-जो चीजें इन्कलूड हैं, उससे नोन स्पेशल स्टेट्स में कौनसी स्टेट बाकी रह गयी। अब आप नान स्पेशल स्टेट्स शब्द यूज कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि साधारणतया जो स्टेट्स हैं, वे स्पेशल स्टेट्स नहीं हैं। उसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं, उसमें से कौनसी बाकी रह गयी, स्पेशल प्राब्लम्स में पहली बार व्याख्या की गई है और ये चीजें इन्क्लूड की गई है :

Coastal area, special environmental issues, flood and drought prone area, excessly scarce and thickly populated area, special financial difficulties for achieving minimum plan size and desert problems and problems of slums in the urban area इन 6 बातों को स्पेशल प्राब्लम्स में इन्क्लूड किया गया है। अब मुझे यह बतावें कि इन 6 प्रोब्लम्स में से कौनसे स्टेट्स बच गये, गुजरात बच गयी कि महाराष्ट्र बच गया कि बंगाल बच गया कि कर्नाटक बच गया, केरल बच गया, कौनसा बच गया। कोई स्टेट नहीं बचा तो आप किस बात की वाहवाही ले रहे हैं। आपने तो जो बातें रखी थीं, उन बातों को माना ही नहीं। आपने तो जो बातें रखीं, वह मैं आपको बताऊं। एरिया को एरिया के हिसाब से होना चाहिये तो आपके कहने पर गाडगिल फार्मूले में चेंज हो रहा था और आपके कहने से एरिया को नहीं रखा। आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पैरवी की थी, वह भी नहीं रखा गया। आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स की आबादी का क्राइटेरिया रखने की बात कही थी, वह भी नहीं माना गया। आपने कहा था राजस्थान को विशिष्ट श्रेणी के राज्य में शामिल किया जाये, वह भी नहीं मानी गई और एक बात मानी गई जो आपके अगेन्स्ट जाने वाली है वह है टैक्स एफर्ट्स की जगह फिस्जीकल मैनेजमेंट को स्थान दिया जाय और फिस्जीकल मैनेजमेंट से फायदा मिलने वाला है महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब को, राजस्थान को नहीं मिलने वाला है और जो आज गाडगिल फार्मूला नया मोडिफाइड हो करके बना है, मेरा यह दावा है कि इस बात से सेवन्थ प्लान में आपको 6.45 मिला है और नये गाडगिल फार्मूले से आपको इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है बल्कि इससे कम ही मिलेगा। यह तो अच्छा हुआ कि हमारे जो श्री चन्द्रशेखर जी, प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कह दिया पहले ही कि यह नया मोडिफाइड गाडगिल फार्मूला है, उसके बारे में कई स्टेट्स को एतराजात हैं। इस वास्ते इसको फिर से रिकंसीडर किया जायेगा। यह तो अच्छा हुआ नहीं तो आपके प्रयत्नों से तो हम गाडगिल फार्मूले में भी घाटे में रहते। इस वास्ते मैं यह कहना चाहता हूं कि, चेयरमैन साहब, हमारे वित्त

(श्री चन्दनमल बैद)

मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी, कम से कम कोई भी इस तरह की बात केन्द्र में पेश करें, उससे पहले अगर उनके सलाहकार ठीक नहीं हैं तो कम से कम दूसरी पार्टियों के लोगों से सलाह कर लिया करें कि इसको किस तरह से स्टैण्ड वहां लेना चाहिये, जिससे राजस्थान का अहित न हो । अब मैं इस बात की तरफ चर्चा करना चाहता हूं कि तीन मुख्य मंत्रियों ने एक मेमोरण्डम पेश किया है भारत सरकार को कि इन-इन चीजों के बारे में इन तीन स्टेट्स को विशेष प्रावधान या विशेष सहायता मिलनी चाहिये इन चीजों के बारे में । चेयरमैन साहब, मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि आज हम क्षेत्रीयवाद की तरफ बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का तो यह रवैया बन गया है कि किसी तरह से गुट बना करके जो केन्द्र में हमारी सरकार है, उसको कमजोर किया जाय । मैं एक मजबूत केन्द्र के पक्ष में हूं और मैं यह चाहता हूं कि हमारा केन्द्र आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से मजबूत हो और इनकी कोशिश यह है कि किसी तरह से गुट बना करके हम केन्द्र की सरकार को कमजोर करें और इस वास्ते इस तरह के गुट बना करके यह काम करना चाहते हैं । मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे इस सदन के सारे लोग चाहे इधर बैठे हों और उधर बैठे हुए हों, वे इस बात की कोशिश करेंगे और इस बात की ताईद करेंगे कि हमारा केन्द्र मजबूत होना चाहिये, हमें सबक सीखना चाहिये, इस बात से कि फेडरल स्ट्रक्चर के जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी हालत को हम देखें तो अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर के राष्ट्र, उनके जो फेडरल स्ट्रक्चर हैं, उसको कमजोर करेंगे, तो जो नेशन्स हैं, वे तो अपने आप में कमजोर हो जायेंगे। आप उदाहरण लीजिये रूस का, क्या हो रहा है रूस में । इस वास्ते केन्द्र कमजोर हो रहा है, इस वास्ते कि जो दूसरी फेडरल स्टेट्स हैं, वे अलग होना चाहती हैं । यही हाल हमारा भी होने वाला है अगर हमने केन्द्र को कमजोर करने की कोशिश की । इस वास्ते मैं इस बात की ताईद करता हूं कि हमारा केन्द्र आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिये और इस तरह की जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से उस पर प्रेशर डाल करके उसको कमजोर करें उन कोशिशों की हमें निंदा करनी चाहिये । सभापति महोदय, 25 तारीख को हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक भाषण जो कि हमें सुनाई नहीं दिया, जिसको हमने अखबारों में पढ़ा । इस में इन्होंने कहा कि सदन की परम्पराओं और मर्यादाओं की हम रक्षा करेंगे इसके लिए हम कुछ भी करेंगे । अब कुछ क्या करेंगे, यह तो पता नहीं । लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्रीजी इधर बैठते थे तो सदन की मर्यादाओं और परम्पराओं का हनन जितना उन्होंने किया उतना शायद किसी ने नहीं किया हो । ऐसा मानता हूं मैं कि शायद उनकी समझ में यह बात आ रही है कि जब विपक्ष में बैठे हैं तो सदन की परम्पराओं और मर्यादाओं की रक्षा करने का भार सत्ता पक्ष का हो जाता है । जब वे सत्ता में बैठे तो

(श्री चन्दनमल बैद)

सदन की परम्पराओं और मर्यादाओं की रक्षा करने का भार विरोध पक्ष पर हो जाता है। जैसे उनका तो कोई दायित्व है ही नहीं।

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस करने के लिए चार दिन का समय तय किया था और इसी सदन ने उसको पारित भी किया था। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दुबारा मीटिंग बुलाये बगैर और इस सदन की अनुमति लिये बगैर, एक ही दिन में राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था, उसको पारित कर दिया गया और उसमें उन्होंने हमारे अध्यक्ष महोदय को भी शामिल कर लिया। मैं कहता हूं कि इस सदन की परम्परा और मर्यादा की रक्षा हुई है? क्योंकि वे सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, इस वास्ते मर्यादाओं और परम्पराओं की रक्षा करने का भार तो अब विरोध पक्ष पर है। जब वे इधर बैठ जायेंगे, इधर आकर के, तब सत्ता पक्ष पर मर्यादाओं और परम्पराओं की रक्षा करने का भार हमारे पर आ जायेगा। आप ही की सरकार के मंत्री 25 तारीख को ही नहीं, आज भी जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना, असंसदीय, अशिष्ट और असभ्य गाली-गलौच के भाषण का जो प्रयोग किया, इसी बात से साबित होता है कि अध्यक्ष महोदय ने 50 अश्लील शब्दों को एक्सपंज किया। अब एक्सपंज करने से क्या होगा? वह तो सारे अखबारों में छप चुके। आप कहें तो मैं अखबार पढ़कर सुना दूं आपको। लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसी गलत बातों, असंसदीय बातों का अखबारों के हिसाब से पढ़कर यहां सुनाऊं तो यह अच्छा नहीं होगा। तो यह संसदीय परम्पराओं और मर्यादाओं की रक्षा, जिसका उपदेश आप हमको दे रहे हैं, आप कहां तक निभा रहे हैं? यह उपदेश सब हमारे लिये ही हैं? आप तो केवल उपदेश देने के लिये हैं और उपदेश मानने के लिये हम ही हैं यहां पर। हमारे में जोश नहीं आ सकता है, हमको नाराजगी नहीं हो सकती है सारा जोश और नाराजगी तो आप ही के जिम्मे है। इस वास्ते आप तो परम्पराओं और मर्यादाओं को भंग करते रहें और हमको उपदेश देते रहें। 25 तारीख को आपने उपदेश दिया और 25 तारीख को मर्यादाओं और परम्पराओं को आपने भंग कर दिया।

सभापति महोदय, 48 पेज के इस भाषण में मुख्य मंत्री महोदय ने डेढ़ घण्टा लिया और उस डेढ़ घण्टे में राजस्थान की जनता महंगाई से जो पीड़ित हो रही है, त्रस्त हो रही है, तकलीफ पा रही है, उसकी तरफ एक भी शब्द नहीं कहा। एक शब्द भी नहीं कहा। इनको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि राजस्थान में महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। क्योंकि महंगाई का असर उन पर तो है ही नहीं। वह तो गरीब जनता पर है। मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किये और मैं उन आंकड़ों को सदन को बताना चाहता हूं और उन आंड़कों के हिसाब से मैंने हिसाब भी लगाया कि राजस्थान में किसी भी श्रेणी का कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर महंगाई का बोझ कम से कम 35 पर्सेण्ट नहीं पड़ गया हो।

(श्री चन्दनमल बैद)

चाहे गरीब से गरीब आदमी को ले लीजिये या चाहे अमीर से अमीर आदमी को ले लीजिये। चाहे गरीबी रेखा के नीचे वाले आदमी को ले लीजिये या गरीबी रेखा के आसपास वाले आदमी को ले लीजिये या गरीबी रेखा से ऊपर वाले आदमी को ले लीजिये। लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। इस बारे में उन्होंने कोई चर्चा भी नहीं की।

सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया था कि अपनी बात को साबित करने के लिये मैं कुछ आंकड़े पेश करूंगा। मैं आपके बारे में ही आंकड़े पेश कर रहा हूं। 1 मार्च, 1990 को चीजों के क्या भाव थे और 28–2–1991 को चीजों के क्या भाव थे। अगर इसमें आपको कहीं भी संदेह हो, जैसी आपकी आदत है बीच में खड़े होकर बताने की, तो मेहरबानी करके मुझे जरूर बता दीजिए। 1-3-90 को चीनी का भाव था 8.75 रुपये, आज है 9 रुपये। उस समय गुड़ का भाव था 5 रुपये, आज है 5.50 मूंगफली का तेल उस समय था 26 रुपये, आज है 40 रुपये। सरसों का तेल था उस समय 20 रुपये, आज है 32 रुपये। बनस्पति घी था उस समय 28 रुपये, आज है 40 रुपये। देशी घी, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, कौन खाता है, उस समय 62 रुपये था आज 80 रुपये है। उस समय मूंग–मोगर साढ़े नौ रुपये था, आज 11 रुपये है। अरहर की दाल उस समय 11 रुपये थी, आज 16 रुपये है। चावल खिचड़ी वाले उस समय साढ़े 4 रुपये थे, आज 5 रुपये है। गेहूं उस समय ढाई रुपये था और आज साढ़े तीन रुपये है। (व्यवधान)

मैं सस्ते से सस्ता गेहूं की बात कर रहा हूं।

उस समय बाजरी 2 रुपये 15 पैसे थी, आज 3 रुपये किलो है। चना 6.75 रुपये था, आज साढ़े सात रुपये है। चने की दाल उस समय 8.25 रुपये थी, आज 9 रुपये है।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : मान्यवर बैदजी, यह आपकी दुकान के भाव बता रहे हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो अखबारों में निकल रहे हैं, वह बता रहे हैं। दुकान आपकी होगी।

श्री चन्दनमल बैद : अखबार बताऊं आपको ?

श्री रामप्रसाद कासनिया : उस समय बारानी जमीन का लगान कितना लगता था, यह बताओ आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनकी कोई दुकान नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया : और पक्के खालों की कीमत कितनी लगती थी, यह भी बताओ।

श्री चन्दनमल बैद : यह अखबार है जो मैं साथ लेकर आया हूं। कहो तो पढ़कर बता दूं।

(श्री चन्दनमल बैद)

और अगर मेरी दुकान के भाव भी हों तो कोई बुरी बात नहीं है। आपकी-मेरी दुकान के भाव हों तब भी बुरे नहीं हैं लेकिन मेरी तो कोई दुकान है नहीं। इस वास्ते आप गलती से मेरे घर, दुकान से खरीदने मत आ जाना।

चाय 60 रुपये थी, अब 65 रुपये है। नमक उस समय 50 पैसे था, आज 75 पैसे है। आलू उस समय एक रुपये 75 पैसे था, आज ढाई रुपये है। प्याज उस समय 3 रुपये था, आज 5 रुपये किलो है। मिर्च लाल उस समय 17 रुपये थी, आज 20 रुपये है। केरोसीन तेल 2.80 रुपये था उस समय प्रति लीटर, आज 3.30 रुपये प्रति लीटर है।

तो डीजल, पैट्रोल, साबुन, तेल, कपड़ा, इन सारी बातों की बात इस वास्ते नहीं कर रहा हूं, मैंने यह सारे जो भी आंकड़े लिये हैं, इस लिहाज से लिये हैं कि एक गरीब से गरीब आदमी खाद्य वस्तुओं पर कितना पैसा खर्च कर रहा है। अगर आपका राज आने के पहले वह महीने में 100 रुपये खर्च करता था तो आज निश्चित रूप से 135 रुपये खर्च कर रहा है। 35 प्रतिशत महंगाई देश के आजाद होने के बाद आज सबसे पहली बार बढ़ी और उस हालत में बढ़ी है, जब आपने महंगाई के नाम पर चुनाव लड़ा था और फसल इस समय सबसे बढ़िया हुई है, जिसकी तारीफ आपने भी अपने भाषण में की है और आपके बहुत हैण्ड-आउट्स में और बहुत से वक्तव्यों में हुई है। उस समय यह स्थिति है। तो क्या मैं यह समझूं कि महंगाई से आपको कोई परेशानी नहीं है।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। अब भ्रष्टाचार के बारे में, यहां जो बसों की हड़ताल चली उसको आपने इस वास्ते तो जल्दी नहीं तुड़वाई कि जिससे आपकी पार्टी के कुछ लोग जिनकी प्राइवेट बसें हैं वह बसें चला सकें और खूब पैसे कमा सकें और भारतीय जनता पार्टी का जो महा अधिवेशन हुआ.... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : उसके परमिट किसने दिये थे ?

श्री चन्दनमल बैद : और जो विचारार्थ आये और जो विजयार्थ दिल्ली गये हैं, विचारार्थ जयपुर आये और विजयार्थ दिल्ली गये हैं उस वक्त जो 10 करोड़ रुपये आपने इकट्ठे किये....

श्री शांतिलाल चपलोत : झण्डा गाड़ने दिल्ली गये थे।

श्री चन्दनमल बैद : हाँ गड़ेगा। इंतजार करो थोड़ा।

श्री रामप्रताप कासनिया : आप तो बजट भाषण का पेज नं. 14 निकाल लें।

श्री चन्दनमल बैद : 10 करोड़ कहां से आये ?

मेरे पास इस बात की सूचना है कि शराब के ठेकेदारों से 6 करोड़ रुपये लिये गये और उसके लिए उसको यह रियायत

(श्री चन्दनमल बैद)

दी गयी है कि तुम्हारा ठेका एक साल की जगह दो साल कर दिये जायेंगे । तुम्हारे जो ग्रुप्स है वह जैसा तुम चाहते हो बदल दिया जावेगा और जो नियम है ठेके देने के उनको भी बदल दिया जायेगा।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : बैदजी, आप फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हैं सब प्रक्रिया जानते हैं ...

श्री चन्दनमल बैद : आपको जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दो वर्ष से एक वर्ष करने में 10 करोड़ मिले ना ?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं यह मैं नहीं कह रहा हूं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो क्या कह रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह कह रहा हूं कि आपने एक साल की जगह दो साल किया....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बतायें कि एक साल की जगह दो साल किया या दो की जगह एक किया उससे मिले।

श्री चन्दनमल बैद : एक की जगह दो किया उससे मिले हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : एक के दो तो आपने ही किये थे।

श्री चन्दनमल बैद : हम ने ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां आपने। अब आपने कितना लिया वह बता दें।

श्री चन्दनमल बैद : हम ही ने ग्रुप्स चैन्ज कर दिये। हम ही ने कानून बदल दिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं तो एक ही बात पूछ रहा हू। आप नाराज क्यों हो रहे हैं। दो से एक करने में 10 करोड़ मिले ? या एक से दो करने में 10 करोड़ मिले हैं।

श्री चन्दनमल बैद : वह सारा काम करने में मिले हैं।

श्री जीतमल जैन : आप पहले मिनिस्टर थे कितने लिये ? कितने करोड़ लिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सिद्ध कर सकते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : आपने क्या दो का एक कर दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, मैं एक बात चाहूंगा। वैदजी आरोप लगायें उनको स्वतंत्रता है लेकिन आपको यह आरोप सिद्ध करना पड़ेगा कि ठेकेदारों से 10 करोड़ लिये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे सामने लिये हैं क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : सामने नहीं लिये। आप हाउस में कह रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का सवाल नही है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा मेरी तो जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे है। जानकारी ही नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं फिर बता देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब बता दीजिए। मैं हाउस को एडजोर्न करने को तैयार हूं आप साबित करिए कि 10 करोड़ लिये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आप मेरे पर हावी मत होइये। आप बिराज जाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप साबित करिये। मुझे बताइये कौन से ठेकेदार से लिये हैं? आरोप साबित करिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर।

एक माननीय सदस्य : आप बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : या तो प्रूव करने के लिए तैयार हों या एक्सपंज करिये।

श्री दिग्विजय सिंह : (व्यवधान) अभी अभी यह तय हुआ था कि इस तरह से बिना सूचना के आरोप नहीं लगाये जायेंगे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय ने अभी निर्णय किया था बिना लिखित सूचना के आरोप नहीं लगायेंगे। फिर आरोप लग रहे हैं। यह आरोप.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं सबूत दे रहा हूं। बैठ जाइये। मैं बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक्सपंज करिये। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : यह आपने लिये हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सब आरोप निराधार हैं।

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय सभापति महोदय, इस तरह के आरोप .. (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ....हर मंत्री ने ठेकेदार बुलाये थे....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : एक चार्ज से सबकी बैटरी चार्ज हो गयी है....(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप अपने

140

(श्री सभापति)

स्थान पर बैठ जाइये। किसी ने किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत :....क्या इस तरह के अनर्गल प्रलाप करने के लिए विधान सभा है....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अभी तो शुरूआत हुई है।....(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत . ....इनके अधिकारी जगह जगह घूमे और पैसे इकट्ठे किये....(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : ....अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो सदन को बताइये कि किसने पैसा लिया....

श्री परसादीलाल मीणा : 12 करोड़ कहां से आये ? (व्यवधान)

यह तो एक साल के कारनामों की शुरूआत है।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह कांग्रेस पार्टी नहीं है।

श्री जुबेर खान : सदन की कमेटी बनाकर जांच करा लें....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : ....जो कारनामे किये हैं वह तो बोलेंगे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय चंदनमल जी, अपना वक्तव्य जारी रखें।... (व्यवधान)

ऐसा है जो बात तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, वित्त मंत्री जी जिस समय अपना रिप्लाई देंगे उस समय प्रत्युत्तर दे देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से जो व्यवधान पैदा हो रहा है उसको बंद करके चर्चा जारी रखी जाय।

श्री रमाकांत शर्मा : सभापति मोहदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री परसादीलाल मीणा : 12 करोड़ रुपये कहां से आये ? किस बैंक से निकलवाये ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शांतिलाल चपलोत :...अगर हिम्मत है तो आरोप सिद्ध करो। आप किस शालीनता के तहत बोले जा रहे हैं ? चाहे जिस पर चाहे जैसे आरोप लगा रहे हैं....(व्यवधान)

बैदजी को सदन में माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाय।

श्री रमाकांत शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है।....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : इस तरह के अनर्गल आरोप लग रहे हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को बिठाओ ।....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी, आपने कितना दिया अपने विभाग से यह तो बताओ । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :+++

श्री परसादी लाल मीणा : आप बैठिए । 12 करोड़ कहा से आये । कैसे सारे जयपुर को झण्डों से पाट दिया । झण्डे लगाये वह कहां से आये ? (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी :+++ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री ईश्व लाल सैनी : +++ (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : +++ सतयुग का उपदेश दे रहे हैं । (व्यवधान) ++ |- और हमको उपदेश दे रहे हैं ।

श्री जुबेर खान : हाउस की कमेटी बैठा लीजिए । वह जांच कर लेगी.... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : एक महीने और ठहर जाओ सब पता लग जायेगा (व्यवधान)

श्री रामप्रसाद कासनिया : चार साल तक बछीड़ी खाओ । चार साल तक तो आप बछीड़ी खाते रहो ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । शान्ति रहें । पाइंट आफ आर्डर है ।

श्री मदनलाल सैनी : है कोई जो खड़ा होकर कह दे कि इनके अधिवेशन में इतना रुपया लगा और इतना करोड़ खर्च हुआ । जो हुआ सबके सामने हुआ था (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : कहां से लाये आप, मुझसे सुनना चाहते हो । यह पैसा जो उनके अधिवेशन में लगा, वह पैसा कहां से आया ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

श्री मदनलाल सैनी : इसलिए बैदजी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री जुबेर खान : आप समिति गठित करा लीजिए । दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री मदनलाल सैनी : इस प्रकार के आरोप जब भी सदस्य लगायेंगे, अध्यक्ष से पूर्व स्वीकृति लेकर ही लगायें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बैठो । आपको हिसाब ही पता नहीं है । कहां से आये हो, बैठो आप ।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री मदनलाल सैनी : आरोप लगाये जा रहे हैं, बिना नोटिस....(व्यवधान)

श्री सभापति : हां, पाइण्ट आफ आर्डर। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। बैठ जाइये।

श्री रमाकान्त शर्मा : अधिवेशन एक राजनीतिक दल ने किया है और यह सदन का नियम है कि जो सदन में उपस्थित नहीं हो, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जाता। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हम उपस्थित रहे हैं क्या कभी ?

श्री रमाकान्त शर्मा : यह आरोप किसी व्यक्ति पर नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, इनको पता ही नहीं है कि यह क्या कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई। (व्यवधान)

माननीय सस्दय,....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सभापति महोदय, उनको बैठाओ।

(3.31 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री मदन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, यह इतिहास रहा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदन लाल सैनी : अधिकारियों से जबरन पैसा लिया गया है....

श्री अध्यक्ष : विश्नोई जी कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिये उनको।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि इधर से बैठने वाले माननीय सदस्यों ने, किसी दल के ऊपर जो यहां उपस्थित नहीं है, उसके ऊपर....

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा है कि....

श्री रामस्वरूप मीणा : आई. ए. एस. अफसर रहे हैं, आप सुन लीजिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : राजनीतिक पार्टियों के ऊपर....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाने की जो प्रक्रिया है, वह व्यक्तियों पर लागू होती है। संस्थाओं पर और राजनीतिक दलों पर लागू नहीं होती और नेता महोदय बिराजे हुए हैं, 50 साल से बराबर भाषण दे रहे हैं, आपका कोई एक ही भाषण होगा जिन्दगी में ऐसा, जिसमें कोई आरोप नहीं लगाया हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक साल बता दें, आपने इस तरह का धंधा नहीं किया हो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अगर आपके या किसी मंत्री के लिए कोई आरोप लगाते....

श्री रमाकान्त शर्मा : राजनीतिक दल तो पैसा इकट्ठा चन्दे के रूप में करता ही है फिर इस सरकार ने किया है तो सरकार को बताया जाये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : राजनीतिक दल तो....

श्री परसादीलाल मीणा अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लाल जी, आपके नेता बोल रहे हैं। आप क्यों खड़े हो रहे हो ? बीच-बीच में बोल रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किसी व्यक्ति की मानहानि होती हो तो उस स्थिति में पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। राजनीतिक दल तो एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं। आप भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। किसी व्यक्ति की इसमें मानहानि नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : मैं पूनमचन्द जी की बात से सहमत हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री कालीचरण जी बोलेंगे। कालीचरण जी बोल रहे हैं।

श्री मदन लाल सैनी : वह पैसा तो आज तक नहीं दिया जा रहा है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कालीचरणजी बोल रहे हैं। कालीचरणजी.... (व्यवधान)

कालीचरणजी, एक मिनट बैठिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो सवेरे ही बात हुई थी कि व्यक्तिगत चन्दनमलजी का नाम लेकर इन्होंने आरोप लगाया तो अभी सवेरे-सवेरे....

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : बिल्कुल लेंगे।

श्री अध्यक्ष : जो व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं, सब एक्सपंज कर दिये जायें। ठीक है। हां हो गया। कालीचरण जी(व्यवधान)

आप बैठिये।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया है, मैं उसका प्रदेश कोषाध्यक्ष हूं, इसलिए चन्दनमलजी बैद को चुनौती देता हूं कि एक भी शराब के ठेकेदार से यदि एक भी नया पैसा भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में लिया गया हो और एक भी सरकारी अधिकारी या पुलिस के अधिकारी के मार्फत एक पैसा भी भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में लिया गया हो और यह सिद्ध कर दें तो मैं सदन से अपना इस्तीफा दे दूंगा।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां। प्लीज सुन लीजिए।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन के अन्दर तह-

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

सीलदार, बी. डी. ओ.....(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने एक चुनौती की बात कही है। मैं आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं। मुझे इस बात की जानकारी है। एक मंत्री महोदय के चैम्बर में एक व्यक्ति से पैसे मंगाये गये, जो 25 हजार रुपये देने आया। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने उस समय यह कहा कि यह तो 5 लाख की हैसियत वाला था, आप 25 हजार में ही राजी हो गये और उससे एक लाख रुपये लिये गये। मुझे मालूम है, मैं चुनौती देता हूं।

श्री कालीचरण सराफ : यदि सिद्ध कर दोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं चुनौती देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशीजी। (व्यवधान)

माननीय जोशीजी बोल रहे हैं। आप जरा शांति रखिये, प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ : शर्म नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय जोशी जी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशीजी। आप बैठिये ना। प्लीज सिट डाउन। आप बैठिये। आपके नेता खड़े हैं और आप ही नहीं सुन रहे हैं। हां, माननीय जोशीजी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक पार्टियां अपने काम के लिए चन्दा लेती हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है....

श्री कालीचरण सराफ : गलत तरीके से नहीं लेती।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आज बात करते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, सुनिये। जुबेर खान जी। माननीय सदस्य। माननीय जोशी जी।

श्री हरिदेव जोशी : अगर किसी से चन्दा नहीं लेते हैं तो उसके पास नोट छापने की मशीन होनी चाहिए तभी जाकर के वह अपना काम चलाते होंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : सरकारी प्रभाव से चन्दा नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय रमाकान्त जी। प्लीज हियर हिम।

श्री हरिदेव जोशी : परेशानी की बात तब होती है जब थाली तो कुछ कहे छलनी भी कहने लग जाती है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह बात चन्दनमलजी से कह रहे हैं क्या ? यह शब्द चन्दनमलजी के लिए कह रहे हो ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं जो कह रहा हूं, वह आप समझ रहे हो। मैंने किसको कहा है, आप समझ रहे हो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सारा हाउस समझ गया, मन में आप भी समझ गये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर चुनौती ही देते हैं....

श्री हरिकुमार औदिच्य : जोशी जी, हम सब चुनौती स्वीकार करते हैं आपकी।

श्री हरिदेव जोशी : तो मैं चुनौती देता हूं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हाँ, हां, आप सिद्ध कर दीजिए हम सब जितने बैठे हैं सब चुनौती स्वीकार करते हैं। पहले हम इस्तीफा देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हमें स्वीकार है चुनौती।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अभी तक तो मैं इसको टालना चाहता था, भैरोंसिंह जी को लिखकर भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय, यह लिखकर भेज देऊंगा इसे सस्पेंस में नहीं रखा चाहता, माननीय नेता महोदय बता दें किसने पैसे लिये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आज आपको चिट्ठी लिखकर भेज देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज ही क्यों अभी बता दें न। चिट्ठी लिखकर क्या भेज रहे हैं, अभी बता दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्रीमती विद्या पाठक। बैठिये आप। (व्यवधान).... माननीय सदस्य, बैठें। प्लीज सिट डाउन।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : भ्रष्टाचार में डूबे हुए आप लोग क्या आरोप लगाओगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक, बोलें आप।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहती हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार शराब, शराब के ठेकेदार इन सबके अतिरिक्त किसी को धन्ना सेठ ही नहीं समझती कि चन्दा जो लेना होगा तो शराब के ठेकेदारों से ही लिया जायेगा। हमारी पार्टी ग्रासरूट पार्टी है, हमेशा से चन्दा करती रही है। सरकार की मोहताज नहीं रही, सरकारी मशीनरी कभी काम में नहीं ली। अभी भी नहीं ली। अब भी पार्टी चंदे सरकार के बाहर रहते भी करती रही है और सरकार के अन्दर रहते हुए भी। बिना सरकारी मशीनरी के हम ऐसे कई अधिवेशन और भी कर सकते हैं। हम पब्लिक में घुसे हुए हैं, जनता में घुसे हुए हैं। सरकार की मोहताज, सरकारी मशीनरी की मोहताज, ठेकेदारों से हमें कोई काम्प्लैक्स नहीं। यह आबकारी नीति, जिस पर कई आक्षेप

(श्रीमती विद्या पाठक)

लगाये जा रहे हैं, एक अप्रेल के बाद आप स्वयं को पता लगेगा कि आबकारी नीति पूरे देश में कितनी अच्छी साबित होती है और कितनी क्लीन, रेस्पांसिबल और अकाउण्टेबल नीति होगी। अभी वर्तमान में इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : अब श्री रमाकान्त।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी समाप्त नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : आप चल रहे हैं क्या अभी तक ?

श्री चन्दनमल बैद : हां, मैंने समाप्त नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : बैद जी बोलेंगे, बोलिये। (व्यवधान) आप इनका भाषण तो पूरा होने दीजिए।

श्री हरीश झामनानी : आपने जो आरोप लगाये हैं या तो वे साबित करें या वापस ले लें। ये जो गलत आरोप लगाये हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिए।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माफी मांगो, माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या कहा, मुझे यह तो बताइये। बैठिये आप।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : कि 1 करोड़ रुपए चन्दा लिया है—(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं आरोप को रिपीट कर रहा हूं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : ये शब्द अंकित नहीं हों।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माफी मांगो माफी, झूठे आरोप हैं ये सारे।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आरोप को रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं जो मैंने आरोप लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। माननीय मंत्री जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री जी, बिराजो, बारबार क्यों खड़े होते हो। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी जब विरोधी दल में बैठते थे तो उन्होंने.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : चोर की दाढ़ी में तिनका बोल रहा है जैसे चिल्ला रहे हैं बीच-बीच में, चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री शांतिलाल चपलोत : बोलकर तो देखो, किसी की मां ने दूध पिलाया है तो बोलो।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परसादी लाल जी, आप तो चुप रहिये। बोल रहे हैं चन्दनमल जी, आप काहे को बीच में बोल रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : हमारा निवेदन यह था....

श्री अध्यक्ष : मुझे सुनने तो दीजिए पहले, मुझे सुनने तो दीजिए । आप उनको बोलने तो दीजिए पहले ।

एक माननीय सदस्य : बैठाइये, इनको बैठाइये ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, सुनने तो दीजिए क्या बोल रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : मर्जी आये उस पर बोलने खड़े हो गये बीच में ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अंकित नहीं होने के आदेश हों, तब तक वह बोलेंगे कैसे आगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक साथ सब बोलेंगे तो क्या, आप बैठिये । कोई एक तो बोले ।....(व्यवधान) डूडी साहब बोल रहे हैं कुछ, आप बैठिये ।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि आरोप-प्रत्यारोप के मामले में सारा दिन आज सुबह का भी काफी इस मामले के अन्दर गया और अन्दर जाकर-आकर फैसला हुआ कि इस तरह की आलोचना-आरोप लगाने से पहले इत्तला दी जानी चाहिए । खैर, उसके बावजूद भी वह चलता रहा और कोई न कोई काफी दफा बीच में आ जाता है । लेकिन इस पर्टिकुलर मामले के अन्दर मैं यह कह सकता हूं कि इस आरोप लगाने वाले माननीय सदस्य को ही यह मालूम नहीं था कि यह किस मामले में किस तरह से किस बात का हो, यानि पालिसी को दो साल के लिए रखा जाय तब कोई दस करोड़ लिये जायेंगे या एक साल के लिए किया जायेगा तब लिये जायेंगे । कब और किस तरह ? मतलब बिलकुल इस तरह जैसे आरोप केवल लगाने के लिए हो । इस आरोप को हम पार्टी के ऊपर नहीं मानते । जब शराब के ठेकेदारों से रिश्वत लेने का या चन्दा लेने का मामला आता है तो स्वाभाविक है उस विभाग के मंत्री के ऊपर, उस स्टेट के मुख्य मंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप आता है । यह कोई पार्टी के ऊपर आरोप नहीं है । यह सम्बन्धित हाउस के लीडर के ऊपर भी....

श्री अध्यक्ष : मैं रिकार्ड देख लूंगा । देखिये, इसमें रिकार्ड देखकर अपना डिसीजन लूंगा ।.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह हुआ कि आरोप-प्रत्यारोप लगाने की छूट होगी ? तब कोई चिन्ता नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठिये, बिराजिये आप । प्लीज सिट डाउन । मैं समझता हूं यह तो सुबह आप सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगायें । लेकिन सामान्यत: जो डिबेट होती है तो पार्टीज और गवर्नमेण्ट डॉक में आती है, विरोधी पक्ष उस बारे में अपनी बात कहता है । अब उसको व्यक्तिगत रूप से माना जायेगा कि नहीं, मुझे रिकार्ड देखना पड़ेगा । (व्यवधान)

आप मेरी सुन लीजिए ।

(श्री अध्यक्ष)

सामान्य रूप से गवर्नमेण्ट पर या पार्टियों पर एक दूसरे पर जो आरोप लगाये जाते हैं उनको सामान्य रूप से लिया जायेगा। वे व्यक्तिगत कैटेगरी में आयेंगे कि नहीं, वह निर्णय मैं रिकॉर्ड देखकर लूंगा।....(व्यवधान)

आई विल सी, मैं देख लूंगा। अब नहीं।

श्री लालचन्द डूडी : जब तक आप देखेंगे तब तक यह....

श्री अध्यक्ष : नहीं, ये नहीं। अब आप बैठिये। चन्दनमलजी बैद।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, आज के मुख्यमंत्री जब विरोधी दल के नेता थे....

श्री किशनगोपाल कोगटा : पहले इन्होंने जो आरोप लगाये उसका स्पष्टीकरण होगा। यह नहीं चलेगा मामला। मीटिंग नहीं चलेगी, आगे कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माफी मांगें और स्पष्टीकरण करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : वह कोई सवाल नहीं है, आप बैठिये, मैं देख लूंगा। माननीय सदस्य, बिना देखे कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती। आप बिराजिये, आप बैठिये। आप चलने दीजिये हाउस की कार्यवाही। हां, बोलिये।

श्री चन्दनमल बैद : उस समय उन्होंने बहुत-से आरोप लगाये। जब उन्होंने यह कहा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : जब वे मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने कहा, मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा। इस पर हमारे माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने यह कहा कि पहले जो जो आरोप आपने लगाये हैं उनके बारे में तो आप समाप्त कीजिए। तो उन्होंने उसकी एक कमेटी बना दी कि मैं कमेटी बनाता हूं कि मैंने जो आरोप लगाये हैं उसकी वह जाँच कर लें। अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह कहता हूं कि मैंने जो आरोप लगाये हैं वे भी उसी कमेटी को सौंप दिये जायं। पता लग जायेगा कि मैंने जो आरोप लगाये हैं वे सही हैं या गलत। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : भैरोंसिह जी शेखावत जो आरोप लगायेंगे उसकी जांच तो कमेटी करेगी और चन्दनमल बैद जो आरोप लगायेगा उसकी जांच कमेटी नहीं करेगी, क्यों ? यह पक्षपात क्यों होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब आपका बहुत टाइम हो गया। आपने 2.40 पर शुरू किया था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, फिर अच्छा होगा। माननीय सदस्य तारानगर से आये हैं उन्होंने आरोप लगाये, तीन दिन पहले सम्पतसिहजी ने आरोप लगाये, आज 2-3 सदस्यों ने और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आरोप लगाये। इसी सिद्धान्त के आधार पर आप एग्री करते हैं क्या कि सारे आरोप उस कमेटी को दे दिये जायं ?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं साहब, मैंने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है, मैंने पार्टी पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने महाअधिवेशन के लिए छः करोड़ रुपये शराब के ठेकेदारों से लिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मेरा थोड़ा-सा पाइन्ट बाकी है....

श्री अध्यक्ष : बहुत टाइम हो गया है, आपका टाइम जा रहा है बिराजें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आधा मिनट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बोलिये। अब आप जल्दी समाप्त करिये। (व्यवधान)

प्लीज। अब इनको जल्दी समाप्त करने दीजिए। टाइम हो रहा है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने शुरू में कहा था कि.... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : यह माफी मांगेंगे पहले उसके बाद बोलने देंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जब तक यह आरोप वापस नहीं लोगे तब तक बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।.... (व्यवधान)

एक मिनट श्रीमती तारा भण्डारीजी बोल रही हैं पहले। श्रीमती तारा भंडारीजी बोलिये कृपया।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जयपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का महाअधिवेशन हुआ, बहुत सफल अधिवेशन था इसलिए विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए खिसयाये हुए महाशय.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो बच्चा-बच्ची पैदा हो गया आज।

श्रीमती तारा भण्डारी : असत्य आरोप लगा रहे हैं कभी कहते हैं 10 करोड़, कभी कहते हैं 6 करोड़ यह सठियाये हुए हैं, इनकी आदत रही है हमेशा, करोड़ों रुपये लेने की इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताती हूं कि चन्दा कैसे आया, चन्दा गांव-गांव और घर-घर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और हम महिलाओं ने झोली फैला कर इकट्ठा किया .... (व्यवधान)

यह सठियाये हुए हैं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करवा लीजिए गांव-गांव से चन्दा राम नाम से आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : राम नाम से चन्दा आया है, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

इसकी जांच करवाइये कि गाँव-गांव से चन्दा आया क्या ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : श्री चन्दनमलजी बैद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। चुल्लूभर पानी हाथ में लेकर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चन्दनमलजी बैद।

श्री शान्तिलाल चपलोत : इन्होंने आबकारी मंत्रालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं इस तरह के आरोप क्षम्य नहीं हैं साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय बैदजी, आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री शान्तिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, जब तक माफी नहीं मांगेंगे बोलने नहीं देंगे।

श्री कालीचरण सराफ : पहले माफी मांगें। बोलने नहीं देंगे।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। बिराजें।

श्री हरीश भामनानी : इन्होंने जो आरोप लगाये हैं या तो उन आरोपों को साबित करें या उसे वापस लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। श्री बैदजी....आप खड़े होंगे फिर वह बोलेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : दूसरे सदस्य को बुलवायें और इनको बैठायें। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपके पास सरकार है।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : आप बोलने नहीं देंगे तो हम भी नहीं बोलने देंगे। यह ध्यान रखें।

श्री चन्दनमल बैद : यह मेरे ऊपर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगा रहे हैं मैं श्री भैरोंसिंहजी शेखावत को इस बात की दावत देता हूं....(व्यवधान)

मेरी फाइलें इनके पास में हैं आप जांच करवा लें और फिर कह देना।

श्री रामप्रताप कासनिया (राज्य मंत्री) : सब की सम्पत्ति की जांच करवा लें।

श्री चन्दनमल बैद : करवा लें। मुख्य मंत्रीजी आपके हैं, फाइलें इनके पास में हैं, सारे सरकारी आफिसर इनके पास में हैं करा लें जांच।

श्री रामप्रताप कासनिया : हमारे 100 सदस्यों के पास इतनी सम्पत्ति नहीं मिलेगी जितनी श्री बैदजी के पास अकेले के पास मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बैदजी, समाप्त करिये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय श्री भैरोंसिंहजी, मुख्य मंत्री जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष : श्री बैदजी, आप समाप्त करिये ।

श्री कालीचरण सराफ : माफी मांगें, इन्हें बोलने नहीं देंगे । माफी मांगनी पड़ेगी ।

श्री चन्दनमल बैद : इस अल्प समय की सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया है....हनन किया है ऐसी सरकार की जितनी जल्दी बिदाई कर दी जाय उतना ही राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए श्रेयष्कर है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त ।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पहले पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह है कि अभी आपने हमें व्यवस्था दी है कि जो शब्द हमने सदन की कार्यवाही निकलवाने के लिए निवेदन किया है उसको आप पढ़ेंगे, तो हम यह चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था दें कि आज जब तक सदन की कार्यवाही समाप्त नहीं हो उसके पहले-पहले व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी मंगवा लेता हूं । मंगवा लूंगा । माननीय श्री रमाकान्तजी ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर । अभी आरोप-प्रत्यारोप हुये इसके बावजूद सत्ता पक्ष के लोगों ने जो कि समझते भी नहीं थे, जो इन्वाल्वड भी नहीं हैं, इनोशेन्ट भी थे वह तो हल्ला मचा रहे थे और जो रियली इन्वाल्वड थे वह तो चुपचाप सुन रहे थे....

श्री शान्तिलाल चपलोत : समझदारी का ठेका कांग्रेस वालों ने ही ले रखा है, 75 साल की उम्र हो जाने से समझदारी नहीं आ जाती है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन की हैसियत से आपका प्रोटेक्शन हमें ज्यादा नहीं है वह हल्ला ज्यादा मचा रहे है । और आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : कर रहा हूं ।

डा हरिसिंह : नहीं, नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं सीधा-सीधा ।

डा. हरिसिंह : हमारी तरफ तो आप गुस्सा करके बोलते हैं और उधर हाथ से इशारा करके कहते हैं । यह सब मैं नोट कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह मेरे ख्याल से या तो आप जो नोट कर रहे हैं उसमें कहीं खामी है ।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय,

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हम लोग ज्यादा अनुशासित हैं इसलिए इशारे से मान जाते हैं और यह अनुशासित नहीं हैं।

डा. हरिसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर मेरा यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर यह चाहते हैं कि यह सदन शान्ति से चले तो अपने सदस्यों को काबू में रखें, उन + + + को मालूम ही नहीं पड़ता है, भ्रष्टाचार जो किए हुए हैं वह तो चुप-चाप बैठे हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रमाकान्त जी (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, सदन में व्यवस्था दी थी कि 4 बजे स्टेटमेण्ट पहले होगा उसके बाद आगे कार्यवाही होगी। 4 बज रहे हैं, यह आसन की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस में + + + शब्द एक्सपंज किया जाय। माननीय सदस्य जो फुलेरा से आये हैं वह सदस्यों को + + + बता रहे हैं, वह तो एक्सपंज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : हां, हो गया।

डा. हरिसिंह : मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इरादा नहीं आप....

श्री अध्यक्ष : वह खुद ही मान रहे हैं। एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये आपका इरादा कुछ नहीं है मैं जानता हूं.... (व्यवधान) हम तो दया के पात्र हैं ...

डा. हरिसिंह : आप तो दया के पात्र भी नहीं हैं क्योंकि आपने ऐसे-ऐसे गुनाह किए हैं कि आप दया के पात्र नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बहुत ही इनोशेन्ट वे में बोलते हैं इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, कई बार मुंह से निकल जाती है और ऐसी जो मुंह से निकल जाती है वह आपके काबू की नहीं है उसकी तो हम भी परवाह नहीं करते हैं। अब आप बता देओ कि आपने जान-बूझकर कहा था कि या यों ही निकल गई ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

बीलवाड़ी काण्ड

श्री दिग्विजयसिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बीलवाड़ी के सम्बन्ध में मैं वक्तव्य दे रहा हूं—

"दिनांक 27-28-1-91 के दरमियानों

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दिग्विजय सिंह)

रात को पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) के आदेशानुसार कोतवाली गोवर्धनपुरा-प्रागपुरा पर पुलिस पार्टी द्वारा नाकाबंदी की गई थी। दिनांक 28-1-91 को सुबह एक बजे एक जीप नम्बर आर. आर. ए. 9239, जो बानसूर रोड की ओर से कोटपूतली की तरफ आयी, को नाका पार्टी द्वारा रोका गया। परन्तु जीप चालक ने जीप नहीं रोक कर प्रागपुरा की तरफ तेज रफ्तार से भगा ले गया। उक्त जीप को नाका पार्टी द्वारा गोवर्धनपुरा व प्रागपुरा पर भी रोका गया परन्तु जीप नहीं रुकी। कोटपूतली नाकाबन्दी के इंचार्ज ने सूचित किया था कि उक्त जीप में दो आदमी अगली सीट पर डाटा बांधे बैठे हैं। गोवर्धनपुरा पर तैनात इंचार्ज नाका पार्टी श्री आईदाना राम ने उक्त गाड़ी को पकड़ने के लिये पीछा किया। जीप ड्राइवर ने अलवर तिराहे से अपनी गाड़ी विराटनगर रोड पर मोड़ दी परन्तु विराटनगर से पहले नौरंगपुरा रोड की तरफ जीप को घूमा दिया। बीलवाड़ी गांव से निकलने के बाद उक्त गाड़ी से जिलेटिन–6 सड़क पर बिखर गई। ग्राम नौरंगपुरा से करीब डेढ़ किलोमीटर पहले मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इन्चार्ज पुलिस पार्टी ने सर्विस रायफल से दो फायर किये। जीप करीब 12 फीट ढलान के गड्डे में गिरकर 40 मीटर दूर गिर गई। जीप में 3 व्यक्ति मृत पाये गये, एक मौके पर पकड़ लिया गया व एक भागना बताया। जीप में विस्फोटक सामग्री मिली। इस वाकिये की लिखित रिपोर्ट श्री आईदानाराम द्वारा देने पर मुकदमा नम्बर 10/91 थाना विराटनगर में पंजीकृत किया जाकर अन्वेषण सी. आई. डी. (सी. बी) जयपुर को दिनांक 29-3-91 को स्थानान्तरित किया गया। श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय श्री हरिराम अग्रवाल साकिन रायपुर जिला सीकर द्वारा लिखित रिपोर्ट जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से पेश होने पर मुकदमा नम्बर 15/91 अन्तर्गत धारा 304 आई. पी. सी. थाना विराट नगर पर दर्ज हुआ।

(3·59 म. प.)

(श्री यदुनाथसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

फलस्वरूप तीन आदमी मारे गये और एक आदमी घायल हो गया। पुलिस ने दुर्घटना का असत्य मुकदमा बनाया है। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस में दर्ज कराई गई दोनों रिपोर्टों में विरोधाभास तथा विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन दोनों प्रकरणों की जांच सी. बी. आई. द्वारा करवाई जाए। जिस हेतु भारत सरकार को दिनांक 4.3.91 को अनुरोध किया जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वर लाल सैनी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्राइम ब्रांच की जो इन्क्वायरी रिपोर्ट है वह जरा पढ़कर सुना दें। राजेन्द्र शेखर ने जो आर्डर किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री दिग्विजय सिंह)

क्राइम ब्रांच की कोई रिपोर्ट नहीं आयी उसके बीच में ही सी. बी. आई. को ट्रांसफर कर दिया गया है।

(4.00 म. प.)

श्री सुरेन्द्र व्यास : रिपोर्ट है, 304 (ए) का मुकदमा दर्ज करने के लिए राजेन्द्र शेखर ने एक आर्डर किया है। बिना रिपोर्ट के थोड़े ही आर्डर होता है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ 304(ए) का मुकदमा दर्ज करने के लिए राजेन्द्र शेखर ने आर्डर किया है वह आर्डर किस आधार पर किया है ? बताइये आप। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि डी. जी. ने जो आर्डर किया है वह उस पर किया था कि उनकी विधवा ने उनको भी एप्लीकेशन दी थी उसके ऊपर उन्होंने....

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह आदेश पढ़कर सुना दें आप। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : एक इन्क्वायरी पहले बैठ चुकी है। इसमें जो इन्क्वायरी पहले बैठी थी उसी की रिपोर्ट बता दीजिए आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है इसके साथ बड़े गम्भीर प्रश्न जुड़े हुए हैं। सरकार खुद सहमत है कि मामला बड़ा हीनियस और संगीन है इसलिए सरकार ने खुद इसको सी. बी. आई. को सौंपने की बात कही, चलिए ठीक है। अब शुरूआत दो चीज से होती है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा है यहां पर वह आधार है जो पुलिस की एफ. आई. आर. थी वैसा का वैसा स्टेटमेंट आपने यहां पर पढ़ दिया। आपने जो एफ. आई. आर. पुलिस की तरफ से लॉज की थी वह आपने यूं का यूं ही पढ़ दिया। माननीय गृह मन्त्री जी ने इसकी गहराई में जाने की चेष्टा नहीं की। यह कोल्ड ब्लैडेड केलकूलेटेड मर्डर है। यह सिर्फ इनाम पाने की दृष्टि से है। जीप जा रही थी, पीछे से चैज किया जाकर। यह जिलेटिन विलेटिन डाला डूली की बात यह सब मनगढ़ंत है। मेडिकल रिपोर्ट आप देख लीजिए, 16 दिन तक लोग घूमते रहे। कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई। मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। एक इन्वेस्टीगेशन आफिसर लगाया सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच का, फिर बदलकर दूसरा इन्वेस्टीगेशन आफीसर लगाया क्राइम ब्रांच का। सारे मामले को हश अप करने की चेष्टा की। भला हो एक अखबार वाले का कि उस संवाददाता ने उस मामले की गहरी छान बीन करके इस राजस्थान की पुलिस के ऐसे कुकृत्य को जनता के समक्ष रखा अन्यथा जनता अन्धेरे के अन्दर रहती। उन तीन बेगुनाहों की हत्या जो पुलिस ने की है उसको दबा दिया जाता।

मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अब तक क्यों नहीं लोगों को सस्पैण्ड किया ? आप सी. बी. आई. के अन्दर मामला दे रहे हैं। आपने लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? क्यों नहीं आपने 302 के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अन्तर्गत केस दर्ज किया। आप कह देंगे कि पूरे प्रकरण की सी बी. आई. जांच करेगी इसीलिए अब मामला यहीं छोड़ दिया जाए। इससे काम नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस को डी-मोरलाइज होने के नाम पर किस सीमा तक आप पुलिस को प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे सरकार की शुरूआत ही कत्लों से हुई है। आप हर मामले में बचाते आए हैं इसीलिए आज इनके हौंसले इतने बढ़ गए हैं कि आज सरे आम लोगों की हत्या की जा रही है। पुलिस को न कोई भय है, न किसी प्रकार का डर है। मनमानी करती है और उसके बाद भी आज इतना बड़ा गम्भीर मामला। खुद स्वीकार कर रहे हैं सामने से गोली मारी गई है। एक आदमी मरा है दो आदमियों को बाद में खड़ा करके गोली मारी है इन्होंने वहां पर। उपाध्यक्ष महोदय, इन सब प्रश्नों के ऊपर माननीय गृह मन्त्री जी को विस्तार से जवाब देना चाहिए। आपने पढ़ी पढ़ाई रिपोर्ट, मैंने भी स्टेटमेंट दिए हैं लेकिन मैं उनमें हमेशा अपना माइन्ड अप्लाई करता था कि भई आप दे रहे हो वह कहां तक सही है कहां तक गलत है। आपका ऐसा घटिया स्टेटमेंट है। मैं इसको घटिया स्टेटमेंट कहूंगा कि आपने जो पुलिस की एफ. आई. आर. थी वैसी की वैसी एफ. आई आर. यहां पढ़ दी है इन सब मामलों के ऊपर आप कृपया अपना जवाब देंगे। यह मेरे प्रश्न हैं। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वर लाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जघन्य अपराध है। इसमें दो एफ. आई. आर. दर्ज हुई हैं। एक तो पुलिस की तरफ से और एक मृतक की पत्नी की तरफ से जो मिसेज अग्रवाल हैं। मैं यह साबित करना चाहता हूं कि जो पुलिस की एफ आई. आर दर्ज हुई है वह मनगढ़ंत है, असत्य है। मैं इसको असत्य साबित करूंगा और दूसरी जो एफ. आई. आर. दर्ज हुई है श्रीमती सावित्री देवी की, वह सही है। उस एफ. आई. आर. पर 302 दफा दर्ज होनी चाहिए थी, जो नहीं की। क्योंकि अभी यह जो घटना हुई है उसके कुछ दिन बाद ही यह असेम्बली होनी थी। इसलिए इस सरकार ने इस भय की वजह से इसकी लीपा पोती की है और सीधा का सीधा केस सी बी. आई. को दे दिया है। होना यह चाहिए था कि 302 में उन मुलजिमों को अरेस्ट करके फिर एफ. आई. आर. चाहे सी. बी. आई. को देते या किसी को भी देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 28.1 91 की सुबह 3 बजकर 5 मिनट की घटना है। जब यहां से जीप की कार्यवाही जाना बताया है। उसके बाद वहां पर एक एफ. आई. आर. दर्ज हुई है जो कि पुलिस ने की है। यहां की पुलिस के ए. एस. आई. ने 307 में, 304 (ए) में, 337 में, 279 आई. पी. एस. में और 3/225 एक एफ. आई. आर. दर्ज की है। उसी के अनुसार ही यह कार्यवाही हुई है तो 28.1.91 को सुबह 4 बजे बताई गयी है। ए एस. आई. ने वहां से इत्तला की है आगे। वास्तव में

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

एफ. आई. आर जो दर्ज की है वह 6 दिन बाद की है। यानि एफ. आई आर. को 28.1.91 को दिखाया है और 6 दिन बाद 2.2.91 को एफ. आई. आर. दर्ज की है। उसमें बाद में हेरा फेरी की है, तूमा बदली की गई है और अनेकों मसौदे बने हैं और उसमें मनगढंत एफ. आई. आर. दर्ज की हैं। तो 6 दिन में सारा जो उनका रोजनामचा चलता है उसको बंद रखा है और रोजनामचा बंद रखने के बाद उन्होंने 6 दिन में अपना सारा मनगढ़ंत काम किया है।

इसमें एक तो मैं यह चाहता हूं कि जो 6 दिन की देरी हुई है वह स्पष्ट है कि 2.2.91 को एफ आई. आर. की विभिन्न प्रतियां एक तो एस. पी. को जाती है, जो दर्ज होती है, एक सी. ओ. को जाती है और एक कोर्ट में जाती है। रिसीट देख लीजिए कि 28.1.91 में जो एफ. आई. आर. दर्ज करना बताया है इनकी कहीं भी प्रतियां नहीं हैं। प्रतियां हैं जो रिसीट है वह 2.2.91 की हैं। इसलिए यह 6 दिन की देरी का है, एक तो मेरा सबसे बड़ा एलिगेशन है इसे सिद्ध करने का कि यह पुलिस का असत्य मुकदमा है। आगे मैं यह निवेदन करता हूं, आप जल्दी काहे को करते हो आखिर बड़ा अहम् मसला है यह। मेरा नहीं है सारे राजस्थान का है मेरा ही नहीं है। इसमें मर्डर हुआ है। (व्यवधान) उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री देवी ने जब देखा कि, जब वह 6 तारीख को एफ. आई. आर. की रिपोर्ट लेने जब कोर्ट में गयी, डी. एस. पी. के पास गयी, एस. पी. के पास गयी तो उसको एफ. आई आर. की नकल नहीं मिलती। मिलती भी कहां से ? दर्ज तो 6 दिन बाद 2.2.91 को हुई है। जब एफ. आई. आर. की नकल नहीं मिली तो फिर 1.2.91 को वह डी. जी. के पास गयी और डी. जी. ने उसकी दरख्वास्त पर लिखा है कि मुकदमा तुरन्त दर्ज किया जाये। उसकी पत्नी ने लिखा है कि 302 में मेरे पति और दो अन्य को मारा गया है। उन पर मुकदमा दर्ज किया जाय। लेकिन जब लैटर ले कर गयी तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आगे मेरा कहना है कि....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शर्म करो मार करके तो मत हंसो। पैसा ले कर तो हंस लो लेकिन मार कर मत हंसो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : और मजे की बात तो यह है कि जब तक डी. जी. के लेवल के आफिसर ने... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ : ये बोल रहे हैं कि 302 में मारा गया यह बात समझ में नहीं आई....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं देख कर बोल रहा हूं मुझे कोई सारी बात याद थोड़े ही है। सावित्री देवी ने मुकदमे की बात कही थी 302 में और उसका मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने वह किया है 304 (ए) में। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोई छानबीन नहीं हुई, जब कोई मौका मुआयना नहीं हुआ तो उसको जो रिपोर्ट दी है उसमें 302 दर्ज करके छानबीन

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

304 में कर सकते थे लेकिन उसमें दर्ज ही मुकदमा 304 (ए) में किया है। शर्म की बात है कि ये जो 302 का मुकदमा था उसको 304 में सीधा उन्होंने एन्टर कर लिया। मैं उसमें आगे कहना चाहता हूं कि कोटपूतली से जब चार ट्रक चले हैं। वहां से जो कथित ए. एस. आई. है उसने वायरलैस किये हैं। उन्होंने एक तो वायरलैस सबसे पहले किया है गोरधनपुरा चौकी में, प्रागपुरा थाने में वायरलैस किया है, शाहपुरा थाने में वायरलैस किया है। मैं पूछना चाहता हूं जब उन्होंने तीन-तीन जगह वायरलैस कर दिया और उनको जब बता दिया ये आतंकवादी हैं और जीप लेकर भाग रहे हैं। सही बात यह थी कि वह आतंकवादी नहीं थे, वे निहायत शरीफ आदमी थे। यह मैं बाद में साबित करूंगा वह क्यों भागे। वह समझे कि पुलिस वाले आतंकवादी हैं। उनके डर की वजह से भागे हैं। जब तीन-तीन जगह वायरलैस हो गये थे तो पीछे से पुलिस चल रही थी क्या उनके टायरों को बर्स्ट करके रोक नहीं सकती थी ? उनको नहीं रोका जब उन्होंने देखा कि आगे भी वायरलेस कर दिया है, पीछे भी वायरलैस कर दिया है तो वह घबराकर बीलवाड़ी के मोड़ पर मुड़ गये। एक बात और कही है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न क्या है आपका ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि जो गोली मारी है गा, मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं अगर वह चाहते, वह अगर आतंकवादी समझते थे उनको तो रिवाल्वर से टायर बर्स्ट करके उनको रोक सकते थे और वहीं पकड़ सकते थे लेकिन नहीं पकड़ा। क्योंकि वे आतंकवादी नहीं थे। वह तो उनको पैसे लूटने के लिए एक तरफ से घेराव करके ले जाना चाहते थे। अच्छा चलो यह मानते हैं कि उन्होंने वायरलैस किया। मैं कहता हूं वायरलेस नहीं किया। मैं यह भी साबित करूंगा। वायरलेस की आप रिपोर्ट बता दें किसी भी थाने में। किसी थाने में वायरलैस की कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं यह साबित करना चाहता हूं। पुलिस कहती है कि हमने वायरलेस किये, मैं कहता हूं कि नहीं किये। मतलब यह था कि उनको पैसे लेने थे। उनको आतंकवादी बनाकर घेरकर उनको बीलवाड़ी की तरफ ले गये। अब एक तो उसमें मृतक हरिराम था, सुल्तान था, कालूराम था और रामसिंह जो बच गया था आगे बताते हैं कि दिनांक 27 जनवरी की रात को एफ. आई. आर. पीछा करने वाले....

श्री उपाध्यक्ष : बाद में गृह मंत्रीजी को बता देना।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ठहरिये आप। आप जल्दी मत कीजिए। एस. आई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये आतंकवादी हैं। क्या आतंकवादियों की उन्होंने छानबीन कर ली थी ? कोई छानबीन नहीं की। केवल उन्होंने अपनी एफ. आई. आर. में लिखा है ये आतंकवादी है। मैं कहता हूं कि जब एफ. आई. आर. में आतंकवादी बता दिया गया तो उनके पास ऐसे कौनसे

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

सबूत थे कि वह आतंकवादी थे। उनका पिछला रिकार्ड भी ऐसा नहीं है। आगे आपको बताना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : बात तो सब आ गयी आपकी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : थोड़ा सा और है। प्रागपुरा थाने में यह बताया है कि जीप बहुत फास्ट थी लेकिन जब जीप को मौके पर देखा गया है तो जीप कोई क्षतिग्रस्त नहीं थी। सही बात यह थी कि उन्होंने दो या चार गज के फासले से गोली मारी है पहले आदमी के गोली मारने के बाद जो उसके जख्म हुआ वह यहां से तो चार सेन्टीमीटर का है और जब नजदीक से गोली मारते हैं तो छोटा छेद होता है और जब पीछे जाते हैं तो बड़ा बंकाल हो जाता है। तो 5.6 सेन्टीमीटर का पीछे लगा हुआ है। उसके बाद बताया कि दो को गोली से मारा है, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें यह है कि उनको धारदार हथियारों से मारा है उनको दोनों को बुलेट से मारा गया है इसलिए कि दोनों साक्षी खतम कर दिये जायें। उसके बाद रिपोर्ट में लिखा है कि 2 आदमी भाग गये थे। एक तो रामसिंह भाग गया हम मानते हैं। रामसिंह चला गया अपनी मौत बचा कर उसके हाथ में गोली लगी है। उसको बाद में पकड़ लिया लेकिन जो दूसरा आदमी भाग गया उसका आज तक क्या हुआ ? वह कहां गया ? क्या पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। पुलिस ने नहीं पकड़ा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सही बात यह है कि जब मौके पर वह मर गये थे तो पुलिस ने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौके पर क्यों नहीं कराई। नहीं करायी गई। सुबह 10 बजे पुलिस रिपोर्ट हुई है। मौके पर कोई डा. गुप्ता है, को भेजा गया है डाक्टर ने कह दिया कि नहीं आप इसको एक्सीडेंट की बात बता रहे हैं यह एक्सीडेंट नहीं है यह तो गोली से मरा है और यह धारदार हथियारों से मरा है। सुबह 10 बजे विराटनगर अस्पताल में लाया गया। अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के वक्त एस. पी. मोजूद था। जब रामसिंह कुछ बोला डाक्टर से कहने लगा साहब मेरी सुन लो तो उसको मना कर दिया कि तुम नहीं बोल सकते। इसलिए उसके बयान भी नहीं हो सके और यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर वहां हुई है तो बाद में जो इन्क्वायरी बैठायी है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य। भाषण नहीं है। प्रश्न करने चाहिए आपको।....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : 28 तारीख को जब मृतक मर गया था तो जो अग्रवाल की पत्नी ने एप्लीकेशन में लिखा हैं कि 15–20 सिपाही हमारी दुकान और घर आये और हमसे पूछा। हमारी तलाशी ली। हमारी तलाशी में कुछ भी नहीं निकला। होता तो कुछ निकलता। इसलिए उनको यह भी नहीं बताया गया कि तुम्हारे पति और दो आदमियों को मार दिया गया है। यही नहीं जो मृतक था, सुल्तान सिंह एक तो ड्राइवर था, अभी जो

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

इलेक्शन हुए थे ना हमारे उनमे थानगाजी के माननीय सदस्य हैं, उनके ड्राइवर रहे हैं। इनसे पूछ लो। दूसरा, बड़ा अच्छा मिस्त्री था और तीसरा, कुये की खुदाई का काम करता था। उसके पास लाइसेन्स था विस्फोटक पदार्थों का। जो बताया गया है, जीप में वही लाइसेन्स का थैला था। श्रीमान मेरा आपसे निवेदन है कि इस घटना को पुलिस ने जान बूझ कर दुर्घटना बताई है। लेकिन मुझे इन तथ्यों से और रिपोर्ट से पूरा विश्वास है कि यह जघन्य अपराध है और मर्डर केस है। मेरी मांग है सरकार से कि इसमें एस. पी. के साथ जो भी अपराधी हो उनको, अब तो केस सी. बी. आई के पास दे दिया आपने। उनको तुरन्त निलम्बित किया जावे। दूसरी मांग मेरी यह है कि पैसों से इनकी मृत्यु को आंका नहीं जा सकता, लेकिन मेरा अनुरोध है सरकार से कि कम से उनके परिवार को पांच-पांच लाख रुपये दिये जायें और तीसरी मेरी मांग है कि इनके परिवार में से एक-एक व्यक्ति को एक-एक नौकरी दी जाये। यह कार्यवाही की जाय। यही आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : जिस सिक्वेंस में नाम आये हैं, मोशन आये हैं, उसी सिक्वेंस में बोलें माननीय सदस्य। श्री राजेन्द्र पारीक (अनुपस्थित) श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना है एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोंडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न करिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह तो सारी बातें आ गयी लेकिन उसके बाद भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों की इसमें मौतें हुई हैं या जिनके साथ अन्याय हुआ है उन व्यक्तियों को आपने बताया कि 6 लाख रुपये दे दिए जायं, या उनको सहायता दी जाय ये सारी बातें तो होंगी और आपने इस बात को अपराध स्वीकार करते हुए मामला सी.बी.आई. को दे दिया। ऐसी बात सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है। तो मेरा यह निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार के काण्ड जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आज यहां हुआ, हमारे हिण्डौन में हुआ। जगह-जगह इस तरह के अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं क्या फिर पैसा देकर जांचों के नाम से इन मामलों को छोड़ करके इस प्रकार भविष्य के बारे में नहीं सोचा जायगा? इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए ताकि इस प्रकार की कोई स्थायी व्यवस्था की जाय। इस प्रकार की सख्ती की जाय, माननीय गृह मंत्री जी यहां विराजमान हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं जो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, भविष्य में उनके लिए जो दोषी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने की आज यहां घोषणा करें

(श्री रामस्वरूप मीणा)

ताकि भविष्य में इस तरह की कार्यवाही नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बी. डी. कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, बीलवाड़ी का जो पुलिस हत्याकाण्ड है वह अपने आप में इतना स्पष्ट है कि सरेआम पुलिस ने तीन आदमियों को मार दिया और अब सारा विभाग उनको बचाने में लगा हुआ है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि 304 और 304(ए) का आर्डर, जिसके बारे में माननीय व्यास जी ने पूछा था वह आर्डर क्या है? उस आर्डर को पढ़कर बताया जाय और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल्पेबल होम्योसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर यह तो 304 है और नोट अमाउंटिंग टू मर्डर 304(ए) है उसमें साफ है।....(व्यवधान)

किसी भी व्यक्ति को कोई भी धन मिलने वाला नहीं है। यह साफ 302 का मुकदमा है और 302 में इन तीनों हत्यारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।....(व्यवधान)

मैं बिलकुल ठीक बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने 3 मुकदमे रामसिंह के खिलाफ दर्ज किये टाडा एक्ट में, एक्सप्लोजिव एक्ट में, आर्म्स एक्ट में, उसमें आपने कौनसे आर्म्स बरामद किये? इसी तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। हरिराम को सिर्फ एक गज की दूरी से पुलिस ने सटाकर गोली मारी है और तीनों मृतकों के बारे में पुलिस का यह बताना है कि वहां गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इन तीनों की मृत्यु हो गई। मैं समझता हूं कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है। पुलिस ने जो एफ. आई. आर. प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट दर्ज की है उस रिपोर्ट में उनको एक दुर्घटना में मृत पाया जाना बताया है। यह तो उन डाक्टरों का, वहां प्रत्यक्षदर्शियों का भला हो, उन्होंने उनको देखकर बताया कि इनको पुलिस के द्वारा मारा गया है। इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से 2–3 जानकारियां और करना चाहता हूं। एक तो आपने जो ये धारा 304(ए) लगाई है इसको बदलकर 302 में करने की क्या गृह विभाग की मंशा है या नहीं? दूसरी बात मृतकों के परिवारों को जो नुकसान हुआ है, एक मृतक 30 वर्ष का हरिराम अग्रवाल और कालूराम तथा मुल्तान जो हैं वे 25–25 वर्ष के हैं, इन लोगों को और इनके परिवारों को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षति पूर्ति अपूरणीय है और इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को कम से कम 5–5 लाख रुपये के मुआवजे की मांग जो ईश्वर लाल जी ने रखी है वह निश्चित रूप से जायज है है और इसके बारे में निश्चित रूप से गृह विभाग को घोषणा करनी चाहिए। दूसरी बात....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कम्पलीट करने दें। स्टेटमेंट के बारे में 20-20 मिनट तक लोग बोले हैं। मैं तो बहुत तथ्यात्मक बात बता रहा हूं। जो मौके पर कर्मचारियों ने जुर्म कर दिया उसके बाद गृह विभाग ने, आप देखिए कि कितने दिन हो गये। मार्च का महीना चल रहा है। इसमें सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस किन-किन की रही और किन-किन लोगों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, उनके खिलाफ विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? यह तो डी. जी. के पास में हरि-राम अग्रवाल की पत्नी गयी और जाने के बाद उन्होंने विधान सभा सत्र को देखते हुए कार्यवाही कर ली लेकिन इसमें कई अधिकारियों ने इस कृत्य की अनदेखी करके और जिस तरीके से इस हत्याकाण्ड को दबाया, छिपाया है, वह निश्चित रूप से अशोभनीय है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोषी व्यक्तियों को बख्शा न जाय और साथ-साथ जो रक्षक भक्षक बन रहे हैं, जो कानून और व्यवस्था बनाने वाले हैं, वे ही लोगों की सरेआम हत्या कर रहे हैं, ऐसी हत्याओं की हम निन्दा करते हैं और गृह विभाग से यह अपेक्षा रखते हैं कि जिन-जिन लोगों का दोष रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने जो बीलवाड़ी हत्याकाण्ड से संबंधित घटना की जो जानकारी सदन को दी है, वह बहुत ही सरसरी है। मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी इस गंभीर मामले की गहराई में नहीं गये। यह केवल तीन लोगों की मौत का मामला नहीं है, बल्कि यह पुलिस प्रशासन और सरकार की निष्क्रियता से जुड़ा हुआ मामला है। जहां तक इस घटना का सवाल है सदन के माननीय सदस्यों ने इसकी विस्तार से चर्चा कर दी। मैं 2–3 बातें इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। एक तो गृह मंत्री जी यह बताएं कि यह तीनों लोग जिनको पुलिस ने मारा है यह मर्डर है, क्लीयरकट मर्डर है, इनका अतीत क्या था? ये कभी आतंकवादी रहे हैं या थानों में कहीं भी इनके खिलाफ कोई रपट भी दर्ज हुई है? नम्बर दो, पुलिस का यह कहना कि मुलजिमान की ओर से गोली चलाई गयी तो मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि तीनों लोग जिनकी मृत्यु हुई है और एक रामसिंह जिसको कि पुलिस ने टाडा एक्ट में गिर-फ्तार कर रखा है, इनके पास जो कुछ भी बरामद हुआ उसमें क्या कोई रिवाल्वर, पिस्तौल, गोली, बन्दूक कुछ भी जब्त हुआ?

दूसरा सवाल जो कि पुलिस की मन-गढन्त कहानी है कि ये आतंकवादी थे, ये भाग रहे थे और भागते-भागते इनकी जो जीप थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गयी और तीनों लोगों की मौत हो गयी। मैंने घटनास्थल का दौरा किया है जहां पर यह घटना घटी है। माननीय रमाकांत जी यहां पर बैठे हैं, मुख्य सचेतक महोदय का स्वयं का गांव है बीलवाड़ी। वे भी जानते हैं चारों तरफ घाटियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, वहां पर बहुत सारे पेड़-पौधे हैं। न तो कोई पेड़

(डा. चन्द्रभान)

के जीप टकराई । आप घटनास्थल का मुआयना करें, गृह मंत्री जी । जीप के कहीं भी कोई चोट नहीं आयी है, खरोंच भी नहीं आयी है। आगे कीलाइट थोड़ी सी टूटी हुई है। वह तो वैसे भी टूट सकती है और इसके साथ में जो हरिराम मरा है उसके सीने में आगे से गोली लगी हुई है। नजदीक से गोली लगी हुई है । पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आप मंगाकर देखने का काम करें। उस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत नजदीक से गोली मारने का काम किया गया है। इसके अलावा दो लोग, एक सुल्तान चौधरी और दूसरा कालूराम शर्मा जो माननीय रमाकान्त जी का ड्राइवर भी भी रह चुका है चुनावों के दौरान, उन दोनों के केवल एक-एक चोट है, धारदार हथियार की चोट है और वे दोनों चोट केवल गर्दन के ऊपर है। एक के पीछे से सरवाइकल वर्टीब्रा को छीलती हुई और आगे क्लचप्लेट तक चली गयी। 6 इंच का घाव है और दूसरे के पीछे तक। यह हेमरेज के कारण, शॉक के कारण मौत हुई है। क्लीयरकट यह मर्डर है। मैं कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी को इस मामले की गहराई तक जाना चाहिए। सरकार सी. बी. आई. से जांच करवाती है हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन इसके साथ ही जब मामला इतना गम्भीर है जो अपराधी खुले घूम रहे हैं पुलिस के लोग, उनको आपने सस्पैंड अभी तक नहीं किया और पुलिस के जो जयपुर जिला ग्रामीण के एस. पी. हैं, जो कि इनको बचाने के षड्यंत्र में शामिल हैं उनका अभी तक तबादला नहीं हुआ। सरकार ने खुद ही माना, पुलिस के डी. जी. साहब ने इन्क्वायरी कराई, आर. एस ढिल्लो साहब ने इन्क्वायरी की थी, पुलिस ने स्वीकार किया कि लापरवाही के कारण गोली चली थी और उन लोगों की मौत हुई थी। लापरवाही के कारण पुलिस की गोली चल गयी, उन लोगों की मौत हो गई। सरकार हर दंगों या हर इस तरह की दुर्घटना में अपनी ओर से मुआवजा देती है तो यह तीन युवा विधवाएं हैं जिनका कोई भविष्य नहीं बचा, उनका सिन्दूर मिट गया है, उनके बच्चे छोटे-छोटे हैं उनके लिए सरकार क्या करना चाहती है ? जब मामला स्पष्ट रूप से हत्या का है तो धारा 304 (ए) में मुकदमा क्यों दर्ज किया हुआ है ? धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर इन हत्यारों को गिरफ्तार कर निलम्बित करके फिर सी. बी. आई. से जांच होनी चाहिए । इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, फर्जी मुठभेड़ और आतंकवाद के नाम पर निरीह और निर्दोष लोगों की जान लेने का काम यह सरकार बंद करे । आप चाहते हैं कि राजस्थान को पंजाब और उत्तर प्रदेश बना देवें तो उसको यह सदन में बैठे हुए विरोध पक्ष के लोग और राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी । इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी है और आपकी प्रशासनिक जिम्मेदारी है कि इस मुकदमे में जितने भी पुलिस के कर्मचारी लिप्त हैं चाहे वह बड़े से बड़े वरिष्ठ अधिकारी हों, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जो दोषी लोग हैं, जो असल मायने में हत्यारे हैं जिन्होंने आतंकवाद के

(डा. चन्द्रभान)

नाम पर, मैं वहां गया था, मैं वहां के डाक्टरों से भी मिला, जनता से भी मिला तो मुझे एक जानकारी हुई, पूरे इलाके में एक चर्चा है कि आतंकवादियों को मार दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय इसके पीछे एक लालच भी है। लालच यह है, आज से पांच साल पहले शाहपुरा में पुलिस के कुछ लोगों ने कुछ आतंकवादियों को पकड़ लिया था उनका प्रमोशन हो गया था और इसके पीछे भी यही वजह काम कर रही है। यह पुलिस के लोग इस लालच में भी इन लोगों को मार सकते हैं। यह भाग रहे थे यह बात सही है। उनकी गाड़ी आगे भग रही थी, बीलवाड़ी गयी, कोटपूतली से आयी तो इनको आतंकवादी घोषित करके मारने से हमको इनाम मिलेगा, हमारा प्रमोशन होगा। 27–28 जनवरी की रात....(व्यवधान) पैसे की भी बात है। 27–28 जनवरी की रात को सर्दी थी। यह साधारण परिवारों के लोग थे। जब यह जीप में जा रहे थे, पुराने किस्म की जीप थी तो इन्होंने अपने मुंह के ऊपर कोई कपड़ा बांध रखा होगा, गरीब आदमी होते हैं, उनके पास कोट-पेंट तो होते नहीं हैं, साधारण लोग होते हैं, उन्होंने किसी कपड़े से अपना सिर ढक रखा था तो इन्होंने कह दिया कि डाके मारते थे और यह आतंकवादी थे। कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई उनका पुराना अतीत यह नहीं बताता है। यह स्पष्ट मायने में झूठे आतंकवाद के नाम पर पैसे के लालच में और कहना चाहूंगा कि इनाम लेने के लालच में पुलिस ने इन तीन निरीह लोगों की हत्या की है। प्रदेश में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो, धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर इनको गिरफ्तार किया जाय, सस्पैण्ड किया जाय, मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए, उनके बच्चों के पढ़ने का इन्तजाम होना चाहिए....

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह मर्डर है, पांच-पांच लाख रुपये....

डा. चन्द्रभान : और बाद में पूरे मामले की सी. बी. आई. जांच करे। जितने भी पुलिस के दोषी वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने इस मामले को छिपाने का काम किया उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह खण्डेला। (अनुपस्थित)

श्री महिपाल यादव।

श्री महिपाल यादव (बहरोड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के सामने जो रिपोर्ट रखी है और उस पूरे इलाके में पुलिस के नाम पर एक आतंक छाया हुआ है और इस तरह से फर्जी एनकाउन्टर करके निर्दोष लोगों को मारा गया जिस तरह से बीलवाड़ी में मारा जा रहा है और इस तरह से पुलिस के हौसले बढ़ाये जा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो जायेगा....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हो गया।

श्री महिपाल यादव : जालिम पुलिस के नाम पर, इनाम लेने के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर हमारी माताएं और बहनें, जो विधवा हो गयी, जो बच्चे अनाथ हो गये, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है सरकार पर। अगर आपने इसकी सही तरीके से जांच नहीं की और जो धारा 302 के मुलजिम हैं, आज घूम रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज तक इसमें कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। सरकार पर किसका विश्वास रहेगा ? इस तरीके से....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न करें, माननीय सदस्य।

श्री महिपाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी तुरन्त उन लोगों को टर्मिनेट करें और उन बच्चों और उनकी विधवाओं को कम से कम पांच-पांच लाख का मुआवजा दिया जाय ताकि उन सब की....

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न, रिपीट क्यों कर रहे हैं ? कर ली मांग।

श्री महिपाल यादव : इसलिए मैं आपसे इतना ही कह कर कि, माननीय गृह मंत्रीजी, कम से कम उनको तुरन्त गिरफ्तार करवायें और उन पर धारा 302 का मुकदमा चलवायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण में दो-तीन बातें जो सामने आती हैं, मैं मुख्य मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, गृह मंत्रीजी से।

श्री जुबेर खान : जैसा गृह मंत्री जी ने कहा कि यह लोग सवार होकर जा रहे थे, कोटपूतली से शाहपुरा का अलवर वाला मोड़ 45 किलोमीटर पड़ता है, आपने कहा है कि पुलिस वालों ने आगे प्रागपुरा, गोवर्धनपुरा और शाहपुरा वायरलैस किया कि इस तरह की जीप आ रही है और उस में आतंकवादी आ रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने वही आतंकवाद का शब्द इस्तेमाल कर दिया था जब कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। दूसरे, नेशनल हाईवे पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक जीप को जिप्सी नहीं पकड़ सके जब कि आगे तीन-तीन पुलिस फोर्स और पुलिस थानों में वायरलैस सहित लोग खड़े थे। अगर उनको रोकने की मंशा होती तो नेशनल हाईवे रात को कितना बिजी चलता है, किसी भी तरह से रोका जा सकता था लेकिन, साहब, उनको जान-बूझ कर घेरा गया कि किसी तरह से इस गाड़ी को नेशनल हाईवे से डाइवर्ट करके इन्टीरियर में ले जाना है है और वहां इन लोगों का पैसा लूटना है, इनको मारना है और इनाम लेना है, यह बात थी। दूसरी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जब एफ आई आर. में भी कहा, गृह मंत्री जी ने कहा कि पहले जीप में से दो गोलियां चलीं। सारी जनता गवाह है, सब लोग गवाह हैं कि उनके पास कोई हथियार नहीं था। अगर जीप में से गोली चली थी तो उनके हथियार कहां गये, आज तक पुलिस क्यों नहीं बरामद कर पायी ? जैसे ही जीप वहां मोड़ पर रुकी है, पुलिस वालों ने उतर कर एक आदमी के गोली मारी जिसका नाम हरिराम अग्रवाल है।

(श्री जुबेर खान)

जब पुलिस को यह मालूम चला कि यह तो यहां के स्थानीय लोग हैं जो निर्दोष हैं तो बाकी बचे दो लोगों को भी, कि तथ्यों को नष्ट कर देना है, बट मार-मार कर धारदार हथियार से खत्म किया कि कोई गवाह नहीं बचे।

एक रामसिंह नामक व्यक्ति जो बचा था उसके पहले ही गोली लग चुकी थी हाथ में, वह थोड़ा अंधेरे में भाग गया था, उसको भी उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। यह कहा कि एक, दो, तीन तो मर गये, चौथे को और पकड़ना है। इतने में ही वह जब तक रामसिंह के पास पहुंचे, पीछे से दूसरी पुलिस पार्टी पहुंच चुकी थी इसलिए वह रामसिंह को नहीं मार सके वरना रामसिंह को भी मारना चाहते थे। डाक्टरों को वहां ले जाया गया पोस्टमार्टम कराने के लिए, डाक्टर ने मना किया, डाक्टरों पर दबाव डाला गया पुलिस द्वारा कि इनका पोस्टमार्टम यहां कीजिए। परन्तु जब तक उजाला हो गया था, अगल-बगल के गांवों के लोग आ गये थे, उन्होंने भी विद्रोह किया तब जाकर पुलिस द्वारा डेड बाडीज को विराट नगर लाया गया और वहां उनका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि यह जो लोग मारे गये हैं यह अपने आप हादसे में नहीं मरे हैं जैसा कि इन्होंने कहा था कि यह तो दुर्घटना में मर गये। इनकी एफ. आई. आर. के मुताबिक इनको तो वायरलैस बाद में पहुंचा है, इनके मुताबिक तो एक्सीडेंट होकर मौत पहले ही हो चुकी थी कि तीनों लोग, जब पुलिस वहां पहुंची है तो मृत पाये गये थे जबकि पुलिस ने वहां पहुंच कर मारा है। इस से साफ जाहिर है कि पुलिस की मंशा गलत थी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर पुलिस को इसी तरह खुला छोड़ा तो कल को हम जैसे लोग, जो पुलिस के खिलाफ इस पवित्र सदन में अपनी आवाज उठाते हैं, हमारी जीप का पीछा करके पुलिस हमें भी गोलियों से मार देगी और कह देगी कि हमने तो रात में इनको आतंकवादी समझा था। इसके लिए सरकार द्वारा उपाय किये जाने चाहिए। आज सवाल यह नहीं है, यह जुड़ा हुआ है, आप चाहे मण्डावरी काण्ड ले लीजिए, चाहे सतवाड़ी काण्ड ले लीजिए, चाहे सांगानेर का गोली काण्ड ले लीजिए, क्योंकि प्रशासन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस को बचाने की कोशिश की है इस प्रदेश में और आज बड़े दुख की बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी जो संवेदनशील और स्वच्छ प्रशासन देने की बात कहते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि उनका क्या लगाव है, हमेशा पुलिस थानेदारों को बचाने की कोशिश की है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : हमारी भरपूर मांग है कि इन लोगों के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया जाये....

श्री उपाध्यक्ष : यह आ गया, बस!

श्री जुबेर खान : इनको अरेस्ट किया जाये और तब सी. बी. आई. में मुकदमा दिया जाये ताकि इसके तथ्य सामने आ सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रिपीटिशन हो रहा है।

श्री जुबेर खान : और जो लोग 28-30 साल के मरे हैं उनके बच्चों को, उनकी बेवाओं को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये। तब कहीं जाकर वह अपने बच्चों को पाल पायेंगी। यही शब्द मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बात सीधी स्पष्ट यह है कि यह एफ. आई. आर. पढ़कर सुनाई है गृह मंत्री जी ने जो उस दिन दर्ज की है। पुलिस की तरफ से बाद में 304 (ए) का मुकदमा दर्ज करने के लिए श्री राजेन्द्र शेखर डी. जी. के आर्डर्स हुए हैं। सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच ने जांच की है। जांच की है तो इसका मतलब यह है : Causing death by rash and negligent act.

तो इनके फायरिंग करके उनको मारने को तो जस्टीफाइड माना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार इसलिए कहता हूं कि रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाये। मैं निश्चयपूर्वक यह जानता हूं कि इस पूरे एनकाउन्टर को सी. आई. डी ने अपनी रिपोर्ट में गलत माना होगा, फेग माना होगा। यह जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वायोलेन्स प्रोसेस नहीं हुआ यह बात आई होगी। अब नेचरली एक जो प्रणाली बनी हुई है होम मिनिस्टर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं–इधर से मैं कोई एलीगेशन नहीं लगाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई पार्टी पालिटिक्स नहीं है। पुलिस का एक एपेरेटस बना हुआ है और पुलिस के कुछ कर्मचारी हैं वह कोई बी. जे. पी. या जनता दल के मुलाजिम नहीं हैं, कांग्रेस के मुलाजिम नहीं होते हैं, उन्होंने अपने लालच में जबरदस्ती रास्ते चलते गरीब आदमियों को पकड़ कर मार दिया। अब उसमें रिपोर्ट आयी है। अब रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। 304 (ए) के मुकदमे का कोई सवाल ही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। सीधी बात यह है कि आगे मैं कुछ और भाषण दूं, वाइल्ड एलीगेशन्स लगाऊं वह मैं नहीं चाहता हूं। अगर मंत्री महोदय यहां पर रिपोर्ट रखने को तैयार हैं तो यह सदन खुद फैसला कर लेगा। यह तमाम इनकी एफ. आई. आर. असत्य है और यह एफ. आई. आर. फोर्ज्ड है, एन्टी-डेटेड जैसा यह कह रहे हैं कि 6 रोज बाद में एफ. आई. आर. दर्ज की है और पुरानी तारीख में दर्ज की है। अब यह फोर्जरी और एन्टी डेटेड एफ. आई. आर. भी आपके डिपार्टमेण्ट में होती है, उसको भी आप ध्यान में रखिये और, उपाध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट आप सदन की मेज पर पेश फरमायें, उस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर आप पुलिस के महकमे में पुलिस को डीमोरलाइज नहीं करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं और आपने सी. बी. आई. को भी दे दिया क्योंकि वह रिपोर्ट तो भेजी नहीं होगी उपाध्यक्ष महोदय। एक तरफ 304 (ए) की क्या एफ. आई. आर. कायम हुई होगी ? बिना एफ. आई. आर. चाकआउट हुए तो 304 (ए) का मुकदमा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

दर्ज नहीं होता। एक तो वह एफ. आई. आर. पढ़कर सुनाइये आप कि क्या एफ. आई. आर. चाक-आउट हुई है पुलिस एम्पलाइज के खिलाफ और दूसरे सी. आई. डी. क्राइम ब्रान्च की रिपोर्ट है वह आप बिलकुल नहीं भेजेंगे। जितना लेकूना इसमें मिल गया है वह आप पंच-अप कर दोगे, दबा दोगे। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह करेंगे भी ? हमारे कहने के बावजूद भी आप नहीं करेंगे। Government plays in the hands of bureuacracy, The most unfortunate part of our democracy is that Government–not only of this party, but Government of the day plays in the hands of bureaucracy". सबसे बदकिस्मती की बात है यह। जैसा नीचे से कह देंगे वैसा ही मिनिस्टर साहब करेंगे। मिनिस्टर साहब कुछ नहीं करते हैं सिवाय यहां पर खड़े होकर भाषण देने के और जवाब देने के। लेकिन आप नहीं करते हैं तो मानवीय दृष्टिकोण से इतना तो करो–यानि आपने उन आदमियों को मार दिया, उन गरीब लोगों को मार दिया, आप पुलिस के गिल्टी आफिसर्स को पनिश नहीं करना चाहते, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहते, सी.आई. डी. की रिपोर्ट आप हाउस की टेबल पर नहीं रखना चाहते, एफ. आई.आर. को भी पढ़कर सुनाइये। सी. आई डी. की रिपोर्ट आप सी. बी. आई. में नहीं भेजना चाहते हैं तो कम से कम उन गरीब विधवाओं को कुछ दें। यानि 30 साल का आदमी था और दो आदमियों को तो एवीडेन्स डेस्ट्राय करने के लिए मारा है। यह बात सही है। उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम मोरल प्रोसेस है, सस्पेन्शन की बात हम कर लेंगे। मेरे साथी ने कर ली पर नहीं करेंगे। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप इतना तो करो कि उन विडोज को मुआवजा दें। बहुत साधारण किस्म का व्यवसाय करने वाले आदमी थे उपाध्यक्ष महोदय। आपने ताला लगा दिया सीधा और आप यह बरदाश्त कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार बार यह सोचता हूं कि ज्यादा कहने से मतलब क्या है। बाकी सीधी बात यह है कि सी. बी. आई. की रिपोर्ट में इनको झूठ माना है और टेरेरिस्ट का कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस को आप इतना अधिकार दे दोगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह शाहपुरा में कौन टेरेरिस्ट आ गये ? अपने राजस्थान के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को एप्रीशियेट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टेरेरिस्ट एक्टीविटीज कहीं होती हैं तो वह गंगानगर में मिल सकती हैं। अब आपकी मर्जी आये जहां टेरेरिस्ट पैदा कर दो। जयपुर में पैदा कर दो। आप सदन में ही पैदा कर दो कि टेरेरिस्ट मिल गये। तो यह तो लिमिट हो गयी, उपाध्यक्ष महोदय। यह बरदाश्त नहीं होगा और महज सी. बी. आई. को देने से सी. बी. आई क्या करेगी ? आपने असली रिपोर्ट तो दबा दी। आपने रिकार्ड में टेम्पर-विथ किया होगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं कि राजेन्द्र शेखर, जो डी. जी. हैं, का आर्डर हाउस की टेबल पर पेश किया जाये। सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच की,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आर. एस. ढिल्लो साहब की जो रिपोर्ट है वह पेश की जाये और एफ. आई. आर. जो चाक–आउट हुई 304(ए) की वह पेश की जाये। यह हाउस की टेबल पर रखवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आदमी हैं, जो मृतक हैं यह मेरे क्षेत्र के अन्दर व्यवसाय करते थे या रहने वाले हैं और मैं इन तीनों के तीनों मरे हुए आदमियों को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। जो मृतक हरिराम है वह पिछले पांच वर्ष से वहां पर कुएं गहरे करने का काम कर रहा था। दूसरा मृतक जो कालूराम है वह पहले कन्डक्टर था एक बस के अन्दर, बाद में ड्राइवरी का काम करता था और उसने मेरे यहां भी ड्राइवरी का काम किया और बाद में भी ड्राइवरी का काम कर रहा था। तीसरा जो सुल्तान है वह वर्कशाप चलाता है छोटी सी उसमें मिस्त्री और कारीगरी का काम करता था। हरिराम जो था यह कुएं गहरे कराने का काम करता था। उसके पास में कम्प्रेशर था और कुएं गहरे कराने में ब्लास्टिंग करता था। आबवियसली इसको एक्सप्लोजिव चाहिए था और एक्सप्लोजिव लाने के लिए जाया करता था कोटपूतली या जयपुर जहां कहीं भी मिल जाता था और चूंकि यह ड्राइवर साथ होता ही था और चूंकि कम्प्रेशर और जीप वगैरह ठीक करने के लिए यह तीसरा मिस्त्री था और यह तीनों के तीनों आदमी हैं, मैं कई दफा इनसे मिल चुका हूं, इतने शरीफ थे कि कभी जोर से भी नहीं बोलते थे। मैं खुद इतना जरूर जोर से बोलता हूं परन्तु उनकी आवाज तो यहां से पांच फीट दूर नहीं जाती थी तीनों के तीनों आदमियों की। इतने भले आदमी थे और वह एक काम से जाते हैं और उन लोगों को इस प्रकार से मार दिया जाता है इसमें बहुत ज्यादा सी. बी. आई. की, बहुत ज्यादा चर्चा की या बहुत ज्यादा इनवेस्टीगेशन की आवश्यकता नहीं है। वहां जाकर पूछें आप क्षेत्र में। कम से कम मैं अपेक्षा करता था कि डी. जी. साहब जाते, माननीय, गृह मंत्री जी वहां पर जाते और लोगों से यह पूछते कि यह कौन आदमी थे जो मर गये, यह किस प्रकार के आदमी थे, किस प्रकार की उनकी प्रतिष्ठा थी। इतने भले आदमी थे कि सारे के सारे लोग दुःखी हैं। मैं इस कालूराम के घर पर गया और इसकी पत्नी और बच्चों से मिला। बच्चा बेचारा एक तीन वर्ष का है और एक एक वर्ष का है। फूट-फूट कर रो रहे थे। देखा नहीं जा सकता, सारी बात को। हम अभी तक इस मामले में लगे हुए हैं कि पहले ढिल्लो साहब से जांच कराने की बात करते हैं और फिर कभी दूसरे आदमी से जांच कराने की बात करते हैं, फिर सी. बी. आई. को भेजने की बात करते हैं। इस प्रकार से लोगों का जो मनोबल है, सारा का सारा जनता का मनोबल इतना गिर गया है कि वह पुलिस के सामने कभी मुंह नहीं खोल सकते और इन चीजों के अन्दर कार्यवाही जल्दी नहीं हुई। मेरा नम्र निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह तो

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हरिराम की पत्नी के साथ में दो चार आदमी हैं क्योंकि वह वैश्य परिवार से है इसलिए उसके साथ में दो चार आदमी आ गये, मंत्री जी से मिल लिए, डी. जी. साहब से मिल लिये और उसके बाद में एफ आई. आर. दर्ज होने की बात आ गयी। आप इमेजिन कीजिए कि यदि यह तीनों आदमी और भी किसी गरीब जाति के होते तो शायद इनकी तो एफ आई. आर. ही दर्ज नहीं होती। इस चीज को आप देखिये मेरे पास मौजूद है सारी की सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्लोज रेन्ज से मारा गया है। सामने खड़े होकर बिलकुल एक आदमी जैसे एक हाथ की दूरी से उनको मारा गया है। इस प्रकार की चीज है। तो इस मामले के अन्दर तो संवेदनशीलता की आवश्यकता है। ऐसी चीज क्यों होती है? आखिरकार आदमी मरे हैं, आदमियों ने मारा है जिन्होंने पुलिस का वेश धारण कर रखा हैं इसलिए उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। इसलिए मेरा इस मामले के अन्दर क्योंकि बहुत सारी बातें कह दी गयी हैं, मेरा तो नम्र निवेदन है कि ऐसे मामलों में सबसे पहले तो आवश्यकता थी सरकार को उसके घर पहुंचकर उन लोगों को उचित मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए। उनको पुचकारना चाहिए बच्चों को और भूखों मर रहे हैं उनको तत्काल कोई न कोई राहत पहुंचानी चाहिए। तो मेरा नम्र निवेदन है कि यदि सी. बी. आई. को दे दिया गया है इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार को, मैं तारीफ करता हूं सरकार की कि वह चाहती है कि मामला इम्पार्शल तरीके से निपट जाये परन्तु सी. बी. आई. से कहा जाये कि इसको बहुत जल्दी निपटा करके दोषी आदमियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस मामले में हरिराम अग्रवाल मेरे नीम का थाना का है और मैं व्यक्तिगत जानता हूं उसको। निहायत ही शरीफ आदमी था और उसकी 40 साल के लगभग उम्र थी। छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक पत्नी है। इतना जघन्य अपराध मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। ऐसे निहायत शरीफ आदमी को इस तरह से गोली से मारकर पुलिस ने इतना बड़ा अन्याय किया है और सरकार ने यह कह कर पीछा छुड़ा लिया कि उनको सजा देने के लिए उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। इनके कुछ तथ्य गृह मंत्री महोदय स्वयं भी समझें कि हत्या करने की इतनी क्या जरूरत पड़ गयी थी कि उनकी हत्या ही करनी पड़ी। कोटपूतली से बीलवाड़ी तक इतना लम्बा समय था कि पैर में भी गोली मार सकते थे। और भी कहीं गोली मारकर गाड़ी को रोक सकते थे लेकिन उनकी जंगल में जाकर हत्या करनी पड़ी और हत्या का भी साफ साबित हो गया कि आगे वाली सीट पर बैठे हुए आदमी के अगर सीने में गोली लगी है तो उनके साथ जो एक जिन्दा आदमी है यह इस बात का सबूत देता है

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

कि वह लोग नीचे उतर गये थे। ऊपर हाथ कर दिये गये थे इसके बावजूद थाने वालों ने उसको गोली मारी। इससे बड़ा और अन्याय क्या होगा ? और यह कहना कि उनके पास हथियार थे। अगर हथियार थे तो वह बरामद होते। और अगर हथियार चलाते तो कोई न कोई पुलिसकर्मी कहीं न कहीं घायल होता। आप पुलिस की बात करते हैं। यह कहते हैं आतंकवादी थे। आतंकवादी अगर होते तो पुलिस वाले उनका पीछा ही नहीं करते। आतंकवादी अगर पूर्व की तरफ जाते हैं तो पुलिस वाले उत्तर की तरफ जाते हैं। यह हालत है पुलिस वालों की। इसलिए गृह मंत्री जी बड़ा अन्याय हुआ है और सारे क्षेत्र में बड़ा आक्रोश है। अगर पुलिस ने इस तरह से ज्यादती की, इस तरह से निर्दोष लोगों को अगर गोली से मार दिया तो फिर कोई आदमी अपने आपको यह समझे कि किसी भी आदमी को गोली मार दी जायेगी। इसलिए यह मामला जघन्य है, बड़ा भयंकर मामला है। पुलिस कर्मियों को तुरन्त सस्पैण्ड किया जाये और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये और उनके परिवार को दस-दस लाख रुपये दिये जायें यह तब होगा नहीं तो पुलिस का केवल बचाव करके, पुलिस जैसी रिपोर्ट पेश कर दे उस एक ऐसे निहायत शरीफ आदमी को आतंककारी कह रहे हैं जो अपनी मेहनत मजूरी करता है, एक महाजन कहां गोली मार सकता है, साहब। इस सारे मामले पर अगर इस तरह पर्दा डाला गया तो गरीब आदमी जी नहीं सकेगा। इसलिये मैं गृह मंत्रीजी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि उस गरीब बेवा महिला पर दया करें जिसके साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है, भगवान उनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिये आप निश्चित रूप से उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिये और जो पुलिस अधिकारी उनका पक्ष ले रहे हैं उनके खिलाफ भी आप सख्त कार्यवाही करिये जिससे आने वाले टाइम में किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारा जा सके, यही मेरा आपसे निवेदन है।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया। आप बोल लिये। आपका जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)

आप सब बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आधा मिनट का टाइम।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की इजाजत से सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य

बीलवाड़ी काण्ड

श्री ईश्वरलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लिये ना।

श्री ईश्वर लाल सैनी : नहीं, मैं बोल लिया था लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : नयी उपज कहां से आ गई तो ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : निवेदन तो सुन लो, साहब। जब यह निर्णय ले रहे हैं तो मेरी तीन बातों का ध्यान रखेंगे, इतना सा निवेदन है। देखिये....

श्री उपाध्यक्ष : कर ली ना आपने।

श्री ईश्वर लाल सैनी : सन् 86 में एक छोटे से अपराध के लिये जो बीकानेर में एस. पी. रोहिताश्व था उसको हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री, हरिदेव जोशी ने तत्काल सस्पैण्ड किया था, इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं था। एक बात मेरी ध्यान रखना। यह तीन पाइंट हैं, सर। 28 तारीख को मुकदमा दर्ज होने के बाद खुद पुलिस का मुकदमा छह दिन बाद दर्ज किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : वह पहले बोल तो लिये ना आप। फिर क्या है ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : नहीं नहीं, यह अभी जवाब देंगे ना इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो आप बोलने दोगे तब देंगे ना।

श्री ईश्वर लाल सैनी : दो, जो सावित्री देवी ने मुकदमा दर्ज कराया उसके 15 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ और जो आतंकवादी बताये हैं उसके बाद साबित नहीं हुए हैं और इससे सारा सदन सहमत है....

एक माननीय सदस्य : यों ही नहीं बोलते रहना चाहिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी : इस सारे प्रकरण से....

एक माननीय सदस्य : भाई, जोशी को उठाओ ना।

श्री उपाध्यक्ष : नयी बात क्या कह दी आपने ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : इसलिये कठोर सजा मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या नयी बात कह रहे हैं, आप, नयी बात। माननीय हरिसिंह जी, एक प्रश्न। बहुत समय हो गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अनुरोध कर रहा हूं आपके माध्यम से, जो एफ. आई. आर. पुलिस ने दर्ज कराई है वह, जो एफ. आई. आर. श्रीमती सावित्री देवी ने दर्ज कराई है वह और उसके उपरांत की जो एफ. आई. आर. और दर्ज हुई हैं, जो कालूराम, सुजान के वारिसान हैं और तीनों की

(श्री हरिसिंह)

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से मामला एकदम स्पष्ट है कि पुलिस की एफ. आई. आर. नितान्त फर्जी है। जैसा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे सब मामला स्पष्ट हैं। फिर सरकार से मैं यह पूछना चाहता हूं, इसमें हिचक क्या है कि मंडावरी में कांड हुआ, सरकार चुप रही, पुलिस ने ज्यादतियां कीं। सतवाड़ी में हुआ, सरकार चुप रही, पुलिस ने ज्यादतियां की। सांगानेर में हुआ, सरकार चुप रही और लीपापोती करके वही थोप दिया और उसके बाद यह बीलवाड़ी में हो गया। आप ऐसे करते रहिये, पुलिस की ज्यादतियों को बर्दाश्त करते रहेंगे तो पुलिस ज्यादतियां करती रहेगी। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी हालात हैं, उनसे यह और स्पष्ट हो रहा है कि न केवल वह पुलिस पार्टी जिसने मौके पर उनका मर्डर किया है बल्कि पुलिस के उच्च अधिकारी भी 120 (बी) के मुलजिमान हैं। आप इसमें न्यायिक जांच करवाइये, नम्बर एक। नम्बर दो, जो चौथा आदमी है रामसिंह, उसको टाडा में बंद कर रखा बताया। मेहरबानी करके तथ्य स्पष्ट हो गये हैं, अब तो उसको आप तुरन्त रिहा करने के आदेश फरमा दीजिये। इसके अलावा जो आप सी. बी. आई से इसकी जांच करा रहे हैं, उस सी. बी. आई. की जांच से पहले श्रीमती सावित्री देवी ने जो एफ. आई. आर, दर्ज कराई है वह ओरिजिनल एफ. आर. सी. बी. आई. के सुपुर्द कर दीजिये। नम्बर दो, जब श्रीमती सावित्री देवी ने 302 का अरदास किया डी. जी. से मिल कर कि 302 में ही मेरा केस दर्ज किया जाय, उसके बाद डी. जी. ने कह दिया मामला दर्ज किया जाय, फिर 304(ए) में यह मामला कैसे दर्ज किया गया? यह सब जांच के विषय हैं। और अगर आप इनकी न्यायिक जांच नहीं करवायेंगे, मुख्य मंत्रीजी, आप हाजिर हैं, आप छोटे-छोटे कांड पर न्यायिक जांच करवाने की मांग लम्बे समय तक करते रहे हैं, आपके 12 महीने के शासनकाल में पांच बार पुलिस के अत्याचार हो चुके हैं, पांच बार पुलिस ने कहर ढाया है, एक बार भी आप खुद ही अपनी इच्छा से यह कहते कि मैं इसकी न्यायिक जांच करवा रहा हूं तो बहुत अच्छा रहता। आप इसे पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करवाइये। आप न्यायिक जांच नहीं करवायेंगे और इन अधिकारियों को आप इस तरह से ना लेंगे—

श्री उपाध्यक्ष : बहुत रिपीटिशन हो रहा है।

श्री हरिसिंह : तो अत्याचार इस प्रकार बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृहमंत्रीजी।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या रह गया अब?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मैंने नाम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : सीधे प्रश्न कर लीजिये, बहुत समय हो गया।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : यह नियम मेरे लिये लागू होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपसे उम्मीद रखता हूं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृहमंत्रीजी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री सम्पत सिंह : आप गुस्से में क्यों हो ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मैं सबसे पहले तो मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं और जो बीच-बीच में हर मामले को इतने साधारण तौर पर लेकर उचक-उचक करते हैं, आप मेहरबानी करके इनको समझाइये। यह तीन आदमियों की हत्या का मामला है और इसको आप मजाक में ले रहे हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, शर्म की बात है आपके लिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को देखने की बात यह है कि हरिराम जिसकी हत्या हुई उसकी पत्नी की रिक्वेस्ट पर 16 तारीख को मुकदमा दर्ज किया और उसके पहले पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज करके तीन आदमियों का पोस्टमार्टम करवाया। मैं माननीय सुरेन्द्रजी की बात का समर्थन करते हुए सबसे पहले तो, गृह मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहली जो रिपोर्ट है वह सदन की टेबल पर रखें और उसके बाद जो पुलिस के अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट है वह टेबल पर रखें और डी. जी. साहब ने सावित्री देवी की दरख्वास्त पर जो आदेश दिये वह मेहरबानी करके टेबल पर रखें। साथ ही यह भी बतायें कि चौथे आदमी को जो टाडा एक्ट में अरेस्ट कर रखा है, आपने टाडा एक्ट का मुकदमा कब दर्ज किया ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, इतना जघन्य अपराध, एक आदमी पर गोली चली वह मर गया और गवाह खतम हो ताकि साबित नहीं हो जुर्म, दो को और मार दो। तो मेरा विनम्र निवेदन इस पवित्र सदन में यह है गृह मंत्रीजी से कि चौथे व्यक्ति को जो आपने टाडा एक्ट में अरेस्ट कर रखा है उसको रिहा कर दें वर्ना सी. बी. आई. की रिपोर्ट के पहले यह आपकी पुलिस उसको भी मार देगी। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इनकी जांच रिपोर्ट है उसमें कुछ कहा है इन्होंने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहती है, जांच रिपोर्ट में जो पुलिस वालों ने बयान दिया है उसमें यह कहा है कि एक तो यह कहते हैं एक्सीडेंट हो गया पहली रिपोर्ट में तो, दूसरा यह कहते हैं कि गाड़ी को दौड़ाया इसलिये हमने बन्दूक चलायी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक्सीडेंट होता तो गाड़ी टूटी हुई कतई नहीं है। अगर पीछे से बन्दूक चलती तो सीने से लगकर गोली पीछे निकली है, यह साबित कैसे हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। कहने का मतलब इनकी जो जांच रिपोर्ट है उसमें पुलिस ने जो बयानात दिये वह उस हत्या को छिपाने के लिये दिये। गृह मंत्रीजी, आप यह भी बतायें

(174)

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

जब 27 तारीख की रात्रि को इस तरह से हत्या हो चुकी थी और सावित्री देवी जिसके पति हरिराम, जो नीमकाथाना का एक अग्रवाल महाजन, एक साधारण परिवार का व्यक्ति है, जहां के माननीय सदस्य उनकी सारी बात की ताईद करते हैं, पिछले पांच साल से थानागाजी के अन्दर कम्प्रेशर मशीन का काम करता है, जिसकी नाईद माननीय रमाकांत जी करते हैं, दोनों के व्यवहार के बारे में दोनों माननीय सदस्य कर रहे हैं, 28 तारीख को आपकी पुलिस का रायपुर और नीमकाथाना उनकी दुकान पर जाकर उनकी तलाशी लेने का क्या मकसद था ? और उसमें कुछ नहीं निकला। मात्र इतना मकसद था कि मृतक के भाई को उस तलाशी के चक्कर में बिठा कर लाया जाय और डैड बोडी थाने पर लाकर उनको सुपुर्द कर दी जाय। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है—name of person who got the dead body—श्री सुरजनसिंह, एस. एच. ओ., पी. एस. विराटनगर। एस. एच. ओ. विराटनगर ने उन तीनों डैड बोडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अपने हैण्ड में लिया। तो उस डैड बोडी को उस परिवार के किसी व्यक्ति को सुपुर्द करने की मन्शा से ही रायपुर गये हैं। एक तरफ डैड बोडी पड़ी है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद और पुलिस आपका प्रशासन रायपुर जाकर मकान की तलाशी लेता है, उनकी बीलवा थाने में दूकान की तलाशी लेते हैं और उसके बाद उसके भाई को बिठा कर लाते हैं और थाने में आकर कहा जाता है कि मृतक का भाई आ गया, उसको लाश को सुपुर्द कर दो और फिर लाश सुपुर्द की गई है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस मैटर को सी. बी. आई. में दिया है। कई माननीय सदस्यों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। यह धन्यवाद की बात नहीं है। यह सरकार का दायित्व है। उस फाइल में इस तरह की कमियां हैं। उसमें और कुछ करना चाहिए था वह सरकार ने नहीं किया। मैं मांग करता हूं इस बात की कि जब प्राइमाफेसी आपकी फाइल से ही साबित है तो उन पुलिस कर्मियों को जिन्होंने इस तरह का इतिहास बनाया उस हत्या को छिपाने के लिए, उनको तुरन्त निलम्बित कीजिए। इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको निलम्बित कीजिए और जो अनाथ बच्चे हो गये, जो युवा महिलाएं थीं, वह विधवा हो गई, उनकी मांग का सिन्दूर मिट गया, आप उनको मेग्जीमम मुख्य मंत्रीजी, राहत देने का प्रयास करें।

यह एक परम्परा बन गई है कि पुलिसकर्मी के द्वारा इस तरह की बात होती है तो उसको दबाया जाता है। मैं पिछला उदाहरण देता हूं, माननीय भैरोंसिंह जी को पता है कि चौमूं थाने में एक बार गणपत हत्याकाण्ड हुआ, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी वाले राज में थे। माननीय भैरोंसिंह जी और हमने इस सदन में उठाया। इन्होंने भी दबाया था। एक ही मामला नहीं है। गृह मंत्री जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपका तो सब-डिवीजन शाहपुरा और कोटपूतली है। आपके पीछे जो सदन के माननीय चीफ व्हिप बैठे हैं इन्होंने कैसे काम किये हैं ? वह भी बता सकता हूं जैसे दो माननीय

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

सदस्यों ने बताये हैं। इन्हीं की कांस्टीट्युएंसी में गोविन्दपुरा में एक युवा महिला की हत्या की और उस 22 तारीख की हत्या के मुलजिम आज तक गिरफ्तार नहीं हुए शाहपुरा थाने में।

मेरी आपसे गुजारिश है कि इन हत्यारों को, जो पुलिस कर्मी हैं, अरेस्ट किया जाय। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और दौराने जांच सी. बी. आई. उनको निलंबित किया जाय और अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं को मेग्जीमम; जो आज तक सहायता दी है, मैं समझता हूं, उससे ज्यादा देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपेक्षा रखूंगा गृह मंत्रीजी, कि पुलिस प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर चलने की कोशिश मत कीजिए। इन हत्याओं के बारे में राजस्थान की जनता, जयपुर जिले के लोग बड़े भयभीत हैं और आपकी तरफ नजरें टिकी हैं। अगर आपने इस तरह से कार्यवाही करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना अनुरोध है, इस पूरे मामले में मैंने भी छानबीन की है। यह निश्चित रूप से हत्या का मामला है और सरकार को किसी भी सूरत में इस मामले को रफादफा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। केवल यह कहना कि सी. बी. आई. से जांच करवा ली जाएगी, पर्याप्त नहीं है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिनकी मौत हुई हैं, राज्य सरकार इतना मुआवजा दे जिससे उनका परिवार और छोटे-छोटे बच्चों का पालन-पोषण हो सके। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, यह मानवीय प्रश्न है और इसी के आधार पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए।

श्री केदारनाथ शर्मा : उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप नये गृह मंत्री हो और यह पहला मौका है आपका स्टेटमेंट देने का। जो स्टेटमेंट आपने दिया है कि सी. बी. आई. को रेफर कर दिया केवल इस बात के लिए कि मर्डर के पीछे आब्जेक्टिव क्या है, इसलिए किया आपने। सी. बी. आई. को देना और जुडिशियल इन्क्वायरी, दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो डिले करेंगी। मैं आपके जो हायर आफिशियल्स हैं उनकी कांपीटेंस में विश्वास करता हूं। जब आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है, जब आपके पास फर्स्ट इन्वेस्टीगेशन जिन्होंने किया, उसकी रिपोर्ट आपके पास है, उससे जब कोल्ड ब्लडेड मर्डर तय हो चुका फिर आब्जेक्टिव किस बात का? सी. बी. आई. को मत दीजिए। इससे डिले करेंगे। आप जो मैन एविडेंस है उसको आपने अण्डर टाडा में रख दिया बाकी पेपर आपने डेस्ट्रॉय कर दिये। रिपोर्ट आप पेश नहीं करना चाहते। सी. बी. आई. केस प्लीड किस पर करेगी? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, अण्डर योर वेरी नोज यह मर्डर हुआ और आप मौके पर नहीं गये। वहां के एम. एल. ए. ने सारे

(श्री केदारनाथ शर्मा)

क्रिडेंसियल्स बता दिये, सोशल बैक ग्राउण्ड बता दिया, इन्कम, उनका पैसा बता दिया कि वह किस पैसे के आदमी थे, क्या उनका सोशल स्टेट्स था, उसके बाद आप उनको टेरेरिस्ट कह करके एन्काउंटर साबित कर दो। उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद जानते हैं कि चैज किया और चैज करके कहा कि एक फायर उधर से आया। मेडिकल रिपोर्ट क्या है? किस कांस्टेबल का फायर हुआ है? कांस्टेबल का फायर लगा हुआ है। एनकाउंटर तो वह हो सकता है, माननीय गृह मंत्री जी, आपकी पर्सनल लाइफ एन्डेंजर हो जाय, तब जाकर फायर कीजिए। आपने इस ढंग से फायर किया, तीन आदमी मार दिये वहां पर। एविडेंस को टाडा में रख दिया। बाकी आज तक न तो संस्पेंड किया, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। सी. बी. आई. को मत दीजिए। केस बिल्कुल क्लीयर है। कोल्ड ब्लेडेड मर्डर है। उन तीनों को गिरफ्तार कीजिए और आप उनको मुआवजा दीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात कहना चाहती हूं। होता तो यह है कि कानून सब के लिए है लेकिन जब कानून के जो रक्षक हैं वे ही भक्षक का काम करें तो उनको गहरी सजा मिलनी चाहिए। यह कोई ऐसा विषय नहीं है....

श्री ईश्वरलाल सैनी : विधवाओं का ख्याल है इनको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे आपका भी ख्याल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, अगर उनको सजा नहीं दी गई तो और लोगों का साहस बढ़ेगा। उनको ऐसी सजा दी जाय कि वह याद करें और उस विभाग या अन्य विभाग के आदमी ऐसा काम नहीं कर सकें। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि निर्मम हत्या की गई है। माननीय मंत्री महोदय से मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि कई बार कहा जाता है कि पुलिस डिमोरेलाइज हो जायेगी। यह आप लोग कहते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि कोई भी डिमोरलाइज होने की बात नहीं है। जो कानून है उसकी चपेट में आने पर जो गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए और जिनके घर पर ऐसी बीती है उनको पूरी-पूरी सुरक्षा देनी होगी। सरकार ने पिछले दिनों भी इस तरह की बात पर एक-एक लाख रुपये दिये हैं। मैं कहना चाहती हूं कि उनके पूरे परिवारों की जिम्मेदारी सरकार ले। अब उनका कोई धणी-धोरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री जी।

श्री दिग्विजयसिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस पर विस्तार से चर्चा की और इसके साथ-साथ उनके तथ्य भी मेरे सामने दिये। जो खास तौर से बात आई, वह, उपाध्यक्ष महोदय, यह थी कि उनको आतंकवादी मान कर उनका पीछा किया गया और आतंकवादी के रूप में ही उनकी हत्या की गई, ऐसा माननीय सदस्यों ने कहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अपने

(श्री दिग्विजय सिंह)

बयान में कहा है कि यह जो कार्यवाही हुई, उसके पीछे कोई इस प्रकार का शक था कि जब उस गाड़ी की इत्तला हुई और जब कम्युनिकेशन हुआ कि ऐसी गाड़ी निकल रही है जिसके अन्दर कुछ लोग मुंह पर डाटे बांध कर बैठे हुए हैं। उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : गृह मंत्री जी, डाटा सर्दी की वजह से बांध रखा था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरी बात तो होने दीजिए....(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप मेरी पूरी बात तो सुनिये।

माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टैरेरिस्ट हो गये हैं। ऐसी सूचना उनको मिली, उस वजह से वहां पुलिस पार्टी ने उनको रोकना चाहा और आब्स्ट्रक्शन के हिसाब से भी वहां पत्थर वगैरह आदमियों ने लगाये। वह जीप रुकी नहीं और नहीं रुकने की वजह से जो पैट्रोलिंग जीप थी, उसको इस बात का शुबहा हुआ कि गाड़ी क्यों नहीं रुकी। उसने उसका पीछा किया और उसका पीछा करने का कारण यह था कि उनको जो इन्फार्मेशन आयी थी, उसको लिक-अप करके ताइद इस बात की हुई कि यह जीप कोई विस्फोटक सामग्री लेकर के जा रही है टेरेरिस्ट की बात मैं खुद कह रहा हूं कि डाटा बांधने से उनकी पहचान नहीं हो पाती। हो सकता है कि सर्दी के दिन थे और सर्दी के दिन की वजह से उन्होंने मुंह पर पट्टी या डाटा बांध रखा था।

दूसरा प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का है और खास तौर से कहा गया कि जो 304 ए.डी.जी. की रिपोर्ट के आधार पर सी.आई.डी. से रिपोर्ट आई। उसके बाद डी जी ने उस समय 304ए में इन्क्वाजी किया गया, उसको बदलकर और 302 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया जाकर के उनको बर्खास्त किया जाय या उनको अरेस्ट किया जाय या उनको सस्पेण्ड किया जाय।

तीसरी बात आपने कहा कि टाडा एक्ट के तहत रामसिंह को अब तक गिरफ्तार कर रखा है, उसका मुकदमा कब बना। उसका मुकदमा 28.1.91 को उसी दिन बना दिया गया था जब वह माल पकड़ा गया, वे डिटोनेटर पकड़े गये। उसके पास जिलेटीन इत्यादि सामग्री पकड़ी गई। अभी ऐसे मामलों पर माननीय सदस्यों ने सदन के अन्दर चिन्ता व्यक्त की है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी जब कई जन-प्रतिनिधि मुझसे मिले थे और माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले और उन्होंने सारी जानकारी इस बात की दी थी और हमने भी उन तथ्यों और पुलिस विभाग की अपनी जानकारी के हिसाब से वह सारी जानकारी चाही ताकि सारी और सही रिपोर्ट आ जाय। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसको सी बी.आई को सुपुर्द कर दिया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय

(श्री दिग्विजय सिंह)

सदस्यों को, अगर इस सदन के प्रांगण में आज इस प्रकार का निर्णय हम कर लें कि यह 302 में मुकदमा बन चुका था, उस सी.बी.आई. को हमने जो जांच दी है, उसका क्या अर्थ निकलेगा । मैं माननीय सैनी साहब हैं, उनका आभारी रहूंगा, जब सी.बी.आई. की जांच हो, उस समय जो सारे तथ्य उनके पास हों, उनको बतला दें तो ज्यादा लाभदायक होगा और सी. बी. आई. सही जाँच भी करें।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपने जो बात कही है कि पुलिस सी आई. डी. की रिपोर्ट....(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : गृह मंत्री मंत्री जी, चूड़ियां पहन लो।

एक माननीय सदस्य : जब सदन में माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह निर्दोष हैं तो क्यों नहीं उनको निलम्बित किया जा रहा है ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : तो फिर यह साहसियों को दबायेंगे । इसलिए हमारा निवेदन है कि आपने इन्क्वायरी दे दी सी बी.आई. को, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। आप 302 में भी मुकदमा दर्ज मत कीजिये, सी.बी आई. को इन्क्वायरी दे दीजिये लेकिन इन तीनों पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कीजिये ताकि साहसियों पर दबाव नहीं पड़े और उनके लोगों को मुआवजा दीजिये और रामसिंह को टाडा एक्ट से छुड़वाइये । वह गुनहगार नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनकी पूरी बात तो हुई नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जवाब नहीं आ रहा है। यह बताइये कि वे आतंकवादी थे या नहीं थे। आंतकवादी थे क्या वे ?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करता चाह रहा हूं और जैसा कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि हो सकता है कि राज्य की सी·आई.डी. की रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेज आप उनको उपलब्ध नहीं करायेंगे, मैं आपको विश्वास दे सकता हूं कि सी. बी. आई. जो-जो भी रिकार्ड वगैरह चाहेगी, राज्य सरकार चाहेगी, वह निश्चित रूप से उनको उपलब्ध करा दिये जायेंगे । चाहे वह सी.आई.डी. की रिपोर्ट हो या कोई इंटेलीजेंस की हो या किसी की हो । इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जो सीरियसनेस है, उसको देखते हुए मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिए विश्वास दिला सकता हूं कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उन अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने कि यह जघन्य अपराध किया है, जो सी.बी.आई. जाँच कर रही है, हम उनको निलम्बित करने जा रहे हैं निश्चित रूप से हम उनको सस्पेण्ड करेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़ाया जाय और मुआवजे की घोषणा की जाय ।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने टाडा एक्ट के बारे में जो बात कही है. हम कह सकते हैं कि सी.बी. आई. जांच कर रही है और इस जांच रिपोर्ट के साथ आ जायेगा कि इसमें कोई इन्वाल्व नहीं है । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको टेररिस्ट मानते हो क्या ? जब उनको टेररिस्ट नहीं माना जाता तो वे टाडा में बंद क्यों हैं ? आप उनको आतंकवादी मानते हो क्या, गृह मंत्रीजी ? यदि आतंकवादी नहीं मानते हो तो रामसिंह को क्यों नहीं छोड़ा जाता ?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : रामसिंह स्वतंत्र गवाह है, उसको छोड़ा जाना चाहिये....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : मुआवजे के मामले में आपने कुछ नहीं कहा । मारे गये छोटे बच्चे हैं, विधवाएं हैं, मुआवजे के बारे में आप क्या-क्या कर रहे हैं ? टाडा एक्ट के तहत जिस व्यक्ति को रखा है, उसको तो छोड़िये आप ।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय नत्थी सिंह जी, उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से उनको जो सहायता देनी है, वह देंगे.... (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : बात का सवाल नहीं है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब तो मुख्य मंत्रीजी भी आ गए थे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-एक करके बोलें तो समझ में आये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मुआवजे के बारे में जवाब दिलाया जाय ।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी, आपने यह तय कर लिया है कि आप उनको सस्पेण्ड करना चाहते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद । अर्थात् प्राइमाफेसी आप मान गये कि उन्होंने गलती की है । जब आप निलम्बित कर रहे हैं तो प्राइमाफेसी मान गये कि उन्होंने हत्या की है । जब प्राइमाफेसी इस बात को मान गये हैं तो फिर टाडा एक्ट का कहां प्रयोग हुआ है क्योंकि टाडा एक्ट तब होता है जब आपके मन के अन्दर अभी भी यह वहम हो कि वह चारों आतंकवादी थे । यह वहम तो निकल गया आपका क्योंकि आपने सस्पेण्ड कर दिया, आपने निर्णय ले लिया । इसलिए ऐसे हालत के अन्दर, इस टाडा एक्ट के अन्दर नहीं छोड़ेंगे तो इस समय पुलिस वाले, इस एक्ट का निरन्तर बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं ।....(व्यवधान)

मेरी समझ में नहीं आता कि जब सारे फैक्ट्स पूरी तरह से आपको पता है, जिसमें कोई शक और शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं थी । किन्तु उस आदमी को सी.बी.आई. की रिपोर्ट के आने तक रखना चाहते हैं जिससे कि वह अपने लोगों से नहीं मिल सके, जिससे सही बात लोगों के सामने नहीं आवे । पुलिस बार-बार इस टाडा एक्ट का मिसयूज करती रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अन्तिम प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इस बारे में।

श्री नत्थी सिंह : टाडा एक्ट के अन्तर्गत छोड़ तो दें।.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : 3–3 मर गये और कोई घोषणा नहीं हो रही है।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, तो यह स्पष्ट हो गया, पुलिस की मार के बाद उसके परिवार को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? मुआवजे की घोषणा तत्काल होनी चाहिये और यदि वे आतंकवादी नहीं थे तो रामसिंह को रिहा करना चाहिये और पुलिस का जो एस.पी. माहेश्वरी है, उसको हटाया जाना चाहिये। जो माहेश्वरी है, वह उनको बचाना चाहता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

आप अपने सचेतक महोदय को नहीं बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि टाडा एक्ट में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है, उसकी जमानत तक नहीं हुई। लोअर कोर्ट में जमानत टाडा एक्ट में नहीं ले रहा है, ले नहीं सका है, तो उस सूरत में आप क्या करने जा रहे हैं? आप मान रहे हैं कि अन्याय, अनर्थ हुआ है! पुलिस ने अपने मिसकंडक्ट को छिपाने के लिए, इस अपराध को छिपाने के लिए झूठा फर्जी केस दर्ज किया तो मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है, माननीय गृह मंत्रीजी, आप इस मामले के अन्दर अगर आप उसको बेल-आउट करा देते हैं या छोड़ देते हैं, अगर सी बी. आई. की इन्क्वायरी के अन्दर यह जानकारी हो जायेगी तो पुनः गिरफ्तार हो सकता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं आयेगी। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न कृपया नहीं बनायें, यह मेरा आपसे निवेदन है। मुख्य मंत्रीजी स्वयं जानते हैं। (व्यवधान)

दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उन गरीबों को आप क्या देना चाहते हैं? आज कोई एक्सीडेण्ट में कहीं मर जाता है तो मुख्य मंत्री सहायता कोष से अनाउंस हो जाता है, 5 हजार रुपये दिये गये, 10 हजार रुपये दिये गये। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि उन परिवारों को जिनके कमाने वाले मर गये हैं, जो अपना वर्क-शाप चलाते थे, वहां पर अपना धन्धा करते थे उन लोगों की हत्या हो गई। हकीकत यह है कि एक आदमी मरा, दो को तो इस एवीडेंस को डेस्ट्राय करने के लिए मार डाला, यह हकीकत है। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं कि एक आदमी मरा था, दो को तो खड़ा करके मार दिया कि यह एवीडेंस खत्म हो जायेगी। जिस तरह से हल्फ

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उठाया गया पानी का, वहां पर किसी से भी जिक्र कर लो वे जिक्र करते हैं कि पुलिस वालों ने हल्फ उठाया। ऐसे सब मामले आपकी जानकारी में हैं। पुलिस आफिसर तो हमें सलाह क्या देंगे, उन्हें तो अपनी मर्जी .. (व्यवधान)

लेकिन तब भी इस सदन के अन्दर लोग सस्पेण्ड हुए हैं, लोगों को राहत दी गई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायें, टाडा में उनको आप तुरन्त छुड़वा दें। दूसरा, आप उन लोगों को आर्थिक सहायता जितनी लिबरल रूप से दे सकें उतनी आर्थिक सहायता दें। इसमें आपको कहां दिक्कत आ रही है ? आप मानवीय दृष्टिकोण अपना कर उनको आर्थिक सहायता दें। यही मेरा आपसे निवेदन है। इस बारे में कुछ कह दें आप, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा सदन एकमत है इस बात पर कि उन लोगों के साथ ज्यादती हुई है। सरकार ने भी एक राय बना ली कि निलम्बित कर रहे हैं। जब यह राय बना ली तो टाडा एक्ट के अन्तर्गत उनको बन्दी रखना कहां तक उचित है, उसको छोड़ा जाय। फिर जो अनाथ हो गये, विधवा हो गईं, उनके लिए मैं कहता हूं कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायें और मुआवजे की घोषणा करिये। सारे सदन की एकमत राय है। उसमें आपको कौन सी दिक्कत आ रही है ? मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्रीजी बहुत कुछ कह चुके हैं। यहां दो प्रश्न उठाये गये हैं कि टाडा एक्ट में गिरफ्तार किया गया उसको छोड़ा जाय और जिन की मृत्यु हुई है उनके, मृतक के परिवार वालों को क्षतिपूर्ति दी जाय।....

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : दोषी पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया जाय। अभी तक एक को भी नहीं किया है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : एस. पी. को नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस गम्भीर विषय को गम्भीर रहने दीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पहले बात तो सुनें। आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं बोल रहा हूं। सुनिये आप। जितने प्रश्न हों पूछ लेना, मैं उनका जवाब देऊंगा।

मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार पूछ रहे थे कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय कि वह टेरेरिस्ट थे या नहीं। उनका शायद आशय यह है कि इस एक्ट में केवल टेरेरिस्ट ही गिरफ्तार होते हैं और मैं समझता हूं कि उसके कारण से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह भ्रम भी पैदा होगा कि केवल टेररिस्ट ही गिरफ्तार होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेररिस्ट वाली बात मैं समझता हूं कि अवाइड करें तो ज्यादा ठीक है। कोई उनको टेररिस्ट हम मान रहे हैं इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यह क्वेश्चन, जिस प्रकार की सदन में जानकारी आयी है, उसके पहले भी हमारे पास जानकारी आयी थी, बहुत काम्पलीकेटेड मैटर है और इसलिए हमने इसमें देरी नहीं की और तुरन्त इस मामले को सी. बी. आई. को भेज दिया। मेरी कोशिश यह होगी कि सी. बी. आई जल्दी से जल्दी इसकी इन्वेस्टीगेशन खत्म करें और इन्वेस्टीगेशन खत्म हो जायेगी तो इसकी सारी असलियत किस प्रकार से 304 ए बना और किस प्रकार से 302 बनना चाहिये था, किस प्रकार से गिरफ्तारी में विलम्ब किया, किस प्रकार से डैड बॉडी के साथ, पोस्टमार्टम में जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि थानेदार ने यूं किया या पुलिस ने यूं किया। यह सारी बातें कोई छिपी हुई नहीं रही हैं। मैं सदन को यह विश्वास दे सकता हूं कि एक कागज भी हमारी नालेज में है या पुलिस के कब्जे में है, एक कागज को भी छिपाया नहीं जायेगा, सारे कागज सी. बी. आई. को दिये जायेंगे, इसमें किसी का व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट नहीं हो सकता। सरकार की इस कारण से उलटी बदनामी हुई है। जिसके कारण से बदनामी हुई है उस बदनामी के कागजात छिपायें इसकी कोई आवश्यकता सरकार को नहीं है। जिन्होंने दोष किया है उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जो निर्दोष हैं, जो कुछ भी उनके साथ घटना हुई है, उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसकी भी कोशिश की जायेगी। उसका प्रायश्चित किस प्रकार से किया जाय इस बात की भी व्यवस्था की जाय। मैं माननीय सदस्य से, जो पहले गृह मंत्री या राज्य गृह मंत्री रहे हैं, एक बात की जानकारी करना चाहता हूं। किसी का मर्डर हो गया तो क्या सरकार ने कभी क्षतिपूर्ति की है?

श्री नत्थीसिंह : पुलिस के द्वारा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं (व्यवधान)

देखिये, बात तो सुनिये। देखिये, यह कोई तरीका है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुआवजा आपने दिया है। मण्डावरी में आपने दिया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आप अगला विषय लीजिये। सुनना ही नहीं चाहते हैं तो फिर मतलब क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय, कृपया माननीय सदस्यों को कन्ट्रोल में करिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप यही तरीका रखेंगे कि बीच-बीच में इन्ट्रप्ट करके कुछ निकलवा लेंगे ऐसी तो सम्भावना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपको छोड़ देनी चाहिये। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि इस मामले में कोई चीज छिपायेंगे नहीं, दोषी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं चाहे बड़ा से बड़ा दोषी व्यक्ति हो। उस आदमी को किस प्रकार से सजा दी जाय लेकिन सजा देने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बाहर जाऊंगा नहीं, यह आप मानकर चलें।

जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है। आप तो शायद गये होंगे, नहीं गये होंगे लेकिन मृतक परिवारों के आदमी मुझसे एक बार नहीं, कई बार मिल कर गये हैं। सारा किस्सा मैंने सुना है और सुनने के बाद ही हम सब ने बैठ कर इस मामले को सी.बी.आई. को देने का फैसला किया है। उस समय तक शायद आप लोगों ने किसी ने भी डिमाण्ड नहीं की। डाक्टर साहब का स्टेटमेण्ट आया था, वह मैंने जो सी.बी.आई. को देने का फैसला किया है, उसके तीन दिन बाद में स्टेटमेण्ट आया था....

डा. चन्द्रभान : नहीं, पहले ही आ गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, तीन दिन बाद। तो आप यह नहीं सोचें कि गवर्नमेण्ट ने अपनी तरफ से कोई इनिशियेटिव नहीं लिया, गवर्नमेण्ट ने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। हमने एक्शन लिया, सी.बी.आई. को मामला दिया। अब सी.बी.आई. को जब मामला चला गया है तो मेरी पोजिशन थोड़ी आकवार्ड होती है इस सेंस में। आप तो स्वतन्त्र हैं जो चाहे कह दें लेकिन गवर्नमेण्ट के बिहाफ पर मैं कुछ कहूं जो मामला दूसरे के पास इन्वेस्टीगेशन में है तो वह मामला उस इन्वेस्टीगेशन को प्रिजुडिस करने के बराबर होगा। इसलिए इसकी डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता। मैंने आपको कहा कि 304, 302 कौन सी धारा में वह चालान करेंगे, कौनसी धारा में इस एफ. आई. आर. को कन्वर्ट करेंगे, यह सारा सी बी आई के हाथ की बात है।

जहां तक उनको मुआवजा देने का प्रश्न आता है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सी. बी आई. का ज्यों ही फैसला हो जायेगा, इन्वेस्टीगेशन होगी और उस इन्वेस्टीगेशन में अगर यह पाया गया, आज तो मैं नहीं कह सकता हूं कि इन्वेस्टीगेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा, इन्वेस्टीगेशन में यदि पाया कि इस प्रकार से उन लोगों की सहायता करने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से सहायता करेंगे। जो भी मापदण्ड है सहायता करने का, उस मापदण्ड के आधार पर चलेंगे।

जहां तक तीसरा प्रश्न आपने रखा टांडा का कि टांडा में यह क्यों लिया गया। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस कारण से कि उनके पास कुछ एक्सप्लोजिव थे। अभी सदन में किसी ने यह नहीं कहा कि एक्सप्लोजिव पुलिस ने उसमें रख दिये....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : लाइसेंस होल्डर थे। वह रिकार्ड पर आ गया है लाइसेंस का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लाइसेंस होल्डर होंगे मैं मानता हूं। आप बीच में खड़े मत होइये। मुझे मालूम है लाइसेंस होल्डर हैं, नयी बात थोड़े ही है। आप बता रहे हैं लाइसेंस होल्डर थे या नहीं थे लेकिन कई लोग लाइसेंस होल्डर होते हुए भी जब एक्सप्लोजिव चीज रखते हैं या मैगजिन के बाहर सामान रखते हैं तो गिरफ्तार हुए हैं। यह नयी बात नहीं है। लाइसेंस जिस कानून में मिलता है उस कानून की मर्यादाओं के बाहर यदि कोई बिजनेस करेंगे तो निश्चित रूप से पकड़े जायेंगे। वह एक्सप्लोजिव एक्ट में करें, टाडा एक्ट में लिया जाय वह दूसरी बात है।

प्रश्न यह आता है कि यह झगड़ा हुआ क्यों। जहां तक मैं समझ पाया हूं, पुलिस पैट्रोल पार्टी के सामने जब यह गाड़ी निकली तो पुलिस वालों ने देखा कि यह टेरेरिस्ट हो सकते हैं, इनको किसी न किसी प्रकार से गिरफ्तार किया जाय और गिरफ्तार करने के लिए पीछा किया और पीछा करने का नतीजा जो अभी सदन के माननीय सदस्यों ने बताया है, वह उस प्रकार का नतीजा निकला। तो क्वेश्चन आता है क्या पुलिस का मोटिव इस प्रकार का था कि गाड़ी में बैठे लोगों का मर्डर किया जाय, तब तो मोटिव मामला तय नहीं हो उसके पहले ही 302 की बात करें और धाराओं की बात करें। क्वेश्चन है मोटिव का। कोई भी केस क्रिमनल बनेगा तो उसमें मोटिव क्या था। मोटिव का इम्पार्टेण्ट फैक्टर है, जिसको इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मोटिव इनका मर्डर करने का था तो निश्चित रूप से धारा 302 लगेगी, मोटिव यदि दूसरा था तो धारा 302 नहीं लगेगी। जहां मैं कानून का जानकार नहीं हूं लेकिन थोड़ी-बहुत जो मेरी जानकारी है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि मोटिव के साथ यह मामला जुड़ा हुआ है।

अब प्रश्न आता है–टाडा एक्ट। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में आप लोगों की यह मांग वाजिब हो सकती है कि टाडा एक्ट में गिरफ्तार करना गलत था और गिरफ्तार किया, उसको छोड़ा जाय। मैं इतना ही कह सकता हूं कि टाडा एक्ट में गिरफ्तारी तो आसान है लेकिन टाडा एक्ट में मुक्ति दिलाना यह बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जायेगी कि जल्दी से जल्दी टाडा एक्ट से मुक्त कराया जाय। इतना ही मैं कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

क्या बाकी रह गया है ?

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्यों को शंका हो रही है कि निलम्बन...

डा. चन्द्रभान : सस्पेंड किन-किन लोगों को किया जायेगा ?

श्री नत्थी सिंह : सस्पेंड किस-किस को कर रहे हैं आप ? किस-किस को सस्पेंड कर रहे हैं, यह बता दें।

डा चन्द्रभान : पुलिस के एस. पी. श्री माहेश्वरी जांच को प्रभावित करेंगे। उनको ट्रांसफर या सस्पेंड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चाहे एस. पी. हो चाहे कोई भी अफसर हो, इस सारी कार्यवाही में जिन्होंने गड़बड़ी की है, वह सजा पायेगा। कोई नहीं छूटेगा।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : इससे पहले या तो उनको हटाया जाय या सस्पेंड किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन नहीं रहे थे क्या ? चर्चा समाप्त हुई।

डा. चन्द्रभान : गृह मंत्रीजी ने स्पष्ट नहीं किया कि किन लोगों को सस्पेंड किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बजट भाषण पर सामान्य वाद विवाद।

श्री रमाकान्त शर्मा। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : गृह मंत्री, यह तो बता दें कि किसको सस्पेंड कर रहे हैं ? किसको सस्पेंड कर रहे हैं, यह तो बता दें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने आपसे कहा कि जो इस पुलिस पार्टी में थे और जिन्होंने फाइडिंग किया, उनको सस्पेंड करने का विचार....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अहसान कर रहे हैं क्या ? जिनकी सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस रही है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। बजट पर सामान्य वाद विवाद।

श्री रमाकान्त शर्मा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आज अभी हिण्डौन का मामला....(व्यवधान) हिण्डौन मे पुलिस की गोली से एक आदमी मरा है।

श्री निर्भयलाल जाटव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौन के बारे में। हिण्डौन में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ है, उसके बारे में।

श्री नत्थी सिंह : हिण्डौन के बारे में।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौन के मामले को लें। हिण्डौन के मामले में व्यवस्था आप दे चुके। हिण्डौन का बहुत ही गम्भीर मामला है। उसको लिया जाय पहले। जहां पुलिस की गोली से एक आदमी मरा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी चाहते हैं या सोमवार को ? जैसे आपके जचे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सोमवार को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी चाहते हैं तो अभी भी दे देंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सोमवार को दे दें। आपकी पीड़ा को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय गृह मंत्रीजी, आज व्यवस्था दे दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सचेतक महोदय कह चुके।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बहुत गलत बात है। मैं भूख-हड़ताल पर बैठ रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अभी लिया जाय इस मामले को। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आप पहले निर्णय कर चुके थे उसके बाद बदल दिया। आपने घोषणा की थी कि आज लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : सब की सहमति है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हिण्डौन का इतना गम्भीर मामला था, उसको पीछे बैठाल दिया। और जहां लोग मरें और मरने की सम्भावनाएं हो रही हैं। तीन दिन में कानून की व्यवस्था और बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा इसका ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस तरह के हालात हैं। वहां 80 घरों को जला दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अभी लिया जाय और नहीं तो मैं भूख-हड़ताल की घोषणा करता हूं और भूख-हड़ताल पर बैठता हूं। आज लिया जाय इस मामले को। सोमवार को क्यों लिया जाय ?

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : सरकार जबाब देगी और माननीय अध्यक्षजी ने भी कहा था कि आज सदन में चर्चा होगी। इसके बाद भी इसको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप अपने सचेतक महोदय से बात कीजिये। श्री रमाकान्त।

श्री रामस्वरूप मीणा : हालात बहुत खराब हैं। परसों-नरसों आप ले लें। लेकिन पुलिस की व्यवस्था वहां और सख्त कर दें। वहां पर हालात बहुत खराब चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह सरकार देखेगी। सरकार गम्भीर है इस मामले पर।

आय-व्ययक वर्ष पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जो वित्त मंत्री भी हैं, जो उन्होंने बजट इस सदन के सामने रखा है, उसके लिये बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं और इतने अच्छे बजट के लिये मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं।

बजट जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये है। जिस बजट के अन्दर....(व्यवधान)

आप चुप रहिये। सुन लीजिये आप। बजट एक नया चिन्तन है। सच बात तो यह है कि गांव के लोग-बागों ने स्वयं ने कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार की उनको राहत और इस प्रकार उनके लिये प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर कोई न कोई विकास का कार्य किया जायेगा। उनकी कल्पना से बाहर जाकर के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रकार का बजट सदन के अन्दर प्रस्तुत किया है। मुख्य मंत्रीजी निश्चित ही कई रातें जागे होंगे, काफी चिन्तन किया होगा, काफी कल्पना की होगी। अन्यथा यह बात

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हो नहीं सकती कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति का आदमी हो चाहे अनुसूचित जनजाति का आदमी हो, चाहे बालक हो, बालिका हो, चाहे युवक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे पर्यटक हो, व्यवसायी हो, उद्यमी हो, हरेक व्यक्ति के लिये इस तरह की कोई न कोई बात जरूर की गई है जिससे उसका विकास हो सके। यह बहुत ही धन्यवाद की बात है। यह प्रशंसा की बात है माननीय मुख्य मंत्री के लिये कि उन्होंने बजट प्रस्तुत करते समय स्पेक्ट्रम इतना बड़ा और वाइड रखा।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विकसित देशों में जब बजट पढ़ते हैं, तो सामान्यतया एक बात देखने को मिलती है कि बेरोजगारी के बारे में चर्चा होती है। परन्तु मैं अक्सर यहां बजट देखा करता हूं किसी भी राज्य ने, भारत सरकार ने भी, अपने बजट में कभी बेरोजगारी के बारे में इस प्रकार की स्पष्ट बात नहीं कही कि इस प्रकार की कोई कमेटी बना रहे हैं या कितने हम रोजगार मुहैया करेंगे। बेरोजगारी, पिछले 40 वर्ष में कांग्रेस के कुराज्य में बढ़ती चली गई और आज 8 करोड़ से 10 करोड़ आदमी बेरोजगार हैं। इस प्रकार राज्य के अन्दर भी बेरोजगार बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वह शिक्षित बेरोजगार हों, चाहे गांव के बेरोजगार हों, उन दोनों के रोजगार की बात इस बजट के अन्दर सोची गई है। सारे के सारे जो बेरोजगार युवक हैं, वह माननीय मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।

जहां एक ओर बजट के अन्दर विकास की बात कही गई है, उद्योगों की बात कही गई है, नई-नई योजनाओं की बात कही गई है, परन्तु इसमें यह भी बात ध्यान में रखी गई है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासन है, जो इस बजट में दिये हुए प्रोग्राम्स को, कार्यक्रमों को और योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, उसको भी दक्षता दी है। इस बात के लिये विशेष ध्यान दिया गया है और इतनी बड़ी बात की है माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो पिछले चालीस वर्षों में इस राज्य के अन्दर नहीं हुई। जब बजट पास हो जाता था, उसके बाद बजट फाइनलाइजेशन कमेटी बैठा करती थी और कभी-कभी तो अगस्त माह तक बैठती रहती थी और सितम्बर अक्टूबर में जाकर स्वीकृतियां जारी होती थीं। कुल मिलाकर फिर तीन चार महीने बच जाते थे जिसमें सारा का सारा काम फरवरी मार्च में हुआ करता था। इससे अपव्यय होता था, उसके अन्दर ठीक तरीके से काम नहीं होते थे और ठीक तरह से काम पूरे नहीं होते थे और कीमतें बढ़ जाती थीं। इस बार सब से पहले बजट फाइनलाइजेशन कमेटी सारी की सारी पूरी हो चुकी है, जिस रोज बजट पास होगा उसके तत्काल बाद स्वीकृतियां जारी हो जायेंगी।

पहले बजट फाइनलाइजेशन कमेटी कि करती थी कि एक लम्पसम प्रावधान रख दिया करते थे और विभाग को पता नहीं रहता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अन्य विभागों के लिये एक मद के अन्दर एक धनराशि निर्धारित की जाती थी और उसके लिये एक लम्पसम प्रावधान कर दिया करते थे। इस बार

(श्री रमाकान्त शर्मा)

यह देखा गया है कि बजट फाइनलाइजेशन कमेटी ने, बहुत सारी चीजें मुझे देखने का मौका मिला है, किसी भी विभाग में लम्पसम प्रावधान कम से कम रखा गया है, और हरेक बजट फाइनलाइजेशन कमेटी की मीटिंग के अन्दर प्रत्येक विवरण सामने आ गया है और इस तरह की चीजें कहीं पर भी नहीं छोड़ी गई हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब पिछले साल बजट पेश किया गया, उससे पहले 100 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी की हिम्मत थी कि उन्होंने उस 100 करोड़ रुपये के घाटे को कम करके 59-60 करोड़ रुपये तक ले जाकर रखा, और फिर साल के अन्त में किसी प्रकार कमर पर पट्टी बांध कर खड़े रहे और 60 करोड़ से ले जाकर केवल 9 करोड़ तक पहुंचा दिया। यह बहुत ही प्रशासनिक दक्षता का काम है और यह बहुत अच्छी तरह की गवर्नमेंट की स्टीयरिंग का काम है। यह साधारण काम नहीं है कि 100 करोड़ के अनुमानित घाटे को 60 करोड़ रुपये तो उसी वक्त बता दिया जाये और फिर उसको 9 करोड़ रुपये घाटे तक लाकर छोड़ दिया जाये। यह बहुत ही प्रशंसा की बात है। 30 करोड़ की मितव्ययता की है। मैं समझता हूं कि इस साल के अन्दर उसी आधार पर और मितव्ययता होगी। इसलिए 25 करोड़ का इस वर्ष में जो घाटा आंका गया है और 9 करोड़ जोड़कर जो 34 करोड़ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 34 करोड़ का जो यह घाटा है, ज्योंही वर्ष का अन्त होगा जीरो पर पहुंच जायेगा। इसमें कहीं कोई संशय की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कितनी खुशी मन रही होगी दौसा, बांरा और राजसमंद में? कितने वर्षों से मांग चली आ रही थी कि यह जिले होने चाहिए वहां का प्रत्येक आदमी सोचता था कि मुझे कितनी दूरी जाना पड़ता है। जयपुर के अन्दर 17 तहसील हैं, उदयपुर के अन्दर करीब 18 तहसीलें हैं। कितना अन्वील्डी मामला था। 1982 के अन्दर रिपोर्ट आ गयी थी कांग्रेस के सामने, पर ये सो रहे थे और कर नहीं लगाये गये हैं कोई भी। सवाल यह था कि न जाने कितना बड़ा खर्चा हो जायेगा। एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। मैं उस क्षेत्र की जनता की ओर से पुनः माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है। इससे वहां के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति तो होगी ही परन्तु प्रशासन के अन्दर भी बहुत बड़ी दक्षता आयेगी और खासकर गरीब किसान को जिनको बहुत दूर चलकर जिला हैड क्वार्टर पर जाना पड़ता था उनको जिला हैडक्वार्टर नजदीक मिलेगा।

एक अन्य योजना भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखी है वह है प्रत्येक जिले के अन्दर एक योजना के अन्दर, योजना के ऊपर एक्सटेंसिव और इंटेन्सिव तरीके से काम होगा। कहीं पर शिक्षा की बात होगी, तो कहीं पर सिंचाई की बात होगी तो कहीं पर स्वास्थ्य की बात होगी। तो कम से कम एक जिला तो अवश्य ही इतनी भौतिक प्रगति कर जायेगा जिससे वह

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्रगति का केन्द्र होगा और दूसरे जो प्रगति के काम हैं उन पर भी उस एफीसिएंशी का असर पड़ेगा। इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह केवल मात्र कही गयी बात नहीं है इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही अच्छी बात है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जहां एक ओर करों में राहत दी है। मुझे बड़े ताज्जुब की बात लगी जैसा कहा गया कि करों के अन्दर केवल मात्र चार करोड़ की राहत दी गयी है। उन्होंने शायद पढ़ा नहीं कि चार करोड़ तो केवल मात्र बारानी भूमि का लगान माफ करने में ही है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : किसानों की बात इन को याद नहीं रहती है।

श्री रमाकांत शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि सामने जो चीज रखी है वही उन्होंने नहीं पढ़ी। आप जानते हैं संगमरमर का कितना बड़ा काम है। राजस्थान में इस संगमरमर के काम के अन्दर लोग-बाग मूर्तियां बनाते हैं, लोग-बाग संगमरमर से न जाने किस किस तरीके से चीजें बनाते हैं, लोग ताजमहल बनाकर बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन सब चीजों पर कर घटाने से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। चंदनमलजी जिस समय बोल रहे थे शायद उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैं इस बात के लिए भी बहुत ही प्रशंसा करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी की कि उन्होंने कर वंचकों के लिए 6 महीने से एक साल और एक साल से दो साल की सजा रखी है और सस्ती लोकप्रियता के चंगुल में नहीं फंसे हैं। नहीं तो यह बात नहीं करते तो करों के अन्दर तो चोरी बढ़ती रहती और वर्ग जो नाराज हो गया है उसकी नाराजगी शायद वह मोल नहीं लेते।

माननीय मुख्य मंत्रीजी का किसानों के प्रति जो लगाव है जो एक भावना है, आज दो वर्ष से मैं उनके भाषण सदन के अन्दर और सदन के बाहर सुन रहा हूं, वह एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि यदि देश को तरक्की करनी है तो सबसे पहले किसान की तरक्की करनी होगी। यदि गांव का किसान तरक्की नहीं करेगा, गांव का किसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, उसकी खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी तो हम देश के अन्दर तरक्की नहीं कर सकते हैं। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं। इसके अन्दर बारानी का लगान माफ किया है, वह ही नहीं है, बात यह देखने की है कि कुल मिला कर 146 करोड़ का 89–90 में कृषि के अन्दर प्रावधान किया गया था, उसके मुकाबले 91-92 के अन्दर 277 करोड़ का प्रावधान किया है जो आलमोस्ट डबल है। इससे पता चलता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी किसानों के प्रति कितना स्नेह रखते हैं और कृषि के विकास की कितनी भावना रखते हैं, कितना उनको चाहते हैं।

ग्रामीण विकास भी कृषि से संबंधित है, गांव से संबंधित है, किसान से संबंधित है। उसके अन्दर भी जहां केवल मात्र 119 करोड़ का प्रावधान था उसके बजाय आने

(श्री रमाकान्त शर्मा)

वाले वर्ष के अन्दर 344 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो यह ग्रामीण विकास और कृषि सेवा दोनों जो गांव के विकास से संबंधित हैं, उन दोनों में आलमोस्ट डबल का प्रावधान कर देना, बहुत बहुत बधाई की बात है । बहुत बहुत धन्यवाद का काम है, बहुत बहुत प्रशंसनीय काम है ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारत सरकार 50% से आगे नहीं जा सकी कि हम ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो बजट का टोटल है उसका पचास प्रतिशत खर्च करेंगे। पूरा का पूरा बजट नहीं आया है इसलिए विश्लेषण ही नहीं है कि पिछली सरकार ने पचास प्रतिशत का वायदा किया था वह था वास्तविकता के अन्दर गांवों के अन्दर गया या नहीं गया। परन्तु राजस्थान की सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है उन्होंने 60 प्रतिशत का वायदा किया और पहले ही वर्ष में 60 प्रतिशत खर्च किया और इस वर्ष के अन्दर 60 से लेकर 62 प्रतिशत तक पहुंच गये । यह बताता है कि उनकी कितनी इच्छा है गांव का विकास करने की ।

जब माननीय चंदनमलजी बोल रहे थे तो यह बात आ रही थी कि प्रशासन के अन्दर जो गुजरात है या पंजाब है उसकी एफीशिएंशी ज्यादा बैटर होगी। उसका टैक्स मैनेजमेण्ट ज्यादा बैटर होगा, वह ज्यादा अच्छा करेंगे । सामने जब परफारमेंस दिखायी पड़ रही है कांग्रेस पार्टी का राज था तो नोन डवलपमेण्ट एक्सपंडीचर हुआ करता था जो पेज 12 पर उपलब्ध है वह 24% रहा करता था, वह नोन डवलपमेण्ट एक्सपंडीचर 24 प्रतिशत से घटाकर 19 प्रतिशत पर पहुंचा दिया । नोन डवलपमेण्ट एक्सपंडीचर में पांच प्रतिशत की कमी बहुत प्रशंसनीय है। यह साधारण बात नहीं है । इसके अन्दर ब्यूरोक्रेसी पर पूरा अंकुश लगाया जाता है तब जाकर यह बात होती है । एक ओर मितव्ययता की बात है, एक ओर काम जल्दी करने की बात है, एक ओर स्वीकृतियां जल्दी जारी करने की बात है, एक ओर रोज की रोज समय पर मानीटरिंग करने की बात है, समीक्षा करने की बात है। इन सब चीजों का असर है कि जो खर्चा 24 प्रतिशत हुआ करता था उसको घटाकर 19 प्रतिशत पर ला दिया है और उसके पेरेलल दूसरी चीजें देखें । आर्थिक सेवाओं पर कांग्रेस के जमाने में 1989–90 में कुल मिलाकर 600 करोड़ का प्रावधान था उस आर्थिक सेवाओं के अन्दर 1991–92 में 1085 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

तो यह भी देखने की बात है कि आज प्रत्येक एंगल, प्रत्येक नजर, इस बात की रही है कि किस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से विकास हो, किस प्रकार से कृषि, आर्थिक सेवाओं का विकास हो, किस प्रकार मितव्ययता हो और बेकार का खर्चा कम किया जाय ।

पूंजीगत व्यय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है इससे राजकीय सम्पत्ति को बढ़ावा मिलेगा और राजकीय सम्पत्ति

(श्री रमाकान्त शर्मा)

वह जो प्रोडक्टिव केपिटल है जिसके आधार पर आर्थिक विकास और आगे होगा। उस दृष्टि से 10 प्रतिशत की वृद्धि को भी मैं प्रशंसनीय काम बताऊंगा और सारी की सारी जनता जो इस बात को समझती है, इस बात की तारीफ करेगी। आप यह कहेंगे कि अबकी बार तो फसल बहुत अच्छी है लेकिन इतनी खराब फसल 1989–90 में भी नहीं थी जबकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें डीक्लाइन हुआ, डिक्रीज हो गया 2.9% और इस बार नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वह बढ़ा है। सारा जो आर्थिक विकास होता है उसको समझने के लिए यह एक पैमाना है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं, जिसके द्वारा हमको पता लगता है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, इसमें 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी है वह बहुत ही काबिले–तारीफ है।

विकास कृषि में बरसात से तो होता है परन्तु समय पर सारे आदान उपलब्ध कराना, समय पर बताना, तकनीक देना, बिजली उपलब्ध कराना इन सब का भी असर होता है और इससे कृषि की बढ़ोतरी होती है और उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर असर पड़ता है।

हस्तशिल्प और हैण्डीक्राफ्ट्स जो हमारे राजस्थान का है, सारी दुनिया के अन्दर प्रचलित है परन्तु जो बड़ा उपेक्षित है, किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया कि कुछ किया जाय परन्तु एक-एक बात पर इनका ध्यान रहा है। जहां इसके अन्दर कई प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं, के साथ 1 करोड़ का प्रावधान किया गया जिससे इन लोगों को राय दी जा सके, योजनायें बनायी जा सकें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमारे पास आई.ए.एस आफिसर एम.एल.ए. नहीं थे इसलिए गाइडेंस नहीं थी। अब आप आ गये हैं।

श्री रमाकांत शर्मा : तो एक करोड़ का प्रावधान किया है यह बड़ी बात हुई है। हजारों आदमियों को रोजगार उपलब्ध होगा। बहुत से लोग काम करना चाहते हैं परन्तु उनको जिस प्रकार की मदद मिलनी चाहिए, नयी नयी योजनाएं बनानी चाहिए थी, इण्टनेशनल लेबल पर हैण्डीक्राफ्ट्स में जो तब्दीली आ रही है उसके मुताबिक प्रोडक्शन कमेंस्युरेट करना चाहिए था वह इससे हो सकेगा। यह भी बहुत बड़ी तारीफ की बात है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आवास समस्या की ओर भी गया है जैसा बताया गया कि हर एक स्तर की तरफ उनका ध्यान गया है सीमेण्ट पर कर घटाया गया है। इससे गाँव-गांव में लोग मकान बनाना चाहेंगे। इस प्रकार मकानों के लिए लोन देने की बात है तो आवास समस्या पर भी मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्रीजी के रूप में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इसलिए मैं उनकी बहुत-बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं।

मैं चाहता तो नहीं था परन्तु दो-तीन बातें माननीय चन्दनमलजी की तरफ से आयी हैं, मैं उनके बारे में जरूर चर्चा

(श्री रमाकान्त शर्मा)

करना चाहूंगा । उन्होंने कहा है कि इस समय कर क्यों नहीं लगाया गया क्योंकि बीच में लगा देंगे । इनको अपनी ही बात याद है । यह बीच में कर लगाने की प्रक्रिया कांग्रेस सरकार ने, भारत सरकार ने ही चालू की है । यहां पर कभी बीच में कर नहीं लगाया गया परन्तु भारत सरकार, राजीव जी के राज के अन्दर बल्कि इंदिराजी के राज के अन्दर भी चाहे जब जिस चीज पर कर लगा दिया करती थी । यह हमारे काम करने का तरीका नहीं है ।

नाइन्थ फाइनेंस कमीशन की बात आयी । केवल मात्र मैमोरेण्डम दे देने से फाइनेंस कमीशन से पैसा नहीं मिलता है । उसके बारे में चर्चा की जाती है, प्रभाव डाला जाता है और आप सब लोगों को याद है जिस समय फाइनेंस कमीशन आया था, उस समय माननीय भैरोंसिहजी विपक्ष के नेता के नाते उनसे मिले थे और जो उन्होंने प्रभाव डाला था, वही एक वजह थी कि जिसके कारण से हमको इतना बड़ा भारी डिवोल्यूशन मिला ।

मैं फिस्कल मैनेजमेंट के बारे में जिक्र कर चुका हूं । मैं थोड़ा सा इस बजट की आलोचना भी करना चाहूंगा और वह यह है कि इस सारे के सारे बजट से जहां बहुत सारे विकास के काम होंगे । खास तौर से गांव के किसान का बहुत ज्यादा विकास होगा, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, वहीं एक बात का ध्यान नहीं रखा गया है यद्यपि इस बजट से पहले बजट के अन्दर ऐसी बात कही गई थी कि इस आने वाले वर्ष के अन्दर जो पहले पोलिटिकल सौतेलावाद के कारण से क्षेत्रीय असमानता हो गई थी, असंतुलन हो गया था, उस असंतुलन के बारे में ध्यान रखेंगे । परन्तु जिस प्रकार की नीति अपनाई गयी है, उस नीति के अन्तर्गत वह असंतोष और बढ़ जायेगा । कहा गया है कि जो पुराने, अधूरे काम थे, चाहे वह अकाल की वजह से हुए हों, चाहे आर. एल. ई. जी. पी., एन. आर. ई. पी. की वजह से हुए हों, जितने भी हैं, उन पर पहले काम किया जायेगा । जो आर. एल. ई. जी. पी., एन. आर. ई. पी. या अकाल के हों, वह सारे के सारे तो एक प्रकार से राजनीतिक सौतेलावाद के कारण से हुआ करते थे और जहां हो रहे हैं वहां पर तो सारे के सारे विकास हो रहे हैं और अब भी वह वहीं किये जायेंगे । हमने कहा छोटा-मोटा तो विकास होना चाहिए । इसके अन्दर अलवर जितना उपेक्षित रहा है और अलवर के अन्दर खास तौर से थानागाजी जितना उपेक्षित है और थानागाजी के अन्दर किसी भी क्षेत्र में चाहे वह पेयजल की बात करें तो आज भी ढाणियां नहीं, बड़े-बड़े गांवों में एक-एक हजार, डेढ़-डेढ़ हजार की जनसंख्या है और उन गांवों के अन्दर हैण्ड पम्प नहीं हैं । तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर पर स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, एनीकट नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, किसी भी चीज की बात करो नीतियां ही नीतियां चलती हैं लेकिन सारा का सारा पैसा इस बार पुराने जो काम चल रहे थे, उन्हीं पर खर्च किया

(श्री रमाकान्त शर्मा)

जायेगा तो बड़े दुख की बात है कि थानागाजी और पिछड़ जायेगा। इसलिए इस क्षेत्रीय असंतुलन का जहां तक प्रश्न है, वहां मैं बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस चालू वर्ष के अन्दर ही ध्यान दिया जाये अन्यथा वहां के जो लोग हैं, वह एक ओर तो इस बजट की प्रशंसा करेंगे और दूसरी ओर जब उनके कामों के अन्दर असंतुलन बढ़ जायेगा तो उनको तकलीफ होगी।

पुनः मैं अन्त में माननीय मुख्य मंत्रीजी का, वित्त मंत्रीजी का और उनकी सरकार को बहुत ही प्रशंसनीय, विकासशील, चिन्तनशील और एक नयी विचारधारा वाला जो बजट दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री नत्थीसिंह : हमारी पार्टी का नाम है। डा. चन्द्रभान का नाम दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोल रहे हैं? डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमित है।

श्री नत्थीसिंह : चलेगा साहब।

डा. चन्द्रभान : समय तो हमारे दल को मिला हुआ है, उसी समय में से बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : समय तो 6 बजे तक का ही है।

डा. चन्द्रभान : भाषण तो पूरा होगा नहीं, समय बढ़ाइये।

श्री उपाध्यक्ष : पहले से ही इन्करेज कर रहे हैं, आप।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य का बजट उस प्रदेश की भावी तस्बीर को देखने का आइना होता है। मुझे बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुख्य मंत्री ने जो कि वित्त मंत्री भी हैं, वर्ष 1991–92 का जो बजट रखा है, उससे राजस्थान की तस्वीर एकदम धुंधली हुई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने....

श्री उपाध्यक्ष : और 1990 91 से।

डा. चन्द्रभान : मैं उसकी भी चर्चा करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : तब तो आशा जगी थी।

डा. चन्द्रभान : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में जिन योजनाओं के लिए घोषणा की है, उनके लिए साधनों का क्या इन्तजाम होगा, इसके बारे में वह स्वयं स्पष्ट नहीं हैं। हर योजना के साथ में उन्होंने शर्त लगाई है केन्द्रीय सहायता और विदेशी सहायता। माननीय भैरोंसिंह जी प्रदेश के विकास में अप्रवासी राजस्थानियों का सहयोग लेने के भी पक्षधर रहे हैं, केन्द्रीय सहायता के भी पक्षधर रहे हैं लेकिन विदेशी सहायता और किन शर्तों पर ? मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा और सरकार को सचेत भी करना

(डा. चन्द्रभान)

चाहूंगा कि विदेश से जो भी सहायता मिलती है उसमें भी कई शर्तें होती हैं। मुझे फक्र है कि मैं जिस दल का सदस्य हूं और जिस दल की केन्द्र में सरकार रही है, हमारे नेता माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंहजी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कठोर वित्तीय अनुशासन लागू किया, जिसके सहभागी दंडवते जी भी थे। लेकिन इन्टरनेशनल मोनिटरी फण्ड और अन्य देशों की शर्तों पर कोई कर्ज नहीं लिया। तो मैं कहना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश में कितने संसाधन यह सरकार जुटायेगी ? वह संसाधन इतने कम हैं कि जिनसे प्रदेश का विकास संभव नहीं है।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जिस पिछले बजट के बारे में आप चर्चा कराना चाहते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भ्रष्टाचार को समूल रूप से नष्ट करने की बात कही थी और मैं उनके भाषण पहले भी सुनता रहा हूं। इस सदन के बाहर अखबारों में उनके वक्तव्य भी पढ़ने को मिले हैं और उन्होंने बार-बार कहा कि मैं केवल जमीन के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकता हूं लेकिन अब की बार उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक बात बहुत कहते हैं कि हमने योजना का आकार बढ़वाया। यह वह अपनी सफलताओं में गिनाते हैं। 22 प्रतिशत योजना का आकार बढ़ा है, यह सत्य है। 956 करोड़ से बढ़कर 1166 करोड़ राजस्थान के एक प्लान्ड बजट योजना का है लेकिन मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि अन्य राज्यों में क्या 22 प्रतिशत की वृद्धि नहीं हुई ? उत्तर प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई और भी अन्य राज्यों में कितनी वृद्धि हुई ? और यदि केन्द्र में किया है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बजट भाषण में इन्होंने कहा है कि ऊर्जा का जहां तक सवाल है, 40 करोड़ रुपया राजस्थान का कटा है। प्लान्ड बजट से ही नुकसान हुआ होगा। यह कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से क्या होगा और क्या नहीं होगा इसकी अब राजनीति में कौन भविष्यवाणी कर सकता है। अब की बार तो 40 करोड़ कट गया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हो सकता है कि सरकार मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, मुख्य मंत्रीजी भी नहीं हों एक परम्परा ऐसी बनी हुई है, एक वातावरण समूचे देश और प्रदेश में ऐसा बना दिया गया है कि जिस बजट में कर नहीं लगता उसे पोपुलर बजट कहा जाता है उसे अच्छा बजट कहा जाता है और इस बजट में भी किसी तरह के कर की कोई घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने नहीं की है लेकिन मैं इसके विपरीत अपनी राय और विचार रखना चाहता हूं कि जिस तरह का हमारा समाज है, एक वह लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, एक वह लोग हैं....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय डा. चन्द्रभान जी का भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से सदन का समय डा. चन्द्रभान के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

आय व्ययक 1991-92 पर सामान्य वाद विवाद

डा. चन्द्रभान : एक वे लोग हैं जो मध्यम वर्ग के कहलाते हैं और एक वे लोग हैं जो पूंजीपति और अरबपति कहलाते हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो शोषक हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि यह जो सबसे ऊपर बैठे हैं, जो अमीर तबके के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, साधन-सम्पन्न हैं आपको उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। वह टैक्स यदि भारी भी होता है तो हमको उसका समर्थन करना चाहिए। जो नीचे तबके के लोग हैं उनको सरकार की ओर से रियायत मिलनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किन-किन पर लगना चाहिए, जरा बता दो।

श्री नत्थी सिंह : वह डिटेल में बात कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऊपर बैठे हैं प्रेस वाले।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि मुख्य मंत्रीजी ने कुछ छूट भी दी है। जो भी कोई छूट दी है उसका हम स्वागत करते हैं चाहे वह काजल-बिन्दी की छूट हो। इससे कोई विशेष लाभ किसी को होने वाला नहीं। लेकिन बारानी जमीन का जो लगान माफ किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह हमारी भी पुरानी मांग रही है, इससे राजस्थान के किसानों को लाभ होगा। यह लाभ कुल मिलाकर चार करोड़ के आसपास होगा। हम चाहेंगे कि दूसरे लैण्ड रेवेन्यू जितनी भी है उसको भी सरकार को माफ कर देना चाहिए, इससे कोई विशेष आमदनी नहीं होती है। इसकी बजाय अन्य बहुत सारे सैक्टर हैं जहां पर कि सरकार को टैक्स लगाने चाहिए।

इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, हमारे दल के वरिष्ठ सदस्य माननीय पण्डित रामकिशन जी ने पिछली बार अपने बजट भाषण में अनुरोध किया था मुख्य मंत्रीजी से कि चाहे वह सीमेण्ट का घोटाला हो, चाहे जमीन का घोटाला हो या चाहे पाइप का घोटाला हो, उसकी जांच करनी चाहिए। मुख्य मंत्रीजी ने एक कमेटी भी बनायी। कमेटी के पास जांच गयी। उसमें जांच रपट भी आ गयी है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? भ्रष्टाचार को रोककर उसके माध्यम से प्रदेश के साधन विकसित किये जा सकते हैं, लेकिन ऐसी इच्छाशक्ति इस सरकार की नहीं है। केन्द्रीय सहायता और विदेशी सहायता पर जीवित रहकर प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है।

जहां तक ग्रामीण विकास का-प्रश्न है, जहां तक किसानों को छूट देने का सवाल है, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना

(196)

(डा. चन्द्रभान)

चाहूंगा कि यह मांग रही है जनता दल की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। पिछली बार 1990-91 के बजट में कर्जा माफी की बात कही गयी है। लेकिन 14 लाख लोगों को....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइंट आफ आर्डर। मुख्य मंत्रीजी अपनी टोली के साथ बात कर रहे हैं। न तो अटेण्टिवली सुन रहे हैं न कोई बात है। क्या मतलब है बोलने का फिर ? न कोई नोट हो रहा है न अटेण्टिवली सुन रहे हैं वे। वह अपने गुट के साथ बात कर रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : वह तो टेप भी हो रहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो भाषण दिया है मैंने सुना है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : न तो आपने रमाकान्त जी ने जो कहा, जितनी चिलम भरी, कुछ नहीं सुना और यह जो बोल रहे हैं यह भी नहीं सुन रहे हैं आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह भी सुना और इन्होंने कहा वह भी। मैं आप कहो तो एक-एक बात बता देऊं आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बिलकुल नहीं सुन रहे, आप तो बात कर रहे हैं टोली के साथ। आप अपनी टोली के साथ बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनसे भी बात करिये।

श्री लालचन्द डूडी : आपने चिलम पहले भर ली, झड़ गयी, आपका कसूर नहीं है। अब आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, चिलम झड़ क्यों गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका तो मुंह ही इधर नहीं है, मुंह ही इधर नहीं हैं, मुंह भी सामने नहीं है। मुंह भी पीछे कर रखा है आपने।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने सारा है। डाक्टर साहब ने जो भी बात कही, मैंने सारी सुनी है। आप कहो तो रिपीट कर दूं।

श्री लालचन्द डूडी : चिलम झड़ गयी बहन श्री।

डा. चन्द्रभान : तो मैं निवेदन कर रहा था....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यहां सब माननीय सदस्य हैं, बहन श्री कोई नहीं है यहां।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इतने महत्वपूर्ण विचार रख रहा हूं तो आप जरा इनका इतना ध्यान तो रखिये, और सदस्य जो गम्भीरता से सुनना चाहते हैं सुन रहे हैं तो सरकार में जो लोग बैठे हैं वे भी गम्भीरता से सुनें।

ग्रामीण विकास की जो बात कही गयी, ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने एक योजना की घोषणा की है। इस योजना को एक जनवरी, 1991 से लागू करने के सरकार के संकल्प को इन्होंने दोहराया है, कई बार दोहराया है और सदन में अपने भाषण में भी इन्होंने

(डा. चन्द्रभान)

यह बात कही है। इस योजना का नाम है "अपना गांव अपना काम।" यदि इसमें अपना धन और जोड़ दिया जाय तो कोई गलत नहीं होगा। इस योजना के लिए धन का कोई प्रावधान नहीं है, केवल मात्र दस करोड़ की व्यवस्था करेंगे। जवाहर रोजगार योजना का जो पैसा है और जनता से जो पैसा लेना चाहते हैं। एक बात और आयी है कि ग्रामीण जनता के लिए तो योजना है और शहरों में जो विकास के काम होंगे उनमें यह 30 प्रतिशत की शर्त नहीं है। मैं विरोध करना चाहता हूं। गांव के लोगों के पास धन नहीं है, गांव के लोगों के पास श्रम शक्ति है, मेहनत है। वे लेबर कम्पोनैण्ट में तो अपना हिस्सा लगा सकते हैं लेकिन रुपया पैसा देना गांव के लोगों के लिए सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्क्लूडेड है उसमें।

श्री दिग्विजय सिंह : यह भी कर दिया।

डा. चन्द्रभान : कर दिया है तो अच्छी बात है, और स्पष्ट आप कर देना।

इस बजट में बिजली और सिंचाई के बजट में वृद्धि की गयी है, लेकिन जो सामुदायिक सेवाएं हैं, सामाजिक सेवाएं हैं उनमें की गयी वृद्धि नगण्य है जिनका विस्तार बहुत आवश्यक है। उद्योगों के विकास की बात कही गयी है, लेकिन उद्योग और खनिज पर जो प्रतिशत पिछले वर्ष रखा गया था उससे कम अबकी बार रखा गया है। और एक बात कहना चाहूंगा, उत्पादन की दर बढ़ाने की बात कहते हैं, घरेलू उत्पादन की दर 7.3 प्रतिशत बढ़ाने की बात कहते हैं। वह तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा है नेचर के चलते हुए, इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन तो कई सैक्टर में घटा है। तो ये कौनसी उपलब्धि गिनाने जा रहे हैं ? जहां तक विद्युत का सवाल है, सिंचाई का सवाल है, विद्युत मण्डल के बारे में यह कहा गया है कि इसमें 552 करोड़ का घाटा है। कोई मण्डल राजस्थान में ऐसा नहीं जिसमें घाटा नहीं है। जो एक असली मण्डल था, जिसे इस सरकार को लागू करना चाहिए था उस मण्डल के मामले में तो यह सरकार मौन है। इस सरकार से प्रदेश की जनता को, मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय की कोई उम्मीद नहीं रह गयी है, मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। विद्युत मण्डल में 552 करोड़ का घाटा, क्या वजह है इसकी ? और घाटे की पूर्ति किनसे करना चाहते हैं ? मैंने मेरे बजट भाषण की शुरूआत में कहा है कि अमीर लोगों पर इस सरकार को टैक्स लगाना चाहिए। लेकिन यह सरकार अमीरों पर टैक्स नहीं लगा सकती क्योंकि यह सरकार व्यापारी और अमीर वर्ग की पक्षधर सरकार है, यह सरकार शहरी उच्च वर्ग की पक्षधर सरकार है। मैं साफ रूप से कहना चाहता हूं, इस सरकार में समाज कल्याण....

श्री हेमराज : एक महीने में ही पूंजीपतियों की हो गयी क्या ? पहले नहीं थी ?

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को आप वैलफेयर गवर्नमैण्ट

(डा. चन्द्रभान)

कहेंगे कि जो उन छोटे किसानों से, जो अपने कुओं पर बिजली लगाना चाहते हैं 50-50 हजार रुपये वसूल करती है ? विद्युत मण्डल के चेयरमैन पी. एन. भण्डारी साहब कहते हैं कि विशेष प्राथमिकता योजना, शीघ्र कनेक्शन नीति बहुत पापुलर है। मैं स्वयं मुख्य मंत्री जी से मिला था, मुख्य मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि पुरानी योजना ही लागू की जायेगी। माननीय दिग्विजय सिंह जी के भी, जो गृह मंत्री हैं, वक्तव्य प्रेस में छपे हैं कि बिजली के कनेक्शन देने के लिए पुरानी नीति लागू होगी। लेकिन अब तक पुरानी नीति नहीं, नयी नीति चल रही है। इससे राजस्थान प्रदेश के किसानों का 70 करोड़ रुपया विद्युत मण्डल में इकट्ठा किया गया है। इतना ही नहीं, बस किराये में वृद्धि करने का काम भी इस सरकार ने किया है 42 करोड़ रुपये। इस सरकार को फिर टैक्स लगाने की क्या जरूरत है ? यह नया तरीका इन्होंने अपना रखा है, विद्युत मण्डल के माध्यम से 70 करोड़ इकट्ठे कर लिये और बस किराये से इन्होंने 42 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिये। फिर भी इनका घाटा पूरा नहीं होता, क्योंकि घाटे की वजह दूसरी है। बिजली में लाइन लीकेज हैं, आये दिन ट्रांसफार्मर जलते रहते हैं। रोडवेज के अन्दर घाटे की वजह दूसरी है। लीकेज है उसको यह सरकार रोकना नहीं चाहती, नयी बसें सरकार नहीं लाना चाहती। जो 517 नयी बसें सैंक्शन हुई थीं सितम्बर, 1990 में, वे अभी तक सड़कों पर नहीं आयी हैं। मैं माननीय चतुर्वेदी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे समय में कोई किराया नहीं बढ़ा, किराया तो इस सरकार ने बढ़ाया है। सबको मालूम है किराया किस तारीख से बढ़ा है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपका स्टेटमेण्ट है जब आप मंत्री थे।

डा. चन्द्रभान : मेरा स्टेटमेण्ट क्या था यह तो रिकार्ड के ऊपर है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं पेयजल के सम्बन्ध में। पेयजल की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है यह राजस्थान की सबसे बड़ी और मानवीय समस्या है। राजस्थान के गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 46 करोड़ रुपए और शहरों के लिए 47 करोड़ रुपए, शहर वालों के लिए 4 करोड़ रुपए की वृद्धि और गांव वालों के लिए केवल 2 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाती है। 46 करोड़ रुपए से राजस्थान के गांवों को पानी नहीं पिलाया जा सकता है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वह मण्डावा विधान सभा क्षेत्र है जिसके 202 गांवों में से 54 गांव पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं, चूरू जिला हो, झुन्झुनू जिला और गंगानगर जिला पीने के पानी की विशेष कमी है। सरकार ने कह दिया कि जापान की योजना है उसके माध्यम से हम पानी पिलवायेंगे। वह योजना कब लागू, कब वह सहायता मिलेगी तब तक, मैं पूछना चाहता हूं, वहां की जनता के लिए पीने के पानी का क्या इन्तजाम करेगी ?

रोजगार की बात कही गई है। मेरे से पूर्व माननीय श्री रमाकान्त जी बोल रहे थे

(डा. चन्द्रभान)

कि राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को इस सरकार का आभारी होना चाहिए। किस बात का आभारी होना चाहिए? कौनसी योजना है सरकार की जिससे कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आपने केन्द्र सरकार के सम्बन्ध में कहा, विश्वनाथ प्रतापसिंह जी सरकार ने एक योजना बनाई थी 30 लाख लोगों को रोजगार देने की और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक महिला पोलीटेक्निक कालेज खोलने की बात जोधपुर में कही है। जोधपुर में पोलीटेक्निक कालेज पहले से ही बहुत हैं, वहां पर पहले से ही इंजीनियरिंग कालेज है। मैं पूछना चाहता हूं कि शेखावाटी आंचल जहां पर कि सबसे ज्यादा महिला शिक्षा हैं वहां पर महिला पोलीटेक्निक कालेज क्यों नहीं खोला गया? खोला जाना चाहिए था। सबसे ज्यादा महिला शिक्षा मेरे जिले में हैं और जब वहां पर मेडिकल कालेज है, इंजीनियरिंग कालेज है, पोलीटेक्निक कालेज है, कोटा में मेडिकल कालेज नहीं है, खुला है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बैठें माननीय सदस्य।

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन का उपस्थापन

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है :–

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 7 मार्च, 1991 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष जी के वेश्म में हुई। समिति ने दिनांक 14 मार्च, 1991 से 25 मार्च, 1991 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाय :–

गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 1991 शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 1991	वर्ष 1991–92 के लिये वार्षिक वित्तीय विवरण पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद। दिनांक 15 मार्च, 1991 को मध्याह्न पश्चात् 4 बजे आय-व्ययक पर हुये सामान्य वाद-विवाद का राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जावेगा।

शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 1991 रविवार, दिनांक 17 मार्च, 1991	बैठक नहीं होगी,
सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 1991 मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 1991 बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 1991 गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 1991 शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 1991	आय व्ययक वर्ष 1991–92 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उनका पारण
शनिवार, दिनांक 23 मार्च, 1991 रविवार, दिनांक 24 मार्च, 1991	बैठक नहीं होगी,
सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 1991	(1) आय-व्ययक वर्ष 1991–92 की अनुदान की मांग पर विचार एवं उसका पारण; (2) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1990-91 एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण
मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 1991	(1) राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 (2) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991; (3) राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 991 –पर विचार एवं पारण
बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 1991	राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण

(दिनांक 18 मार्च, 1991 से 25 मार्च, 1991 तक विचारार्थ लिये जाने वाली अनुदान की मांगों का विवरण पृथक बुलेटिन में दिया जावेगा।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है

(स्वीकृत)

समिति के छठे प्रतिवेदन पर सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई । डा. चन्द्रभान । शीघ्र समाप्त करे ।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

डा चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है राजस्थान में एक महिला पोलीटेक्निक कालेज खुला तकनीकी शिक्षा में और राजस्थान में एक नया मेडिकल कालेज भी खुला लेकिन राजस्थान में एक हजार स्कूल गांवों में खोले जायेंगे और शहरों में केवल 25 प्राइमरी स्कूल । मैं इस सरकार की नीयत पर कोई शंका नहीं करना चाहता लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई आमूल-चूल परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है । आज मैं, जयपुर की कोई चर्चा नहीं करता, राजस्थान का कोई भी कस्बा हो, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां हर गली और मोहल्लों में शिक्षा को नहीं बेचा जा रहा हो । प्राइवेट पब्लिक स्कूल के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ? वह इन लोगों को परमिट दे रही है, लाइसेन्स दे रही है कि वह अपनी शिक्षा को चलायें, कोई भी उसका स्तर नहीं हो और गरीब आदमी को वहां पर लूटने का यह परमिट दे रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह प्राइवेट स्कूल्स जो कि एक शोषण के केन्द्र बने हुए हैं, इनके खिलाफ यह सरकार क्या करने जा रही है ? पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम कन्सोलिडेशन करेंगे, कितनी स्कूलों में अध्यापक लगे, क्या शिक्षा का स्तर ऊपर बढ़ा और अध्यापकों की नियुक्ति और चयन किस प्रकार से हो रहा है, और तो और राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हुई है, उपाध्यक्ष महोदय । शर्म की बात है । राजस्थान में एक नया मेडिकल कालेज खुला है । इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन वह मेडिकल कालेज कब तक तैयार होगा ? सरकार इसको स्पष्ट करे । इसी के साथ-साथ जयपुर के मेडिकल कोलेज को इन्स्टीट्यूट का दर्जा दिया जाना चाहिये । राजस्थान में सुपर स्पेशलाइजेशन एम. एम. एस में शुरू होना चाहिये । सरकार इस बारे में सोचती जरूर है लेकिन सरकार ने इस बारे में बजट में स्पष्ट कोई घोषणा नहीं की है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेडिकल कालेज और एजूकेशन का सवाल है सरकार ने जो भी बजट इसके लिए रखा है वह नाकाफी है इसको बढ़ाया जाना चाहिए ।

इस सरकार से क्या उम्मीद की जाय ? टयूरिज्म की बात कही–पर्यटन का विकास होगा । मैं मुख्य मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि ऐतिहासिक स्थल कहीं हैं तो वह शेखावाटी में हैं । तो क्या सरकार की शेखावाटी में पर्यटन विकास करने की कोई मंशा है ? विदेशी पर्यटकों की संख्या वहां दो गुनी और चौगुनी होती है और वहां भी

(डा. चन्द्रभान)

मण्डावा, जहां से मैं चुनकर आया हूं, क्या वहां पर कोई भी पर्यटक होटल वगैरह शुरू नहीं कर सकती है जबकि वहां पर 4 पर्यटक होटल प्राइवेट चल रहे हैं। सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

इस बारे में मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक आर्थिक विकास का सवाल है, इस सरकार से विशेष कोई उम्मीद नहीं रह गई है लेकिन सामाजिक न्याय की बात पर, इस सरकार की नीयत पर शंका नहीं है लेकिन यह असलियत है, यह सरकार इस प्रदेश में जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको न्याय नहीं देना चाहती है। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं इस बात के लिये कि उन्होंने आदिवासी जो क्षेत्र हैं, जिस गांव की पापुलेशन 50 प्रतिशत से ज्यादा है वहां पर छोटी नौकरियों में तो अनुसूचित जाति/जन जाति और आदिवासी तबके के लोगों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कही है लेकिन जिस केन्द्रीय सरकार ने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, देश में हजारों सालों से पिछड़े वर्ग के लोगों को जो सामाजिक सम्मान देने का काम शुरू किया, न्याय देने का काम किया, देश के विकास और प्रशासन में भागीदारी में लाने का काम किया, राजस्थान के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक लाइन नहीं है और बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, यह सरकार स्पष्ट करे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कोई फैसला किया जाता है और यहां पर उसकी सरकार इस बारे में मौन रहती है। इसका मतलब यह है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय नहीं देना चाहती है।

इसी के साथ में मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण देंगे ? पिछड़े वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको प्रायोरिटी देंगे ? मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग आर्थिक आधार की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जब तक जाति खत्म नहीं होगी, जाति के आधार पर आरक्षण चलना चाहिए। जिस दिन जाति खत्म हो जायेगी उस दिन जाति के आधार पर आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। आर्थिक आधार की बात है, तो हमने तो अपने आप में संशोधन किया है। जनता दल ने यह कहा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए साठ फीसदी, पचास फीसदी, उनचास फीसदी आरक्षण होना चाहिए। मैं इसमें और बढ़ाना चाहता हूं। जितनी भी महिलायें हैं चाहे वे किसी भी समाज से सम्बन्धित हों, चाहे ऊंची जाति की हों या छोटी जाति की हों, उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जो किसान जातियां छूट गयी हैं उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए और जो ऊंची जातियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए भी दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हो जाय।

(डा. चन्द्रभान)

राजस्थान की यह सरकार, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, वे इस सम्बन्ध में इसी सत्र में घोषणा करें और आरक्षण साठ प्रतिशत करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तमाशा क्या है ? मेरी समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो रहा है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप नहीं देख रहे हैं तो फिर क्या आसन सो रहा है क्या।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एकाग्र हो रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री महोदय, लगातार अपना मुंह पीछे करके पता नहीं क्या बतिया रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी तरफ हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी तरफ देखने की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गुर्जर साहब ये समझते हैं कि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लड़ाई तो हम नहीं लड़ेंगे, लड़ाई तो जनता लड़ेगी। मैं यह मांग करता हूं कि यह सरकार इसी सत्र में घोषणा करे कि ये मण्डल कमीशन को लागू करके प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय देगी।

इसी के साथ राजस्थान की जो वास्तविकता है उसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए। जो भी वित्तीय हालात हैं, जो भी लीकेज है उसे रोकना चाहिये। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को अपनी जो इच्छा शक्ति है उसे मजबूत रखना चाहिए। इसमें कौन बीच में आता है कौन नहीं आता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वह जमीन का घोटाला हो, चाहे पाइप घोटाला हो, चाहे सीमेंट घोटाला हो जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। राजस्थान के खेती के विकास के लिए, राजस्थान के किसानों की बेहबूदी के लिए केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि 14 लाख किसानों को कर्जा माफी का लाभ मिलना चाहिए था, 9 लाख को ही क्यों मिला ? बुढ़ापा पेन्शन का क्या हुआ जो हमारा ज्वाइंट कमिटमेंट था। बुढ़ापा पेन्शन की घोषणा करे सरकार। सरकार जो बचे हुये कर्ज हैं उनको माफ करने की बात कहे।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी गांव से आते हैं गांव के विकास का केवल प्रचार करने से ही काम नहीं चलेगा। वास्तविकता क्या है ? पिछला जो बजट था, उसमें से कितना खर्च हुआ ? क्या आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा ? यदि ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर घाटे की पूर्ति होती रहेगी ? यह 39 करोड़ का घाटा यूं ही छोड़ दिया, इसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। फिर मंहगाई बढ़ेगी।

(डा. चन्द्रभान)

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदत करना चाहूंगा कि राजस्थान का ये जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा है इससे प्रदेश के विकास को गति नहीं मिलेगी। कोई दिशा इससे नहीं मिलने वाली है और इसी के साथ में महंगाई भी इससे बढ़ती रहेगी। यह थोथी विकास योजनाओं को केवल कागज पर उतारने से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता।

एक बात अन्त में यह कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी जब विपक्ष के नेता थे, रावी व्यास नदियों के पानी का सवाल है, आप भी उस सवाल को बहुत उठाते थे। गंगा-यमुना के पानी का सवाल, 1985 में स्वीकृति हो चुकी है। गंगा-यमुना का पानी राजस्थान को मिले और वह पानी झुन्झुनू, सीकर, नागौर में जायेगा। लेकिन उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में कोई घोषणा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। रावी व्यास नदियों का पानी हमको मिलेगा या नहीं, इसके बारे में भी कोई घोषणा नहीं।

सिंचाई के छोटे तालाब बनाना, खड़ीन बनाना। पिछली बार बहुत घोषणाएं की गयी थीं। अब की बार इन्दिरा गांधी नहर और माही की योजना से आगे कुछ भी नहीं है।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी जो विपक्ष के नेता के रूप में बात कहते थे उनको भी जरा गौर से देखें, लागू करने का प्रयास करें। जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगायें, गरीब लोगों को वास्तविक मायने में छूट देने का काम करें। यह बजट पर मैंने जो अपने विचार रखे हैं, उनको मैं चाहूंगा कि सरकार सीरियसली नोट करे और इस बारे में भी जब मुख्य मंत्री जी जवाब दे तो स्पष्ट रूप से घोषणा करें, मुख्य रूप से मण्डल कमीशन के बारे में।

साम्प्रदायिक दंगों की जांच तो इन्होंने करवाई ही नहीं। पहली बार इन्होंने केवल घोषणा की। धर्मनिरपेक्षता पर पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सामाजिक न्याय यह देंगे नहीं, तो फिर इस सरकार से क्या उम्मीद है?

अन्त में मैं मेरा भाषण समाप्त करना चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे द्वारा सुझाये गये जो भी सुझाव हैं, उन पर ध्यान देंगे और अपने जवाब में स्थिति स्पष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 11 मार्च तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक सांय 6.25 बजे सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 1991 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 186 की सूची

राजस्थान सरकार
पशु पालन निदेशालय

क्रमांक F.V. 10(i) Dev/90/421 दिनांक 14-5-90

सचिव,
पशु पालन
राजस्थान, जयपुर

विषय :—मूल्यांकन संगठन द्वारा ग्राम आधार योजना (पशु पालन विभाग) राजस्थान के केन्द्र एवं उप केन्द्रों के अध्ययन पर टिप्पणी।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशक, मूल्यांकन संगठन, राजस्थान जयपुर ने पशु पालन विभाग के ग्राम आधार योजना संभाग का विस्तृत अध्ययन कर अपनी टिप्पणी निम्न प्रकार प्रस्तुत की है :—

1–0 अध्ययन के उद्देश्य

1–1 इस प्रसंग के तहत संगठन ने ग्राम आधार योजना के सभी उद्देश्यों का अध्ययन किया है जिसमें ग्राम आधार योजना के लक्ष्यों, उपलब्धी, सुविधाओं पर विस्तार, शिक्षा एवं उपलब्धियां एवं उद्देश्य का संगठन ने अध्ययन करने का प्रयत्न किया है।

1–2 मूल्यांकन संगठन ने वर्ष 1983–84 से 1985–86 का विस्तृत अध्ययन किया है जिसमें केन्द्र का चयन, देव निर्देशन पद्धति द्वारा किया है ताकि उनके अध्ययन से समस्त ग्राम आधार योजना केन्द्रों पर प्रतिबिम्ब प्रस्तुत हो सके।

2–0 केन्द्र की स्थिति का अध्ययन

2–1 इस संदर्भ में उप केन्द्रों का अध्ययन उसकी स्थापना से लेकर समस्याओं, उपलब्धी, उपकरण, फ्रोजन सीमन एवं तरल नत्रजन की आवश्यकता तथा इनके वितरण सम्बन्धी मूल्यांकन किया गया।

2–2 संगठन ने प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन भी किया है कि तकनीकी कर्मचारी प्रशिक्षित है अथवा नहीं ?

2–3 तरल नत्रजन की आपूर्ति के सम्बन्ध में भी संगठन ने पूरा अध्ययन किया है।

2–4 संगठन ने फ्रोजन सीमन की उपलब्धता, आवश्यकता एवं उपयोगिता पर भी सही प्रकाश डाला है।

3–0 प्रगति

3–1 आलोच्य वर्ष में चयनित उप केन्द्रों पर जो कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है वह संगठन ने अध्ययन कर 75·5 से 93·2 बताया है तथा जिन केन्द्रों पर उपलब्धी कम हुई है उनके कारणों पर भी काफी बारीकी से अध्ययन किया गया है।

3–2 अनुसरण

अनुसरण अध्ययन की प्रगति 57·5 से 75·5 बताई गयी है एवं शत-प्रतिशत अनुसरण व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं बताई गयी है।

3–3 वत्स उत्पादन

इनके अन्तर्गत किये गये अध्ययन में वत्स उत्पादन की प्रगति कृत्रिम गर्भाधान के अन्तर्गत 26·2 से 34·5 प्रतिशत रही है। जो विभागीय माप-दण्ड के अनुसार सन्तोषजनक बताई गयी है।

3–4 अध्ययन टिप्पणी अनुसार लाभान्वित पशु पालक 90 प्रतिशत अन्य जाति के तथा शेष अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रहे हैं। इस अनुपात को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

4–0 प्राकृतिक परिसेवा एवं कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न पशुओं की तुलना

4–1 मूल्यांकन संगठन ने इस बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है पशु पालकों से निजी सम्पर्क कर कृत्रिम गर्भाधान की आवश्यकता के विषय पर एक लाभान्वित अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें पशु पालकों द्वारा यह व्यक्त करना कि प्राकृतिक परिसेवा तथा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा परिसेवा से उनके पशुओं को कितना लाभ होता है जिसमें खास तौर पर अन्तर व्यात की अवधि पर पशु पालकों की विशेष रुचि व्यक्त की गयी है तथा अपने पशुओं की उन्नति जिसमें कृत्रिम गर्भाधान की सफलता अन्तर

ब्यात, दुग्ध उत्पादन इत्यादि सभी पर प्रकाश डाला है। कृत्रिम गर्भाधान में पशु पालकों को आने वाली समस्यायें जैसे पशु को केन्द्र पर लाने का समय, कृत्रिम गर्भाधान में किये जाने वाले विलम्ब का समय, कितने पशु केन्द्र से बिना कृत्रिम गर्भाधान कराये लौट जाते हैं, कितने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है एवं कितने पशु विलम्ब के कारण ताव का समय समाप्त कर देते हैं इत्यादि सभी पहलुओं का अध्ययन किया गया है।

5–0 **कठिनाइयां एवं सुझाव**

5–1 मूल्यांकन संगठन ने ग्राम आधार योजना का काफी विस्तृत एवं सराहनीय मूल्यांकन किया है। उनके द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गये हैं जिससे उसका मानना है कि इस कार्यक्रम का लाभ पशु पालकों को और अधिक मिलेगा। सुझाव निम्न प्रकार हैं :—

5–2 विभिन्न केन्द्रों पर स्वीकृत पदों में एक रूपता नहीं है जो कि उनके विचार अनुसार सही प्रतीत नहीं होता।

5–3 संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि कई केन्द्रों पर कनिष्ठ लिपिकों के पद सृजित नहीं हैं जिनके अभाव में केन्द्र के अभिलेख संधारण/कर्मचारियों के वेतन भत्ता आदि के भुगतान में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है, जिससे कार्य में तीव्रता नहीं आ पाती है। इस बारे में उनका सुझाव है कि कनिष्ठ लिपिकों के पद समस्त केन्द्रों पर शीघ्र स्वीकृत किए जाने चाहिए।

5–4 क्योंकि आजकल तरल वीर्य के बजाय हिमकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जा रहा है. इसलिए केन्द्रों, उप केन्द्रों से सांड परिचारक के पद समाप्त किए गये हैं, ऐसा करने से उपकेन्द्रों पर पशु धन सहायक के अलावा कोई और कर्मचारी उनके कार्य में सहयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता इसलिए मूल्यांकन संगठन द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि सांड परिचारकों के पद पशुधन सहायक के सहयोग के लिए वापस स्वीकृत किए जाना उचित है।

5–6 मूल्यांकन संगठन ने अध्ययन के दौरान कई जगह यह पाया है कि तरल नाइट्रोजन हर 21 दिन पर वितरित नहीं की जा रही है, जिसका मुख्य कारण वाहनों की कमी दर्शाया गया है। चूंकि तरल नाइट्रोजन इस कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण है इसलिए वाहनों की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है।

5–7 संगठन का यह भी सुझाव है कि कृत्रिम गर्भाधान के निर्धारित लक्ष्य करीब करीब प्राप्त कर लिए गये हैं परन्तु कभी भी पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाये हैं जिनके मुख्य कारण निम्न दर्शाये गये हैं :—

1. अकाल के कारण पशुओं का निष्क्रमण
2. कभी-कभी वांछित प्रकार का वीर्य नहीं मिलना
3. बधियाकरण कार्यक्रम में शिथिलता
4. प्रजनन सम्बन्धी रोगों के इलाज की पूर्ण सुविधा उपलब्ध न होना।
5. कर्मचारियों का बार-बार स्थानान्तरण होना
6. लिपिकों का कार्य तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किए जाने के कारण कृत्रिम गर्भाधान कार्य करने के लिए समय अभाव आदि बताये गये हैं।

5–8 कृत्रिम गर्भाधान कार्य को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए संगठन का यह सुझाव है कि प्रसार कार्यक्रम को गति दी जावे एवं कृत्रिम गर्भाधान के तरीके व लाभ का फिल्म द्वारा गांव-गांव में प्रदर्शित कर पशु पालकों को इस बारे में जानकारी दी जावे।

5–9 संगठन के विचार में शंकर प्रजनन से सबसे बड़ी आपत्ति पशु पालकों के लिए देखी गई कि वे शंकर प्रजनित बछड़ों का प्रयोग नहीं कर पाते, इस कारण शंकर प्रजनन कार्यक्रम को अपनाने से कतराते हैं। संगठन का यह सुझाव है कि विशेष प्रकार के जुड़े बनवा कर शंकर प्रजनित बछड़ों का प्रयोग करते हुए फिल्म बनवा कर पशु पालकों को दिखाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे पशु पालकों का यह विचार कि यह बछड़े खेती के काम में नहीं आ सकते दूर किया जा सके।

5–10 संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रजनन योग्य मादा पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को और अधिक संसाधन जुटाने चाहिए जिससे इस कार्यक्रम का लाभ अधिक से अधिक पशु पालकों को मिल सके।

5–11 कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुई संतति को सुव्यवस्थित ढंग से विकसित करने के लिए संगठन का सुझाव है कि बछड़े/बछड़ियों को पालने के लिए पशु पालकों को अनुदान दिलाने के लिए इस कार्यक्रम का एस. एल. बी. पी. से जोड़ा जाना आवश्यक है।

5–12 पशुओं को हर तरह की बीमारी से बचाने के लिए टीके जैसे फूट एण्ड माउथ, केबाइलियारेसिस, आदि निशुल्क उपलब्ध कराने चाहिए।

संगठन ने विभिन्न पशु पालकों से तथा केन्द्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर यह दर्शाया है कि यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है एवं पशु पालकों को काफी लाभ पहुंचा रहा है, अधिकतर पशुपालकों ने यह बताया कि वे इस कार्यक्रम को इसलिए अपनाना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम द्वारा उनके पशुओं में दुग्ध की वृद्धि हो रही है जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। इस तरह कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को सराहते एहु संगठन ने उपरोक्त वर्णित सुधार द्वारा इस कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया है।

भवदीय

10 (1) विकास/90/421-22 दि. 14.5.90 निदेशक

प्रतिलिपि निदेशक, मूल्यांकन संगठन, राजस्थान, जयपुर, मिनि सचिवालय बनीपार्क, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 61 (71) टी./इवी/86-87/1433 दि. 15.3.90 के संदर्भ में।

ह./-
निदेशक

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जालौर जिले के टूटे बांध

189. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण बांध टूट गये थे ? यदि हां, तो क्या टूटे बांधों का निर्माण कार्य चालू करवा दिया है ? जिला जालौर में पं. स. जसवन्तपुरा तथा पंचायत समिति रानीवाड़ा के किन-किन बांधों के पुन: निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम सांथरू, तथा करवाड़ा एवं दांतवाड़ा, जासेरा खुर्द आदि बांध बाढ़ व अतिवृष्टि से टूटे थे ? यदि हां, तो अब कब तक पुन: निर्माण कार्य चालू करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । मरम्मत हेतु धनराशि आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है जिसमें जालौर जिले के कार्य भी शामिल हैं ।

(2) जी हां । गांव सांथरू तथा करवाड़ा एवं दांतवाड़ा के कार्य गत वर्ष आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये थे । जासेरा खुर्द नाम का कोई बांध/एनीकट सिंचाई विभाग के अधीन नहीं है । क्षतिग्रस्त कार्यों का पुन: निर्माण कार्य वांच्छित बजट के आवंटन होने पर करवाया जाना संभव होगा ।

जिला सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रावास

190. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) जिला सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने छात्रावास हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1990 में उन छात्रावासों में कुल कितने छात्र थे ? छात्रावासों में छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति के दो, अनुसूचित जन जाति के 11 तथा भंगी कष्ट मुक्ति के दो, कुल 15 छात्रावास संचालित हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) वर्ष 1990 में इन छात्रावासों में कुल 501 छात्र थे । छात्रावासों में छात्रों को नि:शुल्क भोजन, वस्त्र, आवास, जूते, बाल कटिंग, बिस्तर, स्टेशनरी, तेल-साबुन इत्यादि सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ।

(3) सुविधा पहले से ही दी जा रही है ।

वर्ष 1 90 में सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संचालित छात्रावासों की सूची एवं उनमें प्रवेशित छात्रों का विवरण

क. सं.	नाम छात्रावास मय योजना	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या
1.	**अनुसूचित जाति छात्रावास**		
	1–राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास करौली	60	58
	2–राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, हिण्डौन	40	40
		100	98
2.	**अनुसूचित जनजाति छात्रावास**		
	1–राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, सवाई माधोपुर	80	78
	2–राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास (कन्या) सवाईमाधोपुर	25	24
	3–राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, शिवाड़	25	25
	4–राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, खण्डार	25	25
	5–राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, नादौती	25	25
	6–राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, बामनवास	25	25
	7–राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, सपोटरा	25	19
	8–राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, मण्डरायल	25	22
	9–राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, टोडाभीम	25	25
	10–राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, महवा	60	60
	11–श्री माणिक्यलाल वर्मा अनुदानित छात्रावास, गंगापुरसिटी	35	35
		375	363
3.	**हरिजन छात्रावास**		
	1–राजकीय हरिजन छात्रावास, सवाईमाधोपुर	25	25
	2–राजकीय हरिजन छात्रावास, बौंली	25	15
		50	40

तहसील घाटोल में पौधों का रोपण

191. श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा तहसील घाटोल पंचायत सेमलिया वन चौकी बडवी में सौ हैक्टेयर क्षेत्रफल में सागवान, खैर, आंवला, सुरैल, आकेशिया के पौधे लगाये गये थे ?

(2) यदि हां, तो उनमें से कितने पौधे जीवित रहे और कितने नष्ट हो गये ?

(3) क्या यह सही है कि पौधे रोपने के पश्चात् उनकी भलीभांति देखभाल नहीं होने से सरकार के करोड़ों रुपये बरबाद हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील घाटोल, रेंज पीपलखूंट में वन चौकी करबी के पास वर्ष 1985-86 में 100 हैक्टेयर वन क्षेत्र में सागवान, खैर, आंवला, सुरैल, आकेशिया इत्यादि के पौधे लगाये गये थे।

(2) लगभग 40000 पौधे लगाये गये थे जिसमें लगभग 25,800 पौधे जीवित हैं तथा लगभग 14200 नष्ट हो गये।

(3) जी नहीं।

पीपल्दा तहसील का क्षेत्रफल व सिंचित गांव

192. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) पीपल्दा तहसील का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा उसमें कौन-कौन से गांव सिंचित व असिंचित हैं ?

(2) पीपल्दा तहसील के कुल सिंचित क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है तथा कितने में नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील सभी ओर नदियों से घिरी हुई है जिसमें बारह महीने पानी बहता है तथा जिसका उपयोग सिंचाई हेतु किया जा सकता है ?

(4) क्या सिंचित क्षेत्र के जिस एरिया में नहरें नहीं हैं उस क्षेत्र के लिए नदियों से पानी लिफ्ट कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है ?

(5) क्या सरकार इस हेतु नलावता नोनेरा कीरपुरा ककरावदा, भैंरूपुरा, नया गांव फूसोद आदि स्थानों का सर्वे करा कर लिफ्ट योजनाएं चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पीपल्दा तहसील का कुल क्षेत्रफल 2,24,533 एकड़ (89809 हैक्टेयर) है।

(सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री)

संलग्न तालिका 'क' में वर्णित 139 ग्राम सिंचित एवं तालिका 'ख' में वर्णित 27 ग्राम असिंचित घोषित हैं।

(2) पीपल्दा तहसील के कुल कृषि योग्य सिंचित घोषित क्षेत्र 99048 एकड़ (39619 हैक्टेयर) में से सिंचाई हेतु वार्षिक निर्धारित क्षेत्र 75276 एकड़ (30110 हैक्टेयर) व असिंचित क्षेत्र 23772 एकड़ (9509 हैक्टेयर) है जबकि वर्ष 1989-90 एवं 1990–91 में क्रमश: 88365 एकड़ (35346 हैक्टेयर) एवं 85802 एकड़) 35320 हैक्टेयर में वास्तविक सिंचाई की गई।

(3) जी हां।

(4) पानी को नदी से भूतल पर लाने में ही 100 फूट (30 मीटर) से 150 फूट (46 मीटर) तक की लिफ्ट की आवश्यकता है। इस प्रकार की लिफ्ट सिंचाई निर्माण एवं रख-रखाव दोनों में ही अत्यन्त महंगी होती है।

(5) जी नहीं।

तालिका "क"

पीपल्दा तहसील में सिंचित ग्रामों की सूची।

क्र. सं.	नाम ग्राम	सी. सी. ए. (एकड़ों में)	सिंचाइ एकड़ों में 1989–90	1990–91
1	2	3	4	5
1.	रामपुरा	2077	1725	1740
2.	फतेहपुरा	996	1107	1140
3.	मेंता	1420	1959	1900
4.	डडवाडा	851	1022	1005
5.	नोनेरा	294	1002	962
6.	खोडली नोनेरा	50	59	60
7.	आमलदा	95	118	104
8.	बमूलियां कलां	457	748	550
9.	राजपुरा	299	159	260
10.	बमूलियां खुर्द	632	833	832
11.	उम्मेदपुरा	400	394	480
12.	शिवपुरा	875	610	596
13.	ककरावदा	1588	287	688

1	2	3	4	5
14.	नीमसरा	1470	652	901
15.	सीनोवा	967	24	202
16.	चक ककावता	138	13	28
17.	रामगंज	109	–	–
18.	बौरदा	1522	757	1056
19.	सनमानपुरा	1674	1474	1474
20.	बांरारोद	612	248	200
21.	हथोली	1008	266	419
22.	केशोपुरा	1624	1110	1112
23.	भवानीपुरा	674	472	474
24.	करवाड़	1751	1563	1560
25.	रजोपा	1006	689	690
26.	खेंरदा	454	630	630
27.	पाडली	229	114	180
28.	इटावा	1883	2390	2320
29.	खोडावदा	250	177	160
30.	किशनपुरा उर्फ अला	623	391	360
31.	खेडलीबोरदा	372	33	320
32.	तलाव	2084	1495	1550
33.	भोपालगंज	1278	1011	992
34.	गुरोशखेड़ा	632	57	635
35.	जोरावरपुरा	1266	992	992
36.	शोभागपुरा	1000	659	664
37.	खेडलीवेरीसाल	583	432	436
38.	भैंसपुरा	266	160	172
39.	देवपुरा	160	14	18
40.	कडीला	320	62	64
41.	निमोला	1379	869	875
42.	भियाना	1152	487	490
43.	गोठडा कला	537	336	310
44.	बेजपुर	362	7	100
45.	शेरगढ़	436	152	160

1	2	3	4	5
46.	भोपालपुरा	609	400	401
47.	उदयपुरा	591	182	313
48.	गुबाटी	335	124	270
49.	जटवाडा	640	458	441
50.	जटवाड़ी	973	323	560
51.	किशनपुरा	312	201	222
52.	चकगुवाडी	127	82	74
53.	रामपुराधबाई	416	6	200
54.	बाराली	921	39	520
55.	छापोल	1209	–	131
56	गोठडा जागीर	183	–	113
57	बालूपा	236	62	509
58.	ठीकरदा	300	–	160
59.	द्वीपरी	1881	1040	1225
60.	बरनाहाली	698	410	417
61.	शेरगंज	771	–	89
62.	चकटोडी	236	41	104
63.	चकखेडली पेमा	225	166	193
64.	श्रीपुरा	775	641	641
65.	सुमेरपुरा	651	554	558
66.	बंजारी	787	726	728
67.	सब्जीपुरा	353	318	318
68.	फतेहपुर	448	211	287
69.	खातोती	1390	280	868
70.	रामखेड़ा	251	204	191
71.	गोरधनपुरा	224	–	64
72.	छत्रपुरा	336	157	240
73.	सरवन	20	8	–
74.	शेरपुर	395	–	–
75.	देवलीगड़ी	192	–	42
76.	लाकछी	455	403	393
77.	बीरोदा	197	162	174

216

1	2	3	4	5
78.	फरेरा	313	140	196
79.	गरणेशगंज	1950	1945	1957
80.	चारणदा	303	326	337
81.	डोली	872	987	998
82.	भाडोल	872	917	988
83.	मुमेंना	773	880	885
84.	रनोदिया	141	625	635
85.	किशनवास	358	109	118
86.	खंडली	873	926	932
87.	गौनदी	742	549	557
88.	विनायका	1539	1263	1275
89.	दूदली	856	758	778
90.	डौरली	362	392	398
91.	अयानी	1472	1342	1348
92.	जलोदा खातियान्	1994	2061	2083
93.	रघुनाथपुरा	121	293	302
94.	दीपरी	243	236	244
95.	दौलतपुरा	1022	1054	1062
96.	कोलाना	889	705	732
97.	खेडली जागीर	702	414	421
98.	नलावता	917	90	95
99.	बमालिया घाटा	663	125	130
100.	बिजावता	254	—	—
101.	काकरा	556	437	440
102.	कुमारिया	1161	575	570
103.	कजलिया	553	417	415
104.	पीपल्दा खुर्द	1396	1232	1235
105.	बमोलिया बड़ा	379	277	277
106.	मरजाना	372	318	317
107.	चावदा	267	272	270
108.	वरपुरा	383	328	329
109.	बिसलाई	227	166	165

1	2	3	4	5
110.	पीपल्दाकलां	299	178	171
111.	नीमोदा	455	390	390
112.	मोरखेदना	62	–	4
113.	गिरधरपुरा	84	–	3
114.	डूंगरली	494	178	177
115.	गणेशपुरा	1619	1475	1475
116.	प्रेमपुरा	100	235	231
117.	कमबदा	885	658	655
118.	अरनिया	388	309	309
119.	माटोली	479	326	332
120.	लुहावद	2677	2286	2281
121.	दुर्जनपुरा	2125	1831	1831
122.	विजयपुरा	1087	885	885
123.	ढढोरा	587	435	434
124.	गेन्डावत	658	598	597
125.	खेडलीकिशनपुरा	413	202	203
126.	गणेशबेड़ां	1328	1093	1090
127.	खेडलीपीपल्दा	461	306	304
128.	मीठोद	680	597	595
129.	देवखेडली	784	570	570
130.	शहनावदा	919	900	901
131.	हरिपुरा	1065	862	863
132.	बाडोंली	651	533	531
133.	लक्ष्मीपुरा	830	1446	1446
134.	अधाना	2973	3627	3625
135.	रीन	746	670	671
136.	फूलौद	1855	1398	1399
137.	बेड़ा	185	91	89
योग :–		99048	78861	85666

तालिका "ख"

पीपल्या तहसील क्षेत्र में अनकमांड के गांवों की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम	क्षेत्रफल (है. में.)
1.	रोहली	247.99
2.	चक्र खेडला	9.40
3.	कीरपुरा	140.63
4.	गोठरा खुर्द	364.22
5.	धदौद	369.12
6.	धनवा	780.35
7.	दिलोद	496.96
8.	शिवदानपुरा	234.72
9.	बगाबदा	670.68
10.	केंथौदा	712.69
11.	गुडला	394.39
12.	नया गांव	284.23
13.	कीरपुरा	122.44
14.	हवा खेडली	286.55
15.	पाडा	106.91
16.	रोड गंज	324.42
17.	नारायण पुरा	531.89
18.	मानपुरा	226.14
19.	श्रीपुरा	421.01
20.	बोरोंदा	316.02
21.	आसीदा	463.68
22.	टोंडी	56.40
23.	ककावदा	352.72
24.	नियाना	1266.48
25.	संग्रामपुरा	245.27
26.	रघुनाथपुरा	174.38
27.	फतेहपुर	513.67
		10133.36 है.
		25333 एकड़

राजस्थान वित्त निगम द्वारा द्वारा स्वीकृत ऋण

193. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने उद्योगों के लिए ऋण स्वीकृत किये हैं इनमें से कितनों को ऋण वितरण किया जा चुका है ? जिनको ऋण वितरण नहीं किया गया है उसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम की ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया जटिल है ? यदि हां, तो क्या उद्यमियों को अधिकारी एवं कर्मचारियों के कारण आवश्यक परेशानी उठानी पड़ती है ?

(3) भीलवाड़ा एवं भिवाड़ी में किये गये फर्जी ऋण वितरण के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) वन विंडो सर्विस योजना के तहत कितने व्यक्तियों को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में यथा 1987-88 से 1989-90 तक 12825 औद्योगिक इकाइयों को ऋण स्वीकृत किये गये और 9579 औद्योगिक इकाइयों को ऋण वितरण किया गया। दिनांक 31.3.90 तक स्वीकृत ऋणों में से वर्तमान में 260 औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं, जिनमें ऋण वितरण किया जाना बाकी है। इन औद्योगिक इकाइयों ने अभी तक परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं किया है और कुछ ने स्वीकृति पत्र की शर्तों की अनुपालना नहीं की है। शेष इकाइयों की विभिन्न कारणों से ऋण स्वीकृतियां निरस्त कर दी गई हैं।

(2) जी नहीं। राजस्थान वित्त निगम की ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया जटिल नहीं है।

(3) भीलवाड़ा में फर्जी ऋण प्रकरण के लिए विभिन्न स्तर के चार अधिकारियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से प्रबन्धक स्तर के एक अधिकारी को निलम्बित किया जाकर आरोप पत्र दिया जा चुका है एवं तीन उप एवं सहायक प्रबन्धक स्तर के अधिकारियों को आरोप पत्र दिये गये हैं।

भिवाड़ी में फर्जी ऋण वितरण के लिए जिम्मेदार महा प्रबन्धक स्तर के एक अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र देने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) राजस्थान वित्त निगम में वर्तमान में विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित राजस्थान वित्त निगम द्वारा वन विंडो स्कीम के अन्तर्गत माह जनवरी, 1991 तक 350 व्यक्तियों को औद्योगिक परिसम्पत्तियों के साथ साथ कार्यशील पूंजी के लिए भी ऋण स्वीकृत किये गये हैं।

"ग्राम बिजा नाई का बास" नाम परिवर्तन

194. श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री किशनाराम नाई)

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक 56/राजस्व/ग्रुप 86/दिनांक 22.11 1985 के तहत तहसील झुन्झुनू के सदियों पुराने बसे ग्राम बिजा नाई का बास का नाम बदलकर रघुनाथपुरा रख दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किस आधार पर किया गया।

(2) क्या यह सही है कि पिछड़ी जाति के श्री बिजा नाई द्वारा बसाया गया यह गांव पुराने रिकार्ड आर्मी कार्यालय, शिक्षण संस्थाओं, रेवेन्यू विलेज एवं विधान सभा मतदाता लिस्ट के अनुसार ग्राम बिजा नाई का बास ही है ? यदि हां, तो फिर इस ग्राम का नाम बदलने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस ग्राम के पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा व अन्य सैन समाज द्वारा ऐसा करने पर घोर आपत्ति की गई है ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) इस ग्राम का पुराना नाम बरकरार रखने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) ग्राम बिजानाई का नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं था। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प. 9(56) राज/ग्रुप-1/85 दिनांक 22.11 85 के द्वारा तहसील झुंझुनू की ढाणी रघुनाथपुरा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। यह तहसीलदार की टिप्पणी तथा जिला कलक्टर, झुंझुनू एवं राजस्व मण्डल, अजमेर की सहमति के द्वारा घोषित किया गया है।

(2) बिजा नाई का बास के नाम से कोई राजस्व ग्राम रेकार्ड में नहीं था। यह आबादी राजस्व ग्राम देरवाला में सम्मिलित थी लेकिन आर्मी कार्यालय शिक्षण संस्थाओं विधान सभा मतदाता सूचियों में यह आबादी बिजानाई के बास के नाम से जानी जाती है परन्तु राजस्व रेकार्ड में यह आबदी कोई राजस्व ग्राम के नाम से न होने के कारण तथा 250 से अधिक की आबादी होने के कारण राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा 1985 में राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया।

(3) जी हां। कुछ आपत्तियां वर्ष 1991–92 में प्राप्त हुई जो विचाराधीन हैं।

(4) पुराने राजस्व ग्राम का नाम देरवाला है। इसकी ढाणी को अलग कर नया राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा घोषित किया गया है। इस कारण हम पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

करौली क्षेत्र में खनन कार्य का एरिया

195. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सपोटरा करौली क्षेत्र में किन-किन ठेकेदारों ने कहां-कहां कितना-कितना एरिया खनन कार्य के लिये ले रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रभुलाल)

(2) क्या सपोटरा करौली क्षेत्र में अवैध खनन भी चल रहे हैं ? यदि हां, तो किस-किस जगह ? सूची सदन की मेज पर रखें। सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या सरकार इस अवैध खनन को रोकने में असफल रहे अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सपोटरा करौली क्षेत्र में खनन कार्य हेतु खनन पट्टों के अन्तर्गत ठेकेदारों को दिये गये क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट "क" "ख" सलग्न है।

(2) अवैध खनन की सूचना मिलने पर रोकथाम की नियमानुसार कार्यवाही की जाती है अवैध खनन के मामलों की सूची व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) जैसे ही अवैध खनन की जानकारी विभाग को मिलती है विभाग के अधिकारियों फिल्ड स्टाफ द्वारा अवैध खनन को रूकवा कर अवैध खननकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही को जाती है। अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य के पशु स्वास्थ्य केन्द्र

196. श्री अमीन खां (शिव) : क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में पशु स्वास्थ्य केन्द्र कितने हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में पशु स्वास्थ्य केन्द्र कितने ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं ? यदि हां, तो कितने अरसे से नहीं हैं ?

(3) पशु स्वास्थ्य केन्द्रों में सालाना कितनी-कितनी राशि की दवाइयां दी जाती हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में कुल 120 पशु स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। जिलेवार सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में 8 पशु स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों के पद रिक्त चल रहे है। ये पद भिन्न-भिन्न अवधि से रिक्त चल रहें हैं।

(3) प्रत्येक पशु स्वास्थ्य केन्द्र को सालाना लगभग 4000 रुपयों का बजट दवाइयों हेतु आवंटित किया जाता है।

सूची "क"

राजस्थान में कार्यरत पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिला	पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
1.	बाड़मेर	15
2.	बीकानेर	12
3.	चूरू	11
4.	श्रीगंगानगर	5
5.	जैसलमेर	14
6.	जालौर	6
7.	झुंझुनू	6
8.	जोधपुर	12
9.	नागौर	14
10.	पाली	13
11.	सीकर	12
	योग :-	120

राजस्थान दुग्ध डेयरी को अनुदान व ऋण

197. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन व निगम की स्थापना कब हुयी और इस को अलग-अलग संस्थाओं से व राज्य व केन्द्र सरकार से कितनी-कितनी सहायता अनुदान व ऋण प्राप्त हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि करोड़ों रुपये संस्थाओं से प्राप्त होने के बावजूद राजस्थान डेयरी फैडरेशन घाटे में चल रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के अन्तर्गत कितने जिला दुग्ध संघ व प्लान्ट कार्यरत हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जिलों में जो संघ व प्लान्ट कार्यरत हैं उनकी दुग्ध की आमद क्षमता से कम होने के कारण व कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति दुग्ध की आमद के अनुपात में चार गुना अधिक होने के कारण प्रत्येक जिला व संघ घाटे में चल रहे हैं ? यदि हां, तो दुग्ध की आमद, मात्रा बढ़ाने के लिये क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की स्थापना 3 अक्टूबर, 1977 व निगम की स्थापना 31 मार्च, 1975 को हुई थी। संस्थाओं से प्राप्त ऋण एवं अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में राज्य में 16 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ व 10 डेयरी प्लांट कार्यरत हैं।

(4) जी नहीं। सभी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ घाटे में नहीं चल रहे हैं। संघ में कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पैटर्न के आधार पर की जाती है दूध की मात्रा बढ़ाने हेतु किये जा रहे प्रयास परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नैनवा नगरपालिका में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

198. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

नैनवा नगपालिका में शिक्षा विभाग के कार्यरत कर्मचारियों में से 1 मार्च, 1990 से अब तक कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश किये गये हैं ? उनमें से मुस्लिम समुदाय के कितने कर्मचारी हैं ? स्थानान्तरण आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। कुल 8 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं। उसमें से मुस्लिम समुदाय के 6 कर्मचारी हैं। आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) बून्दी
कार्यालय–आदेश

निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के अ शा. पत्रांक : शिविरा/निजी/7/2(77)/90 दिनांक 3/1/91 की अनुपालना में श्री मुन्ना मोहम्मद, स. अ. राजकीय प्राथमिक विद्यालय देईपोल नैनवां का स्थाना. पाते वेतन एवं वेतन शृंखला में तत्काल प्रभाव से राजकीय माध्यमिक विद्यालय दवलाना (बून्दी) में आदेशित किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें अविलम्ब कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें। इन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

हस्ता./–
(वाई. सी. नागल)
जिला शिक्षा अधिकारी
छात्र संस्थायें, बून्दी

क्रमांक : जिशिअ/बू/संस्था–1/स्थाना/तृवेशृं–90–91/297 दि. 17-1-91

———

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) बून्दी
कार्यालय आदेश

निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शि. राज. बीकानेर के अ. श. पत्रांक : शिविरा/निजी/7/2/(77)/20 दिनांक 3/1/91 की अनुपालना से श्री सुबराती, मोहम्मद, शा. शि. का राउप्रावि ओल्ड पैलेस नैनवा का स्थाना. पाते वेतन एवं वेतन शृंखला में तत्काल प्रभाव से राज. मा. वि. रानीपुरा (बून्दी) आदेशित किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें अविलम्ब कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें। इन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

हस्ता./–
(वाई. सी. नागल)
जिला शिक्षा अधिकारी
छात्र संस्थायें, बून्दी

क्रमांक : जिशिअ/बू/संस्था–1/स्थाना/तृवेशृं शाशि/90–91/299 दि. 17-1-91

———

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) बून्दी

कार्यालय-आदेश

निदेशक महोदय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/बजट/बी–3/25223/90–91/269 दिनांक 12/12/90 द्वारा किये गये समानीकरण के अनुसार निम्नांकित द्वितीय वेतन शृंखला अध्यापकों के समायोजन/पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से आदेशित किये जाते हैं।

संबंधित संस्था प्रधान इन्हें अविलम्ब कार्यमुक्त पालना से अवगत करावें। क्रम सं. 1 से 8 तक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

क्रम सं.	नाम अध्यापक	कहां से	कहां को
5.	श्री राधेश्याम सोनी वअ	राउप्रा ओल्ड पैलेस नैनवां (बून्दी)	सामावि गोठड़ा
6.	,, रामपाल शर्मा	,, नवीन नैनवां	,, रानीपुरा

हस्ता./
(वाई. सी. नागल)
जिला शिक्षा अधिकारी
छात्र संस्थायें, बून्दी

क्रमांक : जिशिअ/बू/संस्था–1/समानीकरण/90-91/255 दि. 31-12-90

आंशिक सत्य प्रतिलिपि
अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) बून्दी

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) बून्दी
कार्यालय–आदेश

निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के अ. शा. पत्रांक : शिविरा/निजी/7/2/(77)/90 दिनांक 3/1/91 की अनुपालना में श्री इब्राहिम खिलजी व. अ. (गणित) रा. उ. मा. वि नैनवां का स्थाना. पाते वेतन श्रृंखला में तत्काल प्रभाव से रा.मा.वि. लक्ष्मीपुरा (बून्दी) में आदेशित किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें अविलम्ब कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें इन्हें यात्रा एवं योगकाल देय होगा।

हस्ता./–
(वाई. सी. नागल)
जिला शिक्षा अधिकारी
छात्र संस्थायें, बून्दी

क्रमांक : जिशिअ/बू/संस्था–1/ स्थाना/द्विवेश्रृं/90–91/295 दि. 17/1/91

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) बून्दी
कार्यालय–आदेश

निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर के अ. शा. पत्रांक : शिविरा/निजी/7/2(77)/90 दिनांक 3/1/91 की अनुपालना में श्री अल्ताफ हुसैन स. अ. राउमावि नैनवां का स्थाना. पाते वेतन एवं वेतन श्रृंखला में तत्काल प्रभाव से रामावि गोठड़ा (बून्दी) में आदेशित किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें अविलम्ब कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें। इन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

हस्ता./–
(वाई. सी नागल)
जिला शिक्षा अधिकारी)
छात्र संस्थायें, बून्दी

क्रमांक : जिशिअ/बू/संस्था–1/स्थाना/तृवेश्रृं/90–91/296 दि. 17/1/91

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) बून्दी

कार्यालय–आदेश

निदेशक, प्राथ. एवं. माध्य. शि. राज बीकानेर के प्र. शि. पत्रांक : शिविरा/निजी/7/2/(77)/90 दिनांक 3/1/91 की अनुपालना में श्री अब्दुल कादिर, स.अ. रा. नवीन उप्रावि नैनवां का स्थाना. पाते वेतन एवं वेतन शृंखला में तत्काल प्रभाव से रामावि धोवड़ा (बून्दी) में आदेशित किया जाता है। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें अविलम्ब कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें। इन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

हस्ता./–
(वाई. सी. नागल)
जिला शिक्षा अधिकारी
छात्र संस्थायें, बून्दी

क्रमांक : जिशिअ/बू/संस्था–1/स्थाना/तृवेशृं/90–91/298 दि. 17/1/91

———

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) बून्दी

कार्यालय–आदेश

निदेशक, प्रा. एवं. शि. राज. बीकानेर के पत्रांक : शिविरा/निजी/7/2/77/90 दि. 3/1/91 की अनुपालना में श्री अब्दुल रशीद क लि कार्या. उजिशिअ नैनवां का स्थाना. पाते वेतन एवं वेतन शृंखला में तत्काल प्रभाव से रा.उ.मा.वि. वांसी (बून्दी) में आदेशित किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें अविलम्ब कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें। इन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

हस्ता./–
(वाई. सी. नागल)
जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी

क्रमांक : जिशिअ/बू/संस्था–1/स्थाना/कलि/90-91/300 दि. 17/1/91

बीसलपुर परियोजना

199. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) बीसलपुर परियोजना में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में कितनी-कितनी राशि का आवंटन किस-किस कार्य के लिए किया गया तथा किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि वर्षवार खर्च की गई ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1989-90 में आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया ? यदि हां तो क्यों एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? उपरोक्त परियोजना को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) बीसलपुर परियोजना पर वर्ष 1989-90 व 1990-91 में आवंटित राशि व व्यय का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, वर्ष 89-90 में आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण नदी के भाग का कार्य जिस ठेकेदार को आवंटित किया गया था, उसके द्वारा कार्य आरम्भ नहीं करना है। अन्य ठेकेदारों को यह कार्य आवंटित करने में समय लगने के कारण आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। उपरोक्त योजना के बांध के प्रथम चरण का निर्माण कार्य माह जून, 1992 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

वर्ष	बजट आवंटन			व्यय (लाखों में)		
	निर्माण कार्य मय साधारण पुर्जे व मशीन और उचंत मद	संस्थापन	योग	निर्माण कार्य मय साधारण पुर्जे व मशीन और उचंत मद	संस्थापन	योग
89–90	1701·95	198·05	1900·00	1504·42	130·63	1650·00
90–91	2078·00	222·00	2300·00	568·74	132·21	707·89

[माह जनवरी, 91 तक]

राज्य के अनुसूचित जाति के मोहल्लों में सुविधायें

200 श्री रमाकान्त शर्मा (थाना-गाजी): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति है कि अनुसूचित जाति के मोहल्लों में विभाग द्वारा बिजली एवं पेयजल का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ? यदि हां, तो क्या इन आदेशों की पालना हो रही है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

राज्य सरकार की नीति है कि परिभाषित हरिजन बस्तियों में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के माध्यम से सड़कों पर विद्युत तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जावे ।

समाज कल्याण विभाग में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को इन विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाता है जो इस नीति के अन्तर्गत बिजली एवं पेयजल का प्रबन्ध कराते हैं ।

बड़ी ढाणी एवं ग्राम जाम्बा (बाप) की जल योजना

201. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि राजस्व गांव बड़ी ढाणी ग्राम पंचायत बाप एवं ग्राम जाम्बा तहसील फलौदी जिला जोधपुर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाप से नलों द्वारा जुड़े हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन दोनों गांवों में से बड़ी ढाणी में पिछले छः माह से पानी नहीं दिया गया है और 'जाम्बा' में महीने में एक दो बार कम्प्रेशर से पानी पहुंचता है ?

(3) क्या सरकार पानी नहीं पहुंचने की शिकायत की उच्च स्तरीय जांच करवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । ग्राम जाम्बा में पिछले डेढ़ माह से जल वितरण सामान्य है, जो आगे भी समुचित रखा जावेगा । राजस्व ग्राम बड़ी ढाणी में सप्ताह में एक बार स्वच्छ जलाशय भर दिया जाता है जिससे ग्रामवासी जल प्राप्त करते रहते हैं ।

(3) जांच की आवश्यकता नहीं है ।

राज्य के रुग्ण उद्योग

202. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऐसे कितने विनियोजित उद्योग हैं, जो बीमार हैं ?

(2) इनमें से कितने उद्योगों के पुनर्स्थापना के प्रस्ताव निगम के पास छः

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

महीने से ज्यादा समय से लंबित हैं ? छः महीने, एक वर्ष, दो वर्ष व तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पुनर्स्थापना में देरी के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयों में से 3556 औद्योगिक इकाइयां 31 मार्च, 90 को बंद थी।

(2) निगम में वर्तमान में 13 मामले छः महीने से ज्यादा समय से लंबित हैं। छः माह से ज्यादा एक वर्ष, दो वर्ष व तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की सूची परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रखदी गई है।

(3) पुनर्स्थापना के मामलों को निपटाने में देरी निगम स्तर पर नहीं हुई है। अधिकांश मामलों में व्यापारिक बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सहायता न होने के फलस्वरूप देरी हुई है। अतः निगम के किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं हुई।

परिशिष्ट 'क'

छः महीने से अधिक लम्बित मामले :

1. मैसर्स श्री माहेश्वरी इण्डस्ट्रीज, जोधपुर
2. ,, मुकेश इलेक्ट्रीकल्स, नागौर
3. ,, नूतन सिलीकेट एण्ड ग्लास इण्डस्ट्रीज, टोंक
4. ,, ब्राइट लेबोरेटरीज, जयपुर
5. ,, मनसा देवी मार्बल एण्ड मिनरल कार्पोरेशन, मकराना
6. ,, कमफर्ट फोम इण्डस्ट्रीज, कोटा
7. ,, प्रीती इण्डस्ट्रीज, जोधपुर
8. ,, गणेश कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, जोधपुर
9. ,, राजस्थान मल्टी फर्टिलइजर प्रा. लि., उदयपुर

एक वर्ष से अधिक लम्बित मामले :

1. मैसर्स श्रीराम पेट्रो केमिकल, जयपुर
2. ,, एम. एस. पाइप प्रोडक्टस, सीकर
3. ,, अन्नपूर्णा प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, झुंझुनू

दो वर्ष से अधिक लम्बित मामले :

1. मैसर्स कृष्णा पलसेज एण्ड आयल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., जयपुर

भेड़-बकरियों हेतु गोचर भूमि

203 **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत गाय व भैंस के लिये आधा बीघा जमीन गोचर चारागाह निर्धारण करने का प्रावधान है जबकि बकरियों और भेड़ों के लिए नगण्य जमीन भी चारागाह के रूप में निर्धारित नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(2) क्या सरकार भेड़-बकरियों हेतु गोचर भूमि उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। गाय भैसों की संख्या चारागाह निर्धारित करने का मापदण्ड है लेकिन सभी जानवरों को चरने की छूट है।

(2) जी नहीं। अलग से आवश्यकता नहीं है।

खैरवाड़ा तहसील में खानों के आवेदन-पत्र

204. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 में खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में खानों के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उनमें से कितनों को खानें आवंटित की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के मूल निवासियों के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ? निरस्त किये गये प्रार्थना पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 में खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में खनन पट्टे स्वीकृत करने हेतु 340 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिनमें से 26 आवेदकों को खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी सूची प्रपत्र "अ" एवं "ब" संलग्न है।

(2) आवेदन पत्रों का निस्तारण अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत किया गया है, जिसमें खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के मूल निवासियों के आवेदन पत्र भी सम्मिलित हैं। खैरवाड़ा के मूल निवासियों के जो आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं मय कारणों सहित सूची प्रपत्र "स" संलग्न है।

(3) नियमों के अन्तर्गत स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता प्राप्त नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में जांच अपेक्षित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अजमेर में गिर नस्ल विकास केन्द्र

205. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सांवरलाल)

(1) क्या राज्य सरकार गिर नस्ल विकास केन्द्र बडली (अजमेर) में खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में समस्त औपचारिकतायें पूरी करली गई ?

(2) यदि हां, तो अब कब तक यह केन्द्र आरम्भ किया जाना सरकार के लिये सम्भव होगा ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में गीर नस्ल का पशु प्रजनन केन्द्र खोलने हेतु स्थान का चयन अन्तिम रूप से नहीं किया गया है।

(2) उक्त केन्द्र खोलने के संबंध में निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि नये फार्म की स्थापना हेतु आवश्यक मात्रा में उपयुक्त भूमि, पीने एवं सिंचाई हेतु पानी की निरन्तर उपलब्धता एवं जलवायु/मिट्टी सहित सभी मूलभूत आवश्यकताओं की अनुकूलता होना प्राथमिक आवश्यकतायें हैं।

किशनगंज, शाहबाद की स्कूलों में रिक्त पद

206. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगंज शाहबाद में सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी मिडिल स्कूलों, गर्ल्स सैकण्डरी व गर्ल्स मिडिल स्कूलों में स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो कौन-कौन से स्कूल में कितने-कितने अध्यापकों की कमी है ?

(2) क्या राज्य सरकार का रिक्त पदों को भरने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा मंत्री ने दिनांक 15 जुलाई, 1989 तक समस्त रिक्त पद भरने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति क्यों नहीं की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगंज एवं शाहबाद गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल में 2 वरिष्ठ अध्यापक तथा शाहबाद में 1 वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त है।

(2) जी हां, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जारी है।

(3) रिक्तियां भरने की कार्यवाही की जाती रही है।

इराडी कमीशन की रिपोर्ट

207. श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इराडी कमीशन की रिपोर्ट राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई ?

(2) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि पंजाब व हरियाणा राज्य सरकार ने इसकी सिफारिशों को मानने से इन्कार कर दिया है ?

(श्री केदारनाथ शर्मा)

(4) इस संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को राजस्थान राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुये क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की ?

उत्तर

(1) रिपोर्ट मई, 1987 में प्राप्त हुई।

(2) रिम स्टेशन के नीचे उपलब्धता 1.11 मिलियन एकड़ फुट पानी में सरकार ने राजस्थान का हक प्राप्त करने के लिये इण्टरस्टेट डिसप्यूट एक्ट की धारा 5(3) के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन आयोग को अगस्त, 1987 में प्रस्तुत किया।

(3) जी हां।

(4) उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार कार्यवाही की गई है।

तारांकित प्रश्न संख्या 208
(स्थगित)

जैसलमेर में जिप्सम के भण्डार

209. डा. जितेन्द्रसिंह (जैसलमेर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में आर. डी. नम्बर 1190 के आस-पास जिप्सम के विपुल भण्डार पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इनका पूर्ण रूप से सर्वे कराया गया है ?

(2) सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में आर. डी. संख्या–1190 के आस-पास विभाग द्वारा खनिज जिप्सम हेतु कोई पूर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है, अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस क्षेत्र में जिप्सम के विपुल भण्डार उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में मैसर्स आर. एस. एम. डी. सी. ने दो पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों के आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं।

(2) उक्त क्षेत्र के पूर्वेक्षण हेतु अगर अनुज्ञापत्र आर. एस. एम. डी. सी. को प्रदान किया जाता है तो पूर्वेक्षण उक्त कोर्पोरेशन के द्वारा कराया जायेगा अन्यथा पूर्वेक्षण का कार्य विभाग द्वारा कराया जायेगा।

मकराना मारबल आर्टिजन सहकारी समिति

210. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मकराना में मकराना मारबल आर्टिजन सहकारी समिति रजिस्टर्ड है ? यदि हां, तो क्या वह कार्यरत है ? इसके चुनाव कब-कब हुये हैं तथा इसकी अमानत जमा पूंजी कितनी है ?

(2) उक्त समिति ने कब से कब तक कारोबार किया और उसमें कितना लाभ हुआ तथा लाभ की राशि कहां जमा है ? उक्त समिति के पास कितनी और क्या-क्या चल-अचल सम्पत्ति है तथा किसके

(श्री बिरधाराम चौधरी)

उपयोग में आ रही है ? क्या उक्त समिति को मार्बल की खानें आवंटित हुई थी ? यदि हां, तो उक्त खानों से समिति को कितनी आमदनी हो रही है ?

(3) उक्त समिति के लाभांश एवं जमा का हिसाब सदस्यों को वितरण के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) यह आंशिक रूप से ही सही है क्योंकि मकराना मार्बल आर्टिजन लेबर कोन्टेक्ट सहकारी समिति लि., मकराना के नाम से एक रजिस्टर्ड सहकारी संस्था है। जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 151 एस पर दिनांक 3.11.1955 को हुआ है। वर्तमान में यह संस्था निष्क्रिय अवस्था में है। इस समिति में चुनाव रजिस्ट्रेशन के पश्चात् वर्ष 1960, 1979, 1982, 1987 एवं अन्तिम बार 5.9.88 को चुनाव समिति के स्तर से ही हुए हैं जिसमें पदाधिकारी व सदस्य निम्न हैं :–

1. श्री अनवरअली	अध्यक्ष
2. श्री मोहम्मद हारून	मंत्री
3. श्री मोहम्मद कयूम	कोषाध्यक्ष
4. श्री जमील अहमद	सदस्य
5. श्री शेख फरीद	सदस्य
6. श्री मुखत्यार अहमद	,,
7. श्री मोहनलाल	,,

दिनांक 31 3 89 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर समिति में अमानत जमा पूंजी शून्य है।

(2) समिति में पंजीयन से लेकर वर्ष 1979–80 तक खानों को चलाने का काम किया जिसमें 4975.00 रु. की हानि हुई। वर्ष 1980–81 में 833.00 रु. व 81-82 में 540.00 रु. का लाभ हुआ जो समिति को खनिज विभाग से समिति को आवंटित दो खानों को किराये पर सदस्यों को देने के कारण लाभ रहा है। उसके बाद समिति द्वारा कोई कारोबार नहीं किया गया।

31 3.89 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर समिति की कोई चल व अचल सम्पति नहीं है। समिति को दो खानें खनिज विभाग द्वारा लीज पर दी हुई हैं जिससे लाभ हानि बाबत ब्यौरा ऊपर दे दिया गया है।

(3) 31.3 89 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर समिति में सकल हानि 3571.00 रुपये है। अतः लाभांश वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 180 की सूची

संस्था के सदस्यों की सूची

क्र. सं.	नाम मय पिता/पति व पता	व्यवसाय	पद
1.	श्रीमती कमला पत्नि/श्री लालचंद, ग्राम व पोस्ट रोहिडा वाली (सुथारान) श्री गंगानगर	समाज सेवा	अध्यक्ष
2.	श्री कृष्णचन्द पुत्र श्री लादूराम ग्राम व पोस्ट रोहिडा वाली (सुथारान) श्री गंगानगर	खेती	सचिव
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुनाथ, सांचौर जिला जालौर (राज.)	,,	कोषाध्यक्ष
4.	श्री मनीराम पुत्र श्री रामचन्द्र सुथार ग्रा. व पो. रोहिडा वाली (सुथारान) श्रीगंगानगर	,,	सदस्य
5.	श्री पुनमाराम पुत्र श्री जोधाराम सांचौर जिला जालौर (राज.)	,,	स्वास्थ्य मंत्री
6.	श्री मिटठू पुत्र श्री गोगडराम हरिजन ग्रा. 5 एच/पो. रोहिडावाली (सुथारान) जि. गगानगर (राज.)	मजदूर	सदस्य
7.	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री सोहनलाल चक सोहने वाला तह. सादुलशहर जिला गंगानगर, राज.	खेती	,,

परिशिष्ट–ब

मानव सेवा मन्दिर समिति ग्राम पोस्ट रोहिडावाली (सुथारान) जिला श्रीगंगानगर की कार्यकारिणी की सूची

क्र सं.	नाम मय पिता के नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री मनफूलाराम पुत्र श्री हुक्माराम	ग्राम पो. रोहिडा वाली जिला श्रीगंगानगर (राज.)	जमीदार एवं समाज सेवक	अध्यक्ष
2.	श्री जयप्रताप पुत्र श्री कन्हैया लाल	प्लाट संख्या बी–6 जयपुर मैटल हाऊसिंग सोसायटी चौमूरोड़, जयपुर	व्यापार	मंत्री
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुनाथ	ग्राम सांचौर जिला जालौर (राज.)	खेती	कोषाध्यक्ष
4.	श्री पवन कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल	प्लाट संख्या 16 राजापार्क जयपुर	व्यापार	सदस्य
5.	श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री प्यारासिंह	ग्रा. पो. रोहिडा वाली जिला श्रीगंगानगर (राज.)	नौकरी	"
6	श्री पूनमाराम पुत्र श्री जोधाराम	ग्रा. पो. सांचौर जिला जालौर (राज.)	खेती	"
7.	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री सोहनलाल	ग्रा पो. चक सोहनेवाला तह. सादूल शहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)	खेती	"

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 183 का विवरण

अप्रवासी भारतीयों द्वारा लगाई गई उत्पादनरत परियोजनाएं

(रुपये लाखों में)

क्र सं.	अप्रवासी भारतीय का नाम	परियोजना लागत	उत्पादन का प्रकार
1	2	3	4
जिला जयपुर			
1.	श्री पी. एन. गोस्वामी (अफ्रीका) वेस्ट इण्डिया एलाइड इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी प्रा. लि.	11.00	इलेक्ट्रोनिक्स
2.	डा. के. एच. देशवार (यू.एस.एफ.) सिरा माईक्रो इलेक्ट्रोनिक्स लि.	403.00	”
3.	डा. एस. मुखर्जी (वेस्ट जर्मनी) राजस्थान एरोमेटिक्स केमिकल्स प्रा. लि.	10.00	केमिकल
4.	श्री मूलजी कालीनानी (आबूधाबी) पूर्णिमा फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.	47.28	ड्रग्स
5.	श्री डी. एस. मीरानी (लागोस) जयपुर रोलर फ्लोर मिल्स	90.00	फूड इण्डस्ट्रीज
जिला अलवर			
6.	श्री अशोक आहूजा (यू.के.) अशोक जीप फास्टनर्स प्रा. लि.	20.00	मेकेनिकल
7.	श्री के. जी. गोयल (कनाडा) प्रकाश पलवराईजिंग	25.86	मिनरल्स
8.	श्री पी. आर. गुलाटी (वेस्ट जर्मनी) इन्सुलेटरस एण्ड सिरेमिक्स इण्डिया लि.	79.00	सिरेमिक्स

1	2	3	4
9.	श्री. एल.ए. भाटिया (दुबुई) फाल्कन गल्फ सिरेमिक्स लि.	1100.00	सिरेमिक्स
10.	स्टेनफोर्ड इन्जिनियररिंग लि.	448.00	इंजीनियरिंग
11.	श्री मदन लाल खण्डेलवाल (कुवेत) कोन्टीनेटल पैट्रोलियम लि.	285.00	केमिकल
	जिला उदयपुर		
12.	डायमण्ड मारबल्स प्रा. लि.	75.00	मिनरल्स
13.	श्री राजीव के बापना (सउदी अरेबीया) एलाइड इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मैगनेटिक्स लि.	146.00	इलेक्ट्रोनिक्स
14.	श्री सफूउदीन कागदी (कुवेत) एलाइन्स प्लास्टिक प्रा. लि.	20.12	प्लास्टिक
	जिला नागौर		
15.	श्री ए. के. मालपानी (वेस्ट जर्मनी) मालपानी मारबल्स प्रा. लि.	70.00	मारबल
	जिला सीकर		
16.	श्री एस. एम. मिश्रा (लिबिया) समपरना इण्ड्स्ट्रीज	10.00	मैकेनिकल्स
	जिला सिरोही		
17.	श्रीमती ज्योति के. भाटिया (दुबुई) युनिलिक्स सीमेन्ट प्रा. लि.	80.25	सिमेन्ट

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 315 की सूची

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	क्र. सं.	नाम विद्यालय
1.	रा.मा.वि., खिवान्दी	15.	रा.बा.मा.वि., कोसेलाव
2.	रा.मा.वि., कोसेलाव	16.	रा.उ.प्रा.वि. नं. 2, सुमेरपुर
3.	रा.मा.वि., चाणोद	17.	रा.प्रा वि. नं. 1, सुमेरपुर
4.	रा.मा.वि. दुबाना	18.	रा.प्रा.वि. नं. 3, सुमेरपुर
5.	रा.मा.वि., पावा	19.	रा.प्रा.वि. नं. 4, सुमेरपुर
6.	रा.मा.वि., छोला	20.	रा.प्रा वि., संजयनगर सुमेरपुर
7.	रा.मा.वि., साण्डेराव	21.	रा.प्रा.वि., जाखानगर सुमेरपुर
8.	रा.मा.वि., मामेरा	22.	रा.प्रा वि. नं. 1, तखतगढ़
9.	रा.मा.वि., बांकली	23.	रा.प्रा.वि. नं. 2, तखतगढ़
10.	रा.मा.वि., नोबी	24.	रा.प्रा.वि नं. 3, तखतगढ़
11.	रा.मा.वि., भावरी	25.	रा.बा. प्रा.वि., सुमेरपुर
12.	रा.मा.वि., गुडा एन्दला	26.	रा.बा.प्रा.वि., तखतगढ़
13.	रा.मा.वि., गुन्दोज	27.	रा.बा. नवीन प्रा.वि., तखतगढ़
14.	रा.बा.मा.वि., तखतगढ़		

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में अध्यापकों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद			रिक्त पद			कब से रिक्त है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रा.मा.वि., पाबा	—	7	2	—	1	—	90=1
2.	रा.मा.वि., चाणोद	—	0	4	—	1	—	8/89=1
3.	रा.मा.वि., डोला	—	5	—	—	1	—	11/90=1
4.	रा.मा.वि., कोसेलाव	—	6	6	—	1	—	7/90=1
5.	रा.मा.वि., भावरी	—	5	—	—	1	—	11/90=1
6.	रा.प्रा.वि., तखतगढ़	—	1	—	—	1	—	9/90=1
7.	रा.प्रा.वि. नं. 2, तखतगढ़	—	2	—	—	1	—	7/90=1
8.	रा.प्रा.वि. नं. 3, सुमेरपुर	—	1	8	—	—	1	9/89=1
9.	रा.प्रा.वि. नं. 1, सुमेरपुर	—	—	10	—	—	—	12/89=1
10.	रा.बा.प्रा.वि., तखतगढ़	—	—	8	—	—	2	2/90=2
11.	रा.बा.मा.वि., तखतगढ़	—	6	—	—	2	1	2/90=1 1/84=1
12.	रा.बा.मा.वि., कोसेलाव	—	5	1	—	2	1	7/90=2 8/89=1

नोट—शेष विद्यालयों में रिक्त पद नहीं हैं।

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद					रिक्त पद					कब से रिक्त है
		पु. अ.	प्र.शा. म.	प्र.शा. से.	क.लि.	च.श्रे.क.	पु. अ.	प्र.शा. स.	प्र.शा. से.	कलि,	च श्रे. क.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	रा. मा. वि. भावरी	1	—	1	1	3	1	—	1	1	1	11/89=4
2.	,, डोला	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	11/89=5
3.	,, खिवादी	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1/87=1 9/89=1,7/90=2
4.	,, दुजाना	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1/87=1,01/89=2
5.	,, कोशेलेवा	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1/87=1
6.	,, पावा	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1/87=1,12/90=2
7.	,, बांकली	—	—	1	1	1	—	—	1	1	16	1/87=1,11/89=1 2/90=1
8.	,, गुडाएन्दला	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2/87=1,12/89=1
9	,, नोवो	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1/87=1,7/90=1
10	,, चाणोद	—	3	3	—	1	—	—	2	—	1	1/87=1,7/90=1 12/90=2
11.	रा.बा.मा. वि. तखतगढ़	—	1	1	1	4	—	—	—	—	—	11/89=1
12.	,, कौशेला	1	1	1	1	3	1	—	1	1	3	8/89=7

नोट—शेष विद्यालयों में रिक्त पद नहीं हैं।

243

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 316 की सूची

बांसवाड़ा जिले में प्रयोगशाला सेवक, प्रयोगशाला सहायक एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं. 1	नाम विद्यालय 2	प्र. शा. से. 3	प्र. शा. स. 4	व्याख्याता 5
1	बा. उ. मा. वि. बांसवाड़ा	2	—	5
2	,, ,, परतापुर	1	1	3
3	,, ,, कुशालगढ़	1	—	5
4	बा. मा. वि. गढी	1	1	—
5	,, ,, घाटोल	—	1	—
6	,, ,, ठीकरिया	1	—	—
7	,, ,, बागीडोरा	—	—	—
8	कार्यालय	—	—	—
9	बा. मा. वि. अरथुना	1	1	—
10	,, ,, सज्जनगढ़	1	1	—
11	,, ,, जोलाना	1	1	—
12	,, ,, सरेडी बड़ी	1	1	—
13	,, ,, लोहरिया	1	1	—
14	,, ,, फालोदा	1	1	—
15	,, ,, आनन्दपुरी	1	1	—
16	रा. मा. वि. बड़ा सरवा	1	1	=
17	,, ,, बड़वास	1	—	—
18	,, ,, सुन्दाव	1	1	—
19	,, ,, सेवावास	1	1	—
20	,, ,, बाडीगामा	1	1	—
21	,, ,, आसोडा	1	1	—
22	,, ,, खेड़ा	1	—	—

1	2	3	4	5
23	रा.मा.वि. बोरा	1	1	—
24	,, ,, सुन्दा	1	—	—
25	,, ,, कुशलगढ़ (नौरा)	1	1	—
26	,, ,, फलवा	1	1	—
27	,, ,, चौखेला	—	1	—
28	,, ,, पाचोड़	1	1	—
29	,, ,, भीमसौर	1	—	—
30	,, ,, कोटडा	1	—	—
31	,, ,, कोहाला	1	1	—
32	,, ,, बड़ी पड़ाल	1	1	—
33	रा. उ. मा.वि. कुशालगढ़	1	1	—
34	,, ,, गागरतलाई	2	5	—
35	,, ,, सज्जनगढ़	2	—	—
36	,, ,, नरवाला	1	—	—
37	,, ,, बागीदौरा	1	—	—
38	,, ,, कुशालगढ़	1	—	—
39	,, ,, मेतवाड़ा	1	1	—
40	,, ,, आनन्दपुरा	1	2	—
41	,, ,, देलवाड़ा	1	1	—
42	,, ,, जोलाना	1	1	—
43	,, ,, लोहारिया	1	1	—
44	मा. वि. शेरगढ़	1	1	—
45	,, ,, पूड़गां छोटा	1	1	—
46	,, ,, रेयाना	1	—	—
47	,, ,, पालोदा	1	1	—
48	,, ,, चन्दुजी का गुड्डा	1	1	—
49	,, ,, सल्लोधाट	1	1	—

1	2	3	4	5
50	मा.वि. छोटीसंखा	1	—	—
51	,, ,, घंटाली	1	1	—
52	,, ,, मोटा गांव	1	—	—
53	,, ,, कलिजंरा	1	1	—
54	,, ,, रोहिडा	1	1	—
55	,, ,, नोगामा	1	1	—
56	,, ,, पिपलखंट	1	1	—
57	,, ,, बोरा	2	1	—
58	,, ,, खोड़न	1	1	—
59	,, ,, भूंगड़ा	—	1	—
60	,, ,, अरथुना	1	—	—
61	,, ,, दानपुर	1	1	—
62	,, ,, छींच	1	—	—
63	,, ,, आंजना	1	—	—
64	,, ,, डूडका	1	—	—
65	,, ,, भीमपुर	1	—	—
66	,, ,, खमेरा	1	—	—
67	,, ,, मुड़ासेल	1	—	—
68	,, ,, कसारवाड़ी	1	—	—
69	,, ,, करजी	1	—	—
—	योग—	69	47	13

———

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या-317 की सूची

प्रतापगढ़ विधान सभा-क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	पद संख्या	वेतन श्रृंखला
1	2	3	4
1.	रा.उ.मा.वि. अरनोद	2	व्याख्याता (हिन्दी)
2.	,, बारावरूदा	2	वरिष्ठ अध्यापक
3.	,, कुलथाना	1	,, ,,
4.	,, रामपुरिया	1	,, ,,
5.	,, चौना	2	,, ,,
6.	,, सालमगढ़	1	,, ,,
7.	रा.बा.मा.वि. अरनोद	1	,, ,,
		1	अध्यापक
8.	,, प्रतापगढ़	2	व्याख्याता (गृह विज्ञान)
			व्याख्याता (इतिहास)
9.	,, प्रतापगढ़	5	अध्यापक

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 324 की सूची

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/छात्रा) के अधीन विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद				रिक्त पद	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रा.सी.उ.मा.वि., लाडनूं	13	9	7	2	–	1
2	,, नागौर	35	26	6	1	–	–
3	,, छोटीखाटू	14	6	7	2	–	–
4	,, डेगाना	15	9	5	–	2	–
5	,, मूंडवा	9	5	7	3	1	–
6	,, खींवसर	9	5	6	4	–	–
7	,, मारोठ	8	5	6	1	1	–
8	,, कुचामन	20	17	1	1	–	–
9	,, परबतसर	17	9	3	4	–	–
10	,, मकराना	16	11	9	4	–	–
11	,, मेड़तासिटी	22	18	2	5	–	–
12	,, नावां	13	7	4	2	–	–
13	,, जसवन्तगढ़	7	5	6	–	–	–
14	,, भोलासर	15	8	3	5	2	–
15	,, जावला	6	6	7	1	1	–
16	,, जायल	14	7	9	4	2	–
17	,, रियाबड़ी	11	5	7	4	–	–
18	,, निम्बीजोधा	9	5	6	4	–	–
19	,, सांजू	8	5	5	3	–	–
20	,, कुकनवाली	7	5	6	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
21	रा.सी.उ.मा.वि. मनाना	7	4	4	4	1	–
22	,, हरसौर	11	4	3	3	1	–
23	,, चावण्डियां	8	4	3	5	–	–
24	,, कुचेरा	14	9	2	6	2	–
25	,, डिडवाना	22	21	–	5	–	–
26	,, मेडतारोड़	14	12	7	–	1	–
27	,, डिड़	11	4	4	–	–	–
28	,, गुढ़ासाल्ट	5	5	4	–	–	–
29	रा.बा.सी.उ.मा.वि. नागौर (छात्रा)	21	11	6	10	–	–
					83	14	01

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 325 की सूची

तहसील कोटपूतली से बाहर एवं बाहर से कोटपूतली तहसील में किये गये स्थानान्तरणों का विवरण

क्र. सं.	नाम अध्यापक एवं कार्यरत स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1.	श्री सत्य नारायण शर्मा, रा.मा.वि. पांचूडाला (कोट)	रा.मा.वि., साईवाड़ (जमवारामगढ़)
2.	श्री गिरधारीलाल तेली, रा.मा.वि. दांतिल (कोट)	रा.मा.वि., हनुतपुरा (शाह)
3.	श्री हनुमान सहाय, रा.मा.वि. पांचूडाला (कोट)	रा.मा.वि., अमरसर (शाह)
4.	श्री किशनलाल, रा.मा.वि., टसकोला (कोट)	रा.मा.वि., बागावास-अहीराम (विराट)
5.	श्रीमती सुमन हाड़ा, रा.बा.उ.मा.वि., कोटपूतली	रा.बा.मा.वि. गंगापोल जयपुर
6.	श्री सरदारमल यादव, रा.मा.वि., भाग (दूदू)	रा.मा.वि., मीनावास (कोट)
7.	श्री मानसिंह यादव, रा.मा.वि. घानोता (शाह)	रा.मा.वि., राजनोता (कोट)
8.	श्री शेरसिंह, रा.मा वि., बड़वा (बस्सी)	रा.मा.वि. गोनेड़ा (कोट)
9	श्री माडू राम, रा.मा.वि. घिनोई (चौमूं)	रा.मा.वि, दांतिल (कोट)
10.	श्रीमती विद्यावती शर्मा, रा.बा.मा.वि. नरायना (दूदू पं.स., तह,–सांभर)	रा.बा.प्रा वि., कोटपूतली
11.	श्री कौशल्या राठी, रा.बा.मा.वि. गंगापोल, जयपुर	रा.बा.उ.मा.वि., कोटपूतली

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 336 की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	छात्र संख्या	अध्यापकों के कार्यरत पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या		
			I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रा.सी.उ.मा.वि. नन्दपुरकालू	707	14	2	5	3	–	–
2.	,, पाली	641	14	7	4	1	2	–
3.	,, बांगड़ीनगर	501	13	4	10	1	–	–
4.	,, बेड़ा	745	10	7	6	2	–	–
5.	,, देसूरी	539	11	3	5	1	–	–
6.	,, जैतारण	942	15	12	14	–	–	–
7.	,, कन्टालिया	454	7	2	4	1	–	–
8.	,, खौड	440	5	4	4	6	–	–
9.	,, मारवाड़ जक्शन	719	10	6	11	5	1	–
10.	,, नाडोल	500	10	2	0	1	–	–
11.	,, निवाज	643	14	4	9	1	–	–
12.	,, पाली	199	28	29	8	–	1	–
13.	,, रायपुर	914	13	6	9	–	–	–
14.	,, रानी	463	8	3	10	2	–	–
15.	,, रोहट	55	10	6	4	3	–	–
16.	,, सादड़ी	863	16	12	9	1	–	–
17.	,, सेवाड़ी	514	7	3	8	1	–	–
18.	,, सोजत	1005	15	12	–	2	–	–
19.	,, सोजत रोड	1016	13	9	13	1	–	–
20.	,, सुमेरपुर	1055	15	3	15	–	–	–
21.	,, तख्तगढ़	1026	–	5	9	3	–	–
1.	रा. मा. वि. धनला	325	–	7	5	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	रा. मा. वि. जोजावर	255	–	7	5	–	–	–
3.	,, पिलोवनी	212	–	7	2	–	–	–
4.	,, बूसी	219	–	8	5	–	–	–
5.	,, नारलाई	371	–	6	5	–	–	–
6.	,, खैरवा	313	–	5	8	–	–	–
7.	,, गुडाऐन्दला	205	–	5	3	–	–	–
8.	,, गुन्दोज	268	–	5	5	–	–	–
9.	,, मिलक्षेत्र पाली	798	–	16	9	–	1	–
10.	,, ढावर	179	–	6	2	–	–	–
11.	,, माण्डावास	191	–	5	4	–	2	–
12.	,, चण्डावलनगर	289	–	4	7	–	–	–
13.	,, रूपावास	143	–	5	2	–	–	–
14.	,, अटपडा	319	–	5	5	–	–	–
15.	,, सरदारसमंद	192	–	6	5	–	–	–
16.	,, वीलावास	165	–	5	4	–	–	–
17.	,, गुडाबीजा	116	–	4	2	–	–	–
18.	,, धांकड़ी	195	–	5	6	–	–	–
19.	,, साण्डिया	167	–	6	7	–	–	–
20.	,, गुडाकलां	255	–	6	4	–	–	–
21.	,, जैतपुर	288	–	6	8	–	–	–
22.	,, आऊवा	294	–	5	6	–	–	–
23.	,, कुलाद	149	–	6	3	–	–	–
24.	,, वांता	239	–	6	5	–	–	–
25.	,, सिरीयारी	173	–	6	5	–	–	–
26.	,, सारण	186	–	6	3	–	–	–
27.	,, विखिवाड़ा	282	–	6	7	–	–	–
28.	,, जवाली	243	–	7	4	–	–	–
29.	,, चोचोड़ी	182	–	6	5	–	–	–
30.	,, वीजोवा	231	–	6	3	–	–	–
31.	,, धाणीराव	328	–	5	6	–	–	–
32.	,, माधा	180	–	5	4	–	–	–
33.	,, दादाई	198	–	4	3	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	रा. मा. वि. सिन्दरली	160	–	6	2	–	–	–
35.	,, खिवांदी	280	–	6	3	–	–	–
36.	,, कोशेला	219	–	5	7	–	–	–
37.	,, चाणोदा	284	–	7	5	–	–	–
38.	,, दूजाना	286	–	6	3	–	–	–
39.	,, पावा	179	–	5	3	–	–	–
40.	,, साण्डेराव	203	–	7	6	–	–	–
41.	,, बागेरा	158	–	6	2	–	–	–
42	,, बांकली	189	–	6	5	–	–	–
43.	,, नोवी	261	–	6	2	–	–	–
44.	,, बीजापुर	256	–	9	5	–	–	–
45.	,, भंदर	197	–	6	5	–	–	–
46.	,, लुणावा	324	–	7	7	–	–	–
47.	,, भीमाणा	81	–	5	3	–	–	–
48.	,, खुडाला	402	–	9	11	–	–	–
49.	,, लाटाडा	343	–	6	4	–	–	–
50.	,, भाठूंड	256	–	9	5	–	–	–
51.	,, नाणी	365	–	5	4	–	–	–
52.	,, भीसलपुर	342	–	7	5	–	–	–
53.	,, मूण्डारा	348	–	7	8	–	–	–
54.	,, चाकूडेरी	398	–	6	6	–	–	–
55.	,, किरोल	181	–	7	4	–	–	–
56.	,, बर	316	–	8	7	–	–	–
57.	,, देवलीकलां	254	–	6	5	–	–	–
58.	,, पीपलीयाकलां	334	–	8	5	–	–	–
59.	,, सेंदडा	434	–	5	5	–	–	–
60.	,, कुशालपुरा	266	–	8	5	–	–	–
61.	,, वादरा	262	–	5	3	–	–	–
62.	,, गिरी	220	–	5	3	–	–	–
63.	,, कोटकिराणा	221	–	6	4	–	–	–
64.	,, वलून्दा	424	–	7	8	–	–	–
65.	,, रास	266	–	5	3	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.	रा. मा. वि लाम्बीया	190	–	5	3	–	–	–
67.	,, वालराई	118	–	5	3	–	–	–
68.	,, आगेवा	140	–	6	5	–	–	–
69.	,, भज्ञप्रभ्भारी	186	–	3	1	–	–	–
70.	,, टेवाली	165	–	5	1	–	–	–
71.	,, कुडकी	128	–	5	1	–	–	–
72.	,, डींगराना	130	–	4	1	–	–	–
73.	,, गरनियां	215	–	5	1	–	–	–
74.	,, भूंटा	195	–	4	1	–	–	–
75.	,, निमोडाकलां	138	–	4	1	–	–	–
76.	,, केलवाद	73	–	5	1	–	–	–
77.	,, चाण्डवास	148	–	5	1	–	–	–
78.	,, सियाट	184	–	5	1	–	–	–
79.	,, जाडन	157	–	5	1	–	–	–
80,	,, देवलीआउवा	275	–	5	1	–	–	–
81.	,, कोपारी	102	–	4	1	–	–	–
82.	,, माण्डा	181	–	5	1	–	–	–
83.	,, पाचेटिया	118	–	5	1	–	–	–
84.	,, रानीगांव	274	–	5	1	–	–	–
85.	,, गुडाजैतसिंह	123	–	5	1	–	–	–
86.	,, कोटवालियान	199	–	5	1	–	–	–
87.	,, शिवतलान	115	–	4	1	–	1	–
88.	,, ढोला	118	–	4	1	–	1	–
	रा. उ प्रा. वि.							
89.	पु. क पाली	753	1	1	4	19	–	–
90.	नाडी भोपाली	1048	1	1	21	–	–	–
91.	भैरूघाट पाली	308	–	1	10	–	–	–
92.	बागरभोपाली	601	–	2	10	–	–	–
93.	वी. की. ढालपाली	422	–	2	15	–	–	–
94.	आदर्शनगर पाली	961	–	1	26	–	–	–
95.	पुलिसलाइन पाली	1245	1	1	27	–	–	–
96.	हाऊसिंग बोर्ड पाली	477	–	1	7	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	रा. उ. प्रा. वि.							
97.	इन्द्रा कालोनी पाली	522	–	1	3	–	–	–
98.	खारची	436	–	1	7	–	–	–
99.	नं. वाली	420	–	2	13	–	–	–
100.	नं. वाली	503	–	2	11	–	–	–
101.	नं. 3 वाली	445	–	1	12	–	–	–
102.	रडावा वाली	324	–	–	5	–	–	–
103.	फुलाना स्टेशन	624	–	1	12	–	–	–
104.	नं. 3 सुमेरपुर	871	–	2	15	–	–	–
105.	नं. सादड़ी	567	–	2	10	–	–	–
106.	नं. 2 सादड़ी	388	–	2	16	–	–	–
107.	नं. 2 रानी	430	–	1	10	–	–	–
108.	नं. 1 सोजत	600	–	2	20	–	–	–
109.	नं. 2 सोजत	619	–	2	15	–	–	–
110.	नं. 3 सोजत	333	–	2	10	–	–	–
111.	नेहराबरां सोजत	173	–	2	0	–	–	–
112.	जोधपुरगेट सोजत	312	–	1	6	–	–	–
113.	नं. 1 जैतारण	917	–	2	21	–	–	–

पाली जिले की बालिका विद्यालयों की छात्रा संख्या तथा कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या

क्र. सं.	विद्यालय का नाम व स्थान	छात्र संख्या	कार्यरत पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या		
			I	II	III	I	II	III
1.	रा. वा. सी. उ. मा. वि., पाली	1108	14	16	8	3	—	1
2.	,, सुमेरपुर	540	5	5	4	1	—	—
3.	रा. वा. मा वि., सोजतनगर	394	—	7	3	—	—	—
4.	,, जैतारण	419	—	5	1	—	—	—
5.	,, रायपुर	161	—	6	2	—	—	—
6.	,, सादड़ी	197	—	4	4	—	—	—
7.	,, बाली	302	—	6	3	—	—	2
8.	,, तख्तगढ़	197	—	4	2	—	2	—
9.	,, रानी स्टेट	134	—	5	1	—	—	—
10.	,, मारवाड़ जक्शन	193	—	4	—	—	1	1
11.	,, निमाज	455	—	3	1	—	2	1
12.	,, आनन्दपुर कालू	355	—	3	—	—	2	1
13.	,, कोसेलाव	329	—	3	—	—	2	1
14.	,, देसूरी	297	—	9	—	—	2	1
15.	,, फालना	124	—	3	—	—	2	1
16	रा. वा. उ. प्रा. वि, धान मण्डी पाली	1178	1	2	45	—	2	—
17.	,, सर्वोदयनगर, पाली	512	—	2	12	—	—	—
18.	,, मोल एरिया, पाली	796	—	2	26	—	—	1
19.	,, पेकेज कालोनी, पाली	629	—	2	15	—	—	—

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 329 की सूची

वर्ष 199 की गणना के अनुसार वन्य जीवों की सूची

अभयारण्य का नाम	बाघ	बघेरा	रीछ	भेड़िया	सांभर	चीतल	चौसिंगा	जरख	ज. सुअर	सियार	लोमड़ी	चिंकारा	काला हिरण	नील गाय	मोर	बन्दर
भरतपुर	–	–	–	–	23	400	–	9	100	40	–	–	25	350	–	–
सरिस्का (1989)	19	28	–	–	3766	3544	100	188	2061	1372	–	50	–	5802	–	3642
गजनेर	–	–	–	21	–	–	–	–	189	132	74	198	313	65	78	–
तालछापर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	2	1305	–	–	–
रणथम्भौर	–	–	–	–	2243	3833	–	48	410	178	29	307	–	688	–	–

	लंगूर	हाइट्रीक्स इंडिका इंडियन सही	लेपस नीगरिकोइस इंडियन सही	ज. कुत्ते	का. पीफाउल	भा. अजगर	सिवेटकेट	ओटर	हागडीअर	वनगाय	फिशींग	ज. केट
भरतपुर	–	–	–	–	–	–	–	20	1	1300	8	5
* सरिस्का	6067	560	1429	1	10981	11	2	–	–	–	–	243
गजनेर	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तालछापर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
रणथम्भौर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* नोट :—सरिस्का में वर्ष 1990 की गणना के समय वर्षा होने के कारण गणना नहीं की गई है जिसके स्थान पर वर्ष 1989 की गणना के आंकड़े दिये गये हैं।

गत वर्ष अवैध शिकार के पकड़े गये केसेज की सूची

	अभयारण्य का नाम	वर्ष	वर्ष में दर्ज किये गये अपराध	विभागीय फसल	पैण्डिग न्यायालय	पैण्डिग विभाग
1.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर	1989-90	2	2	–	–
2.	रणथम्भौर सवाईमाधोपुर	1989-90	7	–	–	–
3.	तालछापर	–	कोई केस दर्ज नहीं हुआ –	–	–	–
4.	सरिस्का	1989-90	19	3	5	11

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 332 की सूची

नाम रेंज	पदस्थापित रेंजरों के नाम	अवधि
प्रतापगढ़	श्री प्रताप सिंह झाला	20-11-85 से 3-11-89
	श्री मन्शूर खां	4-11-89 से 3-1-90
	श्री प्रताप सिंह	4-1-90 से लगातार
धरियावद	श्री भैरू सिंह झाला	25-11-85 से लगातार

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 334 की सूचना

भवानी मंडी कस्बे में राजस्थान टैक्सटाइल्स मिल्स के उपचार संयंत्र के संबंध में मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

मण्डल द्वारा अपने पत्रांक 7488 दिनांक 28-1-80, 8009 दि. 25-2-80 एवं 2383 दि. 16-7-80 द्वारा भवानी मंडी में स्थित टैक्सटाइल्स मिल को निर्देश दिये गये कि उच्छिष्ठ को मण्डल मानक (आई. एस. 2490) के अनुरूप उपचारित कर निस्त्रावित करने की व्यवस्था करें।

उद्योग ने अपने पत्रांक 5219 दि. 8-5-81 द्वारा सूचित किया कि उपचार संयंत्र स्थापित कर लिया गया है तथा उद्योग द्वारा औद्योगिक प्रसंस्करणों से जनित उच्छिष्ठ को उपचारित करने हेतु उपचार संयंत्र, जिसमें उदासीनीकरण टैंक, एयरेशन टैंक, हॉपर बोटम सैटलिंग टैंक एवं स्लज ड्राइंग टैंक आदि बनाये गये हैं। अर्थात् उद्योग ने प्राथमिक एवं द्वितीय उपचार व्यवस्था स्थापित कर रखी है। दिनांक 29-9-81 द्वारा सूचित किया कि उपचार संयंत्र ने अप्रैल 1981 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

मण्डल ने उच्छिष्ठ के नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर पत्रांक 6186 दि. 24-10-81 द्वारा उद्योग को सूचित किया कि उपचार संयन्त्र सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहा है। अतः उच्छिष्ठ को मण्डल मानकों की सीमाओं में लाने हेतु शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करें।

उद्योग ने अपने पत्र क्रमांक : 32320 दि. 20-11-81 द्वारा उपचार संयंत्र के सुचारू रूप से कार्यरत होने की सूचना दी, परन्तु विश्लेषण प्रतिवेदनों से उच्छिष्ठ मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर उद्योग को मण्डल द्वारा पत्रांक : 1093 दिनांक 4-12-82, 11022 दिनांक 31-12-82, 130 दि. 8-4-83 द्वारा उच्छिष्ठ को मण्डल मानकों तक उपचारित करने तथा पत्रांक 1524 दि. 23-5-83 द्वारा उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिये। पत्रांक : 9390 दि. 1-3-84 द्वारा भी उद्योग को उच्छिष्ठ को मानकों की सीमाओं में लाने हेतु निर्देश दिये गये। पत्रांक : 11149 दि. 11-3-85 को उद्योग को जल अधिनियम 19 4 की धारा 25/26 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। इस संबंध में मण्डल पत्रांक : 6422 दि. 28-9-85 द्वारा पुनः उद्योग को निर्देश दिये गये।

उद्योग ने अपने पत्रांक : 102 : 3 : 87 दि. 2-1-87 द्वारा उपचार संयंत्र में सुधार हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि मण्डल द्वारा पत्रांक 12784 दि. 25-3-87 को अनुमोदित की गई। उद्योग ने अपने सम्मति आवेदन-पत्र दि. 10-6-88 को सूचित किया कि उन्होंने उपचार संयंत्र में आवश्यक सुधार कर लिये हैं। पत्रांक : 5144 दि. 6-9-89 द्वारा उपचार संयंत्र के रख-रखाव में सुधार करने हेतु निर्देश दिये गये।

पूर्व में उद्योग द्वारा प्रेषित विश्लेषण रिपोर्ट माह जून, 1990 के अनुसार उच्छिष्ठ संयन्त्र सन्तोषजनक रूप से कार्यरत था। अब 24-9-90 की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषक तत्व मानकों से अधिक पाये गये तथा उपचार संयंत्र सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

ह./–

सदस्य—सचिव

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 336 की सूची

राज्य में वर्ष 1970 से 1985 तक वन भूमि पर कब्जों वाले जिलों की सूची

1	उदयपुर	14	जैसलमेर
2	सिरोही	15	जालौर
3	डूंगरपुर	16	सीकर
4	बांसवाड़ा	17	चूरू
5	चित्तौड़गढ़	18	नागौर
6	कोटा	19	झुंझुनू
7	बूंदी	20	गंगानगर
8	झालावाड़	21	बीकानेर
9	अजमेर	22	सवाई माधोपुर
10	भीलवाड़ा	23	भरतपुर
11	टोंक	24	धौलपुर
12	जोधपुर	25	अलवर
13	पाली	26	जयपुर

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 342 की सूची

सतर्कता दलों द्वारा पिछले पांच वर्षों में अवैध खनन, रायल्टी, टैक्स, रायल्टी चोरी के दर्ज प्रकरण एवं मौके पर वसूल की गई राशि की सूची

1.	अवैध खनन के पकड़े गये प्रकरण	242
2.	रायल्टी चोरी के पकड़े गये व दर्ज किये गये प्रकरण :—	5995
	(अ) बिना रवन्ना पकड़े गये वाहनों की संख्या	5985
	(ब) रायल्टी अपवंचन के पकड़े गये अन्य प्रकरण	10
3.	मौके पर वसूल की गई राशि	रु. 21·01 लाख

263

90	वर्ष 90–91		योग		
प्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
18	19	20	21	22	23
0	50	28	226	227	45
3	5	4	55	27	1
4	15	–	30	14	33
–	5	–	25	5	निल
2	10	2	90	29	12
8	10	2	45	23	8
4	20	5	35	10	9
7	50	21	125	81	निल
1	10	2	64	40	9
–	5	1	35	1	निल
–	10	–	30	–	5
–	5	–	35	8	निल
3	5	2	51	26	6
9	30	16	170	85	29
–	5	–	21	5	10
–	5	–	10	1	निल
2	5	2	23	17	5
4	10	3	65	15	7
2	5	1	33	10	3
0	30	25	443	276	5
–	–	–	22	9	निल
3	–	–	8	4	निल
2	–	–	35	9	निल
16	15	10	195	77	26
2	–	–	11	4	4
0	–	–	20	19	निल
–	–	–	20	16	2
86	303	125	1922	1038	219

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 349 की सूची

परिशिष्ट—क

संलग्न–परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	नाम सहकारी संस्था	दुकानों की संख्या	स्थान जहाँ दुकान चल रही है
1	फूलन ग्राम सेवा सहकारी समिति	1	फूलन
2	थापन ,, ,,	2	थापन, इन्द्राणा
3	देवन्दी ,, ,,	3	देवन्दी, अर्जायाना, मवडी
4	मिठोडा ,, ,,	1	मिठोडा
5	पादरू ,, ,,	2	पादरू–2
6	धीरा ,, ,,	2	धीरा, भागवा
7	मैली ,, ,,	2	मैली, बामसीण
8	कुण्डल ,, ,,	1	कुण्डल
9	सिणोर ,, ,,	2	सिणोर, धारणा
10	मजल ,, ,,	1	मजल
11	राखी ,, ,,	1	राखी
12	समदडी ,, ,,	4	समदडी–4
13	अजीत ,, ,,	2	अजीत, रेजडीयाली
14	रामपुरा ,, ,,	3	रामपुरा, मियांका, वाडा, ढिडस
15	जेठन्तरी ,, ,,	1	जेठन्तरी
16	अर्थण्डी ,, ,,	1	अर्थण्डी
17	सिवाना ,, ,,	4	सिवाना–3, गोलिया
18	करमावास ,, ,,	2	करमावास, सांवरडा
19	मोकलसर ,, ,,	2	मोकलसर, महिलावास
20	कोटडी ,, ,,	1	कोटडी
21	रेल्वे एम्पलाइज को-ऑपरेटिव भण्डार लि., समदडी	1	समदडी
	कुल योग—	39	

परिशिष्ट-ख

ऋण राहत हेतु

क्रमांक	नाम समिति	चिन्हित		लाभान्वित		शेष	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	देवन्दी	221	4·84	215	4·56	6	0·28
2	थोपन	315	9·42	314	9·36	1	0·06
3	मोकलसर	225	5·14	220	4 98	5	0·16
4	मेली	189	3·76	188	3·74	1	0·02
5	सिवाना	819	3 76	819	19 90	–	–
6	धीरा	36	19·90	34	0·54	2	0·07
7	कुन्डल	79	1·65	79	1·65	–	–
8	मिठोड़ा	290	6·66	290	6·66	–	–
9	पादरू	240	5·45	240	5·45	–	–
10	सिणेर	335	7·34	335	7·34	–	–
11	जेठन्तरी	200	4·37	200	4·37	–	–
12	अजीत	269	5·99	269	5 99	–	–
13	मजल	199	6·69	198	6·64	1	0·05
14	करमीवास	214	5·94	214	5·94	–	–
15	रामपुरा	264	5·40	262	5·30	2	0·10
16	राखी	309	8·19	309	8·19	–	–
17	कोटडी	362	8·53	362	8·53	–	–
18	अर्थन्डी	199	4·56	198	4·54	1	0·02
19	समदडी	456	6·41	453	6·10	3	0·31
20	धूलणी	526	15·26	505	14·00	21	1·26
	योग—	5747	136·11	5704	133·78	43	233

परिशिष्ट–क

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 362 की सूची

जिलेवार दुधारू पशुओं की संख्या एवं उनसे प्राप्त दूध का विवरण (टेन्टेटिव)

क्र. सं	विवरण	अजमेर	अलवर	बांसवाड़ा	बाड़मेर	भरतपुर	भीलवाड़ा	बीकानेर	बूंदी	चित्तौड़
1.	देशी गायों की संख्या : (तीन साल से ऊपर)									
	(क) दूध में है–	62163	53178	44674	61289	34503	73310	99952	39994	81143
	(ख) दूध नहीं दे रही–	87042	43215	80255	62654	32884	151516	137562	55377	138456
2.	संकर नस्ल की गायों की संख्या : (2·5 साल से ऊपर)									
	(क) दूध में है–	1641	192	78	140	230	1179	176	100	282
	(ख) दूध नहीं दे रही–	1034	73	21	125	141	1151	150	85	176
3.	भैंसों की संख्या : (तीन साल से ऊपर)									
	(क) दूध में है–	41110	164439	40166	11366	147321	56940	13927	45091	69452
	(ख) दूध नहीं दे रही–	35421	82109	39026	16864	78625	69641	14454	34807	70067

जिलेवार दुधारू पशुग्रों की संख्या एवं उनसे प्राप्त दूध का विवरण (टेन्टेटिव)

क्र. सं.	विवरण	चूरू	धौलपुर	डूंगरपुर	गंगानगर	जयपुर	जैसलमेर	जालौर	झालावाड़	झुंझुनू
1.	देशी गायों की संख्या : (तीन साल से ऊपर)									
	(क) दूध में है–	69454	18833	21770	145053	117177	25829	39508	77181	38327
	(ख) दूध नहीं दे रही–	65194	25712	58062	104261	142387	44047	39613	89248	17029
2.	संकर नस्ल की गायों की संख्या : (2 5 साल से ऊपर)									
	(क) दूध में है–	15	11	34	2381	3316	10	21	66	286
	(ख) दूध नहीं दे रही–	22	13	17	1245	1807	2	20	28	106
3.	भैंसों की संख्या : (तीन साल से ऊपर)									
	(क) दूध में है–	35597	62433	31810	139985	238641	58	46278	51994	71338
	(ख) दूध नहीं दे रही–	26544	37963	35807	76739	142037	169	26070	41545	22056

जिलेवार दुधारू पशुओं की संख्या एवं उनसे प्राप्त दूध का विवरण (टेन्टेटिव)

क्र. सं.	विवरण	जोधपुर	कोटा	नागौर	पाली	सवाई माधोपुर	सीकर	सिरोही	टौंक	उदयपुर	कुल पशुओं की संख्या
1.	देशी गायों की संख्या : (तीन साल से ऊपर)										
	(क) दूध में है–	89564	105078	108980	51946	70502	62962	16481	48203	93349	1750402
	(ख) दूध नहीं दे रही–	87540	123052	131888	68709	84465	42384	27652	78209	192755	2212059
2.	संकर नस्ल की गायों की सं.: (2·5 साल से ऊपर)										
	(क) दूध में हैं–	1205	172	121	350	26	672	67	62	2677	15546
	(ख) दूध नहीं दे रही–	380	118	279	204	116	187	122	34	892	8548
3.	भैंसों की संख्या : (तीन साल से ऊपर)										
	(क) दूध में हैं–	25632	77377	57476	44581	144385	79292	16569	41250	105314	1850833
	(ख) दूध नहीं दे रहीं–	16871	60212	45968	33315	97938	40870	13718	43718	122724	1315290

परिशिष्ट—ख

जिलेवार दुग्ध प्राप्ति का विवरण

क्र. सं.	जिला	कुल मात्रा (लाख लीटर में)	प्रतिदिन की मात्रा (हजार लीटर में)
1	2	3	4
1.	अजमेर	105·60	38·40
2.	अलवर	25·20	9·16
3.	बांसवाड़ा (बांसवाड़ा, डूंगरपुर)	9·10	3·31
4.	भरतपुर (भरतपुर, धौलपुर)	23·70	8·62
5.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़)	80·80	29·38
6.	बीकानेर	278·20	101·16
7.	चूरू	28·60	10·40
8.	श्रीगंगानगर	102·20	37·16
9.	जयपुर	69·40	25·24
10.	जालौर (जालौर, सिरोही)	19·50	7·09
11.	जोधपुर (जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर)	73·50	26 73
12.	कोटा (कोटा, बून्दी, झालावाड़)	24·10	8·76
13.	पाली	54·80	19·93
14.	सीकर (सीकर, झुंझुनू)	2·80	1·02
15.	टौंक-सवाई माधोपुर (टौंक-सवाईमाधोपुर)	23·60	8·53
16.	उदयपुर	24·30	8·34
	कुल :	945·40	343·78

नोट—16 जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों के कार्य क्षेत्र में राज्य के सभी 27 जिले सम्मिलित हैं।

(270)

परिशिष्ट "ग"

राज्य में स्थापित डेयरी संयंत्रों की क्षमता एवं उसके उपयोग का विवरण

क्र. सं.	दुग्ध संयन्त्र	दुग्ध विदोहन क्षमता प्रतिदिन (लाख लीटर में)	वर्ष 1990–91 में दिसम्बर, 90 तक में प्राप्त दुग्ध प्रतिदिन (लाख ली.)	क्षमता का उपयोग प्रतिशत में
1	2	3	4	5
1	जयपुर	1·50	0·61	45
2	अजमेर	1·00	0·41	41
3	अलवर	1·00	0·35	35
4	जोधपुर	1·00	0·42	42
5	रानीवाड़ा	0 50	0·10	20
6	बीकानेर	1·50	1·12	75
7	उदयपुर	0·25	0·14	56
8	कोटा	0·25	0·9	36
9	भीलवाड़ा	1·00	0·30	30
10	हनुमानगढ़	1·00	0·37	37
	कुल योग	9·00	3·91	43·44

———